राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1 पंचम विधान सभा के प्रथम सत्र का 51वां दिवस संख्या 21

मंगलवार,

दिनांक 9 मई, 1972.

विधानसभा की बैठक म. पू. 11.1 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(वित्त, कृषि, शिक्षा, भू-जल बोर्ड, अकाल सहायता, जनस्वास्थ्य, उद्योग, वन, सहकारिता, गृह एवं पशुपालन-विभाग)

प्रश्न संख्या 368

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदनकौर।

नई दिल्ली में नियुक्त राज्य सम्पर्क अधिकारी

369. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य सरकार का केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों से सम्पर्क बनाये रखने हेतु नई दिल्ली में सम्पर्क अधिकारी नियुक्त है? यदि हां, तो कितने और किस किस विभाग के लिये ?

(2) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार से अनुदान और छात्र वृत्तियां आदि और अन्य राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति से सम्पर्क बनाये रखने की क्या मशीनरी है?

जन सम्पर्क मंत्री (श्रीमती कमला बेनीवाल) :

(1) जी नहीं।

(2) केन्द्र सरकार और अन्य राज्यों में हुई प्रगति से सम्पर्क बनाये रखने की कोई अलग मशीनरी नहीं है, केवल राज्य स्तर से ही सम्पर्क बनाये रखना पड़ता है।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, आज के युग में जब कि दूसरे प्रान्तों मे अपने अपने जनसम्पर्क अधिकारी वहां पर लगा रखे हैं और वहां पर वह अधिकारी अपनी राज्य सरकार के लिये और वहां की विकास योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार से और विश्व बैंक वगैरा से काफी धनराशि उपलब्ध कर सकते हैं तो क्या राजस्थान सरकार इसको उचित नहीं समझती कि वह अपना भी अधिकारी वहां रखे ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : पहले ऐसी व्यवस्था राजस्थान सरकार द्वारा की गई

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

थी पर वह ज्यादा उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकी इसलिये वह पोस्ट वहां पर खतम कर दी गयी। दूसरे एक अधिकारी सभी मामलों को अच्छी तरह से देख भी नहीं सकता।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, आज की परिस्थितियों में ऐसी मशीनरी का होना अत्यन्त ही आवश्यक है। आज दूसरे राज्यों ने अपनी ऐसी मशीनरी दिल्ली में रख कर राजस्थान अधिक एड वगैरा प्राप्त की है। आज बहुत सी ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें हैं जो कि एड देती हैं। आज जो विश्व बैंक वगैरा धनराशि देती हैं वह ऐसी मशीनरी के वहां रहने से ज्यादा सुविधाजनक सिद्ध होगी। इसलिये मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार को चाहिये कि वह ऐसी मशीनरी दिल्ली में रखे।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि पहले ऐसा किया गया था। पर वह ज्यादा उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकी। दूसरे विश्व बैंक के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा जो धनराशि लेने का सवाल है उसके लिये विभागीय अधिकारी दिल्ली में जाकर सम्पर्क स्थापित करते हैं। और जो टेकनीकल मामले होते हैं उसमें विभाग के टेकनीकल आफिसर जाकर संबंधित विभागों से सम्पर्क स्थापित करते हैं।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी की दूसरे राज्यों ने अपने प्रान्त की सरकार से उस मशीनरी को रख कर ज्यादा हैल्प सेन्ट्रल गवर्नमेंट से और विश्व बैंक से व और जो अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनसे हैल्प ली है राजस्थान से।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था कि पहले ऐसी प्रक्रिया थी पर वह उपयोगी सिद्ध नहीं हुई इसलिये राज्य सरकार ऐसा करना उचित नहीं समझती।

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल !

ग्राम बाढ़ में वर्षा से क्षति

370. **श्री उम्मेदी लाल (हिन्डौन)** : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि ग्राम बाढ़, पंचायत ढिढोरा तहसील हिण्डौन (जाटव बस्ती) 1971 में वर्षा के कारण पानी में डूब गया था तथा इससे यहां के जाटव परिवारों को अनुमानतः 35,000/- रुपये का नुकसान हुआ था ?

(2) क्या सरकार ने इन लोगों को कोई सहायता दी थी ? यदि हां, तो कितनी कितनी सहायता प्रत्येक व्यक्ति को दी गई ? यदि कोई सहायता नहीं दी गई तो क्या सरकार अब सहायता देने का विचार रखती है ?

अकाल सहायता मंत्री (श्री परसराम-मदेरणा) : प्रश्न का उत्तर नहीं आ सका है इसलिये इसे स्थगित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया। श्री मोहरसिंह !

चूरू जिले की पेय जल योजना

371. **श्री मोहर सिंह (चूरू)** : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू जिले में गावों को पेय जल उपलब्ध कराने के लिए सरकार की क्या

(श्री मोहरसिंह)

योजना है ? योजना का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य के अन्य जिलों के मुकाबले चूरू जिले के लिए इतनी कम योजना बनाये जाने का क्या कारण है ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री चन्दन मल बेद) : (1) चूरू जिले में जिन जिन ग्रामों की जल प्रदाय योजनायें पूर्ण की जा चुकी हैं, जिन जिन ग्रामों की योजनायें प्रगति पर हैं तथा जिन जिन ग्रामों के लिए योजनायें बन कर तैयार हो चुकी हैं व जिनका सर्वे किया जा चुका है उनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। इसके अतिरिक्त भी और योजनायें बनाने का विचार है किन्तु अभी तक उनके स्वरूप को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका।

(2) प्रतिवर्ष उपलब्ध धनराशि के अनुसार ही योजनायें बनायी जा रही हैं।

(कृपया परिशिष्ट सं. 1 देखें)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती भगवती देवी !

क्रेश प्रोग्राम एवं मार्जिनल फार्मस प्रोग्राम के अन्तर्गत अजमेर जिले को दी गई राशि

372. श्रीमती भगवती देवी (भिनाय): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पिछले वर्ष क्रेश-प्रोग्राम एवं मार्जिनल फार्मस प्रोग्राम के अन्तर्गत अजमेर जिले में कितनी राशि आवंटित की गई ?

(2) उस राशि को किस किस कार्य एवं योजना पर कहां कहां व्यय किया ? पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) इस समय अजमेर जिले में कौन कौन सी योजना चल रही है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) आगामी वर्ष में इस योजना पर कितनी राशि रखी गई है तथा कितनी योजनायें सरकार के अधीन हैं ?

कृषि मंत्री, (श्री परसराम मदेरणा) : इस प्रश्न को स्थगित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री अध्यक्ष : श्रीमीठा लाल।

बामनवास कस्बे की जल प्रदाय योजना

373. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि सवाई माधोपुर जिले के बामनवास कस्बे में जल प्रदाय योजना कार्य बड़ा ही धीमी गति से चल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? तथा उक्त योजना निश्चित रूप से कब तक प्रारम्भ हो जावेगी ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बेद) : (1) जी नहीं, कार्य प्रगति पर है कुओं के कार्य में वर्षा ऋतु के बाद तक भी सब जगह पानी भरे रहने के कारण प्रगति धीरे हो गई थी। योजना का कार्य माह जून, 1972 तक पूर्ण किये जाने की सम्भावना है।

श्री मीठा लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय ने जो यह कहा है अपने उत्तर में कि योजना का कार्य जून 72 तक पूर्ण हो जायेगा वह पूर्ण नहीं हो सकेगा क्योंकि अभी तक वहां पर कुए बने नहीं हैं, और जो कुए हैं उनमें इतना पानी नहीं और पानी निकलने की सम्भावना भी कम है। तो क्या मन्त्री महोदय ने जो अपने जवाब में कहा है कि पानी मिल जायेगा यह सही है? क्या इस योजना से जनता को पानी मिल सकेगा ?

श्री चन्दन मल बैद : मैंने कहा कि योजना ऐसी है कि पानी मिल सकेगा।

श्री मीठालाल : योजना है या पानी मिल जायेगा।

श्री चन्दन मल बैद : पानी मिल जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन लाल छंगाणी।

सीमेन्ट उद्योग का राष्ट्रीयकरण

374. **श्री मोहन लाल छंगाणी** (फलोदी) : क्या राज्य सरकार के समक्ष सीमेंट उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर कब तक कार्यवाही कर ली जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) ? जी नहीं। इसका सम्बन्ध भारत सरकार से है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, राज्य में सीमेंट का उद्योग लगा हुआ है और उसमें राज्य सरकार के 13 लाख रुपये लगे हुए हैं। आज सी. ओ. बी. लाइसेन्स मिल गया है पर पाइप वगैरह सीमेंट के बनने शुरू नहीं हुए हैं। आखिर सरकार का पैसा लगा है इस उद्योग का विस्तार किया जाना चाहिए यह ठीक है कि यह केन्द्र का मामला है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : उद्योग का राष्ट्रीयकरण भारत सरकार के हाथ की बात है, वह ही इसकी नीति निर्धारित करती है। यह राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र की बात नहीं है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह ठीक है कि राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार भारत सरकार को है लेकिन राज्य सरकार अपना दृष्टिकोण तो रख सकती है भारत सरकार के सामने। आखिर राज्य सरकार के लाखों रुपये लगे हुए हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : राज्य सरकार के रुपये तो और भी उद्योगों में लगे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री निरंजननाथ आचार्य।

राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघ की मांगें

375. **श्री निरञ्जननाथ आचार्य** (मावली) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघ जोधपुर द्वारा उनकी मांगों के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन राज्य सरकार की सेवा में प्रस्तुत किया गया ? यदि हां, तो कब और उक्त प्रतिवेदन में उल्लिखित समस्याओं एवं न्यूनताओं पर राज्य सरकार ने अब तक क्या निर्णय लिया ? यदि नहीं, तो

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
कब तक उक्त समस्याओं पर निर्णय लिया जा सकेगा ?

(2) क्या यह सही है कि शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा क्षेत्र में शैक्षणिक योग्यता समान मान ली गई है ? यदि हां, तो उक्त निर्णय की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

शिक्षा मंत्री (श्री नारायणसिंह) : (1) इस प्रकार का प्रतिवेदन इस विभाग में हाल ही में प्राप्त हुआ है।

(2) जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय, इस बारे में थोड़ा सा आपको निवेदन कर देना चाहता हूं। पे स्केल्स में एनोमोली कई पे स्केल्स के बारे में है। उसके लिये राज्य सरकार ने एक वन मैन कमेटी एपोइन्ट कर दी है वह सभी मामलों को देख रही है और वह जो रिपोर्ट देगी उसकी सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही होगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप स्वयं सक्रिय है, इसका मतलब यही है। और शायद दो तीन महीनों में निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री नारायणसिंह : जैसे कि मैंने आपको निवेदन किया है कि पहले रानावत पे कमीशन राज्य सरकार द्वारा एपोइन्ट किया गया था और उसने जो पे स्केल्स बनाये उनमें कई एनोमोली रह गई है। उसके लिये राज्य सरकार ने एक वन मैन कमीशन एपोइन्ट कर दी है। यह सभी प्रश्न उनके विचाराधीन हैं। इसके अलावा भी दूसरे डिपार्टमेन्ट की जो एनोमोली हैं उस पर भी वही रिपोर्ट देगी तब कार्यवाही होगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की कितनी एनोमोली है। कल भी मुद्रण एवं लेखन विभाग के लिये एनोमोली बतायी। आज इस एनोमोली की वजह से राजस्थान सरकार के कई डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को परेशानी है। अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में ढाई लाख कर्मचारी हैं, आपने एक वन मैन कमीशन बैठायी, पता नहीं वह कब रिपोर्ट देगी। मेरा यह निवेदन है कि इन एनोमोलीज को तुरन्त दूर किया जाना चाहिये।

श्री नारायणसिंह : यह तो जो राणावत पे कमीशन की वजह से एनोमोलीज हुई है और उसके लिये ही यह किया गया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसका मतलब यह हुआ कि आपको भी इसका दर्द है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ये तो वह बात हो गई है कि एक गधे पर दूसरा गधा सवार होता जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामप्रसाद बोहरा।

ग्राम असनावर की नल योजना

376. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरा पाटन) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम असनावर जिला झालावाड़ की नल योजना

Page No. 6

के लिये सन् 1959 में ग्राम पंचायत द्वारा 3000 की धनराशि जमा कराई गई थी ? यदि हां तो इस योजना की स्वीकृति क्यों नहीं हुई ?

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा इस कार्य के लिये सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो यह योजना कब चालू की जायेगी ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) जी नहीं। इस विभाग के मद में कोई धनराशि जमा नहीं कराई गई। स्वीकृति का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी हां, सर्वे किया जाकर योजना बनाई जा चुकी है, जन सहयोग की धनराशि प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही की जावेगी।

श्री रामप्रसाद बोहरा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह राशि जमा हो चुकी है। पहले भी यह सवाल उठा था। और चालान की प्रति जिसके तहत रकम जमा हुई थी वह भी भेज दी गयी। लेकिन वह गलत हैड में जमा हो गयी थी इसलिये आप सही हैड में जमा कराकर योजना को चालू करवाने की व्यवस्था करें।

श्री चन्दनमल बैद : सही रूप से जमा कराने की कार्यवाही उन्हीं को करानी चाहिये। मैं तो करूंगा नहीं। अगर वह रकम सही हैड में जमा कराकर कार्यवाही करें तो हम आगे कार्यवाही कर लेंगे।

(प्रश्न संख्या 377)

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्त सिंह नाहर।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री भीमसेन।

क्रोनिकली ड्राट अफेक्टेड एरिया में दूध की बिक्री व्यवस्था

378. **श्री भीम सेन** (लूणकरणसर): क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर आदि जिले क्रोनिकली ड्राट अफेक्टेड ऐरिया में शुमार होते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन क्षेत्रों में अच्छे दुधारू पशु बहुतायत से उपलब्ध हैं तथा जिनके दूध की बिक्री व्यवस्था करके पशु पालकों को वाजिब कीमत दिलाकर उनकी आर्थिक हालत में सुधार किया जा सकता है ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या क्या योजनायें क्रियान्वित करने जा रही है ?

पशु पालन मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) एवं (2) जी हां। बीकानेर और चूरू क्षेत्र के लिये बीकानेर में एक लाख लीटर का डेयरी संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है। जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, नागौर और जोधपुर क्षेत्र के दुग्ध उत्पादन विकास के लिये जोधपुर में एक लाख लीटर डेयरी संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है। यह दोनों योजनायें 'आपरेशन फ्लड' के अन्तर्गत ली जावेगी और इसी में इसके अलावा पशुधन विकास का भी कार्यक्रम

Page No. 7

(श्री परसराम मदेरणा)

होगा। इसके अलावा जैसलमेर में लाठी क्षेत्र के लिये 120 लाख की एक बहुमुखी योजना प्रस्तावित है। बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर तथा जोधपुर क्षेत्र में रूरल वर्क्स के अन्तर्गत डेयरी गोचर विकास के लिये 120 लाख के कार्य लिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकर लाल।

पाली जिले के गांवों में पेयजल की व्यवस्था

379. श्री शंकर लाल (पाली) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली तहसील के किन किन गांवों में पेयजल हेतु जवाई नहर से दिनांक 8-4-1972 तक कितने एम. सी. एफ. टी. पानी दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) पाली जिलाधीश द्वारा कितने और कौन कौन से गांवों के लिये कितना कितना पानी जवाई नहर से दिये जाने की मांग जन स्वास्थ्य विभाग को की गई थी और जन स्वास्थ्य विभाग के जोधपुर के एस. इ. श्री राजवंशी और पाली जिलाधीश के दरम्यान कितने एम. सी. एफ. टी. पानी दिये जाने का निर्णय हुआ था ?

(3) फेमिन व आम वर्षों में भी गत चार वर्षों में पाली तहसील के किन किन गांवों में जवाई से पानी मिलता रहा है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दन मल बैद): (1) दिनांक 28 फरवरी, 1972 को ग्राम मीतड़ा को और दिनांक 21 मार्च, 1972 से 26 मार्च, 72 तक कानेलाव वाला, हेमावास, रामसिया एवं मंडली गांवों को जवाई नहर से कच्ची नालियों द्वारा पानी दिया गया। हर गांव को दिये गये पानी की नाप का कोई साधन नहीं अतः ग्रामवार सूची सदन की मेज पर नहीं रखी जा सकती। किन्तु जवाई से छोड़े गये व जोधपुर व पाली में प्राप्त पानी के हिसाब के अनुसार लगभग 25 एम. सी. एफ. टी. पानी जवाई डैम से इन गांवों को दिया गया।

(2) पाली जिलाधीश द्वारा दी गई सूची संलग्न है। अधीक्षण अभियन्ता जोधपुर व जिलाधीश पाली के बीच दिनांक 27 फरवरी, 1972 को हुई बैठक में पाली के गांवों को जुलाई के अन्त तक 15 एम. सी. एफ. टी. पानी देने का निर्णय लिया गया था।

(3) सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री शंकरलाल : क्या यह सही है कि 15 एम. सी. एफ. टी. पानी गांवों को दिया और जितना पानी छोड़ा गया और जितना पानी जोधपुर में पहुंचा तो उसी हिसाब से 15 एम. सी. एफ. टी. पानी पहुंचा है। 8 जुलाई '72 को जो जवाब दिया गया था कि इतना एम. सी. एफ. टी. पानी दिया गया था, जो भी विभाग से आया, वह सही नहीं था ?

श्री चन्दनमल बैद : जवाब तो सही था, जो पानी जवाई बान्ध से निकाला

(श्री चन्दनमल बैद)

उसका नाप हो सकता है। पाली जोधपुर में कितना पानी पहुँचा उसका भी नाप कि रास्ते में कितना दिया; इसका नाप नहीं है।

श्री शंकरलाल : क्या यह सही है कि पाली जिले की 34 गांवों की जो सूची दी है।

श्री चन्दनमल बैद : वह सूची मैंने रख दी है। जैसा मैंने बताया पांच गांवों को पानी दिया गया इसके बाद माननीय सदस्य के आग्रह पर और कलक्टर के कहने पर पांच गांवों को और दिया गया और माननीय सदस्य ने फिर कहा कुछ गांवों को पानी दे दिया जाय तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। इस विषय में मैंने माननीय सदस्य और मुख्य अभियन्ता को बैठाकर बातचीत की है और पानी का आदेश दे दिया गया। अब मा. सदस्य उनकी परिस्थिति को देखते हुये एवं सरकार की परिस्थिति को देखते हुये समझ सकते हैं और मैं समझता हूं इस चेप्टर को क्लोज कर दिया जाय तो अच्छा है।

श्री शंकरलाल : लेकिन दो गांवों के अन्दर विकट समस्या है। 34 में से 15 गांवों को पानी दे दिया गया अब ढावर और दुड़ाई जो गांव हैं न तो यहां पानी टैंकों से पहुंच सकता है और न और कोई दूसरे साधन से पानी पहुच सकता है, अतः इन दो गांवों को और ले लिया जाय।

श्री चन्दनमल बैद : मैं कलक्टर पाली से इस बात के लिये दरियाफ्त कर लूंगा। इन दोनों गांवों में किसी भी साधन से पानी नहीं पहुँच सकता है तो देखा जा सकता है।

श्री दिनेशराय डांगी (देसूरी) : अध्यक्ष महोदय, पाली जिले में हमेशा पीने के पानी की समस्या उत्पन्न होती है। इस विधान सभा में भी कई बार प्रश्न आता है। जवाई केनाल भी निकाली गई जो जोधपुर तक जाती है किन्तु पानी वहां तक पहुच नहीं पाता है। इसलिये केनाल को इस प्रकार बान्ध दी जाय कि यह प्रश्न हमेशा...

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछ रहे हैं क्या ?

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, जो पानी केनाल से छोडा जाता है वह जोधपुर और पाली पहुचते पहुंचते उड़ जाता है और जितना पानी आप निर्धारित करते हैं उतना पहुचता नहीं है। इस प्रश्न के बारे में हमने मुख्य मन्त्री से लेकर प्रधान मन्त्री तक बात चीत की है। कोई इस बात का परमानेन्ट हल निकाला जाय ताकि रास्ते में जो पानी उड़ जाता है वह बच जाय। इसको कवर करने के बारे में विचार किया जाय।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मालूम नहीं जब भी बान्ध बनाया जाता है तो दोनों तरफ हरे वृक्ष लगाने की योजना होती है। पाली और जोधपुर के गावों के लिये 1 करोड़ 27 लाख की एक स्कीम बनाकर स्वीकृति के लिये भारत सरकार को भेजी गई है। स्वीकृति आते ही पानी देने की व्यवस्था की जायगी और जो पानी की समस्या है वह समाप्त हो जायेगी।

श्री दिनेशराय डांगी : जो धूप से पानी उड़ जाता है, उसके लिये क्या व्यवस्था है ?

श्री शंकर लाल : क्या यह स्वीकृति भेजी है, उसके जल्दी मिलने के लिए प्रयास करेंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : भारत सरकार को स्कीम भेज दी है। हम पत्र-व्यवहार बराबर कर रहे हैं। मुझे आशा है, जल्दी से जल्दी स्वीकृति आ जायगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या जवाई बांध की कैनाल को कवर करने की कोई योजना है ? क्योंकि जोधपुर में भी पानी का संकट है। यह नहर जोधपुर को भी पूरा पानी सप्लाई नहीं कर सकती है।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, यह सुझाव है। इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह।

आर.एस.एस. पर प्रतिबन्ध।

380. **श्री प्रद्युम्न सिंह** (कुम्हेर/खेड़ा) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के करीब 80 से अधिक विधायकों ने इस बात की मांग की है कि अगर आर.एस.एस. पर सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाया जावे। यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

(2) जो सरकारी कर्मचारी आर.एस.एस. की गतिविधियों में भाग लेते हैं तथा उसके सदस्य हैं उनके खिलाफ सरकार क्या कदम उठाने का इरादा रखती है ?

राज्य मन्त्री गृह (श्रीमती कमला बेनीवाल : (1) जी हां, 89 विधायकों से एक पत्र प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है।

(2) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ही आदेश निकाले गये थे और पुन: एक परिपत्र संख्या प. 4 (3) नियुक्ति क—3172 दिनांक 31 अप्रेल, 1972 जारी किया गया है। जिसके द्वारा राज्य कर्मचारियों पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और जमात-ए-इस्लामी की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। इस परिपत्र का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावेगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मन्त्री महोदया ने बताया 89 एम.एल.एज. का एक पत्र प्राप्त हुआ है तो मैं राज्य मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा क्या राज्य सरकार भारत सरकार को लिखने जा रही है विधान सभा के विधायकों की इच्छा को देखते हुये आर.एस.एस. पर प्रतिबन्ध लगाया जाय। क्या राज्य सरकार भारत सरकार को लिखेगी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी हां।

श्री प्रद्युम्नसिंह : दूसरी बात मैं जानना चाहूंगा खास तौर से राजस्थान के अन्दर ऐडेड इन्स्टीट्यूशन्स हैं, सरकारी स्कूल हैं वे जो आर.एस.एस. की शाखायें लगती हैं, मेरा मतलब है सरकारी कर्मचारियों के

Page No. 10

(श्री प्रद्युम्न सिंह)
बारे में है, उत्तर में जवाब तो दे दिया कि सरक्यूलर इश्यू कर दिया लेकिन एडेड इन्स्टीट्यूशन्स के अन्दर और सरकारी स्कूलों के अन्दर और सरकारी उद्यानों के अन्दर जो शाखायें लगती हैं उसको हटाने के लिये सरकार क्या कदम उठाने जा रही है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : गवर्नमेन्ट व ऐडेड इन्स्टीट्यूशन्स के अन्दर यह नियम लागू है। यह व्यवस्था की जा रही है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्या ऐडेड इन्स्टीट्यूशन्स ने इसका उल्लंघन किया है। इस बात का भी आश्वासन मंत्री महोदय को देना पड़ेगा।

श्रीमती कमला बेनिवाल : जो पाबन्दी लगायेंगे तो यह भी करना पड़ेगा। ऐड बन्द करने की सबसे बड़ी कार्यवाही है।

(कई मा. सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान, अश्रव्य)

श्री मोहनलाल छंगानी : राष्ट्रपिता गांधी की हत्या के बाद लगातार इसका जहर हमारे समाज में फैला हुआ है। इसको रोकने के लिये कोई कदम नहीं उठाया तो मैं समझता हूं और साम्प्रदायिकता का जहर फैलेगा।

एक मा. सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करूंगा आपके आदेशों के बाद भी बहुत बड़े भाग में सरकारी कर्मचारी इसमें हिस्सा लेते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे इस जहर में पलते हैं। मेरा निवेदन है कि जमायते-इस्लाम और आर. एस. एस. पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय और इस पर सख्ती से रोक लगा दी जाय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा इस प्रकार की कार्यवाही करने से पहले क्या इस बात पर निर्णय करेंगे कि कौनसा दल साम्प्रदायिक है और कौनसा दल साम्प्रदायिक नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय को और माननीय मुख्य मंत्री महोदय को सुझाव दूंगा कि हाई कोर्ट के जजेज की इस प्रकार की एक कमेटी अपाइन्ट करके यह देखा जाय कि कौनसा दल साम्प्रदायिक है और कौनसा दल साम्प्रदायिक नहीं है। केवल इस प्रकार की बात करने से कोई फायदा नहीं है।

(कई मा. सदस्यों के बीच में व्यवधान करने पर)

मुझे बोलने दीजिये फिर आप भी बोलियेगा। मुझे यह कहने का हक है इस प्रकार का जो कमीशन बैठायेंगे और जो रिपोर्ट करेगा उसको सहर्ष माना जायगा और सम्प्रदायिक संस्थाओं पर आवश्यक प्रतिबन्ध लगाया जाय किन्तु पहले यह देख लिया जाय कि कौनसा दल साम्प्रदायिक है और कौनसा दल साम्प्रदायिक नहीं है। अभी हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के युद्ध में आर. एस. एस. ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और हमारे जनरल मानेकशा ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को प्रशंसा-पत्र भी दिया है और मैं यह आपको बताना चाहूंगा कई कांग्रेस के सदस्यों को साम्प्रदायिकता के बारे में वहां से निकाला गया है और उनके खिलाफ वारन्ट जारी किये गये हैं।

(कई मा. सदस्यों के साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह बिलकुल गलत है ।

(व्यवधान, शोरगुल)

श्री मोहनलाल छंगाणी : ये विधान सभा में बराबर झूठ बोल रहे हैं

(कई माननीय सदस्यों के बोलने पर-अश्रव्य)

श्री श्रीराम गोटेवाला : ये गलत कह रहे हैं। आर. एस. एस. के आदमी को किसी को भी प्रशंसा-पत्र नहीं दिया है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : वह आपके *सम्मुख रख दी ।*

(व्यवधान)

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा : अध्यक्ष महोदय, जनसंघ······

(व्यवधान, शोरगुल)

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा····

श्री श्रीराम गोटेवाला : जनता ने आर एस. एस. को ठुकराया है।

(व्यवधान, शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा : मेरी समझ में नहीं आता कि आर. एस. एस. को बैन करने में दिक्कत क्या है ? इस राज्य सरकार की लापरवाही है ।

(व्यवधान, शोरगुल)

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं कहूंगा कि राज्य सरकार बताये कि····

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा : Ban R.S.S. immediately.

श्री अध्यक्ष : किसी की बात नहीं लिखी जा रही है। एक आदमी बोले तो उसकी बात भी लिखी जायेगी ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी को सुझाव के रूप में एक प्रश्न करना चाहूंगा कि तीन न्यायाधीशों की कमीशन नियुक्त करके जांच करें कि कौनसा दल साम्प्रदायिक है और कौन सो दल साम्प्रदायिक नहीं है। मैं इस जांच के परिणाम को खुले रूप से स्वीकार करने के लिए तैयार हूं और मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी इस प्रकार जांच की घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष : आप (प्रद्युम्नसिंह) बैठिये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मुझे कहने का हक है। मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा लेकर ही बोल रहा हूं ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : (शोरगुल के कारण अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऐसे अभद्र लोगों के ऊपर बैन लगाना बहुत जरूरी है ।

(व्यवधान, शोरगुल)

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : हमारी शिक्षा संस्थाओं में जहर फैलाया जा रहा है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मेरे प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है... (अश्रव्य)

(शोरगुल–व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या साम्प्रदायिकता की स्पष्ट परिभाषा राज्य सरकार या केन्द्र सरकार ने बनाई है और बनाई है तो वह क्या है?

श्री प्रद्युम्नसिंह : इसमें कोई जांच की आवश्यकता नहीं है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : कांग्रेस के लोग हिन्द-पाक युद्ध के अन्दर पकड़े गये··

श्री प्रद्युम्नसिंह : (अश्रव्य) अभी कुछ दिन पहले सी. बी. आई. से जांच कराने की बात कही थी और अब जुडीशियल इन्क्वायरी की बात कहते हैं। इस क्वेश्चन को जुडीशियल इन्क्वायरी की बात कहकर टाला नहीं जा सकता। यह तो सर्वविदित बात है और सब इसको जानते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं··

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरा एक प्रश्न था।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्नकर्ता से यह पूछना चाहता हूं···

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : मेरा एक निवेदन है कि शिक्षा संस्थाओं के अन्दर इस तरह का जहर फैलाकर हमारी आने वाली पीढ़ी को बिगाड़ा जा रहा है, इसका सीधा संबंध राष्ट्र के चरित्र से है····

श्री अध्यक्ष : मुझे अफसोस है कि मैं इतनी देर से कह रहा हूँ और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हां, आप (श्री भार्गव) कहिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं पूछना चाहता हूं कि आर.एस.एस. की ऐसी कौनसी गतिविधियां हैं जिनके कारण से उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है? आर. एस.एस. ने पाकिस्तान षडयंत्र को विफल किया। उसी वर्ष पाकिस्तानी हमले से·· (अश्रव्य)

(भारी शोरगुल)

श्री श्रीराम गोटेवाला : आर.एस.एस. के ऊपर आधे घन्टे की चर्चा की जाये और मैं फिर जवाब दूंगा सारी बातों का।

(शोरगुल के कारण अश्रव्य)

श्री मनोहरलाल : (अश्रव्य)...गांधी जी के हत्यारे आप हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया...(अश्रव्य)

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, हम 79 एम. एल. ए. ने प्रस्ताव रखा उसके बारे में राज्य सरकार निश्चित रूप से कहे कि आर. एस. एस. के ऊपर·····

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : आप सुनिये।·······

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय,···

श्री अध्यक्ष : Please sit down.

श्री मनोहरलाल : गांधी जी के हत्यारे आप लोग हैं। आप खादी उनके नाम पर बेचते हैं, आप गांधी को बेचते हैं······ · · · · ·

श्री अध्यक्ष : Please sit down. Not to be recorded.

कई माननीय सदस्य : ×××

श्री अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों से अर्ज करना चाहता था कि एक एक क्वेश्चन एक वक्त में पूछें तो रेकार्ड भी होगा, नहीं तो कई माननीय सदस्य एक साथ बोलेंगे तो न तो सवाल ही लिखे जायेंगे और न उनके उत्तर ही आ पायेंगे। तो मर्यादा के अन्दर रहते हुए एक एक आदमी पूछे जिससे लिखा जा सके। ऐसा तो नहीं हो कि एक आदमी बोले तो उस पर चार–चार आदमी उठकर बोलने लग जायें। (श्री मनोहरलाल एवं गिरधारीलाल भार्गव के बोलने पर) इतनी जल्दी असर कम हो गया। सवाल ही पूछें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या 26 जनवरी, 1963 को नेहरू जी के आव्हान पर आर. एस. एस. के लोग पार्टी में शामिल नहीं हुए थे? क्या 65 के अन्दर पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय · · ·

(शोरगुल, व्यवधान)

क्या सन् 1950 में आर. एस. एस. ने शरणार्थियों की समस्या को हल नहीं किया था?

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : ये सप्लीमेन्टरी में आयत नहीं होते हैं।

(व्यवधान, शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य हमने बहुत वक्त दे दिया है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन है कि 79 सदस्यों ने प्रतिवेदन दिया है राज्य सरकार के पास और उसमें यह निवेदन किया है कि शीघ्रातिशीघ्र जमाइते इस्लामी और आर.एस.एस. पर प्रतिबन्ध लगाया जाये। हम निर्णय कर चुके हैं कि जमायते–इस्लामी साम्प्रदायिक संस्था है और आर. एस. एस. भी एक साम्प्रदायिक संस्था है · · · · · · · · · · · · इसका निर्णय हुआ है तो हाईकोर्ट में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारा जो भी प्रतिवेदन है उस पर निर्णायक स्थिति कब ला रही है और आर. एस. एस. पर जो प्रतिबन्ध लगाना है और हम उसको लगायेंगे, इस तरह का कोई न कोई उनकी तरफ से स्टेटमेंट होना चाहिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं राज्य सरकार से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं और जो आर. एस. एस. से मिले हुए हैं उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार की तरफ से कॉन्फिडेंशियल सर्कूलर इश्यू किया गया था

×××माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार भाषण अंश अंकित नहीं किया गया।

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
लेकिन वह हाईकोर्ट में जाकर स्ट्रक डाउन हो गया। चूंकि राज्य सरकार के कर्मचारी उसमें मिले हुए थे उन्होंने जान बूझ कर उसमें इस तरह का लेकूना छोड़ दिया था कि आगे जाकर हाईकोर्ट में वह स्ट्रक डाउन हो जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं और राज्य सरकार क्या यह बताने की कृपा करेगी कि जो कान्फिडेंशिल सर्कुलर जारी किया गया था क्या उसको चैलेंज किया गया था, क्या यह सही है ?

प्रो. श्री केदारनाथ: मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानकारी चाहता हूं कि क्या यह उनकी जानकारी में है कि भारत सरकार ने भी इस बारे में कोई सर्कुलर जारी किया है और गवर्नमेंट आफ इण्डिया की कोई कमेटी इस सारे साम्प्रदायिकता के मामले को विस्तार से एग्जामिन कर रही है।

दूसरा यह कि जैसी कि आपने घोषणा की और सरकार ने कोई कान्फिडेंशियल सर्कुलर निकाला कि जो गवर्नमेंट एम्पलाईज हैं वे इन दोनों संस्थाओं के मेम्बर नहीं रह सकते और अगर रहते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो क्या इसके लिये सर्विस रूल्स में कोई करोस्पोंडिंग चेंज लाने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाँडा: मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय, कि जो सरकारी कर्मचारी आर. एस. एस. में भाग ले रहे हैं उनकी क्या कोई सूची बनाई जा रही है। क्या राज्य सरकार ने ऐसे कर्मचारियों की कोई सूची तैयार की है ? क्या ऐसे कर्मचारियों को कोई नोटिस इस तरह के राज्य सरकार द्वारा दिये गये हैं आज भी आपके कर्मचारी आर. एस. एस. के कार्यों के अन्दर प्रतिदिन भाग ले रहे हैं और उनकी शाखाओं में भाग लेते हैं तो क्या इस प्रकार के कर्मचारियों को इसके लिए मना किया जाता है, या राज्य सरकार इस बात के लिए तैयार है कि इस प्रकार के सारे कर्मचारियों को फौरन नोटिसेज जारी किए जायं और जो कर्मचारी आर. एस. एस. में भाग लेते हैं उनको फौरन सर्विसेज से मुक्त किया जाय।

श्री श्रीराम गोटेवाला: माननीय अध्यक्ष महोदय . . .

श्री प्रद्युम्नसिंह: क्या सरकार ने जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए सी. आई. डी. को इन्वोल्व करने का निश्चय किया है ? आपके सी. आई. डी. के आदमी हर जिले में रहते हैं तो क्या उनसे कोई सूची मंगाई जावेगी ?

श्री श्रीराम गोटेवाला: मेरा भी एक प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, जयपुर की एक संस्था, आदर्श हायर सेकेण्ड्री स्कूल नाम की एक स्कूल है जिसमें आर. एस. एस. की नियमित रूप से शाखा लगती है और इसी वजह से एक बार इसकी एड भी बन्द हो चुकी थी। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानकारी चाहता हूं कि आज उसी संस्था को 90 प्रतिशत एड दी जा रही है और उस पर प्रतिबन्ध भी नहीं है। जो वहां पर अध्यापक हैं उनको आर. एस. एस. की

Page No. 15

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

शाखाएं लगानी पड़ती हैं। तो मैं यह जानकारी चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि क्या राज्य सरकार उस प्रतिबन्ध को हटाने की व्यवस्था करायेगी कि अध्यापकों को शाखा लगाना आवश्यक न हो और उस संस्था की गतिविधियों को रोकने के लिए भी कोई व्यवस्था करेगी ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : आप पहले ही प्रश्न पूछ चुके हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा प्रश्न नोट नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष : आप पहले ही काफी कह चुके हैं।

श्री मीठालाल (लालसोट) : माननीय अध्यक्ष महोदय; चाहे दिल्ली में कोई झगड़ा हो या अहमदाबाद में किसी झगड़े का प्रश्न हो...

श्री अध्यक्ष : सवाल ही पूछें आप कृपया।

श्री मीठालाल : मैं सवाल ही पूछ रहा हूं अध्यक्ष महोदय। आर.एस.एस. के खिलाफ आज तक भी कहीं पर भी ऐसा चार्ज नहीं लगा है कि जिससे आर. एस. एस. संस्था सम्प्रदायिक लगे। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग को जब सरकार साम्प्रदायिक मानती है तो मुस्लिम लीग के साथ ही कांग्रेस ने केरल में सरकार बनाई तो यह किस प्रकार बनाई। अगर आर. एस. एस. को आप साम्प्रदायिक मानते हैं तो इस पर जरूर प्रतिबन्ध लगावें लेकिन प्रतिबन्ध लगाने से पहले यह संस्था साम्प्रदायिक है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए एक कमेटी बैठा दें जो आपको जांच करके वस्तुस्थिति बतावे।

श्री अध्यक्ष : यह तो आप कह चुके हैं ! कोई नई बात हो तो बतावें।

श्री मीठालाल : मैं तो यही निवेदन करता हूं कि आप जो भी कार्यवाही करें, प्रतिबन्ध लगावें या और कोई तत्काल कदम उठावें उससे पहले राज्य सरकार इसकी जांच करावे और अगर यह सिद्ध हो जाय कि यह साम्प्रदायिक संस्था है तो तत्काल इस पर प्रतिबन्ध लगा दें।

श्री अध्यक्ष : राज्य मंत्रीजी।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्षजी, दोनों संस्थाओं को साम्प्रदायिक मानकर ही राज्य सरकार ने सेवाओं के बाबत यह नियम लागू किए हैं और इन नियमों को लागू करने के उपरान्त आगे कार्यवाही की जा रही है। जिन माननीय सदस्यों ने यह पूछा कि इनको फोलोअप किया या नहीं और कानून के अन्दर, सेवा नियमों के अन्दर संशोधन किया या नहीं, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इसके लिये आवश्यक प्रावधान किए जाने की व्यवस्था की जा रही है।

दूसरी बात यह है कि जो संस्थायें, चाहे वह सरकारी एड पाती हों या कम पाती हों, ज्यादा पाती हों, लेकिन उन

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
संस्थाओं के कोई भी कर्मचारी अगर इन दोनों संस्थाओं से किसी भी रूप में सम्बन्धित पाए गए या सम्बन्धित पाये जाते हैं तो उनका तमाम विवरण तैयार करवाया जा रहा है और उसमें जो दोषी पाये जायेंगे उनकी एड बन्द की जाएगी। इससे पहले भी कुछ लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई थी लेकिन उसमें खामी रहने के कारण उन्होंने कोर्ट से अपने नोटिसेज को वापिस करवा लिया। अब इस बात का ध्यान रखा जावेगा कि जिस किसी को नोटिस दिया जावे उसमें कोई कानूनी खामी न रहे और उससे बहाल न होने पावे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप इसमें सी. आई. डी. को इन्वाल्व करेंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : गवर्नमेंट जो मुनासिब समझेगी वह करेगी।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री मोहनलाल छंगाणी : आदर्श विद्यालय के लिए मैं निवेदन करता हूं कि उसकी एड गवर्नमेंट से बन्द हो चुकी थी वह···

श्री अध्यक्ष : वह आप कह चुके हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : वह फिर वापिस शुरू कैसे हुई ?

(कई मा. सदस्य एक साथ बोलने लगे–अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आर. एस. एस. एक देश भक्त संस्था है···

कई माननीय सदस्य : नहीं है, नहीं है।

श्री रोशनलाल शर्मा: गुंडागर्दी फैलाने वाली संगठन है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाली संस्था है।

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह दुर्भाग्य का विषय है कि आप बहुमत से जीत कर आ गए तो इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं।

(शोरगुल–अश्रव्य)

आप भारत माता के भक्त बच्चों को साम्प्रदायिक कह रहे हैं। ×××हैं आप...

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री रोशनलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने हमको ××× कहा है इन शब्दों को वापिस लें।

(शोरगुल–अश्रव्य)

माननीय सदस्य ने हम लोगों को ×××कहा है। ये शब्द वापिस लेने पड़ेंगे।

(मुख्य मंत्रीजी बोलने के लिये खड़े हुए)
(अनवरत शोरगुल–अश्रव्य)

×××× मा. अध्यक्ष के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

श्री अध्यक्ष : नेता महोदय बोल रहे हूं।

श्री रोशनलाल शर्मा : मैं समझता हूं कि जो कुछ कहा गया है ...

श्री अध्यक्ष : नेता महोदय बोल रहे हैं आपके।

मुख्य मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो XXX शब्द का इस्तेमाल किया है वह बिलकुल नाजायज और नामुनासिब है और सदन की परम्पराओं के खिलाफ है।

श्री अध्यक्ष : इसको एक्सपन्ज किया जाय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव

बीसलपुर इर्रिगेशन प्रोजेक्ट से जयपुर नगर को पानी

381. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवा महल, जयपुर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) बीसलपुर इर्रिगेशन प्रोजेक्ट से जयपुर नगर के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किस किस वर्ष में किस किस कार्य के लिए कितना कितना रुपया खर्च किया गया है और शेष वर्षों में कितना कितना रुपया खर्च किया जावेगा।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि इस योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 1971 से काम प्रारम्भ हो जायगा ? यदि हां, तो अभी तक काम चालू क्यों नहीं किया गया ?

(3) क्या राज्य सरकार ने जयपुर नगर में पानी के अभाव की पूर्ति के लिए अन्य कोई व्यवस्था बनाई है ? यदि हां, तो क्या अगर इस निर्णय के अनुसार कब कब और क्या क्या काम होंगे ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद): (1) इस नाम की परियोजना विभाग के अधीन नहीं है। जयपुर के जल वितरण की द्वितीय पुनर्गठन योजना (बनास योजना) के द्वितीय खण्ड के अन्तर्गत वर्ष 71-72 में 16.70 लाख रुपया पाइप लाइन डालने, टंकियों का निर्माण करने, नलकूप खोदने तथा मशीनरी आदि खरीदने में खर्च किए गए। वर्ष 72-73 में इसी प्रकार के सुधार कार्यों में जीवन बीमा निगम से पूर्ण ऋण मिलने पर रु. 81.40 लाख खर्च करने का अनुमान है। पृथक 2 कार्य पर जो धनराशि व्यय की गई है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) द्वितीय खण्ड पर काय प्रारम्भ कर दिया गया है।

(3) जी हां, जयपुर की द्वितीय पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत कार्य चालू है। जयपुर नगर के आसपास के क्षेत्र में भूजल की उपलब्धि के सम्बन्ध में विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य करवाया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही पुनर्गठन

xxx मा. अध्यक्ष के आदेसानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

(श्री चन्दनमल बैद)

योजना के लिए पानी का स्रोत तय किया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या यह सही है कि इस योजना में 60 लाख रुपये के काम सन् 1972 में शुरू कराने का राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था जिसकी बजाय 16 लाख 70 हजार का काम ही प्रारम्भ किया गया ?

श्री चन्दनमल बैद : जो काम हुआ वह मैं बता चुका हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, 60 लाख रुपये सन् 71-72 में राज्य सरकार ने खर्च करने का आश्वासन दिया था जिसमें से केवल 16 लाख 70 हजार रुपये ही खर्च किए गए, क्या यह सही है ?

श्री चन्दनमल बैद : क्या सही है, और क्या सही नहीं है, मैं बता चुका हूं। बार-बार पूछने से क्या होगा ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसमें क्रोध में आने की क्या बात है ?

श्री चन्दनमल बैद : आप गलत प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं सरकार से यह जानकारी चाहता हूं कि इसी सदन में 60 लाख रुपये सन् 71-72 में खर्च करने का आश्वासन सरकार द्वारा दिया गया था जिसमें से कुल 16 लाख 70 हजार रुपया खर्च किया गया है।

श्री चन्दनमल बैद : 16 लाख 70 हजार का काम पूरा हुआ है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 60 लाख का आश्वासन दिया था या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : उत्तर में कह दिया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 16 लाख 70 हजार का खर्चा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : यह तो कहा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 60 लाख का 70–71 में आश्वासन दिया है ? यह सही है।

श्री चन्दनमल बैद : मुझे इस आश्वासन की जानकारी नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 7 मई, 1971 को सचिवालय में मीटिंग हुई थी और यह निर्णय लिया गया था कि दिसम्बर 71 तक बनास डेम का काम प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

श्री चन्दनमल बैद : इस काम के लिये मुझे नोटिस चाहिये। आप जिस मीटिंग का हवाला दे रहे हैं उस मीटिंग की कार्यवाही मेरे पास अभी नहीं है। वैसे सचिवालय में तो बहुत सी बातें होती है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने पिछली बार यह स्टेटमेंट दिया था कि 82 लाख 84 हजार इसके लिये खर्च किया जायेगा तो क्या इसमें 33 लाख 40 हजार की वह रकम सम्मिलित हैं जो जीवन बीमा निगम से ली गई है ?

श्री चन्दनमल बैद : जी हां।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या आपके विचार में जो 200 नलकूप जयपुर शहर के आसपास खोदे जा रहे हैं उससे सिंचाई करने वाले कुए नहीं सूख जायेंगे जैसा कि जोधपुर के रामपुरा स्कीम में कुए सूख गये हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : नये जल स्त्रोतों का पता लगाया जा रहा हैं। इसका क्या असर पड़ेगा और क्या नहीं, यह अभी विचाराधीन है। यह अभी से कहना मुश्किल हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप सर्वेक्षण कार्य तो कर रहे हैं नलकूप खोदने का।

श्री चन्दनमल बैद : 200 नल कूप खोदने का नहीं है। सिर्फ सर्वेक्षण चल रहा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसका फैसला कब तक करेंगे कि बनास योजना से जयपुर शहर को पानी देगें या नलकूपों से ?

श्री चन्दनमल बैद : अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड नये जल स्त्रोतों का पता लगा रहा है और जब पता लग जायेगा तब कोई निर्णय हो सकेगा कि जयपुर को बनास योजना से पानी दिया जायेगा या नलकूपों से।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयपुर में गर्मियों में पानी की समस्या रहती है।

श्री चन्दनमल बैद : जयपुर में पानी की कोई समस्या नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सवाई मानसिंह अस्पताल के काटेज वार्ड में पानी नहीं आ रहा है। कच्ची बस्तियों में पानी नहीं आ रहा है। पीने के पानी की समस्या अब खड़ी हो गई है। आप अभी सर्वेक्षण ही करा रहे हैं। आपका यह सर्वेक्षण 6 महीने में, दो साल में, पांच साल में कब तक पूरा हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या मंत्री महोदय जयपुर शहर में पीने का पानी की समस्या का समाधान करेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : जयपुर शहर में प्रति व्यक्ति 25 गैलन पीने का पानी दिया जा रहा है। इतना पानी राजस्थान के और किसी शहर को नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार राजस्थान के अन्य शहरों के साथ अन्याय हो रहा है। यह कहना गलत है कि जयपुर शहर की उपेक्षा हो रही है या पानी की समस्या खड़ी हुई है। इस प्रकार कोई समस्या नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 382।

बीकानेर जिले की खादी सहकारी समितियां

382. **श्री चुन्नीलाल इंदलिया** (नोखा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

क्या यह सही है कि बीकानेर जिले की खादी सहकारी समितियां, जो कि घाटे में चल रही है उन्हें राजस्थान खादी बोर्ड जयपुर से ऋण दिलाने की व्यवस्था की जा रही है ? अगर हां, तो सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, बीकानेर द्वारा इस ओर क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री जुझारसिंह) : जी नहीं। बीकानेर जिले की खादी

(श्री जुझारसिंह)
सहकारी समितियां, जो कि घाटे में चल रही है, उन्हें राजस्थान खादी बोर्ड, जयपुर से ऋण दिलाने की व्यवस्था नहीं की जा रही है क्योंकि इनकी कार्यक्षमता के अनुसार पूर्व में ही ऋण मिल चुका है।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : ऋण देने की योजना क्यों नहीं बनाई जा रही है ?

श्री जुझारसिंह : जितना मिलना चाहिये था मिल चुका है।

श्री भीमसेन : क्या राज्य सरकार इन सहकारी समितियां को और किसी तरह से आर्थिक सहयोग देकर पुनर्जीवित कर सकती हैं ?

श्री जुझारसिंह : पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। सदस्यों में जो ड्यूज हैं वह कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद देखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

सांचोर में कैटल ब्रीडिंग फार्म

383. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने सांचोर में कांकरेज नस्ल सुधार के लिये एक स्टेट केटल ब्रीडिंग फार्म खोलने का आश्वासन दिया था ? अगर हां तो कब तथा अब तक उस आश्वासन की पूर्ति क्यों नहीं की गई है ? अब स्टेट कैटल ब्रीडिंग फार्म, सांचोर में कब तक खोल दिया जायेगा ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि सांचोर में अभी तक पशु चिकित्सा के लिये कोई मोबाईल डिस्पेन्सरी नेपड क्षेत्र के लिए नहीं खोली गई है ? अगर हां तो क्यों तथा कब तक मोबाइल डिस्पेन्सरी सांचोर क्षेत्र में खोल दी जावेगी ?

(3) सांचार में सुचारू रूप से पशु चिकित्सा करने के लिये सरकार द्वारा निकट भविष्य में क्या कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ?

कृषि एवं पशुपालन मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): (1) सन् 1970 में पशुपालन मंत्री द्वारा कांकरेज नस्ल की गायों के लिए एक स्टेट ब्रीडिंग फार्म खोलने के बारे में आश्वासन दिया गया था परन्तु उस क्षेत्र में उपयुक्त स्थान न मिलने के कारण फार्म चालू नहीं किया जा सका। इसलिये बाद में यह विचार किया गया कि चांदन वेल के थारपारकर नस्ल के फार्म के मवेशियों को इसी नस्ल के लिए चल रहे सूरतगढ़ स्थिति केन्द्रीय फार्म को देकर वहां पर चांदन वेल में कांकरेज नस्ल के लिए फार्म चालू किया जाये। यह सुझाव केन्द्रीय सरकार को भेजा गया और उन्होंने इस सुझाव को कुछेक शर्तों पर स्वीकार करने का संकेत देते हुए सूचित किया है कि उन्होंने अपने सूरतगढ़ फार्म के अधिकारियों को स्टेट के चांदन वेल फार्म के अधिकारियों से थारपारकर नस्ल के मवेशियों के बारे में आवश्यक विवरण प्राप्त कर के कार्यवाही करने के आदेश दे दिये है ? अत: उक्त औपचारिकता के पूरी हो जाने पर आगे आवश्यक कार्यवाही जल्दी की जावेगी ?

(श्री परसराम मदेरणा)

(2) चतुर्थ योजना काल में सांचोर में मोबाइल यूनिट की स्थापना कर दी गई है ?

(3) सांचोर में पशु चिकित्सा की सुविधा हेतु

(1) पशु चिकित्सालय

(2) पशुपालन प्रसार अधिकारी

(3) मोबाईल यूनिट

(4) सुरक्षा चौकी आदि संस्थाएं कार्यरत हैं और भविष्य में भी रहेंगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : गुजरात और सांचोर में ही यह मवेशी उपयुक्त मात्रा में पायी जाती हैं। क्या यह उचित नहीं होगा कि इतनी दूरी पर जो फार्म खोलने का निर्णय लिया गया हैं वह कहीं पास में हो। इससे पशुपालकों को प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री परसराम मदेरणा : सूरतगढ़ में जो फार्म है वहां पर एक हजार गायें रह सकती है। यह बहुत बड़ा फार्म है। सांचोर वाड़मेर में कोई उपयुक्त स्थान नहीं है और न वहां पर यह व्यवस्था हो सकती है। भारत सरकार को सुझाव भेज दिया गया है। उन्होंने परटीकुलर्स मांगे थे, वे भेज दिये हैं। अभी तक उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : चिकित्सा के लिए बताया है। डिस्पेन्सोरिज बहुत दूरी पर हैं। वहां पर गायों, भेड़ों को स्पेशल बीमारी हो जाती है और झुन्ड के झुन्ड खतम हो जाती हैं। वहां पर दवाईयां उपलब्ध नहीं होती हैं। क्या राज्य सरकार इस बारे में कोई व्यवस्था करना उचित नहीं समझती है कि वहां पर पशुओं को दवाईयां बराबर मिले।

श्री परसराम मदेरणा : दवाईयों के बारे में जितना प्रावधान है उतनी ही पहुंचाई जा सकती हैं। यह धनराशि पर निर्भर है। आपका बड़ा क्षेत्र है। एक पशु चिकित्सालय सारे क्षेत्र को नहीं देख सकता है। वहां पर एक मोबाईल यूनिट की स्थापना कर दी गई है। भारत पाक युद्ध के दौरान व्हीकल प्रोवाइड नहीं की जा सकी थी। अब व्हीकल्स उपलब्ध होते ही पहुंचा दी जायेगी और वह बीमार पशुओं का इलाज कर सकेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री केदार नाथ।

हनुमानगढ़ जंक्शन मण्डी का विकास

384. **प्रो. श्री केदार नाथ(गंगानगर):** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) हनुमानगढ़ जंक्शन की मण्डी के विकास के लिये राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ जंक्शन की मण्डी में 'ए' क्लास इन्डस्ट्रीयल एरिया है ?

(3) यदि हां तो वहां पर कितनी फैक्ट्रीयां चल रही हैं ?

(श्री केदारनाथ)

(4) हनुमानगढ़ टाउन की मंडी में फैक्ट्रीज खोलने के लिये लाइसेन्स देने का क्या औचित्य व आधार है?

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री, उद्योग) : (1) हनुमानगढ़ जक्शन मन्डी के विकास के लिये राज्य सरकार ने पानी, बिजली व सड़कों की पूर्ण व्यवस्था कर दी है। 215 दुकानों तथा 268 भू-खन्डों का निर्माण हो चुका है। उनके विकास पर मार्च 1972 तक कुल 73,15,027 रुपया खर्च किया जा चुका है।

(2) हनुमानगढ़ जंक्शन मन्डी ए श्रेणी की है। औद्योगिक क्षेत्र का कोई वर्गीकरण नहीं किया जाता है।

(3) हनुमानगढ़ जक्शन औद्योगिक क्षेत्र में 3 उद्योग चल चुके हैं।

(4) बृहत उद्योगों को खोलने के लिए लाइसेन्स केन्द्रीय सरकार द्वारा ही दिये जाते हैं जो इस सम्बन्ध में निर्धारित राष्ट्रीय नीति के आधार पर प्रदान किये जाते हैं छोटे उद्योगों का पंजीकरण जिला उद्योग अधिकारी द्वारा आवेदन मय स्कीम के साथ देने पर किया जाता है।

प्रो. श्री केदारनाथ : क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ टाउन में कोई इन्डस्ट्रीयल एरिया इयरमार्क नहीं किया गया है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसकी जानकारी देने में असमर्थ हूं।

प्रश्न संख्या 385

श्री **अध्यक्ष** : श्री रामसिंह कुड़ी।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 386

श्री जीथिंग :

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री चेतराम :

उद्योगपतियों को आर्थिक सहायता

387. **श्री चेतराम** (टोडा भीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान वित्त निगम द्वारा कितनी धनराशि सामूहिक सम्बन्धित उद्योगपतियों के समूह को दी गई है? यह राशि कुल आर्थिक सहायता का कितना प्रतिशत है?

(2) क्या यह धनराशि राज्य सरकार की स्वीकृति दे दी गई है, यदि हां, तो क्या बार बार स्वीकार की जाने वाली राशि की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया था अथवा नहीं?

(3) क्या सरकार छोटे उद्योगपतियो को आर्थिक सहायता देने हेतु उद्योगपतियों के समूह एवं बड़े उद्योगपतियों पर अधिक धनराशि खर्च न होने के लिए कोई नियम बनाने जा रही है?

(4) क्या ऐसे समूह को सहायता देने से छोटे-छोटे धन्धों पर असर नहीं पड़ता है?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) राजस्थान वित्त निगम को दिये गये आवेदन-पत्रों एवं पत्रावलियों में उद्योग

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
समूहों के नाम नहीं होते हैं अतएव यह सूचना देना तुरन्त सम्भव नहीं है।

(2) ऋणों के मामले निगम के संचालक मन्डल द्वारा निर्मित किये जाते हैं जिसमें कि राज्य सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती।

(3) वर्तमान में राज्य सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है तथापि जहां तक वित्त निगम द्वारा धनराशि देने का प्रश्न है उसके द्वारा लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण देने में प्राथमिकता दी जाती है। यदि लघु उद्योगों को ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति के उपरान्त ऋण के लिए धनराशि उपलब्ध होती है तभी बड़े उद्योगों को भी निगम द्वारा सहायता दी जाती है।

(4) सरकार की नीति के अनुसार लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती है। अतएव छोटे धन्धों पर प्रभाव पड़ने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री चेतराम : अध्यक्ष महोदय, मै मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि जो एप्लीकेशन में नाम दर्ज नहीं होता है तो क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि इस बात का प्रयत्न करे कि वित्त निगम का ऋण का पैसा बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में न जाकर लघु उद्योगों को दिया जाय ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने निवेदन किया कि राज्य सरकार और उसी के तहत वित्त निगम उसके निर्धारित नियमों के तहत लघु और मध्यम उद्योगों को प्राथमिकता देते हैं और उसके बाद में बड़े उद्योगों को देते हैं। अगर आपने उन उद्योगों का नाम बता दिया होता तो और विशेष रूप से आपको बता सकती।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, यह तो बड़े कारखाने हैं उनको तो 10-5 लाख की वित्तीय सहायता देते हैं और जो छोटे उद्योग हैं और जो 10-10, 5-5 हजार रुपये मांगते हैं तो फार्म्स और नियम इतने लम्बे हैं कि उनको साल-साल, 6-6 महीने लग जाते हैं और उनको लोन नहीं मिलता है और उनके हजार हजार रुपये खर्च हो जाते हैं तो नियमों को सरल बनाने के लिए क्या प्रकिया बना रहे हैं ताकि छोटे उद्योग लगाने वालों का पैसा खर्च न हो और उनको ऋण जल्दी से मिल जाय।

श्रीमती कमला बेनीवाल : ऐसी कोई शिकायत आई नहीं। यदि ऐसी कोई व्यवस्था है कि जिससे दिक्कत पड़ती है लघु उद्योगों को पैसा लेने में, तो उस पर विचार किया जा सकता है और जांच की जा सकती है।

श्री मीठालाल : छोटे छोटे उद्योगों को दो दो साल तक ऋण नहीं मिलता है आप स्वयं देख लें कि देर क्यों लगती है। आप आफिस से पूछ लें कि देर क्यों लगती है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने निवेदन किया है जांच करने के लिए अगर इसमें इतनी देरी लगती है, जितनी कि नहीं लगना चाहिए, तो उसकी जांच करेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : फार्म वगैरहा में वर्तमान में जो व्यवस्था है उसके अनुसार निश्चित रूप से छोटे उद्योगों को कर्ज प्राप्त नहीं होता है और बड़े उद्योगपति ही उसका लाभ उठाते हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : सरलीकरण के दौरान प्रोफार्मा जो है उसको भी देख लेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : राजस्थान के औद्योगिकरण के लिए यह बहुत आवश्यक है कि इस पर तुरन्त कार्यवाही की जाय और इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि छोटे लोगों को तुरन्त ऋण प्राप्त हो जाय और इस प्रकार से चक्कर नहीं खाने पड़ें।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : ऋण लेने की व्यवस्था ऐसी है कि हरियाणा और पंजाब में एक महीने में ऋण मिल जाता है और बम्बई में जो कि देश के अन्दर उद्योगों में सबसे आगे है वहां पर दो महीने में ऋण की व्यवस्था हो जाती है। यहां पर बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है। ज्योंही एप्लीकेशन दी की वह फील करते हैं कि कहां फंस गये। इस तरह से इसका सरलीकरण नहीं किया तो उद्योग वालों ने एप्लीकेशन दी तो चक्कर खाते खाते वह थक जाता है। इसलिए इस प्रकार से जल्दी से जल्दी ऋण प्राप्त होने की व्यवस्था की जाय और समय निर्धारित कर दिया जाय कि उसके अन्दर एप्लीकेशन देने वालों को ऋण मिल जाय। इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस तरह का प्रयत्न किया जायगा कि ऋण प्राप्त कराने की शीघ्र व्यवस्था हो और सरलीकरण किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री चेतराम : निगम का मुख्य उद्देश्य यह है कि छोटे उद्योगों को सहायता दे, लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया कि निगम के नियमों के अन्तर्गत 20 लाख रुपये से अधिक की राशि होती है तो आई. एफ. सी. से कान्टेक्ट करना चाहिए, लेकिन टुकड़े करके एक से अधिक बार में उतनी ही सहायता ले लेते हैं। अगर एक ही दफा में वह करके लेते हैं तो उनको वहां जाना पड़ता है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि एक एक उद्योग को बहुत सारा पैसा कैसे दे दिया गया है और बड़े बड़े उद्योगपतियों को कई बार में बड़ा पैसा दिया गया है। क्या सरकार ने इस पर ध्यान किया है?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जहां तक आंकड़ों का सवाल है लघु उद्योगों को 53 पर्सेन्ट ऋण दिया गया है और बड़े उद्योगों को उससे कम दिया गया है। इसलिए यह नहीं कह सकते हैं कि लघु उद्योगों की उपेक्षा की गई है और बड़े उद्योगों को उनके मुकाबले में हानि देकर ऋण दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : एक सप्लीमेंट्री पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब दूसरा प्रश्न ले लिया है।

श्री मनोहर कोठारी : दूसरे प्रश्नों को क्या स्थगित किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : वह अब नहीं होंगे।

श्री मनोहर कोठारी : नहीं उन्हें स्थगित कर दें और अगली बार लेंगे ?

श्री अध्यक्ष : वह खत्म हो गये।

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सप्लीमेन्ट्री पूछना चाहता हूं। अभी आपके क्वेश्चन के पार्ट (1) के उत्तर में माननीय मंत्रीजी ने यह बताया है कि कर्जा दिया गया है उन एप्लीकेशन्स के अन्तर्गत नाम नहीं देते हैं तो एक ही आदमी अलग अलग फर्म के नाम से कर्जा ले लेता है या बड़ा उद्योगपति कर्जा ले लेता है यह मालूम नहीं हो सका है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वित्त निगम, जो एप्लीकेशन्स पर लोन मन्जूर करते हैं, तो स्क्रूटिनी किस क्रम से की गई इसकी जानकारी नहीं रखी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : उद्योग समूह का जो नाम होता है तो उसके अन्दर उसका उल्लेख नहीं होता है।

श्री पी. के. चौधरी : उद्योग का नाम तो लिखा है।

श्री चेतराम : क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि जिन उद्योगों का पता नहीं तो फर्दर क्यों सैंक्शन करे।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। श्री चौधरी।

निर्धारित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं का वितरण

113. **श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

समाज के निर्धन वर्ग को निर्धारित मूल्य पर आवश्यक वस्तु सप्लाई करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

राज्य मन्त्री, उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : जी हां। सरकार की यह नीति रही है कि आवश्यक वस्तुएं जनता को निर्धारित व उचित मूल्य पर उपलब्ध हो। इस उद्देश्य से सरकार ने पहले ही 1966 में राजस्थान (आवश्यक वस्तु मूल्य एवं स्टाक प्रदर्शन) आदेश जारी किये। इन आदेशों के अन्तर्गत समय समय पर मूल्यों के प्रदर्शन तथा वस्तुओं का स्टाक आदि प्रदर्शन करना व्यापारियों के लिए आवश्यक है ताकि ये आवश्यक वस्तुयें जनता को समय पर उचित दामों पर उपलब्ध हो सकें। साथ में समय समय पर आवश्यक वस्तुओं की कीमतें निर्धारित की जाती रही हैं।

श्री पी. के चौधरी : यह जो कीमतें निर्धारित की जाती हैं और एसेन्शियल कामोडीटीज कन्ट्रोल आर्डर इश्यू किया गया है तो उससे क्या आप यह मानते है जो एसेन्शियल कामोडिटीज हैं वे फिक्स्ड प्राइस, उचित मूल्य पर मिल रही हैं ?

Page No. 26

श्रीमती कमला बेनीवाल : जो मूल्य निर्धारित किये गये हैं तो वस्तुयें उन्हीं मूल्यों पर उपलब्ध होती हैं, लेकिन जितनी उपलब्ध होना चाहिए उतनी इन्टीरियर के इलाकों में पहुंच रही हैं या नहीं पहुँच रही हैं वह मैं अभी कहने में असमर्थ हूं।

श्री पी. के. चौधरी : जो उपलब्ध वस्तुएं कन्ट्रोल्ड प्राइसेज पर मिलती हैं तो इन्डेक्स जो 1966 में था वह 5 पर्सेन्ट कैसे बढ़ गया कन्ज्यूमर प्राइसेज का।

श्रीमती कमला बेनीवाल : बढ़ी हुई प्राईसेज के मुताबिक होंगे प्राइसेज बढ़ाने का हक उनको दिया गया है या नहीं दिया गया है, यह मैं अभी नहीं कह सकती।

श्री पी. के. चौधरी : मेरा सवाल यह नहीं था। मेरा सवाल यह था कि आपने कोई व्यवस्था की है उसमें वीकर सेक्शन को फिक्स्ड प्राइसेज पर, कन्ट्रोल्ड प्राइसेज पर एसेन्शियल कामोडिटीज मिलेंगी।

श्रीमती कमला बेनीवाल : वर्तमान में ऐसी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसके बारे में उचित विचार किया जायगा कि ऐसी व्यवस्था की जाय कि निर्धारित दरों पर समुचित रूप से वस्तुयें मिलें।

एक माननीय सदस्य : कब तक किया जायगा।

श्रीमती कमला बेनीवाल : निश्चित समय बता सकने में असमर्थ हूँ, लेकिन जितना जल्दी हो सके प्रयत्न किया जायगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : पांचवें प्लान में या छठे प्लान में कब तक वह किया जायगा ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसी प्लान में।

श्री अध्यक्ष : श्री नारायणसिंह।

अतिवृष्टि से क्षति

154. **श्री नारायण सिंह (दांता रामगढ़)** : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम खोरा, बाय और काबरियावास में गत वर्ष अतिवृष्टि के कारण चाही जमीन का काफी नुकसान हुआ है? क्या राज्य सरकार ने उन काश्तकारों को जिनकी चाही जमीन का नुकसान हुआ है किसी प्रकार की कोई राहत दी है? यदि हां, तो किसको कितनी-कितनी और नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) सीकर जिला रेगिस्तानी क्षेत्र होने के कारण यहां ग्रीष्म ऋतु में आगजनी के काफी केसेज होते रहते हैं। क्या राज्य सरकार ने ऐसे रेगिस्तानी क्षेत्रों के अग्नि पीड़ितों की सहायतार्थ अन्य जिलों के मुकाबले विशेष सहायता का प्रावधान रखा है? यदि हां, तो, उसका क्या अनुपात है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

अकाल सहायता मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) ग्राम खोरा, बाय और काबरियावास में गत वर्ष अतिवृष्टि के कारण 11 बीघा 15 बिस्वा चाही जमीन

Page No. 27

(श्री परसराम मदेरणा)
का नुकसान हुआ है। जमीन के नुकसान के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुदान नहीं दिया जाता। अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी नहीं। वास्तविक आगजनी की घटना को देखते हुए राज्य सरकार प्रावधान उपलब्ध कर देती है।

श्री नारायण सिंह : क्या उनको लगान माफ करेंगे? उनसे आज भी चाही का लगान वसूल हो रहा है?

श्री परसराम मदेरणा : पिछले साल का मामला है।

श्री नारायण सिंह : चाही जमीन, जो बरबाद हो गई है, जैसा कि आपने बताया है 11 बीघा 15 बिस्वा जमीन का नुकसान हुआ है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर कई कुए बिल्कुल नष्ट हो गये हैं और जमीन नष्ट हो गई है और उसके बाद में इस तरह का जवाब दिया गया है। उनसे आज भी चाही जमीन का लगान वसूल हो रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : जो सूचना मुझे मिली है वह 11 बीघा 15 बिस्वा सिंचित भूमि है, जो प्रिवेन्टिव वर्कस् हमारे चल रहे हैं तो उस जमीन को खराब नहीं कहेंगे। वहां पर इरीगेशन को लिया गया है तो वहां पर सर्वे करा रहे हैं। जिलाधीश ने मेरे अधिकारियों को आज ही टेलिफोन पर बताया है कि सर्वे होने के बाद में दूसरी बात हुई तो क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत लेने का विचार कर रहे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष, इस सम्बन्ध में मेरा एक प्रश्न है कि पिछली दफा सीकर जिले में अतिवृष्टि से काफी हानि हुई है। उस समय राजस्थान के पूरे मंत्री-मण्डल ने वहां जाकर बाढ़ नियन्त्रण योजना हाथ में लेने की बात कही थी। क्या मंत्रीजी आज इस सदन में आश्वसन देने को तैयार हैं कि वह योजनाएं क्रियान्वित की जायेंगी?

श्री परसराम मदेरणा : जी नहीं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं यहां जानना चाहता हूं कि बारह जाने वहां गई सीकर जिले में अतिवृष्टि से, इस समय केवल दो लाख का मामला है। दो लाख से जो हजारों बीघा जमीन का नुकसान होता है, सैंकड़ों जान जाने का खतरा रहता है, वह दूर हो सकता है। इतना महत्वपूर्ण मसला है, इस ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर दुबारा सोचे, छोटे से खर्च से बहुत बड़ा राहत का काम हो सकता है, इसलिए इसको करवाने का प्रयास किया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं, प्रिवेंटिव मेजर्स के काम करवाने का प्रावधान नहीं था इस मद में। भारत सरकार से सैन्ट्रल असिस्टेन्स के रूप में कुछ मिलता है, इसलिए इर्रीगेशन डिपार्टमेंट के देखने की यह बात है। इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट द्वारा सर्वे किया जाता है और जो फ्लड का हैड है उसमें इसका प्रावधान रखते हुए कार्यवाही की जा सकती है।

श्री मनोहर कोठारी : माननीय मंत्री से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो जमीन खराब हो गई है और जो अब खाही जमीन की नेचर में नहीं है उस जमीन का भविष्य में उतना लगान वसूल नहीं किया जायगा ?

श्री परसराम मदेरणा : जो सोइल की क्वालिटी वह नहीं रही है इस बात को देखने का काम रैवेन्यू डिपार्टमेन्ट का है। जो जमीन खराब हो जाती है, उसको खेती के लायक बनाया जाय, इसके लिए सैन्ट्रल असिस्टेन्स में कुछ प्रावधान होता है और जो जमीन फ्लड में खराब हो जाती है उसके लिए वह पैसा दिया जाता है। लेकिन जिलाधीश, सीकर ने अकृषि भूमि को कृषि भूमि को कृषि लायक बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं किया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : केवल एक प्रश्न और है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए चार सौ नलकूप की योजना

368. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या भू-जल बोर्ड मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान के राज्यपाल के अभिभाषण सन् 72 के पृष्ठ संख्या 22 पैरा 31 में यह उल्लेख किया गया है कि "चार सौ नलकूप की योजना सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए तैयार की जा रही है", उक्त योजना कब तक तैयार कर दी जावेगी ?

(2) यदि उक्त योजना तैयार करदी गई है तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त योजना से राज्य के किन किन सूखाग्रस्त क्षेत्रों को किस प्रकार लाभ मिलेगा? विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) इस योजना की परियोजना रिपोर्ट बनाली गई है और स्वीकृति के लिये भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार में इस पर विचार हो रहा है।

(2) परियोजना की स्वीकृत रिपोर्ट अभी बननी है जो कि भारत सरकार के भू-जल विशेषज्ञों की राय के अनुसार होगी। यह तैयार होते ही सदन की मेज पर रख दी जावेगी।

(3) इससे जोधपुर, नागौर, जालौर पाली, बीकानेर तथा बाड़मेर के भू-जल प्राप्त क्षेत्रों में नलकूप लगाये जायेंगे और कृषकों को रियायती दरों पर दिए जायेंगे।

शुगर मिल और गन्ने की खरीद

377. श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में शक्कर के कितने मिल हैं?

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

(2) क्या इन मिलों को राज्य सरकार किसी तरह का सरक्षण दे रही है ? यदि हां, तो वैसे संरक्षण की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या किसी कानून के अधीन शुगर मिल के क्षेत्र बंटे हुए हैं, जिनमें अन्य शुगर मिल्स या खाण्डसारी का कारखाना नहीं लग सकता ? यदि हां, तो ऐसे नियम की आवश्यकता क्यों है और यह प्रतिबन्ध कब तक रहेगा ?

(4) क्या इस वर्ष गन्ने का मोल 5) रु. 6) रु. प्रति क्विण्टल है जो भूपालसागर मिल्स खरीद रही हैं।

(5) क्या इस मिल में गन्ने को ट्रक में डालने का कार्य किसान पर है ?

(6) क्या ट्रक में भरने के लिए मनुष्य के शरीर को सीढ़ी बना कर उस पर आदमी खड़ा होकर ट्रक में गन्ना भरता है।

(7) क्या ऐसे गन्ने की कीमत नगद न दी जाकर उधार पर रहती है ?

उत्तर

(1) तीन।

(2) मिलों के लिए गन्ने का क्षेत्र सुरक्षित किया गया है।

आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। शक्कर मिलों को उचित मात्रा में गन्ना दिलाने के लिए यह प्रतिबन्ध लगाया गया था। मिलों द्वारा पर्याप्त मात्रा में गन्ना मिलने पर प्रतिबन्ध हटा दिया जावेगा।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं।

(7) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिए)

ग्राम कमेडीया एवं आकोड़ा में मीठे पानी की व्यवस्था

385. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील जायल के ग्राम आकोडा व कमेडिया के कुओं का पानी खारा है और पड़ौस के गांव मीठा मांजरा के कुओं का पानी मीठा हैं, वहां से इन गांवों के लोग पीने का पानी लाते हैं ?

(2) क्या सरकार मीठा मांजरा के कुए से कमेड़िया व आकोड़ा की जल प्रदाय योजना स्वीकृत कर पीने का पानी देने का कोई विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, जी हां,

(2) योजना बनाई जा रही है, योजना तैयार होने पर स्वीकृति के बाद आगे की कार्यवाही की जावेगी।

बांसवाड़ा-कुशलगढ क्षेत्र के पुलिस थानों में दर्ज अग्नि दुर्घटना के मामले

386. श्री जीथिंग (कुशलगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला बांसवाड़ा-कुशलगढ़ क्षेत्र में सन् 1971-72 में अग्नि दुर्घटनाओं में मकान व घास के गल्ले जलने की रिपोर्ट पुलिस थानों में दर्ज हुई है ? यदि हां, तो कितनी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या अग्निकाण्ड करने वाले अपराधियों के खिलाफ कोई अदालत में चालान पेश हुए हैं ? यदि हां, तो कितने ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि पुलिस थाना पाटन में ग्राम उगमनापाडा के श्री नाथू का मकान मार्च, 1972 में आग से जल गया और उसमें एक आठ साल की बालिका भी जल गई थी ? यदि हां, तो पुलिस ने सम्बन्धित अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। 5 मुकदमे दर्ज हुए हैं।

(2) जी हां। 5 मुकदमों में से 3 मुकदमों के 9 अपराधियों का चालान कर दिया गया है जो जेर तजवीज अदालत हैं। एक मुकदमा पुलिस में जेर तफतीश है जिनकी तफतीश तकमील कर शीघ्र ही नतीजा दिया जावेगा। एक मुकदमा अदम सबूत में फाइल किया गया है।

(3) जी नहीं। नाथू ने इस तरह की कोई रिपोर्ट अभी तक पाटन थाने में दर्ज नहीं कराई है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य की वित्तीय स्थिति

123. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(2) राज्य सरकार पर कुल कितना कर्जा है ? उसमें से कितना ड्यू हो चुका है तथा उसके चुकाने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

उत्तर

(1) राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु निम्नांकित कदम उठाये जा रहे हैं :—

1— राज्य की बकाया की वसूली पर जोर।

2— सरकारी खर्चे में मितव्ययता।

3— करों की वसूली पर जोर।

4— अन्य साधन जुटाने हेतु प्रयत्न।

5— वित्त आयोग के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत कर अधिक सहायता प्राप्त करना।

(2) वर्ष 1971-72 के संशोधित आयव्ययक अनुमानों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में राज्य सरकार पर 714.40 करोड़ रुपये का कर्जा है। विभिन्न कर्जों की शर्तों के अनुसार विभिन्न ऋणों की किश्तें भिन्न भिन्न समय पर देय होती हैं और

Page No. 31

(वित्त मंत्री)

निश्चित तिथियों पर उनका भुगतान किया जाता है। वर्ष 71–72 तक देय किश्तों में से कोई शेष नहीं है। चालू वर्ष में देय 293.76 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान वर्ष के आय-व्ययक अनुमानों में कर दिया गया है।

बिक्री-कर की बकाया राशि

124. **श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी)**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दिनांक 31 मार्च, 1972 तक बिक्री-कर की कुल कितनी राशि बकाया है और इनमें से इस वर्ष कितनी वसूल होने की सम्भावना है? बकाया का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) दस हजार से अधिक बकाया किन किन फर्मों में है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) कुल बकाया राशि रुपये 2,97,44,840.88 है। बकाया राशि की वृत्तवार बकाया की सूची तालिका 'क' पर संलग्न है। इसमें से इस वर्ष (1972-73) में रु. 65 लाख की वसूली होने की सम्भावना है।

(2) वृत्तवार सूची तालिका 'ख' पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राजकीय उद्योग

125. **श्री केदार नाथ (गंगानगर)**: क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कुल कितने उद्योग राजकीय स्तर पर अथवा राज्य सरकार की अधिक भागांश पूंजी से चलाये जा रहे हैं?

(2) इन उद्योगों में सरकार की कुल कितनी पूंजी लगी हुई है? तथा उसका लाभ कितना मिलता है? निम्न विवरण के साथ ब्यौरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करें:—

(क) राजकीय उद्योग का नाम जो पूर्णतः सरकार द्वारा संचालित है?

(ख) राजकीय अधिक-भागांश वाला उद्योग?

(ग) अधिक भागांश वाले उद्योग में राज्य सरकार की कितनी धन-राशि है? उसका प्रबन्ध कौन संभाल रहा है?

(घ) राजकीय तथा अधिक-भागांश वाले उद्योग में लाभ का वार्षिक ब्यौरा जब से उद्योग चालू हुआ अथवा सरकार ने अधिक भागांश की राशि दी है?

(3) राजकीय अथवा अधिक भागांश वाले उद्योगों में पदाधिकारियों तथा कर्म-

(श्री केदारनाथ)
चारियों की निम्न तालिका का ब्यौरा सदन के पटल पर रखें :—

(1) सर्वोच्च अधिकारी (2) वेतन (ग्रेड) (3) भत्ता एवं अन्य सुविधाएं।

(2) न्यूनतम वेतन भोगी कर्मचारी (1) वेतन (ग्रेड) (2) भत्ता एवं अन्य सुविधाएं।

उत्तर

(1) राजकीय उपक्रम विभाग के अधीन 4 उद्योग राजकीय स्तर पर एवं तीन उद्योग राज्य सरकार की अधिक भागांश पूंजी से चलाये जा रहे हैं।

(2) उद्योगों में सरकार की लगी हुई पूंजी का विवरण संलग्न तालिका परिशिष्ठ 'अ' में दिया गया है। वार्षिक लाभ का विवरण परिशिष्ठ 'ब' में दिया गया है।

राजकीय उपक्रम विभाग द्वारा चलाये जाने वाले उद्योग, जो पूर्णतया सरकार द्वारा संचालित है, निम्न हैं :—

1. राजकीय ऊनी मिल्स, बीकानेर।

2. राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना।

1. सोडियम सल्फेट प्लान्ट (पाइलेट)।

2. 40 टन प्रतिदिन क्षमता का नया सोडियम सल्फेट प्लान्ट

3. सोडियम सल्फेईड प्लान्ट

4. नमक स्रोत, डीडवाना

3. राजकीय लवण स्रोत, पचपदरा।

4. पलाना कोयला खान, पलाना।

(3) राजकीय उपक्रम विभाग द्वारा चलाये जाने वाले उद्योग, जो सरकार की अधिक भागांश पूंजी से चलाये जाते हैं निम्न हैं:—

1. गंगानगर शुगर मिल्स लि., श्री गंगानगर।

2. हाईटेक प्रेसीजन ग्लास लि., धौलपुर।

3. राजस्थान स्टेट टैनरीज लि., टोंक। अधिक भागांश वाले उद्योगों में सरकार की धन राशि संलग्न तालिका परिशिष्ठ 'अ' में दी गई है। इन उद्योगों का प्रबन्ध आयुक्त एवं पदेन शासन सचिव, राजकीय उपक्रम विभाग, जो इन संस्थानों के प्रभारी संचालक भी हैं, संभालते हैं।

तालिका परिशिष्ट 'ब' में संलग्न है। राजकीय उपक्रम विभाग के अधीन राजकीय स्तर पर अथवा अधिक भागांश वाले उद्योगों में सर्वोच्च अधिकारी व न्यूनतम वेतन भोगी कर्मचारी का वेतन (ग्रेड) भत्ता आदि का विवरण संलग्न तालिका परिशिष्ट 'स' में दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

ड्राई फार्मिंग

126. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ड्राई फार्मिंग के विकास हेतु सरकार की ओर से राज्य में

(श्री भीमसेन)
कोई योजनाएं प्रारम्भ की हुई हैं ? अगर हां, तो बीकानेर, चूरू जिलों में ड्राई फार्मिंग के प्रोत्साहन हेतु सरकार क्या योजनाएं प्रारम्भ कर रही है ?

उत्तर

ड्राई फार्मिंग के विकास हेतु भारत सरकार की ओर से राजस्थान में दो योजनाएं (पाइलोट प्रोजेक्ट्स) जोधपुर व चित्तौड़गढ़ जिलों में प्रारम्भ की गयी हैं। तीसरा प्रोजेक्ट जिला उदयपुर में चालू करने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन हैं। बीकानेर व चूरू जिलों के लिये कोई योजना नहीं है।

सब-इन्सपेक्टर्स को नियुक्ति

127. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या मुख्य मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे:–

सन् 1970–71 में कितने सब-इन्सपेक्टर्स नये नियुक्त किये गये हैं ? इनमें से कितने कम्पीटीशन से तथा कितने डाईरेक्ट लिये गये। कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

इस अवधि में कम्पीटीशन द्वारा कुल 51 सब-इन्सपेक्टर्स नये नियुक्त किये गये हैं। बिना कम्पीटीशन किसी को डाईरेक्ट नहीं लिया गया है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

चोरी के दर्ज मामले

128. श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) फागी, चाकसू थाना के अन्तर्गत सन् 1967 से अब तक किन किन गांवों की किस किस तारीखों में चोरियों की रिपोर्ट दर्ज की गई है ?

(2) दर्ज रिपोर्टों के अनुसार कितने मुकदमों में सरकार द्वारा चालान पेश किये गए व किन किन मुकदमों में किन कारणों से एफ. आई. आर. दे दी गई है ?

(3) क्या इस समय भी कोई चोरी के मुकदमें सरकार के समक्ष जांच में हैं और किन किन मुकदमों में माल बरामदगी हुई और ऐसे कितने मुकदमें हैं जिनमें सरकार माल बरामद करने में असमर्थ रही और इसके क्या कारण हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) दोनों थानों में दर्ज चोरियों के मुकदमात का इन्द्राज संलग्न है। तालिका के कालम नं 1।2।3।4।5 में दर्ज है।

(2) विस्तृत सूचना संलग्न सूची के कालम नं. 6 व 7 में दर्ज है।

(3) विस्तृत सूचना संलग्न तालिका के कालम नं. 8 में अंकित हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में रहे अधिकारी

129. श्री मोहनलाल छगाणी (फलोदी): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ऐसे भारतीय प्रशासनिक एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनको वित्तीय वर्ष, 1967-68, 1968-69, 1969-70 एवं 1970-71 में पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रहना पड़ा ?

(2) पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा की अवधि की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रहे अधिकारियों की संख्या—

1967-68	—	6
1968-69	—	10
1969-70	—	6
1970-71	—	9

राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रहे अधिकारियों की संख्या—

1967-68	—	42
1968-69	—	38
1969-70	—	31
1970-71	—	45

(2) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

उद्योगों के लिये आवेदन-पत्र

130. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार के पास सन् 1971-72 में बड़े उद्योग लगाने के लिये कितने आवेदन-पत्र आये ?

(2) उनमें से कितनों को स्वीकृति मिली ?

(3) अब कितने आवेदन-पत्र पड़े हैं ?

(4) जिन जिन उद्योगों को स्वीकृति मिली उनमें कुल कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा ?

(5) यदि सब आवेदनों को स्वीकृति मिलती तो और कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलता व कितना उत्पादन और किस किस वस्तु का बढ़ जाता ?

उत्तर

(1) 139

(2) 25

(3) अब 84 आवेदन-पत्र भारत सरकार के पास विचाराधीन हैं ? बाकी के खारिज हो गये।

(4) 6276 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

(5) अगर सारे आवेदन पत्रों पर स्वीकृति मिलती तो उपलब्ध सूचना के

(श्री मूलचन्द सामरिया)

अनुसार 228785 व्यक्तियों को रोजगार मिलता। आवेदन-पत्र भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिये थे इस कारण आंकड़े तुरन्त देना संभव नहीं है।

सांचोर क्षेत्र में खोली गई प्राथमिक पाठशालाएं

131. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति सांचोर क्षेत्र में पिछले 10 सालों में कितनी नई प्राथमिक पाठशालाएं खोली गई हैं? कृपया सालवार नई खोली गई शालाओं की सूची गांव वार सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) पंचायत समिति, सांचोर में प्राथमिक पाठशालाओं के लिए पिछले दस सालों में कितने कुल नये शिक्षक शिक्षा विभाग द्वारा दिये गए? सालवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। नये शिक्षकों के आधार पर पंचायत समिति द्वारा कुल नई स्कूलें कहां कहां कब कब कितनी कितनी सालवार खोली गई? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। अगर नहीं खोली गई तो क्यों?

(3) पंचायत समिति, सांचोर द्वारा पिछले पांच सालों में सालवार कितने कितने शिक्षकों की मांग की गई? उनमें से वास्तविक नये कितने कितने शिक्षक सालवार शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये? मांग के अनुसार शिक्षक क्यों नहीं दिए गए? अब मांग के अनुसार शिक्षकों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी?

(4) क्या यह भी सत्य है कि पंचायत समिति, सांचोर में मांग के अनुसार लड़कों के अनुपात में पूरे शिक्षक नहीं हैं? अगर हां, तो लड़कों के अनुपात में कितने शिक्षक चाहिये एवं अब कितने शिक्षकों की कमी है? इस कमी को कब तक पूरी कर दी जावेगी?

(5) पंचायत समिति, सांचोर द्वारा नई प्राथमिक पाठशालाओं के लिए कितने शिक्षकों की मांग कब की गई है? उस पर अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? पंचायत समिति नए स्कूल कहां खोलना चाहती है? क्या पंचायत समिति अपनी निजी आय से नई प्राथमिक पाठशाला खोल सकती है? अगर हां, तो क्या सरकार उक्त पंचायत समिति को ऐसी सलाह देना उपयुक्त समझेगी कि अपनी निजी आय से अपने क्षेत्र में चाहे जितनी पाठशालाएं खोल सकती है? अगर हां, तो ऐसा निर्देश कब तक दे दिया जावेगा? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

(स्थगित किया गया)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

1. सर्व श्री केदारनाथ, निरंजन नाथ आचार्य और मूलचन्द सामरिया, सदस्य, विधान सभा ने मिठाइयों व नमकीन पर

(श्री अध्यक्ष)
लगाये गये बिक्री-कर से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है। यह प्रश्न सरकार की नीति से सम्बन्ध रखता है और अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

2. श्री गिरधारी लाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा प्री-मेडिकल टैस्ट के लिए 36 परसेन्ट के स्थान पर 50 परसेन्ट अंक्क निर्धारित करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। आज चिकित्सा विभाग की अनुदान की मांग पर विचार किया जा रहा है, अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में बहस के समय चर्चा उठा सकते हैं।

3. श्री चुन्नी लाल इंदलिया, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 3 मई, 1972 को बीकानेर की कोलायत झील में आने वाले पानी के नालों को ठेकेदारों द्वारा खोद कर नष्ट किये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

इनके अतिरिक्त निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना भी प्राप्त हुई है।

1. श्री सुरेश चन्द्र, श्री मूलचन्द सांमरिया, श्री योगेन्द्रनाथ हांडा और श्री केसरीमल, सदस्य, विधान सभा द्वारा गंगानगर राजकीय चिकित्सालय के डाक्टर श्री श्यामधर द्वारा एक अन्य डाक्टर के प्रति अभद्र व्यवहार तथा भ्रष्टाचार और प्राईवेट प्रेक्टिस करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी गई है।

2. श्री मूलचन्द सांमरिया, श्री मीठालाल मीणा और श्री सुरेशचन्द्र शर्मा, सदस्य विधान सभा द्वारा जयपुर नगर परिषद् द्वारा प्रत्येक किसान पर दस पैसे प्रति क्विन्टल की दर से अनाज पर चुंगी वसूल किये जाने के सम्बन्ध में।

3. श्री गिरधारी लाल भार्गव, सदस्य विधान सभा द्वारा राजस्थान कैनाल बोर्ड वर्कशाप के बन्द हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

इन स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि एक सैकिण्ड····

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, अनाज के ऊपर जो दस पैसे प्रति क्विंटल के हिसाब से···

श्री अध्यक्ष : कृपा करके एक एक बोलें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है···

श्री मूलचन्द सामरिया : ऐसा है, अनाज के ऊपर नगर परिषद् के द्वारा दस पैसे प्रति क्विन्टल के हिसाब से चुंगी ली जा रही है·····

श्री अध्यक्ष : इस पर जानकारी चाही है।

श्री मूलचन्द सामरिया : उसके लिये मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, किसान जो कम्बल, बाल्टी आदि अपनी बैलगाड़ियों में रख कर लाते हैं वह उनसे छीन ली जाती हैं। जब अनाज मण्डी में आता है तो उस पर सेल्स टैक्स अलग से लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस तरह से जो किसान के अनाज के ऊपर भंयकर चुंगी लगाई है, उस पर जो सेल्स टैक्स लगाया गया है, जो दस मन अनाज भी बेचने के लिये आता है···

श्री अध्यक्ष : इस पर सरकार से जानकारी ली जा रही है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : म्युनीसिपैलिटी में आपकी पार्टी है, स्वतन्त्र पार्टी हैं वहां जानकारी करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर विश्वविद्यालय के अन्दर जो छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया है···

श्री मूलचन्द सामरिया : सरकार इस पर गौर करे और इस प्रकार अनाज पर चुंगी की वसूली न करें।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न पर जानकारी चाही गई है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उदयपुर विश्वविद्यालय के छात्रों पर जो पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया है उसकी जानकारी कल चाही थी वह जानकारी सम्भवतः आ गई होगी। मैं चाहता हूं कि उदयपुर का प्रश्न है इस प्रश्न की राजस्थान में आवृत्ति करने की स्थिति सरकार उत्पन्न न करें।

श्री अध्यक्ष : वह जानकारी आई नहीं है। सरकार को कहा है कि वह जानकारी आज भेज दे।

श्री केदारनाथ : एग्जामिनेशन सस्पेन्ड कर दिये गये हैं इससे छात्रों में असंतोष है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरा यह निवेदन है···

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मैंने रखा था, उसमें मैंने यह प्रस्तुत किया था कि यह परिस्थितियां बनने वाली हैं। आज वह स्थिति उत्पन्न हो गई है। उदयपुर विश्वविद्यालय के केम्पस के अन्दर, परीक्षा हाल के अन्दर जाकर पुलिस ने लाठियां चलाई हैं। यह स्थिति बनी, इसके बारे में मैंने पहले ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था।

श्री रोशनलाल शर्मा : लाठी चार्ज केम्पस के बाहर नहीं बल्कि केम्पस के अन्दर हुआ है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह स्थिति जनसंघ और आर. एस. एस. के द्वारा उत्पन्न कराई गई है स्थिति उनके द्वारा खराब की गई है।

(शोरगुल)

Page No. 38

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर विश्वविद्यालय के कैम्पस में जो लाठी चार्ज हुआ है, वह सही सूचना है, मैं निवेदन करना चाहूंगा इसमें लम्बी चौड़ी जानकारी की जरूरत नहीं है ...

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उदयपुर विश्वविद्यालय में जो लाठी चार्ज हुआ है...

श्री अध्यक्ष : उनको बोलने दीजिये।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : यह जो लाठी चार्ज हुआ उसके साथ ही जो परीक्षा से बहिष्कार हुआ उदयपुर विश्व विद्यालय में यह पहली घटना नहीं है. इससे पहले भी इम्तिहान का बहिष्कार किया है, इसी सत्र में किया गया है क्योंकि लगातार स्लेवस और कोर्स के बाहर क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके बाद में यह परिस्थिति पैदा हुई है : इस लाठी चार्ज की उदय पारीक ने निन्दा की है। यह एक गम्भीर प्रश्न है कि पुलिस को आखिर कैम्पस में बुलाया किसने, जब कि डाइरेक्टर कहते हैं कि यह अनियमित हुआ है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : डायरेक्टर और कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : कांग्रेस के विधायक हैं कोई उन्होंने भी कहा है।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : इस लाठी चार्ज के सम्बन्ध में एक प्रश्न है कि सिटी मजिस्ट्रेट के आर्डर से यह लाठी चार्ज हुआ है या नहीं। एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स की एक सेंक्टिटी होती है और कभी भी यूनीवर्सिटी कैम्पस में वाइस चान्सलर के बिना बुलाये पुलिस एन्टर नहीं करती है।

श्री अध्यक्ष . समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : यहां तक कि जो कालेज होते हैं उन कालेजों के अन्दर भी बिना प्रिन्सिपल के बुलाये पुलिस नहीं जाती है। फिर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज से उदयपुर विश्व विद्यालय में यह स्थिति क्यों बनी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी गम्भीरता के ऊपर आप ध्यान दें। यह उदयपुर की आग है, यह राजस्थान में फैला कर आगे बढ़ाना चाहते हैं, आन्दोलन करवाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी को बन्द करवाना चाहते हैं, तो बात दूसरी है, वरना अध्यक्ष महोदय, यह साधारण मसला नहीं है। इसमें लम्बी चौड़ी जानकारी की जरूरत नहीं हैं। आप आश्वासन दें कि आज सायंकाल या कल सुबह राज्य सरकार की ओर से वक्तव्य आ जाय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में मेरा स्थगन प्रस्ताव है। मेरा आसन से निवेदन है कि छात्रों में इस प्रकार से असंतोष फैल रहा है...

श्री अध्यक्ष :बोल किस पर रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : स्थगन प्रस्ताव पर जो आचार्य जी. केदार जी और मैंने दिया है।

श्री अध्यक्ष : फरमाइये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : निश्चित रूप से सायंकाल तक वक्तव्य आ जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, बहुत मोटी घटना है। सिटी

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)
मजिस्ट्रेट का कहना है, मेरी जानकारी नहीं है। एस.पी. का कहना है, मेरे कार्यालय में आकर मिला। छात्र संघ के नेता ने एक स्टेटमेंट दिया है, कांग्रेस विधायक ने स्टेटमेंट दिया है

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य इस पर बोल लिये हैं वही बातें आप कह रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसलिए आज सायं तक स्टेटमेंट आना चाहिए।

दूसरा मेरा स्थगन प्रस्ताव था, राजस्थान पत्रिका में एक समाचार प्रकाशित हुआ है, यूनीवर्सिटी विज्ञप्ति के अनुसार प्री-मैडीकल के लिए 36 पर्सेन्ट अंक के स्थान पर अब पचास पर्सेन्स अंक पर दाखिला मिलेगा...

श्री अध्यक्ष : इस पर निर्णय दे दिया है, आज बहस की जा सकती है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह जो 50 पर्सेन्ट अंक कर दिये है।

श्री अध्यक्ष : चिकित्सा की बहस के अन्दर यह कह सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ऐसा किसी विश्वविद्यालय में नहीं है। 36 पर्सेन्ट की जगह 50 पर्सेन्ट अंक कर दिये, जबकि 50 पर्सेन्ट अंक की शर्त किसी विश्वविद्यालय में नहीं है। राजस्थान विश्वविद्यालय की सीनेट की इस सम्बन्ध में मीटिंग नहीं हुई, उसमें कोई निर्णय नहीं लिया है।

श्री अध्यक्ष : आपका उद्देश्य पूरा हो गया, आप बैठें।

श्री रोशनलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर में लाठी चार्ज हुआ है, मैं यह मानता हूं, राजस्थान के अन्दर अभी तक जितने लाठी चार्ज हुए हैं, उनमें यह लाठी चार्ज ऐसा है कि विश्वविद्यालय की बाउन्ड्री के अन्दर, कमरों के अन्दर जाकर लाठी चार्ज किया गया है और उसकी वजह से लड़कों में ही नहीं, उदयपुर की जनता में इस बात को लेकर असंतोष है। राज्य सरकार इस मामले में स्टेटमेंट देने के अन्दर जितनी देर कर रही है उससे उदयपुर नगर में.....

श्री निरंजन नाथ आचार्य : ढिलाई।

श्री रोशन लाल शर्मा : उससे वातावरण दूषित हो रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आज ही गृहमंत्री से कहें कि इस मामले में स्पष्टीकरण करें नहीं तो उदयपुर में इस घटना को लेकर और दूसरी घटनायें न हो जायं......

श्री अध्यक्ष : Please hear me.

श्री भानुकुमार शास्त्री : हलवाइयों पर टैक्स लगाने के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया था, मैंने, प्रोफेसर केदारनाथ और श्री निरंजन नाथ आचार्य ने...

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : मैं शासन से व्यवस्था चाहता हूँ, कोलायत के बारे में जो स्थगन प्रस्ताव है, वह 21 तारीख को पेश किया है, क्या उसको आपने अस्वीकार किया है?

श्री अध्यक्ष : आम तौर से रिवाज पड़ती जाए कि हर स्थगन प्रस्ताव जो

(श्री अध्यक्ष)

रिजेक्ट हो उसकी जानकारी चाहें, सभी माननीय सदस्य बोलें, यह तरीका ठीक नहीं है। (श्री गिरधारीलाल भार्गव से) आपके लिए मैंने कह दिया। विषय तो वही है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने उसको अस्वीकार किया है? जो हलवाइयों पर 3 प्रतिशत से टैक्स बढ़ा कर 5 प्रतिशत लगाया है……

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा स्थगन प्रस्ताव है और उसको आपने अस्वीकार किया है, हालांकि मेरा नाम उसमें नहीं है, जो आपने अस्वीकार किया।

श्री अध्यक्ष : आपका जो प्रस्ताव है come and see.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने, आचार्य जी व श्री केदारनाथ ने दिया है।

श्री मूलचंद सामरिया : बाहर प्रदर्शन हो रहा है। मंत्री महोदय को चाहिए कि वह उनसे मिलें, उन लोगों में, जो किसान आए हैं, असंतोष है। बाहर लोग खड़े हैं। मंत्री महोदय को बाध्य किया जाए कि उनसे बात करें और उनका दुख-दर्द पूछें। जब तक उसका इलाज नहीं होगा तो दुख कैसे मिटेगा। इसलिए मरीजों से बात करें और बाद में उनकी दवा करें।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

तो मेरा निवेदन है कि मंत्री उनको आश्वासन दें और उनसे बात करें।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मूल स्थगन प्रस्ताव पर मेरे हस्ताक्षर हैं जो सेक्रेटरी साहब को प्राप्त हुआ है।

श्री अध्यक्ष : मैं एलाउ नहीं करूंगा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हलवाइयों पर आपने टैक्स लगाया है, छोटे हलवाई……

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बाड़मेर एवं जैसलमेर में आये चालीस हजार विस्थापितों के पुनर्वास सम्बन्धी

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम, 131 के अन्तर्गत मैंने बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में आए हुए विस्थापितों के बारे में सरकार द्वारा उनको बसाने में उदासीन नीति अपनाने के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मैं इस बारे में सदन के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। बाड़मेर और जैसलमेर दोनों जिलों में जो विस्थापित आए हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, उनकी संख्या 40 हजार है और आक्यूपाइड एरिया के अन्दर 25 हजार की संख्या में जो लोग रह रहे हैं उनमें करीब 10 हजार व्यक्ति 21 कैम्पों में जमे हुए हैं और बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में 9 कैम्प्स हैं, उनके पुनर्वास के लिए कहिए या उनकी सुविधा के लिए हैं। उन कैंपों में जो सुविधायें दी जा रही हैं वे बहुत अपर्याप्त हैं। मैं 30 अप्रेल को गया

Page No. 41

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

था और मेरे साथ मंत्री महोदय भी थे। तो मैंने पाया कि जब हम दौरे पर गए उससे दो दिन पहले ही चिकित्सा व्यवस्था की गई थी कैम्पस में। चार महीने तक लगातार वे उन कैम्पों में थे, वहां कोई चिकित्सा व्यवस्था नहीं की गई थी और जो आक्यूपाइड एरिया और जो बाड़मेर जिले में कैम्पस हैं उन कैम्पस के अलावा बहुत से लोग हैं, शरणार्थी हैं, उनके लिए स्माल पाक्स के वेक्सीनेशन कार्य कुछ ही कैंपों में किया गया। काफी आबादी में वेक्सीनेशन न किए जाने के कारण इन गावों में गोड़ा का तालाब, माठा और सांस, इनमें अभी भी स्माल पाक्स फैल रहा है। वेक्सीनेशन जो किया गया है, वह सिर्फ सिलेक्टेड जहां कैम्पस हैं वहीं पर ही वेक्सीनेशन किया गया है और दूसरे शरणार्थी जो 21 हजार की संख्या में जो कैम्पस के अलावा रह रहे हैं, वहां पर वेक्सीनेशन नहीं किया गया है। इसलिए स्मालपाक्स की बीमारी अभी तक फैल रही है और उस कारण से डेड्स की रिपोर्ट्स आ रही है तो मेरा निवेदन है कि यह जो स्माल पाक्स की बीमारी फैल रही है इसके लिए वेक्सीनेशन उन कैम्पस के अलावा और भी जो शरणार्थी आए हैं जो 30 हजार की संख्या में बोर्डर पर जमे हुए हैं, उनमें भी वेक्सीनेशन का कार्य किया जाना चाहिए और स्माल पाक्स की बीमारी, जो लोकल पर्सन्स है सीमावर्ती क्षेत्रों में उनमें फैल गई है इसलिए इस कार्य को जल्दी से जल्दी शुरू किया जाना चाहिए और सारे सीमावर्ती क्षेत्र जिनमें यह बीमारी है वहां पूरी वेक्सीनेशन की कार्यवाही की जानी चाहिए। वहां जो 30 हजार की संख्या में शरणार्थी आए हैं वे कैम्पस में नहीं हैं, वह 4–4 महीने तक बराबर वहां रहे हैं और उनके लिए कोई भी किसी भी तरीके की सुविधा नहीं की गई है। कोई अनाज वगैरह नहीं दिया गया है। सिर्फ कैम्पस में आने वालों के लिए व्यवस्था की गई है। जो कैम्पों में नहीं हैं उनके लिए 4 महीने तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है और उनमें से 50 प्रतिशत जो कैम्पस में नहीं हैं जिनकी संख्या 30 हजार है, उनमें 50 प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं, उनको 4 महीने तक कोई सुविधा न मिलने के कारण, किसी प्रकार का अनाज न मिलने के कारण, कोई भी मदद न मिलने के कारण उनकी स्थिति जटिल होती जा रही तो मैं चाहता हूं कि जो राजस्थान सरकार ने यह प्रतिबंध लगाया है कि 20 मील के अन्दर कोई रेफ्यूजी कैम्प नहीं लगाई जाए, किसी भी तरह न्याय संगत नहीं है, उचित नहीं है। राज्य सरकार को निर्देश देने चाहिए कि 20 मील के अन्दर सीमावर्ती क्षेत्रों में कैम्पस की स्थापना की जाए। अगर 20 मील के अन्दर रिफ्यूजी कैम्पस की स्थापना की जाती है और व्यवस्था की जाती है तो उनको काफी राहत मिल सकती है। जितने कैम्पस स्थापित किए गये हैं जो सीमावर्ती क्षेत्रों में 20 मील के आगे दूर कायम किए गये हैं और 20 मील के अन्दर कोई कैम्पस कायम नहीं किए गए हैं, यह जो निर्णय पहले लिया गया इसका कारण यह हो सकता है कि जो कैम्पस स्थापित हों वहां रेफ्यूजीज जाकर कहीं स्मगलिंग न करें। उसके कारण कोई प्रतिबन्ध हो लेकिन ऐसी बात नहीं है

Page No. 42

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

क्योंकि आक्यूपाइड एरिया में स्मगलिंग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। वह एरिया हिन्दुस्तान के अधीन है। इसलिए यह जो प्रतिबंध लगाया है कि 20 मील के बाहर कैम्प्स स्थापित किए जायें, इसमें रिलेक्सेशन करके इस प्रतिबन्ध को हटाना चाहिए ताकि 20 मील के अन्दर भी कैम्प्स की व्यवस्था हो।

अब प्रश्न यह उठता है कि उन लोगों के पुनर्वास के बारे में अभी जो कैम्पों में रह रहे हैं, उनके लिए टेन्ट्स की व्यवस्था है और कैम्प्स की व्यवस्था नहीं है, 30 हजार जो शरणार्थी रह रहे हैं उनकी बड़ी दयनीय स्थिति है, उनके रहने के झोपड़ों को हमने देखा है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज जो शरणार्थी आये है उनके लिये कुछ भी नहीं किया जा सका है। आज जरूरी है कि जो फैमिलीज आयी हैं उनके लिये रोटी पानी का बन्दोबस्त किया जाये, आज कई लोग वहां पर रहते हैं जिनके लिये रहने के वास्ते टेन्ट्स भी नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, करीब 30 हजार से भी ज्यादा शरणार्थी गांवों गांवों में फैले हुए हैं। आज ये लोग एक ही जगह पर नहीं हैं, ये लोग कई जगह पर यह 400 500 फैमिलीज हैं एक साथ ठहरी हुई हैं। आज हमारे सामने यह अहम प्रश्न बन जाता है कि हम उन लोगों को केम्पों में ले जाकर रखें। आज वे लोग बिना केम्पों के रह रहे हैं। इसलिए हमको चाहिये कि हम उनको यह सुविधा दें। अब प्रश्न यह उठता है कि जो लोग पाकिस्तान से आये है वे वापिस वहां पर जाना नहीं चाहते हैं। उनके लिए क्या किया जाय। उनमें से अधिकांश लोग हिन्दुस्तान में ही रहना चाहते हैं पर अगर जिस प्रकार की भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच बातचीत चल रही है और अगर दोनों देशों में कम्प्रोमाइज हो जाता है तो क्या उन लोगों को जबरदस्ती यहां से भेजा जायेगा या उन्हें यहीं पर रहने दिया जायेगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय आज जो लोग छाछरों और दूसरे पाकिस्तान के इलाके से भाग कर आये हैं उनमें से अधिकांश ऐसे लोग हैं जो कि यहीं पर बसना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अगर दोनों देशों में कम्प्रोमाइज हो जाता है तो हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि जो शरणार्थी यहां रहना चाहते हैं उनके लिये राज्य सरकार की क्या नीति रहेगी। आज अगर आप उन्हें खेती करने के लिये जमीन देते हैं और वह जमीन अगर कम्प्रोमाइज होने से वापिस पाकिस्तान को चली जाती है जैसा कि भारत सरकार ने वायदा किया है कि हम किसी की जमीन को नहीं रखेंगे तो क्या जो पैदावार आज वहां पर शरणार्थी लोग इस दरमियान करेंगे जहां पाकिस्तान का और हमारा कब्जा है वह पाकिस्तान में चला जाता है तो जो प्रोड्यूस वहां होगा वह भी पाकिस्तान में चला जायगा तो उस काश्त के लिये आप उन शरणार्थियों को कोई कम्पेनसेशन देंगे। ऐसी स्थिति में यह एक सोचने का विषय हो जाता है कि क्या किया जायेगा। आज इतने महीने इन शरणार्थियों को आये हुए हो गये हैं हमने इनको लैण्ड एलोटमेंट नहीं किया। दूसरे जिस जगह पर वे आज है तो एलोटमेन्ट के लिये कोई जमीन भी बाकी नहीं है। सभी जमीन एलोटमेंट हो

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

चुकी है। इसके लिये मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उन्हें जैसलमेर क्षेत्र में लेजाकर जमीन का एलोटमेंट किया जाना चाहिये। यह प्रश्न आज हमारे सामने बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज अध्यक्ष महोदय, जो शरणार्थी आये हैं वे करीब 40 हजार की संख्या में हैं उनको आज बसाने का सवाल है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है अध्यक्ष महोदय, कि अभी तक उन्हें बसाने के लिये समुचित कार्यवाही नहीं की गई है। हमारे देश की यह परम्परा रही है कि जो भी हमारे यहां आता है अतिथि के रूप में हम उसे स्वीकार करते हैं। अभी पिछले साल पूर्वी पाकिस्तान से करोड़ों लोग बंगला देश से भारत वर्ष में आये थे हमने उन्हें यहां पर जैसी भी हमारे से हुई मदद की और उन्हें यहां भी शरण दी। पर बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है अध्यक्ष महोदय कि आज जो पिछले चार-पांच महीनों से शरणार्थी पाकिस्तान से पश्चिमी भाग से आये हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उनको हालत खराब है वे लोग वे सहारे पड़े हुये हैं। मुझे आशंका है कि कहीं वे लोग ज्यादा गरमी से बीमार न हो जायें और हो सकता है वहां पर समुचित व्यवस्था नहीं होने से लोगों के मरने की स्थिति भी पैदा हो जाय। इसलिये हमारा परम कर्तव्य हो जाता है कि हम उनके लिये पानी की व्यवस्था के साथ साथ उनके रहने के लिये जो कैम्प है उनमें दवाइयों वगैरह की व्यवस्था करें। आज स्थिति यह है कि वहां पर उनके दवा दारू के लिए कोई अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। वैसे भी मैं आपको निवेदन कर दूं, अध्यक्ष महोदय, कि बाड़मेर क्षेत्र में अस्पताल की कमी है। तो मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि वह उन शरणार्थियों के लिए दवाईयों वगैरह का इन्तजाम जल्दी से जल्दी करें। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय बाड़मेर का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि पानी की बहुत ही गम्भीर समस्या है। इसके लिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कम से कम पानी की व्यवस्था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है उसके लिए भी राज्य सरकार उन शरणार्थियों के लिए कुछ कार्यवाही करे। इसके अलावा और भी कोई व्यवस्था उन शरणार्थियों के लिये होनी चाहिए जिससे कि वे कोई चीज वगैरह खरीदना चाहें या जिस चीज की उन्हें कमी हो उसकी व्यवस्था हमें मानवता के नाते करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज हमें ऐसी व्यवस्था करनी है जिससे हम उन्हें हमारे यहां पर बसा सकें। क्योंकि वे लोग पाकिस्तान से आये हैं, चाहे भारत पाकिस्तान का कोम्प्रोमाइज हो जाये, वे वापिस पाकिस्तान नहीं जाना चाहेंगे। आज कई जगहों पर शरणार्थी पड़े हुए हैं उनके लिए कैम्प नहीं लगे हुए हैं इसलिए आज उनके लिये कैम्पों की स्थापना की जाये ताकि उनको सुविधा मिल सके। इसके लिए मेरा राज्य सरकार को यह भी सुझाव है कि जो लोग वहां से नहीं जाना चाहते हैं उन्हें भारत में रहने के लिये उन्हें नागरिकता के अधिकार देने चाहिये। आज हमारे सामने यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक उन्हें नागरिक अधिकार भी नहीं दिये गये हैं। आज भी वे लोग वापिस नहीं जाना चाहते। उसका कारण यह है

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

अध्यक्ष महोदय, कि उन लोगों को यह खतरा है कि अगर वे वहां पर गये तो पाकिस्तान सरकार उन्हें परेशान करेगी। इसलिये अध्यक्ष महोदय मैं आपके मारफत राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जो शरणार्थी यहां रहना चाहते हैं उन्हें यहीं रहने दिया जाये और उन्हें नागरिकता के अधिकार दिये जाने चाहिये। दूसरे जो लोग यहां से जाना चाहते हैं उन्हें जाने भी दिया जाना चाहिये। इसके अलावा जो भी मदद हम दे सकें वह हमें देनी चाहिये। पिछले साल के बजट में राज्य सरकार ने इन शरणार्थियों के लिए 4 लाख 42 हजार रु. की राशि स्वीकृत की थी पर उसमें से 31–3-72 तक सिर्फ साढ़े तीन लाख रुपया ही उनके लिए खर्च किया जा सका। अध्यक्ष महोदय जो राशि राज्य सरकार द्वारा दी गई थी वह उन शरणार्थियों के लिये बहुत कम है। आज कैम्पों के अन्दर तो अध्यक्ष महोदय, लोग सिर्फ 3 हजार ही हैं पर कैम्पों के बिना करीब 30 हजार शरणार्थी बिना कैम्पों के पड़े हुए है उनके लिए मेरा राज्य सरकार को आपके मारफत निवेदन है उनके लिये कैम्प लगाये जाने चाहिये और वहां पर उन्हें ले जाकर रखने की जरूरत है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा जो भी मदद हम और राज्य सरकार उनकी कर सकें वह मदद हमें उनकी करनी चाहिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय जो शरणार्थी बाड़मेर क्षेत्र में आये हैं उनके बारे में मैं भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर दूसरे सदस्यों के बोलने का प्रावधान नहीं है।

श्री निरन्जन नाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला है इसमें तो कुछ समय मिलना चाहिए। आप इस प्रश्न को अत्यन्त अविलम्बनीय प्रश्न मान कर 5 मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष : अच्छा पांच मिनट ले लीजिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, पिछले साल भारतवर्ष के पश्चिमी हिस्से में करीब 1 लाख शरणार्थी बेचारे वहां से भाग कर आये थे। लेकिन यहां आये उन्हें काफी महीने हो गये हैं। राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों ने पूरी उदासीनता इन शरणार्थियों के मामले में बरती। मुझे याद है, अध्यक्ष महोदय, आज से 13 साल पहले तिब्बत से दलाईलामा भाग कर भारतवर्ष में आये तो उसके साथ कई हजार शरणार्थी भी आये थे तो मुझे याद है कि हमारी भारत सरकार लगातार एक महीने तक आल इण्डिया रेडियो पर 24 ही घण्टे दलाईलामा के बारे में न्यूज देती रही।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : हां, बड़े घबरा गये थे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसी प्रकार पिछले साल बंगला देश से करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारतवर्ष में आये थे, मुझे अच्छी तरह याद है कि हिन्दुस्तान की जनता ने चाहे उसमें कोई गरीब से गरीब व्यक्ति हो

(पूनमचन्द विश्नोई)

चाहे कोई सरकारी कर्मचारी हो, चाहे कोई बूंट पोलिश करने वाला, चाहे कोई तांगा वाला हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सबने उनसे जो मदद हो सकी वह की। अमीरों ने तो, अध्यक्ष महोदय, बंगला देश के जो शरणार्थी आये थे उनकी मदद की इसके अलावा भी उनकी मदद करने के बारे में समाचार पत्रों में छापा गया और इसके अलावा उनके लिये डाक्यूमेन्ट्रीज भी बनाई गई। पर इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग चूंकि वहां की सरकार के खिलाफ हो गये थे और बागी बन गये थे इसलिए उनकी मदद की गई पर, अध्यक्ष महोदय, इन शरणार्थियों के लिए कुछ भी नहीं किया गया। मेरा राज्य सरकार से यह आपके मारफत अनुरोध है कि मानवता के नाते, मानव धर्म के नाते हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि उनकी मदद करें। अब यह बात तो पक्की है कि वो लोग यहां से वापिस पाकिस्तान को चले जायं वह असम्भव है। मैं यह कह रहा हूँ कि हम सब जनतन्त्रवाद की मनोवृत्ति से काम करते हैं। कोई नेता बोले और एक व्यक्ति ताली बजा देता हैं तो सब ताली बजा देते हैं और अगर एक व्यक्ति नहीं बजाये तो कोई भी व्यक्ति ताली नहीं बजाता है। बड़े बड़े राजनैतिक नेताओं के भाषण अखबारों में छप गये तो क्या इससे कोई समस्या हल हो गई क्या? आज इस देश के जो शरणार्थी हैं उनके रहने का कोई बन्दोवस्त नहीं है। जैसा अभी मा. वृद्धिचन्द्रजी ने बताया मैं उससे सहमत हूं। मैं समझता हूँ भारत सरकार को और हमारी राज्य सरकार की भर्त्सना करनी चाहिये और सरकार को बाध्य करना चाहिये कि उनके लिये समुचित व्यवस्था इस देश में की जाय। वहां उनको वापिस जाने की बात है यह बिलकुल असम्भव बात है। एक तरफ हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं जो शरणार्थी आ जाते हैं, उनको आदर देते हैं मैं यह कहूंगा एक देश से दूसरे देश में जो शरणार्थी आते हैं और फिर हमारे पड़ोसी देश के शरणार्थी जो वहां की हुकुमत के कारण यहां आते है वास्तव में वे शरणार्थी हैं और उनको हमें पूरी मदद देनी चाहिये। सीलोन, बर्मा और अफ्रीका से जो शरणार्थी आये उनके लिये भी आपने क्या कुछ नहीं किया। वास्तव में जो शरणार्थी हैं उनको बसाने का पूरा प्रयत्न करना चाहिये। यह मेरा आरोप है राज्य सरकार पर और भारत सरकार पर हम कोई न कोई उनके लिये बन्दोबस्त करें। राजस्थान में काफी जमीन है, काफी पानी है। वहां की बहुत अच्छी धरती है। मरुस्थल में रहने वाले लोग हैं, मुस्लिम आबादी भी वहां नहीं है। मुस्लिम आबादी के साथ रखना तो खतरे से खाली नहीं होगा। पानी की समस्या के लिये 24 घंटे में ट्यूब वेल्स खोदे जा सकते है मैं समझता हूं राजस्थान सरकार को और भारत सरकार को बल देना चाहिये और जो सदन के सदस्य हैं उनको एक भीड़ की मनोवृत्ति से नहीं सोचना चाहिये। यह एक मानवीय प्रश्न है और हम उस पर आंख बन्द करके बैठे हैं। जब दूसरे प्रश्न आते हैं–कई सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं और इस दिशा में एक होड़ चल रही है तो निश्चित रूप से हमें शरणार्थियों के बारे में

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)
यहां बसाने के लिये अवश्य सोचना चाहिये।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास (मालपुरा): अध्यक्ष महोदय यह 40 हजार शरणार्थियों का प्रश्न अपने आप में ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिये बन जाता है कि इनमें से कई लोगों ने भारत पाक युद्ध के दौरान हमारी जो फौजें पाकिस्तान की धरती पर आगे बढ़ रही थी तब उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, हमें किस प्रकार रास्ता दिखाया है और न जाने क्या क्या किया है, अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के ऊपर गंभीरता से विचार इसलिये भी करना पड़ेगा कि अभी एक स्टेटमेंट भारत सरकार के रक्षा मंत्री का आया कि जो पाकिस्तान के लोग इधर रह गये है उनको वापिस उधर जाना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, भारत और पाक के बीच समझौता हो और उस समझौते के बाद क्या स्थिति हो–जो जमीन ली है वह जमीन देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी यह अलग प्रश्न है, यह अलहदा मसला है किन्तु जो 40 हजार शरणार्थी आये हैं अगर हम इन लोगों को पाकिस्तान भेजते हैं तो पाकिस्तान की सरकार उनके साथ क्या व्यवहार करेगी, यह देखने की बात है। आज इन शरणार्थियों का सम्बन्ध पाकिस्तान की सरकार से टूट चुका है आज इन शरणार्थियों का मन पाकिस्तान के लोगों के साथ नहीं मिल सकता है–उनके साथ क्या व्यवहार होने वाला है यह एक भय की बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि आज जिस प्रकार हालत पाकिस्तान के अन्दर व्याप्त है वह सबके सामने है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है लेकिन पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है–पाकिस्तान सिक्यूलर स्टेट नहीं है। जिस प्रकार की हालत पाकिस्तान में है और जो विचार धारा पाकिस्तान की है उसमें मैं समझता हूं यह स्पष्ट है कि अगर हम इन लोगों को वापिस भेजते हैं तो हम उनको मौत के मुंह में ही नहीं भेज रहे हैं बल्कि उनके मर्डर करने की छूट पाकिस्तान को देंगे। इन शरणार्थियों को वापिस भेजते हैं तो निश्चित रूप से पाकिस्तान की सरकार इनका मर्डर करेगी। अब हमारे सामने मानवीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। 40 हजार शरणार्थियों ने हमारी मदद की है और आज हिन्दुस्तान की परम्परा रही है हर प्रकार के लोग, हर देश के लोग जो इस देश में शरणार्थी बनकर आये हैं उनको असीमिलेट किया है और वे भी असीमिलेट हुये हैं और वे पूरे नेशनल भावना को अपना कर अपने देशवासियों के साथ घुल मिलकर रहे हैं। उस भावना का परिचय भी हमें इन 40 हजार शरणार्थियों को देना पड़ेगा। आज इन 40 हजार शरणार्थियों को पाकिस्तान भेजने का जो प्रश्न है वह खड़ा ही नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, हमारा कर्तव्य हो जाता है जो मदद कर सकते हैं, करनी चाहिये और उनको रिहेबिलिटेट करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये और उनको भारत की नागरिकता देने में भी हिचकना नहीं चाहिये। अगर टैक्स के हिसाब से नागरिकता नहीं दें तो आखिर में नागरिकता तो देनी पड़ेगी। जब दूसरे देशों के लोग हमारे देश में असीमिलेट हो सकते हैं और सिटिजनशिप ले सकते हैं तो क्या कारण है ये लोग नागरिकता के अधिकार प्राप्त

(सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)
नहीं कर सकते और सिटिजनशिप नहीं ले सकते।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं सिर्फ इस प्रश्न पर एक सुझाव देना चाहूंगा यह मानवीय दृष्टिकोण का प्रश्न है और राष्ट्रीय प्रश्न है। जब यह प्रश्न आन्दोलन का विषय हो जाय और इसमें विषमता पैदा हो, राजनैतिक दलों द्वारा इस प्रश्न को उठाया जाय और जब इसमें उग्रता आ जाय तब राजस्थान सरकार इस ओर झुके और प्रश्न को हल करने का प्रयत्न करे यह उचित नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय मुझको भी माननीय सदस्य वृद्धि चन्द जी के साथ जब युद्ध के दौरान में उस इलाके को देखने का अवसर मिला था और उस अवसर पर ये शरणार्थी कह कर हतोत्साह करते है, उनके साहस को चुनौती देते है क्योंकि उनको यथार्थ में पुरुषार्थी नाम से पुकारा जाना चाहिये इन पुरुषार्थ में का दास्ताने हमने बाडमेर में सुनी और उचित व्यवस्था न होने के नाते ये भूखों मरते कठिन श्रम में जुटे रहे पाक की करेन्सी होते हुए भूख का सामना करते हुए इन लोगों ने युद्ध का डटकर मुकाबला किया। उस समय मुख्य मंत्री जी भी वहां पर थे। उन्होंने भी उनकी करुण दास्तान सुनी और कुछ न कुछ आश्वासन भी दिया माननीय सदस्य विश्नोई जी ने कहा है यह माननीय दृष्टिकोण का प्रश्न है न तो भारत सरकार का ध्यान इस समस्या ने आकर्षित किया और न राज्य सरकार का ध्यान ही आकर्षित किया ऐसा लगता है इसके पीछे रहस्य है और रहस्य यह है कि राज्य सरकार की नीति उदासीनता से सम्भवतः छिपी हुई है पहले से ही वह यह हो कि इन 40 हजार शरणार्थियों को वापिस पाकिस्तान भेज दिया जाय। जो सेवायें और सहयोग इनका रहा है। उन सेवाओं और सहयोग के आधार पर ये फौज को मदद करते रहे है इसलिये यह स्पष्ट मत है कि अगर इनको भेजा गया तो पहले तो ये जाने वाले नहीं हैं और यदि विवशता से भेज भी दिया गया तो यह समझकर भेजा जाना चाहिये कि पाकिस्तान में जाते ही इनकी कुर्बानी होगी इस भंयकर कुर्बानी को देखते हुये मेरा निवेदन है मानवीय दृष्टिकोण से इस समस्या का हल किया जाना चाहिये। आज इन शरणार्थियों में बड़े बड़े वकील है, बड़े बड़े व्यापारी हैं जो हमारे हिन्दुस्तान में दर दर के भिखारी बनते जा रहे हैं। इसलिये मैं राज्य सरकार से कहूंगा इस दृष्टिकोण को व्यापक करें, विस्तृत करें और इस पर पूर्ण रूप से चिन्तन करें।

श्री अध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं भी दो मिनिट कहना चाहूंगा। यह समस्या एक गम्भीर रूप धारण कर चुकी है। राज्य सरकार ने इसको इस प्रकार से लिया है कि जैसे कि कोई समस्या है ही नहीं। आज नहीं, ये भाई लगभग 25 वर्ष से पिछड़े हुए हैं और कष्ट कारण परम्पराओं को भंग कर रहे हैं। जब हिन्दुस्तान पाकिस्तान बना तब ब्रिटिश कमीशन के सामने एक योजना आयी थी कि जिस डिस्ट्रिक्ट में बहुमत हो डोमिनियन चाहे हिन्दुस्तान में या पाकिस्तान में ले

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

सकते हैं। उसका कार्यान्वियन आसाम में तो हो गया लेकिन थरपारकर में नहीं हुआ।

श्री **निरंजन नाथ आचार्य** : (बिजली बन्द होने पर) बस यही परिणाम हुआ।

श्री **भानुकुमार शास्त्री** : थरपारकर का क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। तब से ये लोग कष्ट सहन करते चले आ रहे हैं। इस हिन्द पाक संघर्ष में जिस प्रकार से इन लोगों ने हमारी सेनाओं को सहयोग दिया आज ऐसी स्थिति बन गयी है कि पाकिस्तान के अन्दर जो लोग बसे हुए थे वे चले गये और पाकिस्तान नागरिकों को सताने वाले लोग उनको जब सुरक्षित स्थानों को ले जा रहे थे तो इन लोगों के गांव के गांव उजाड़ कर चले गये। मिलिट्री ने और दूसरे सब ने इस प्रकार हम को बताया। अब ये वापस पाकिस्तान जा नहीं सकते। यदि उनको भेजा गया तो वहां पर इनकी हत्यायें होंगी। हिन्द पाक संघर्ष में जो अभी हुआ और दूसरा जो 65 में हुआ था, दो भागों में विभक्त हैं। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि हम इनको सहयोग और सुविधायें देंगे। नागरिकता के पहले वाली सुविधा भी उनको नहीं दी गयी। 40 हजार आये, यह संख्या तो जिसको राजकीय सहायता दी जा रही है उनकी है लेकिन इनकी वास्तविक संख्या 1 लाख से अधिक है। यदि राज्य सरकार इनकी पूरी व्यवस्था करने में अक्षम है तो भारत सरकार से सुविधायें उपलब्ध करायें।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी।

श्री **पी. के. चौधरी** : एक सुझाव देना चाहूंगा।

श्री **अध्यक्ष** : मेरा सुझाव सुन लीजिये। मैं कह दूं जब आप कह दीजिये। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है। इस पर डिबेट नहीं होगी। माननीय सदस्यों की भावनाओं को रख दिया गया है और करीब हरएक दल का व्यक्ति बोल गया है।

श्री **पी. के. चौधरी** : मेरा सुझाव एक यह था कि सदन में माननीय सदस्यों ने एक बात बतायी कि हम भेज नहीं सकते हैं। हिन्दुस्तान पाकिस्तान का जो कुछ भी समझता हो, तो हमको उस समय इनके लिये लिविंग स्पेस मांगना चाहिये। ये जा नहीं सकते हैं। यह मेरा सुझाव है।

श्री **रणजीत सिंह** (ओसियां) : एक सजेशन मैं भी देना चाहूंगा। शरणार्थी के रूप में ये आये लेकिन दरअसल ये शरणार्थी नहीं है। एक लाख शरणार्थी राजस्थान में और गुजरात और कच्छ में भी गये हैं। पुरानी हमारी जोधपुर स्टेट का रेगिस्तान का इलाका था, थरपारकर का इलाका था, वहां पर ये लोग काम धन्धे के लिये गये थे वहीं बस गये थे। एक अच्छा मौका आया था। पाकिस्तान ने हमारे से लड़ाई छेड़ दी थी। इन आदमियों को आशा थी, मौके पर बैठे हुए थे इन्होंने हमारी मिलिट्री को भी मदद की। यदि इस मौके पर हम इनको मदद भी न दें, नागरिकता के अधिकार भी मान्यता देकर न दें तो आखिर कार इन लोगों का क्या हाल होगा ? गुजरात स्टेट में गये तो वहां के लोगों ने वहां की सरकार ने इनकी अच्छी मदद की। राजस्थान में कुछ नहीं हुआ। भविष्य में मदद मिलना मुश्किल है। हिन्दुस्तान के किसी भी हिस्से

(श्री रणजीत सिंह)

जिसको काला पानी कहते हैं, उनको वहां भेज दीजिये लेकिन पाकिस्तान में नहीं। वहां तो उन लोगों को मौत के मुंह में धकेलना होगा। राजस्थान के जैसलमेर हिस्से में काफी खाली इलाका है। इस रेगिस्तानी इलाके में राजस्थान नहर आ रही है। वहां उनको बसा दिया जाय। काफी क्षेत्र है। यही हमारा सरकार से आग्रह है। एक मानवता का मामला है। ये लोग मारवाड़ से पहले गये थे। पुनः ये घर को लौटे हैं। उनको नागरिकता के प्रमाण-पत्र दे दिये जायं तो बहुत ही अच्छा रहेगा।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर–प.): अध्यक्ष महोदय, यही की यही स्थिति सन् 1947 में उत्पन्न हुई थी और यह माना गया कि एक वर्ष में इसको हल कर लेंगे। हम को बसाने की नीति अपनायी गयी। वही निवेदन करूंगा कि इस मसले को लेकर खाने को देना है। उनको व्यवसाय देने की मांग को ध्यान में रखा जाय। आये हैं तो उसी प्रकार इनको बसाया जाय जिस प्रकार हमें बसाया है। जो हक हमें मिले हैं वही के वही हक उनको मिलेंगे। यही मुद्दा देखने का है कि उनका पुनर्वास किस प्रकार किया जाय। वे भीख नहीं मांगते।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: एक मिनिट का समय लूंगा, अध्यक्ष महोदय। 40 हजार व्यक्ति भारत माता की गोद में आये हैं। वे लोग भूखे हैं। बाजरा उनको मिलता नहीं। नल कूप से उनके लिये पानी की व्यवस्था आपने की नहीं। उनको एस. पी. साहब से अपमान सहना पड़ता है कि क्या पीले चावल लेकर आये हो। खुले आसमान में सो रहे हैं। जो उनको कष्ट हो रहे हैं उनका निवारण राज्य सरकार को करना चाहिये। लक्ष्मण सिंह जी सोढा हैं, उन्होंने बहुत मदद की। उनको मान्यता देकर बसाया जाना चाहिये और उनकी जो असुविधायें हैं उनको दूर किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री ओंकार लाल चौहान (पुनर्वास-मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया और माननीय सदस्यों ने जो सुझाव सदन के समक्ष प्रस्तुत किये उनके सम्बन्ध में मैं निम्न उत्तर प्रस्तुत कर रहा हूं।

भारत पाक संघर्ष 1971 के परिणाम स्वरूप राजस्थान में आये विस्थापितों के लिए बाड़मेर जिले में 8, जैसलमेर में 1 तथा विजित क्षेत्र में 20 शिविर खोले जा चुके हैं।

बाड़मेर जिले के शिविरों में बाजरा के अलावा तेल, दाल, चीनी तथा नकद सहायता भी चालू कर दी गई है।

विजित क्षेत्र के शिविरों में केवल बाजरा ही दिया गया है। शिविरों में सहायता विस्थापितों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर दी जा रही है। विजित क्षेत्र का प्रबन्ध नागरिक प्रशासक एवं सेना कर रही है।

बाड़मेर जिले के शिविर तम्बुओं में तथा विजित क्षेत्र में झूपों में चल रहे हैं।

(श्री ओंकार लाल चौहान)

इस क्षेत्र में लोग साधारणतया झूपों में रहते हैं अतः वर्षा में बिखरने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

इन विस्थापितों में सभी जाति के लोग हैं, जिनमें अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोग शामिल है।

इन लोगों के भारत आगमन के साथ ही राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क स्थापित किया गया और आवश्यक निर्देश प्राप्त किये गये। 4,82,000 रु. की राशि जिलाधीश बाड़मेर को 25,000 रु. की राशि जिलाधीश जैसलमेर को इन विस्थापितों को सहायता उपलब्ध कराने हेतु आवंटित की गई।

भारत सरकार के निर्देशानुसार यह सहायता केवल अत्यन्त ही असहाय गरीब तथा जरूरतवन्द लोगों को शिविर में रख कर दी जानी होती है। केन्द्र सरकार की यह भी नीति है कि ये लोग विजित क्षेत्र में जाकर रहें। अतः जो लोग जरूरतमन्द हों वहां जाकर शिविरों में रह सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 20 मील तक शिविर नहीं खोलने का पूर्व में लिया गया निर्णय विचाराधीन है।

बाड़मेर जिले हेतु 10 शिविर तथा विजित क्षेत्र के लिये 10 शिविरों हेतु स्टाफ स्वीकृत कर दिया गया था।

शिविरों के लिये चिकित्सा की समुचित व्यवस्था है। ये लोग पाक नागरिक हैं। अतः इन्हें स्थायी रूप से बसाने सम्बन्धित प्रश्न केन्द्रीय सरकार की नीति का है।

सदन में यह निवेदन करना चाहूंगा कि शास्त्रीजी ने और भार्गव साहब ने जो प्रश्न उठायें हैं वे निर्मूल हैं और निराधार हैं। यह भी कहा गया था कि वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है। यह भी निराधार और निर्मूल है। मैंने स्वयम् ने माननीय सदस्यों के साथ जाकर देखा है और कैम्पों में जाकर देखा है। वहां प्रायः समुचित व्यवस्था है। मेडिकल एड उनको दी जा रही है और 25 हजार लोगों को चेचक के टीके लगा चुके हैं। जितनी भी जानकारी प्रस्तुत की है मेरी स्वयम् की देखी हुई है और मैं स्वयं उस क्षेत्र में गया हूं।

आज इस प्रकार के आरोप जैसा कि मुख्य नागरिकता का है, मैंने पहले भी स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में निवेदन किया था कि नागरिकता का प्रश्न बड़ा ही जटिल है और ऐसा प्रश्न है कि जिसके ऊपर भारत सरकार ही कुछ निर्णय ले सकती है, वह निर्णय लेगी इसलिये मैं बहुत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा माननीय सदस्यों के विचारों की कद्र करते हुये कि जो उनके विचार हैं मैं कोशिश करूंगा कि उनके विचार भारत सरकार तक पहुंचें और जो कुछ भी इस सम्बन्ध में सहायता हो सकती है उसमें सहायता दिलाने का पूरा प्रयास किया जायेगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : डाक से या स्वयं जाकर मेहनत करके ?

श्री ओंकार लाल चौहान : मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर जरूरत पड़ी तो स्वयं भी जाऊंगा और जरूरत हुई तो डाक से भी भेजा जायेगा माननीय सदस्यों को विश्वास होना और विश्वास होना चाहिये कि यह महत्

(श्री ओंकार लाल चौहान)
प्रश्न है कि जो पाक नागरिक हिन्दुस्तान में आये हुए हैं वह चिन्ता का विषय है जरूर राज्य सरकार के सामने लेकिन राज्य सरकार इससे सतर्क है और इस सम्बन्ध में जो कुछ भी हो सकता है भारत सरकार अपनी नीति के अनुसार ही पूर्ण सतर्कता से कार्य कर रही है। मुझे यही निवेदन करना था।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैंने क्या निर्मूल और निराधार कहा है ?

श्री अध्यक्ष : जो कुछ भी आपने कहा

श्री भानुकुमार शास्त्री : मेरी समझ में नहीं आता कि तथ्य रखा था थारपारकर डिस्ट्रिक्ट का और माननीय मन्त्रीजी ने शायद पढ़ा नहीं और योंही कह दिया कि निर्मूल है निराधार है।

श्री अध्यक्ष : उनको अधिकार है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैंने कौनसी बात निर्मूल और निराधार कही ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप इस बारे में और राज्य सरकार इस बारे में क्या सोचती है कि इनको नागरिकता दी जानी चाहिए या नहीं ? आप क्या सिफारिश करेंगे यहां से ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय ..

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसका उत्तर आ जाये।

श्री ओंकार लाल चौहान : मैं इस सम्बन्ध में विचार व्यक्त कर चुका हूं कि नागरिकता का प्रश्न भारत सरकार की नीति का है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपका क्या विचार है ?

श्री ओंकार लाल चौहान : राज्य सरकार का प्रश्न नहीं है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं सूचित करना चाहता हूं कि हम खाडिलकर साहब से मिले थे उन्होंने साफ कहा कि जो पाकिस्तान के नागरिक हैं और यहां आ गये हैं वे पाकिस्तान जायेंगे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह अव्यवहारिक बात है। भारत सरकार ही अन्तिम रूप से करेगी लेकिन राज्य सरकार और यहां की जनता और आप क्या महसूस करते हैं ? आपको अपनी बात जोरदार ढंग से कहनी चाहिए। यह क्या कहा कि भारत सरकार तय करेगी ? राज्य सरकार क्या सोचती है ? आप क्या सोचते हैं ? राज्य सरकार को कहना चाहिए कि वे जाने की स्थिति में नहीं हैं। एक खाडिलकर के कहने से कह दिया। राज्य सरकार को तैयार होना चाहिए। यह कैसे हुआ कि खाडिलकर साहब ने कह दिया इसलिए वापिस चले जायेंगे ? मौत के मुंह में भेजे जायेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैंने इसको डील तो नहीं किया है और मुझे बैकग्राउन्ड भी पता नहीं है लेकिन माननीय सदस्यों ने जो राय व्यक्त की है

(श्री हरिदेव जोशी)

में उसे मुख्य मंत्री जी के सम्मुख रखूंगा और राज्य सरकार इसके ऊपर अपना मत रखेगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सहमति के साथ।

अनुदान की मांग

सं. 16, 17, 18, व 38 का प्रस्तुतीकरण

श्री अध्यक्ष : चिकित्सा मंत्री जी।

श्री हरिदेव जोशी (स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 13,01,80,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए परिवार नियोजन के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,76,87,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : मांगें प्रस्तुत हुईं।

जन-स्वास्थ्य मंत्री जी।

श्री चन्दनमल बैद (जन-स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन स्वास्थ्य के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 15, 21,17,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94–जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,19,19,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

श्री अध्यक्ष : मांगें प्रस्तुत हुईं।

मांग संख्या 16, 17, 18, व 38 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 16

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) :

1. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाथद्वारा में जिला चिकित्सा अधिकारी के हैडक्वार्टर निश्चित करने, चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

2. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से

(श्री मनोहर कोठारी)

100 रुपया कम कर दिया जाय (नाथद्वारा तहसील में ग्रामीण नल योजनाओं का जनता द्वारा रकम जमा हो जाने पर भी उनकी सर्वे व पूर्ति न होने के प्रश्न पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर):

3. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर नगर में अलग से टी. बी. क्लीनिक की आवश्यकता होते हुए भी राज्य सरकार द्वारा टी. बी. क्लिनोक की स्थापना की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

4. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भारत अधिकृत क्षेत्र छाछरा तालवन में स्थापित कैम्पों एवं बाड़मेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में चिकित्सा की माकूल व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

5. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर नगर को जनसंख्या के अनुरूप बाड़मेर नगर जल प्रदाय योजना को स्वीकृत करने में राज्य सरकार द्वारा ढिलाई बरतने के कारण जनता में घोर असंतोष पैदा होने पर चर्चा के लिये)।

6. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर नगर में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र की स्थापना के लिये राज्य सरकार द्वारा उदासीन नीति अपनाने पर चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [बाड़मेर जिले की ऊंडू से पनाउडा ग्राम जल प्रदाय योजना (लुणाडवा तला (बाटाडू.), रामदान का तला (बाटाडू.) ताजाणियों की ढाणी (रतेऊ), जाजवा, उतरनी, खोतों की ढाणी (आकदडा) सांवासर नाडी (कोलू) आदि ग्रामों को सम्मिलित कर रिवाइज्ड स्कीम बनाकर संबंधित ग्रामीण जनता को लाभ पहुंचाने के बारे में चर्चा के लिये]।

8. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले की नीबला से सीयोणी नलकूप ग्राम जल-प्रदाय योजना जिसमें थूंबली, गिरल, सोनडी, बैसाला, भुरा, नांद, कनोडा, केरावा, डूंबाबेटी, वसरा, जायडू, इन्द्रोई, सियोणी ग्राम आते हैं जो सर्वे करा कर स्वीकृत कराने के लिये जोर देने पर चर्चा के लिये)।

9. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर नगर में पानी की माकूल व्यवस्था न होने के कारण नगरवासियों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

10. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के प्राइमरी हैल्थ सेन्टरों में दवाई की माकूल व्यवस्था न होने के कारण चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

11. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए- परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नये और अनुभवहीन डाक्टरों को परिवार नियोजन में लगाने के कारण परिवार नियोजन का कार्य-क्रम असफल हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) :

12. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ शहर के मुख्य चिकित्सालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अव्यवस्था से उत्पन्न जनता की असुविधाओं पर चर्चा के लिये)।

13. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रटलाई ग्राम के चिकित्सालय (जिला झालावाड़) में डाक्टर न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

14. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ शहर के अंदर एक डाक्टर डिस्पेंसरी और खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालरापाटन शहर के चिकित्सालय में लेडी डाक्टर न होने से जनता की असुविधाओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : 16. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डाक्टरों की नियुक्ति एवं पदोन्नति में हुई अनियमितता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

17. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए परिवार नियोजन के अंतर्गत इस मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाय (परिवार नियोजन की व्यवस्था और कार्य कुशलता के बारे में नीति का अनुमोदन)।

मांग संख्या 16

18. श्री भीमसेन (लूणकरणसर): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मोबाइल यूनिट पूगल, जिला बीकानेर की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये)।

19. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पूगल मोबाइल यूनिट की निष्क्रियता पर चर्चा करने के लिये)।

(श्री भीमसेन)

मांग संख्या 17

20. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लूणकरणसर क्षेत्र के खारे पानी वाले गांवों को पेय जल समस्या के स्थायी हल हेतु लिफ्ट कैनाल व राजस्थान मुख्य नहर से पाइपों द्वारा पानी देने पर चर्चा के लिये)।

21. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए परिवार नियोजन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले के सतासर, केला, मोरोलाई आदि परिवार नियोजन केन्द्रों पर आवश्यक स्टाफ की व्यवस्था न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

22. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चीतलवाना डिस्पेंसरी में पर्याप्त दवाओं के दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

23. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की सुविधा प्रदान करने के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

24. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए परिवार नियोजन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्य-क्रम की असफलता पर चर्चा के लिये)।

25. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए परिवार नियोजन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सांचोर में परिवार नियोजन खण्ड निर्माण एवं सब केन्द्र बनाने की चर्चा के लिये)।

26. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए परिवार नियोजन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (जिला जालोर में परिवार नियोजन कार्य-क्रम को गति देने के लिए लेडी डाक्टर की नियुक्ति एवं पूरा स्टाफ लगाने की चर्चा के लिये।

मांग संख्या 16

27. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवा-महल) मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रात्रि को 11 बजे से प्रातःकाल 8 बजे तक सवाई मानसिंह अस्पताल व जनाना अस्पताल में बीमारों को अस्पताल से लिखी जाने वाली दवाइयां केमिस्टों की दुकानें बन्द रहने से न मिलने पर चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर में जिला महिला अस्पताल बनाये जाने की योजना पर चर्चा के लिये)।

29. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)
कम कर दिया जाय (सवाई मानसिंह अस्पताल में एक्सरे व खून आदि की जांच की उचित व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये।)

30. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई मानसिंह अस्पताल के रक्तदान केन्द्र में रक्त को स्थानाभाव के कारण सुरक्षित न रख पाने पर चर्चा के लिये।)

31. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर के चिकित्सालयों में रोगियों की उचित देखभाल न करने पर चर्चा के लिये।)

32. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर के चिकित्सालयों में पीने हेतु ठण्डे पानी के अभाव पर चर्चा के लिये।)

33. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर के अस्पतालों में मरीजों को दूषित भोजन दिये जाने पर चर्चा के लिये।)

34. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर में जनसंख्या के आधार पर नया अस्पताल खोले जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।)

35. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय चिकित्सालयों में दवाइयां व ट्रेन्ड नर्सिंग स्टाफ की कमी पर चर्चा के लिये।)

36. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर स्थित जनाने अस्पताल की प्रशासकीय दुर्दशा पर चर्चा के लिये।)

37. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई मानसिंह अस्पताल में दवाइयों, रक्त व पट्टियों के अभाव पर चर्चा के लिये।)

मांग संख्या 17

38. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लक्ष्मणडूंगरी स्थित टैंक को बड़ा बनाये जाने की व बाउण्ड्रीवाल बनाये जाने पर चर्चा के लिए।)

39. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रामगढ़ के बन्धे की सफाई कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

40. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर में मच्छरों के प्रकोप से मलेरिया फैलने के सन्देह पर चर्चा के लिये।)

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

41. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर में जल वितरण की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

42. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर शहर में नये सार्वजनिक नल व कच्ची बस्तियों में आग बुझाने के लिए पानी के हाईड्रेन्ट्स लगाने पर चर्चा के लिये)।

43. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर में नलों द्वारा दूषित जल वितरण किये जाने पर चर्चा के लिये)।

44. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर में पीने के पानी की समस्या का समाधान करने के लिये बनास योजना पर चर्चा के लिये)।

45. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर शहर में नई पाइप लाइन डाले जाने और छोटी और टूटी हुई लाइनों को बदलने के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

46. मांग संख्या 18 मुख्य शीर्षक 30-ए-परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन कार्य में हो रही भयंकर अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 38

47. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94-जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर शहर की ड्रेनेज समस्या के समाधान पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

48. **श्रीमती भगवती देवी** (भिनाय): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम करा दिया जाय (भिनाय निर्वाचन क्षेत्र में अस्पतालों की कमी होते हुये भी नये अस्पताल न खोलने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 38

49. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94-जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भिनाय की सरकारी नल योजना के अपूर्ण रहने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

50. **श्री नाथूराम** (बागी डोरा): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में अस्पतालों की ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(श्री नाथूराम)

मांग संख्या 17

51. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों मे जल वितरण योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

52. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए-परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में परिवार नियोजन की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

53. श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उनियारा दवाखाना, जिला टोंक के भवन की हालत बड़ी गंभीर होती जा रही है और विभाग द्वारा इस ओर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है इस पर चर्चा के लिये)।

54. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में आबादी को देखते हुए चिकित्सा सुविधा अपर्याप्त होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

55. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग मे से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गत वर्ष राज्य सरकार द्वारा जिला टोंक में मातृ शिशु केन्द्र खोलने के आदेश हो चुके हैं और स्टाफ टोंक पहुंच गया है पर उनियारा नहीं भेजा जा रहा है उस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 38

56. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94-जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जलप्रदाय योजनाओं के लिए जो जन-धन 25 प्रतिशत लिया जाता है उसे वसूल नहीं करना चाहिए उस पर चर्चा के लिए)।

57. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94–जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक जिले की सरकारी जलप्रदाय योजनायें अपूर्ण हैं उन्हें पूर्ण कराने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

58. श्री मोहनराज (बाली): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सुनावा के मौजूदा अस्पताल भवन में मरीजों को अधिक सुविधा देने हेतु अतिरिक्त वार्ड व कमरे बनाने की एक दानदाता की दरख्वास्त पर अभी तक निर्णय न करने पर चर्चा के लिये)।

59. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मुंडारा व

(श्री मोहनराज)

सेवाड़ी में डाक्टरों की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सादड़ी व बाली के चिकित्सालयों में दवाइयों व डाक्टरों की कमी के कारण जनता की परेशानियों पर चर्चा के लिये)।

61. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर) मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (क्षय चिकित्सालय, सेनेटोरियम तथा क्लिनिक के अन्दर मरीजों के साथ भेदभाव बरतने पर चर्चा के लिये)।

62. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सालय व औषधालयों को अव्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये)।

63. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आयुर्वेदिक संचालक कार्यालय में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

64. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा प्रशासन में सुधार करने के विषय पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

65. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30—ए—परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन की शिथिलता, निष्क्रियता एवं असफलता आदि विषय पर चर्चा करने हेतु)।

मांग संख्या 16

66. **श्री रोशनलाल शर्मा** (सलूम्बर): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर जिले की ग्रामीण डिस्पेन्सरियों में बीमारों की पट्टियें आदि वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती इस पर चर्चा के लिये)।

67. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डाक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

68. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गोगुन्दा कस्बे में पीने का पानी साफ नहीं मिलता उस पर चर्चा के लिये)।

69. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गोगुन्दा, बेदला, बम्बोरा में नल योजना के पानी का निकास नहीं होने से फील्ड से मच्छरों द्वारा

Page No. 60

(श्री रोशनलाल शर्मा)
मलेरिया फैल रहा है उस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

70. श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा के अभाव पर चर्चा के लिये)।

71. श्रीमती गौरी पूनिया (मकराना): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मकराना क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

72. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन—स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 1:0 रुपया कम कर दिया जाय (मकराना क्षेत्र में पेयजल की भीषण समस्या पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

73. श्री हरलाल (प्रतापगढ़):—मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जनरल अस्पताल, प्रतापगढ़ के डाक्टरों के रहने के लिए क्वार्टरों के अभाव के संबंध में चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जनरल अस्पताल प्रतापगढ़ में रोगीवाहन गाड़ी होते हुए भी समय पर उपलब्ध नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

75. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जनरल अस्पताल, प्रतापगढ़ की अव्यवस्था एवं दवाइयां नहीं मिलने के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

76. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रतापगढ़ तहसील के पहाड़ी एरिया के रहने वाले लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

77. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30—ए-परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पहाड़ी एरिया में परिवार नियोजन का प्रचार की कमी एवं केन्द्रों में व्याप्त अव्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

78. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी के लाखेरी सीमेन्ट फैक्ट्री के चिकित्सालय में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

79. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्री नंदलाल बैरवा)
रुपया कम कर दिया जाय (जिला बूंदी के ग्राम लाखेरी जनखोदा के चिकित्सालयों में समय पर दवाइयां नहीं पहुंचाये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

80. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी को नगरपालिका लाखेरी में पानी की सफाई की व्यवस्था न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

81. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30–ए-परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में परिवार नियोजन केन्द्रों की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

82. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30–ए-परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी की तहसील केशोरायपाटन में परिवार नियोजन केन्द्रों के अधूरे कार्य को पूरा कराने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

83. श्रीमती नगेन्द्रबाला (दोगोद): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अस्पतालों में साधनों की कमी पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 17

84. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले के अनेक गांवों में पीने का पानी को दुस्तर समस्या के समाधान हेतु चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 16

85. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार जयपुर): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी शफाखानों में एक्स-रे फिल्म के न मिलने के बाबत चर्चा के लिये)।

86. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के शफाखानों में वर्कशाप की अव्यवस्था एवं इसके लिए प्राप्त सामग्री के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए)।

87. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डाक्टरों को रोजगार दिलाने में चिकित्सा विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए)।

88. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की जनता को स्वास्थ्य लाभ देने में बरते जाने वाले भेदभाव पर चर्चा के लिए)।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

मांग संख्या 18

89. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30—ए—परिवार नियोजन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (परिवार नियोजन के बारे में नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 16

90. **श्री मालाराम** (नीम का थाना): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नीम का थाना तहसील के दरीबा लादी का बास तिहारीपुर चला, किशोरपुरा में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने हेतु चर्चा के लिए)।

91. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नीम का थाना के कपिल होस्पीटल में एक्स-रे मशीन का कई महीनों से खराब रहने के कारणों पर चर्चा के लिए)।

92. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माऊंडा खुर्द ग्राम के एलोपैथिक डिस्पेंसरी खोले जाने की जनता की मांग पर चर्चा के लिए)।

93. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नीम का थाना के पहाड़ी इलाकों में पीने के पानी की कमी पर चर्चा के लिए)।

94. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नीम का थाना के हमामपुर-गांवड़ी, माऊंडा-भूदोली चला डाबला गांवों में जल योजना बनाने हेतु चर्चा के लिए)।

95. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माऊंडा खुर्द ग्राम में पिछले कई वर्षों से जल योजना के बन्द रहने की हालत पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 16

96. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जनता को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा दिलाने के बारे में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 18

97. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30—ए—परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन के बारे में सरकार द्वारा अपनाई गई प्रणाली पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 16

98. **श्री मोहनलाल छंगाणी** (फलोदी): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा की सीमित

(श्री मोहनलाल छुंगाणी)
उपादेयता से जनता का बड़ा हिस्सा वंचित है इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 17

99. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पेयजल योजना बनाने के विस्तार के आधार क्या हैं इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 18

100. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए-परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन की विफलता को न रोक सकने के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 38

101. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94-जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिये जाय (इस मांग के लिये मांगी गई राशि को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल योजनायें बनाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 16

102. श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास (मालपुरा): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डाक्टरों में व्याप्त बेरोजगारी समाप्त करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

103. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पेयजल की समस्या के समुचित समाधान की व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

104. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए-परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रान्त की बढ़ती हुई आबादी को विभाग द्वारा रोके जाने में असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

105. श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा जालोर जिले में चिकित्सा की संतोषजनक व्यवस्था नहीं करने के संबंध में चर्चा करने हेतु)।

मांग संख्या 17

106. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर जिले में सैकड़ों गांवों में पेयजल का अभाव होने के बाबत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

107. श्री भरतलाल (बामनवास) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बामनवास तहसील, जिला सवाई माधोपुर के तहत मुख्यालय पर बी श्रेणी का आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

108. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोडयाई

(श्री भरतलाल)

तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर के सब सेन्टर प्राइमरी हेल्थ दवाइयों के बिलकुल अभाव से जनता में काफी असंतोष होने की चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

109. श्री फारुक हसन (सवाई माधोपुर): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर के शफाखाने में 100 बेड हो जाने के बाद भी वहां दवा व डाक्टर नहीं है, इस पर चर्चा के लिये)।

110. श्री झाबरमल (फतेहपुर): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फतेहपुर, शेखावाटी तथा बलारां में अस्पताल न खोलने बाबत चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

111. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम बाचोवाद बड़ा में जल योजना न चालू करने के बाबत चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 38

112. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94-जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाचोवाद-बड़ा) छोटा में बड़ी जल योजना लागू करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

113. श्री भैरुलाल (अकलेरा): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकलेरा डिस्पेंसरी सी श्रेणी से बी श्रेणी में परिवर्तन किये जाने की चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

114. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरडा ग्राम में पेयजल योजना जो राज्य सरकार के पास विचाराधीन है, को कार्यान्वित कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 16

115. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला स्तर पर अस्पताल एवं जनना अस्पताल जयपुर नगर की वर्तमान जनसंख्या के आधार पर खोले जाने हेतु चर्चा के लिये)।

116. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा का सीमा विस्तार और व्यापक व्यवस्था की सम्भावनाओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

117. मांग संख्या 17 मुख्य शीर्षक 30–जन स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल प्रदाय योजनाओं के विस्तार एवं विकास की संभावनाओं पर चर्चा के लिये)।

118. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर शहर में पीने के पानी का निर्धारित समय में भी उचित प्रेशर से नहीं प्रदाय करने पर चर्चा के लिये)।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

119. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मलेरिया उन्मूलन हेतु उठाये गये कदम की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये)।

मांग सं 38

120. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94–जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जलोत्सारण हेतु जयपुर नगर में उचित योजना लागू नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 16

121. **श्री बद्रीप्रसाद** (बांसुर) : मांग संख्या 16. मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [अलवर के सरकारी अस्पताल (Alexander Hospital) को ए ग्रेड का अस्पताल बनाने की उपेक्षा पर चर्चा के लिये]।

122. **श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनूं राजकीय अस्पताल में दवाओं की कमी एवं समय पर उपलब्ध नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

123. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनूं जिले के लिए अलग डी.एम.एच.ओ. का कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

124. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंडावा भावरवास मलसीसर महणसर के राजकीय चिकित्सालयों में मरीजों के लिए दवा के अभाव पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 17

125. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्राम मलसीसर अलसीसर चूड़ी अजीतगढ़ में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

126. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम मलसीसर में जल सप्लाई नियमित नहीं रहने तथा उसके कारण जनता को हो रही तकलीफ पर चर्चा के लिए)।

127. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वाटर वर्क्स महणसर, अलसीसर तथा नूआ के पूर्ण होने में अनावश्यक विलम्ब पर चर्चा के लिये)।

128. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति अलसीसर के खारे पानी के गांव में मीठे पानी की व्यवस्था अभी तक नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

(श्री रामनारायण चौधरी)

129. मांग संख्या 17 मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम डाबड़ी धीरसिंह पंचायत समिति अलसीसर में फैली "टाईफाईड" की महामारी पर सरकारी अधिकारियों द्वारा उसके नियंत्रण नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

130. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति अलसीसर के खारे पानी के गांवों के लिये रीजन पाईप वाटर सप्लाई स्कीम की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब पर चर्चा के लिये)।

131. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम डाबड़ीधीरसिंह गांगियासर और टाई में वाटर सप्लाई योजना स्वीकार कराने पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 18

132. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30—ए—परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन कार्यक्रम को सुदृढ़ करने एवं व्यापक बनाने पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 38

133. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94—जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन स्वास्थ्य के कार्यों में लगी पूंजी के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 16

134. श्री गौरीशंकर (खानपुर): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29— चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में चिकित्सालयों में दवाइयों का अभाव व मरीजों की कोई देखभाल नहीं होती है इस पर चर्चा के लिये)।

135. श्री नानालाल (राजसमन्द): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव कुरज में चिकित्सा की व्यवस्था हेतु चर्चा के लिये)।

136. श्री दीपंकर (लाडनूं): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा व्यवस्था जनसंख्या के आधार पर उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये)।

137. श्री शंकरलाल (पाली): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में मोबाइल सर्जिकल यूनिट की संख्या ग्रामीण सेवा हेतु बढ़ाने पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 17

138. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30 जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली तहसील के गांवों में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु चर्चा के लिये)।

मांग सं. 18

139. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30—ए—परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन कार्यक्रम में होने वाले व्यर्थ खर्चे को रोकने हेतु चर्चा के लिये)।

मांग सं. 16

140. श्री मोहरसिंह (चूरू) मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चुरू जिले में औषधालयों व औषधियों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

141. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतिया अस्पताल चुरू में उपकरणों एवं साज सामान के अभाव पर चर्चा के लिये)।

142. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दूधवाखारा जिला चुरू में डिस्पेंसरी न खोलने से जनता को होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये)।

143. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चुरू जिले में उपकेन्द्र न खोलने पर तथा प्रार्थी चिकित्सा केन्द्रों पर आवास की कमी पर चर्चा के लिये)।

144. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्री डेडराज भरतिया अस्पताल चुरू में डाक्टरों के स्टाफ के लिए रहने के मकानों की विभाग द्वारा व्यवस्था नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

145. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चुरू के श्री डेडराज भरतिया अस्पताल में एक्सरे टेकनीशियन, मिस्त्री, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अभाव से जनता को होने वाले कष्टों पर चर्चा के लिए)।

146. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चुरू स्थित अस्पतालों की मरम्मत के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई ठोस कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये)।

147. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चुरू जिले में अस्पतालों में गाज, पट्टी, प्लास्टर आदि वस्तुओं के अभाव पर चर्चा के लिये)।

148. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार अस्पतालों के सुधार के लिये जिला सलाहकार समितियों के गठन करने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये)।

149. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में जनसाधारण को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई है इस पर चर्चा के लिये)।

150. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में चल चिकित्सा के कार्यक्रम में शिथिलता

(श्री मोहरसिंह)
आई है और उसकी कार्यकुशलता से गिरावट आई है इस पर चर्चा के लिये)।

151. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चुरू में भरतिया अस्पताल को सरकार ने घोषणा करने के बावजूद 100 एक सौ शैयाओं का नहीं बनाया इस पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 17

152. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले के उन सब गांवों को जिनमें खारा पानी है सरकार पेय जल की व्यवस्था करने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये)।

153. मांग 17, मुख्य शीर्षक 30–जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल विभाग विधान सभा में आश्वासन देने के बावजूद दूधवा-खारा के लिये पेयजल उपलब्ध कराने में असफल रहा है इस पर चर्चा के लिये)।

154. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वस्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल विभाग चुरू जिले में नलकूप बनाकर वहां की जल समस्या को सुलझाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

155. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल विभाग गांवों के वर्तमान कुओं की मरम्मत के लिए वांछित व्यवस्था करने में असफल रहा है जिसके परिणाम स्वरूप पीने के जल के जलस्त्रोत नष्ट होते जा रहे हैं इसे रोकने हेतु चर्चा के लिये)।

मांग सं. 18

156. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30–ए–परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चुरू जिले में परिवार नियोजन का कार्य अत्यन्त असन्तोषजनक है इस पर चर्चा के लिए)।

157. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए-परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन विभाग के अधिकारी सरकारी गाड़ियों का अनावश्यक तौर पर अपने निजी काम के लिये दुरुपयोग करते हैं तथा झूठी यात्रा अंकित करते हैं इस पर रोक लगाने हेतु चर्चा के लिये)।

158. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30–ए–परिवार नियोजन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन विभाग में अधीनस्थ कर्मचारियों के यात्रा व्यय के चुकारे में व्याप्त विलम्ब। भ्रष्टाचार और लाल-फीताशाही पर चर्चा के लिये)।

159. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए-परिवार नियोजन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में परिवार नियोजन के कार्यक्रमा की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है और इस विभाग में बारम्बार अंधाधुंध स्थानान्तरण किये जाकर विभाग के कर्मचारियों की कार्यक्षमता तथा सरकारी धन की यात्रा खर्च में अनावश्यक रूप से नष्ट किया जाता हैं इस पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 16

160. श्री केशरीमल (ब्यावर) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर.

(केशरीमल)

दिया जाय (ब्यावर के ए. के. शफाखाने के विस्तार के बाबत चर्चा के लिये)।

161. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा व्यवस्था जनहित विरोधी और अपर्याप्त रही है इस पर चर्चा के लिये)।

162. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन स्वास्थ्य के कार्यों को तेजी से कराने में जन स्वास्थ्य विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

163. **श्री चेतराम** (टोडाभीम) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा पर किया जा रहा व्यय समान नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा की गई है इस पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 17

164. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30 जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा धनराशि के खर्च की ग्रामीण क्षेत्रों में उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 18

165. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए-परिवार नियोजन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इस विभाग पर किया गया खर्च उसकी सेवाओं के अनुपात में नगण्य है इस पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 16

166. **श्री रावतराम** (छापर) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 10 कम कर दिया जाय (ग्राम लालगढ़ जिला चूरू में मेडिकल डिस्पेंसरी खोलने के संबंध में चर्चा के लिये)।

167. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29. चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देहाती क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का प्रचार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

168. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देहाती इलाकों में स्थापित औषधालयों में दवाइयों की कमी एवं वैद्यों की उदासीनता के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग सं. 17

169. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था कराने संबंधी चर्चा के लिये)।

170. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रत्येक गांव में प्रसूति महिलाओं को सुविधा दिलवाने के लिए प्रशिक्षित दाईयों की नियुक्तियां की जाय इस पर चर्चा के लिये)।

171. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा

(श्री रावतराम)
छापर जिला चुरू में मैटरनिटी होस्पिटल खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

172. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सुजानगढ़ व रतनगढ़ तहसील के उन गांवों में जहां पानी खारा–बिराया–गहरा है वहां क्षेत्रीय जल योजना बनाकर अविलम्ब पानी दिये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

173. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण योजना मूंदड़ा, कालूतों. लालगढ़. सांडवा–छापर–चाड़वास–आबसर–गोपालपुरा–राजलदेसर आदि के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग सं. 18

174. मांग संख्या 18 मुख्य शीर्षक 30–ए-परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार के परिवार नियोजन विभाग की असफलताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 16

175. श्री महेन्द्रकुमार (पाडवा) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तगत मांग मे से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में जनरल अस्पताल, डिस्पेंसरी और आयुर्वेद विभाग में दवाइयों की कमी व अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 17

176. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर मे, डूंगरपुर शहर, सागवाड़ा, शहर पाड़वा, बनकोड़ा, व साबला, व बोडीगामा नल योजना पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 18

177. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30–ए–परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में परिवार नियोजन की अकर्मण्यता से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 16

178 **श्री मोठालाल (लालसोट) :** मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति लालसोट में आवश्यक स्थानों पर शीघ्र औषधालय खुलवाये जाने पर चर्चा के लिये)।

179. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति लालसोट के ग्राम खटूमर में शीघ्र एक औषधालय खोले जाने हेतु चर्चा के लिये)।

180. **श्री गोरधन सिंह (सीकर) :** मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले के आयुर्वेदिक औषधालयों को वर्ष 1971–72 में दवाइयां आवश्यकता से कम दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

181. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर में श्री कल्याण अस्पताल में आईसोलेशन वार्ड के निर्माण कराये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

(श्री गोरधनसिंह)

182. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर तहसील में ग्राम किरडोली व ग्राम खाखोली में औषधालय खोले जाने हेतु चर्चा के लिये)।

183. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रत्येक ग्राम में चिकित्सा की व्यवस्था कराने के बारे में चर्चा के लिये)।

184. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी अस्पतालों में व औषधालयों में दवाइयों का व चिकित्सा संबंधी वस्तुओं के अभाव पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 17

185. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में शुद्ध पानी की व्यवस्ता हेतु नल योजनाएं शीघ्र बनाई जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

186. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शहर व ग्रामों में जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा कड़ी नजर रखनी चाहिये जिससे खराब वस्तुओं का विक्रय न हो पावे इस पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 18

187. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए-परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन विभाग द्वारा किये जा रहे फिजूल खर्च पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 16

188. **श्री प्रतापसिंह** (किशनगढ़): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अस्पतालों में औषधि उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये)।

189. **श्री जयकिशनलाल** (फागी): मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फागी क्षेत्र में चिकित्सा की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 18

190. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30-ए-परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवार नियोजन की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 17

191. **श्री रामरघुनाथ** (डेगाना): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा के अभाव पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 17

192. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डेगाना ग्रामीण जल प्रदाय योजना के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग सं. 16

193. **श्री हरीकिशन** (राजगढ): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्री हरिकिशन)

रुपया कम कर दिया जाय [चिकित्सालय कस्बा राजगढ़ (अलवर) को सी श्रेणी में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये]।

194. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सालय अलवर को बी श्रेणी से ए श्रेणी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 17

195. मांग संख्या 17. मुख्य शीर्षक 30 जन–स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एक हजार के आबादी वाले ग्राम व 5000 की आबादी के छोटे गांवों के समूह में जल प्रदाय योजना चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 16

196. श्री सांवरमल (श्री माधोपुर): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में साधारण व्यक्ति की चिकित्सा के संबंध में हो रही उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

197. श्री मंगुशीलाल महावर (बस्सी): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया (दौसा में बड़ा होस्पिटल नहीं खोले जाने के कारण व बस्सी क्षेत्र में टी. बी. क्लीनिक नही खोले जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 17

198. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन–स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य लाभ हेतु संक्रामक रोगों के रोकने हेतु विशेष ध्यान दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग सं. 16

199. श्री गुरदयाल सिंह सन्धु (करणपुर): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले में डाक्टरों के तबादले लम्बे समय तक न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

200. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पदमपुर अस्पताल से डाक्टर की गैरहाजरी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

मांग सं. 17

201. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन–स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय (जल्लू का मेटरनिटी सेंन्टर (Maternity Center जो बिना अधिकारी, कम्पाउन्डर के चल रहा है इस पर चर्चा के लिये)।

202. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन–स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल्लूका में चल रहे मेटरनिटी सेंटर जो बिना दवाई, बिना कर्मचारियों, कम्पाउन्डर या नर्स या दाई केवल चपरासी द्वारा चलाये जाने पर चर्चा के लिये)।

203. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन–स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंग नहर क्षेत्र के गांव में हरिजनों के पीने के पानी की कमी पर चर्चा के लिये)।

(श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु)

204. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का प्रबंध नहीं किया गया इस पर चर्चा के लिये)।

205. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंडी करणपुर में पीने के पानी का पूरा प्रबंध नहीं है इस पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 16

206. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एस. एन. मेडिकल कालेज, जोधपुर एवं संबंधित चिकित्सालयों में फैली हुई अव्यवस्था और उनके प्रति राज्य सरकार की उदासीनता के संबंध में चर्चा के लिये)।

207. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा): मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय अस्पताल बालोतरा में महिला डाक्टर की व्यवस्था न किये जाने के संबन्ध में चर्चा के लिये)।

208. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बालोतरा जैसे बड़े नगर में 25 शैय्याओं का नया अस्पताल नहीं बनाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

209. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में मेडिकल स्नातकों की बेरोजगारी से संबंधित समस्या पर चर्चा के लिये)।

210. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय अस्पताल बालोतरा में सर्जन का पद सृजित न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

211. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील पचपदरा के चिकित्सा केन्द्र मंडली में अपर्याप्त दवाइयों के संबन्ध में चर्चा के लिये)।

212. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बालोतरा अस्पताल में मेटरनिटी वार्ड की व्यवस्था न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग सं. 17

213. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीदूजा जानियाना नल योजना को पछवी नाड़ी जहां पानी की भंयकर समस्या है वहां तक न पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

214. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीदूजा-पचपदरा नल योजना के अन्तर्गत गांव रामसीण व मूंगडा को पानी उपलब्ध न कराने पर चर्चा के लिये)।

(श्रीमती मदनकौर)

215. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम कानाना की जलप्रदाय योजना के पूर्ण होने में अत्यधिक विलम्ब होने पर चर्चा के लिये) ।

216. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उड्ड नलकूप से गांव गिडा एवं कुपलिया की रीजनल नल योजना में अत्यधिक समय लग जाने पर चर्चा के लिये) ।

मांग सं. 18

217. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30 ए—परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन की व्यवहारिक एवं सुलभ सेवाएं उपलब्ध न कराने सम्बन्धी चर्चा के लिये)

मांग सं. 17

218. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के मार्फत एप्लाइड न्यूट्रीशन प्रोग्राम की चर्चा के लिये) ।

219. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पेयजल की सुविधा के लिये सांचोर के खारे पानी के ग्रामों में पक्के टांके बनाने के औचित्य पर चर्चा के लिये) ।

220. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को यूनिसेफ की जीप दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

221. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सांचोर में क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना के जरिये पेयजल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

222. **श्री मोहनराज** (बाली) : मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाणा, भगादर, भाटून सेवाडी लूना, लाठाडा, बोया, कोट के लिये अभी तक जलप्रदाय नल योजना स्वीकृत न किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

223. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सादड़ी बाली, मुंडारा, फालना को जलप्रदाय योजनाओं को सुचारु रूप से चलाने हेतु अतिरिक्त जलस्रोतों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

224. **श्री देवीलाल** (सराडा): मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर पर खाट तथा दवाइयों की व्यवस्था कराने पर चर्चा के लिये) ।

225. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील

(श्री देवीलाल)

सराड़ा हेडक्वार्टर पर तथा गांव चावण्ड में नल योजना मंजूर कराने पर चर्चा के लिये)।

226. श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा) : मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छबड़ा जच्चाखाने में स्टाफ की नियुक्ति पर चर्चा के लिये) :

227. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30 जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छबड़ा कस्बे में नलयोजना को शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

228. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम भादवा में नल योजना लागू कराने के संबंध में चर्चा के लिये)।

229. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत क्षेत्र शिनोदिया (Shenodia) में नल योजना के संबंध में चर्चा के लिये)।

230. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भैंसलाना तहसील फुलेरा में नल योजना स्वीकृत कराने के संबंध में चर्चा के लिये)।

231. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम प्रतापपुरा को मण्ढा भीमसिंह नल योजना में सम्मिलित कराने के संबंध में चर्चा के लिये)।

232. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बागवास तहसील फुलेरा में नल योजना सैंक्शन कराने हेतु चर्चा के लिये)।

233. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30-जन-स्वास्थ्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बैचल में नल योजना का कार्य शीघ्र चालू कराने हेतु चर्चा के लिये)।

234. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94—जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोबनेर नगरपालिका में हरिजन और अल्पसंख्यकों के मोहल्ले में पाईप लाइन नहीं बिछवाने पर चर्चा के लिये)।

235. श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बूंदी) : मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन-स्वास्थ्य विभाग बूंदी शहर में पानी व्यवस्था सुधारने में असफल रहा, इस पर चर्चा के लिये)।

236. श्री ज्ञानसिंह (भादरा) : मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोहर भादरा-सूरतगढ़ में भयंकर रूप से खारा पानी तथा पेय पानी

Page No. 76

(श्री ज्ञानसिंह)

15–15 मील से लाना पड़ता है इस पर चर्चा के लिये)।

237. श्री मीठालाल (लालसोट): मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बामनवास, जिला सवाईमाधोपुर की जलप्रदाय योजना को शीघ्र पूर्ण कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

238. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट कस्बे के सभी भागों में पेयजल पहुँचाने की व्यवस्था की जाने पर चर्चा के लिये)।

239. श्री जेठमल (परबतसर): मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम बडू व ग्राम रोड़ जल-प्रदाय योजना पर चर्चा के लिये)।

240. श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़): मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ में पेयजल के अभाव की स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 18

241. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 30–ए–परिवार नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ में परिवार नियोजन से उत्पन्न बाधाओं की सरकारी उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 16, 17, 18 एवं 38 पर विचार एवं पारण

श्री अध्यक्ष : कटौती प्रस्तावों पर विचार। श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बांसूर): अध्यक्ष महोदय, मैंने सिर्फ एक कटौती प्रस्ताव पेश किया है और वह कटौती प्रस्ताव अलवर के अस्पताल को 'ए' श्रेणी का अस्पताल करने के संबंध में है···

श्री निरंजननाथ आचार्य : व्यक्तिगत है।

(12.57 म. प.)

(श्री उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय···

श्री निरंजननाथ आचार्य : दोनों का समन्वय एक प्रांगण पर।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अलवर का जो हास्पिटल है उसको 'ए' ग्रेड का हास्पिटल बनाने के सम्बन्ध में मेरा कटौती प्रस्ताव है और यह प्रस्ताव इसलिए पेश करना पड़ा मुझे कि करीब दस साल पहले इस एलेग्जेंडर हास्पिटल में नये बेड्स बढ़ाये गये थे और उसके साथ ही एक जनाना हॉस्पिटल भी नया बनाना था और दोनों की स्ट्रेन्थ मिलाकर 'ए' श्रेणी का हॉस्पिटल उस समय बना देना चाहिए था, लेकिन दस साल से वह बात लगातार चलती रही और पिछले साल मुझे मालूम हुआ कि वहां के डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर हैं उन्होंने भी इस प्रश्न को मूव किया और पिछले साल पता नहीं क्या हुआ एक बार कहा गया कि

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

यह सवाल सरकार के विचाराधीन है और इसकी स्वीकृति होने वाली है, लेकिन मुझे ऐसा मालूम हुआ कि अब वह प्रश्न किसी वजह से रह गया है और हॉस्पिटल की जो 'ए' श्रेणी में पदोन्नति होने वाली थी वह नहीं हो सकती। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसी वजह से हमारे हॉस्पिटल में बड़ी दिक्कत हो रही है। उसका मूल कारण यह है कि हास्पीटल में बेड्स ज्यादा हैं और उसके लिए नर्सिंग स्टाफ ज्यादा चाहिए, डाक्टर्स भी ज्यादा चाहिए। अब क्या हो रहा है कि बाहर से स्टाफ मंगा रखा है। सरकार की हिदायत है कि बाहर से स्टाफ मंगाया जाये लेकिन उनकी मजबूरी है। इसलिए उस सब का नुकसान जा हो रहा है वह बाहर के हास्पीटल को हो रहा है। हमारे अलवर डिस्ट्रिक्ट में बहरोड़ में कई लाखों की लागत से हास्पीटल बनाया गया है और उसमें बहुत सा स्टाफ वहां न होकर अलवर के हास्पीटल में डेपुटेशन पर काम कर रहा है और इसके लिए वहां के लोगों की भी शिकायतें हैं। इसलिए यहां माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी मौजूद हैं और यह दस साल पुरानी हमारी अलवर की मांग है कि उस हास्पीटल को ए श्रेणी का बना दिया जाये। मैं यह अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं बल्कि अलवर के सारे एम. एल. एज. की तरफ से यह निवेदन कर रहा हूं कि अब इस साल में हमारी इस मांग पर विचार करके और बजट में प्रावीजन करके उसको ए क्लास का हास्पीटल बनाने का कष्ट करें।

अब मैं कटौती प्रस्ताव के सम्बन्ध में तो नहीं, एक अन्य बात और निवेदन करना चाहता हूं। परिवार नियोजन के बारे में मैं कहूंगा कि वैसे तो राजस्थान सरकार फाइनेन्सेज के बारे में बहुत कुछ कहती रहती है कि बड़ी तंगी है लेकिन परिवार नियोजन ऐसा विभाग है जहां सबसे कम काम है और स्टाफ सबसे ज्यादा है और पैसा भी सबसे ज्यादा है। मेरी जानकारी है कि एक आपरेशन को करने के लिए 775) रु. एवरेज खर्चा आता है। गाड़ियां घूमती रहती हैं और स्टाफ इधर उधर जाता रहता है मगर कई बार तो सुबह से शाम तक घूमने पर भी कोई आपरेशन कराने वाला नहीं मिलता। इसको इफेक्टिव बनाने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को यह करना चाहिये कि जिनका गांवों में असर है उनको इस काम में लेना चाहिये। चाहे वह राजनैतिक दल के लोग हों, चाहे समाज के लोग हों, चाहे वह एडमिनिस्ट्रेशन से सम्बन्ध रखने वाले लोग हों। जब तक इन सबका हम सहयोग प्राप्त नहीं करेंगे इस विभाग का काम चलने वाला नहीं है। हमने इसके अन्दर जो व्यवस्था रखी है उसमें डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स हैं, उनके नीचे ब्लाक लेवल आफिसर्स हैं और उनके नीचे कुछ छोटे छोटे लड़के और लड़कियां लगा रखी हैं। उनका गांवों में कोई असर नहीं होने के कारण वे गांवों में घूम कर आ जाते हैं कोई उनकी बात नहीं सुनता। पहले तो इनकी कोई बात ही नहीं सुनता और दूसरे गांव की औरतें इन बातों के लिए उनको गालियां देती हैं। यहां तक देखा गया है कि कई जगह पर इनको बाड़ों में बन्द कर देते हैं और गालियां देते हैं। इनका कोई असर नहीं है। नौजवान लड़के और

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)

लड़कियां गांवों में जाती हैं तो बड़े बूढ़े लोग उनकी बात तक नहीं सुनते । इसको इफेक्टिव बनाने के लिए हमको दूसरे ढंग से प्रयास करना होगा। जो आपके दूसरे विभागों के लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स हैं जिनका गांवों में असर है गांव के अन्दर जो आपके पटवारी हैं, ग्राम सेवक हैं और दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं जिनका गांवों में असर है, उनको काम में लेना चाहिये। इसी तरह से राजनैतिक पार्टियां हैं जिनका लोगों पर असर है उनको काम में लेना चाहिये। धार्मिक दृष्टि से मुसलमान लोग तो इस बात की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। उनके धर्म में तो इस बात की पाबन्दी है कि परिवार नियोजन किया जाय। वे लोग इसमें विश्वास नहीं करते। उनकी तो मान्यता है कि ज्यादा लड़के और लड़कियां होंगी तो मोक्ष मिलता है, स्वर्ग मिलता है। इस तरह का धार्मिक अन्ध विश्वास उनमें है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अभी तक भी आशीर्वाद देते हैं कि पुत्रवती भव:—

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : हां, यह भी है। तो मेरा यह सरकार से अनुरोध है कि इस विभाग में जो कुछ छोटे कर्मचारी हैं उनको तो सजा मिलती है कि तुम्हारा काम इफेक्टिव नहीं है लेकिन बड़े अधिकारियों को कुछ नहीं कहा जाता है। जो बडे बड़े अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं उनका असर होता है। मुझे याद है कि जब कलेक्टर अलवर ने केम्प लगवाया तो उसमें बहुत से केसेज उस समय सामने आए। आखिर यह समाज जो है उसको कुछ न कुछ समझाने के लिए सरकारी तौर पर उद्योग करना पड़ता है। जैसे किसी बात के लिए चन्दा लेते हैं तो चन्दा भी ऐसे तो कोई नहीं देता है। हमारे यहां हिन्दुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो उस समय भी वैसे तो कोई चन्दा देने को तैयार नहीं हुए लेकिन जब बड़े अधिकारियों द्वारा प्रयास किया गया तो काफी चन्दा मिल गया। इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये और गांवों में जिन लोगों का असर है उनका उपयोग इसमें करना चाहिये। स्टाफ भी बहुत आपके पास, पैसा भी कम नहीं है और यह समस्या भी बहुत ज्यादा है, आबादी बढ़ती जा रही है तो इस समस्या को हल करने के लिये जिन लोगों का गांवों में असर है उनका उपयोग करना चाहिये। जो सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं, राजनैतिक लोग हैं उन सबका उपयोग करना चाहिये। अभी जो हमारे मंत्री महोदय नए आए हैं, मैं समझता हूं कि वे इस सम्बन्ध में विचार करेंगे।

विभाग के बारे में और भी बातें कहना चाहता था लेकिन अभी उन बातों पर नहीं जाऊंगा क्योंकि इन बातों से बहुत सालों तक मेरा सम्बन्ध रहा है। लेकिन में एक बात जरूर कहूंगा कि मेडिकल डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसे गरीब परवर डिपार्टमेंट कहा जाता है। किसी आदमी का तबादला हो जाय तो मेडिकल सर्टीफिकेट लाकर पेश कर देता है कि मैं तो बीमार हूँ मैं तबादले पर नहीं जा सकता कोई मां की बीमारी का सर्टीफिकेट पेश कर देता है। तो इस तरह से भी यह गरीबपरवर डिपार्टमेंट है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : मेडिकल रीएम्वर्समेन्ट के बारे में भी गरीब परवर है।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : यहं मेडिकल रीएम्वर्समेन्ट की वात भी मैं कह रहा था कि इस से भी यह गरीब-परवर और गरीब-परवर और गरीबनवाज डिपार्टमेन्ट है। मैडिकल रीएम्बर्समेन्ट तो इतना ज्यादा होता है कि तनख्वाह से भी ज्यादा पैसा इसमें लोग ले लेते हैं। इस पर पाबन्दी लगनी चाहिये।

मैं इतनी ही बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरलाल।

श्री मनोहरलाल (कामां) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक परिवार नियोजन का सवाल है, मैं इस विभाग को एक बेकार विभाग समझता हूं। मैंने जो कुछ देखा है और हिसाब लगाया है उससे ऐसा बैठता है कि एक नसबंदी के केस पर पांच हजार रुपये का खर्च बैठता हैं। हम इस मामूली सी आबादी को कम करने के लिए इतना बड़ा खर्चा करते हैं, इससे तो बेहतर यह हो कि हम इतने रुपये में एक छोटा सा उद्योग लगा लें जिससे एक परिवार का गुजारा हो सकता है। एक परिवार नियोजन केन्द्र के नाम से केन्द्र चलाया जाता है लेकिन कुछ अधिकारी वहां रहते हैं, जो माह में एक केस पकड़ लाते हैं, और पांच छः हजार रुपये का खर्चा बिठा देते हैं। हमारे पास काफी जमीन है, हमें लोगों को रोजगार देना चाहिये। अगर जमीन पर काम करायें तो हमारी पैदावार भी बढ़ सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मै सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस परिवार नियोजन के महकमे को बिल्कुल बन्द कर दें। यह बिल्कुल कामयाब हो चुका है, हमारे राष्ट्रीय स्तर पर भी कामयाब हो चुका है, और हमारे राष्ट्रीय स्तर पर भी कामयाब हो चुका है। और हमारे राज्य स्तर पर भी कामयाब हो चुका है। हमारे प्रधान मंत्री के पास दो बच्चों के बाद कमी नहीं और हमारे मुख्य मंत्री जी के यहां भी अभी नहीं।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : कभी नहीं।

श्री मनोहर लाल : इन दोनों के लिए इस महकमे की जरूरत नहीं। इन दोनों नेताओं ने परिवार नियोजन में कामयाबी हासिल कर ली है और अब इस महकमे की कोई आवश्यकता नहीं है। रहा हमारी संस्कृति और परम्पराओं का सवाल, तो यह इन दोनों के ही विपरीत है। पता नहीं किस रूप में और किस जन्म में कौन महान व्यक्ति हमारे यहां पैदा हो। हमारी मां बहिन से जन्म ले। लूपबन्दी और नसबन्दी महान लोगों को पैदा होने से रोकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पांच या छः बच्चों के होने के बाद कोई अच्छा और योग्य बालक पैदा होता है।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह परिवार नियोजन महकमा केवल कुछ नेताओं और अधिकारियों के रंगरेलियां मनाने के लिए और उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए रखा जा रहा है, जब कि इसका कोई मकसद नहीं है। कोई भी रिटायर्ड मेडीकल आफिसर, चाहे महिला हो चाहे और बड़ा अधिकारी हो, बच्चा

(श्री मनोहर लाल)

बन्द करने के बारे में हिदायत दे सकता है। इतने बड़े महकमे और इतने बड़े दफ्तर, और इतने बड़े खर्चे की कोई आवश्यकता नहीं। आज पढ़े लिखे आदमी, बुद्धि जीवी लोग जो शासन में बैठते हैं या शिक्षण संस्थाओं में बैठते हैं, अध्यापक लोग, यह छोटे बड़े सब समझते हैं कि परिवार नियोजन कैसे किया जाये। तो मैं इस मामले में केवल यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह महकमा केवल भ्रष्टाचार का केन्द्र बना हुआ है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत रूप से किसी का नाम नहीं लेना चाहता और इस बात को यहीं समाप्त करके दूसरी बात अर्ज करूंगा।

जहां तक चिकित्सा सुविधाओं का सवाल है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कई जगहों पर यदि अस्पताल है तो डाक्टर नहीं है और अगर डाक्टर है तो दवाई नहीं, और अगर कहीं पर डाक्टर भी है और दवाई भी है तो फिर पट्टी नहीं। मेरा खुद का अनुभव है कि पट्टी नहीं मिलती। हम बाजार से खरीद कर लाते हैं, लोगों को दिलाते हैं। न पट्टियां मिल पाती हैं और न दवाई मिल पाती है। दवाइयां मिलती हैं–तो ऐसी दवाइयां मिलती हैं। मैं आरोप लगाता हूं अधिकारियों पर कि वे फर्मों से मिल कर नम्बर दो की दवाइयां बाजार से खरीदते हैं, जो कि रिजेक्टेड होती हैं, जिनकी मियाद निकल चुकी होती है, ऐसी दवाइयां सरकार के दवाखानों में सप्लाई की जाती हैं और यही दवाइयां बांटी जाती हैं। यहां तक हैरानी होती है कि जो मिक्सचर होता है यह काफी सस्ता होता है, वह मिक्सचर भी अस्पताल में नहीं मिलता है। उदाहरण के तौर पर मैं भरतपुर जिले के अस्पताल की बात कहना चाहता हूं। वहां पर दवाइयां नहीं मिलती हैं। जहां तक निर्देशक सिद्धान्तों का सवाल है, हमारे संविधान में कहा गया है कि मुफ्त चिकित्सा दी जायेगी। मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि हम सारे लोगों को मुफ्त चिकित्सा नहीं दे सकते हैं, सब लोगों को दवाइयां मुफ्त नहीं दे सकते हैं, हमारे पास इतने साधन नहीं हैं तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम बच्चों को मुफ्त दवाइयां दी जानी चाहिये। अगर बच्चों को नहीं कर सकते हैं तो महिलाओं के लिये करें। महिलाओं के जब जापे का, प्रसूति का समय होता है, उस समय सरकार उनको मुफ्त दवाईयां दे, मुफ्त पौष्टिक आहार दे। अगर सरकार इनके लिये भी नहीं कर सकती है तो कम से कम सरकार सभी प्रकार के मजदूरों को चाहे वे कृषि मजदूर हों, उद्योगों के मजदूर हों, चाहे वे सरकारी कारखानों के मजदूर हों, उनको मुफ्त चिकित्सा दे। कम से कम एक वर्ग की तो मुफ्त चिकित्सा करे, उनको दवाइयां दे। आज न चिकित्सा की व्यवस्था है और न पढ़ने की ही व्यवस्था है। आपके संविधान के सिद्धांत कहीं भी पूरे नहीं होते हैं।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में लोग प्रसूति गृह बनाने के लिये तैयार हैं और उतना पैसा भी देने को तैयार हैं जो एक महिला डाक्टर के लिये एक साल का होता है। वे उसको वेतन देंगे एक साल तक, एक क्वार्टर भी बना कर देने को तैयार है, इन्स्ट्रूमेन्ट्स भी देने को तैयार हैं लेकिन इसकी ओर अधिकारी·

(श्री मनोहरलाल)

सुनते नहीं हैं। सारा पैसा उस क्षेत्र की जनता लगाने के लिये तैयार है। उपाध्यक्ष महोदय, इतनी उपेक्षा महिलाओं के बारे में सरकार बरत रही है। जापे के दिन उनके लिये कितने कष्टप्रद होते हैं, उसमें लापरवाही होती है। गरीब लोगों को इस सम्बन्ध में पूरी सुविधा नहीं मिल पा रही है। उनकी मदद की जानी चाहिये और हर क्षेत्र में प्रसूती गृह खोले जाने चाहिये। आज कामां क्षेत्र के लोग क्वार्टर बनाने को तैयार हैं, लेडी डाक्टर की तनख्वाह देने को तैयार हैं, परन्तु अधिकारी सुनते नहीं है। कामां के पास एक घाटा नाम स्थान है। वहां का भवन एक आयुर्वेदिक स्कूल के लिये उपयुक्त है। इस सम्बन्ध में लिखापढ़ी भी की गई लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला।

श्री उपाध्यक्ष : कोई व्यक्तिगत वार्ता नहीं की जाये माननीय सदस्य आपस में ? मैं इसके विरुद्ध हूं।

श्री मनोहरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि घाटा अच्छा पानी का केन्द्र है, एक भवन बना हुआ है, वहां पर लोग पैसा भी लगाना चाहते हैं लेकिन सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में कोई मदद नहीं मिल पा रही है। मेरा निवेदन है कि यह मदद सरकार को करनी चाहिये।

इसके अलावा एक बात और निवेदन कर देना चाहूंगा। जहां तक दवाईयों का मामला है इस मामले में एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं। सरकार दवाईयां खरीदती है, या अस्पतालों द्वारा खरीद की जाती है और उसके लिये या तो अलग से ऐसी संस्था हो जिसमें विशेषज्ञ हों या जिनकी रेपूटेशन अच्छी हो। या सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि सरकारी स्तर पर ही दवाइयों का निर्माण हो जो सारी दवाईयां अस्पतालों को दी जाती हों। अगर मंत्री महोदय उपयुक्त समझें तो मैं इन दवाईयों के सेम्पल भी पेश कर सकता हूं कि किस तरह की दवाईयां अस्पतालों में सप्लाई की जा रही हैं और मैं उन लोगों के नाम भी प्रस्तुत कर सकता हूं जिन्होंने ये दवाईयां दी हैं और खरीदी हैं और डिब्बे में किस दवाई की जगह दूसरी दवाई निकली है। मैं यहां पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं इसकी सूची मंत्री महोदय के सामने पेश कर दूंगा कि किन किन लोगों ने ऐसी दवाईयां सप्लाई की हैं और वे कौन कौन लोग हैं ? इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरलाल कोठारी।

(अनुपस्थित)

श्री रामेश्वरलाल चौधरी

श्री रामेश्वर लाल चौधरी (नांवा) : उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा के कटौती प्रस्ताव के संदर्भ में मैं नागौर जिले में जो कमियां हैं, उनके बारे में आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं।

नागौर जिला एक बहुत बड़ा रेगिस्तानी जिला है और उसमें हर तरह की कमी है। कई जगह तो पीने का पानी

(श्री रामेश्वरलाल चौधरी)

नहीं है और कई जगहों पर सड़कें नहीं हैं। चिकित्सा के लिये मैं निवेदन कर दूं कि न तो औषधालय हैं और न पूरे शफाखाने ही हैं। जिला बहुत बड़ा है। मेरे एरिया में जो कमियां हैं, वह मैं यहां पर अर्ज करना चाहता हूं। सब डिविजन क्वार्टर पर औरतों के लिये प्रसूति-गृह का इन्तजाम नहीं है। पहले भी इस सम्बन्ध में प्रयास किया गया था। परन्तु इसमें सरकार और वहां के कुछ आदमियों के बीच में डिस्पूट था, इस वजह से इस शफाखाने की दीवारें चार फुट तक आ गई, डेढ लाख रुपया चन्दे का इकट्ठा किया हुआ पड़ा है और अब वह भवन खटाई में है। दवाईयों के लिये शफाखाने का ऐसा हाल है कि वहां पर गरीबों को दवाईयां नहीं मिलती हैं। बाजार से सिर्फ पैसे वाले ही दवाईयां खरीद सकते हैं। इसलिये सरकार से मेरा यह सुझाव है कि दवाईयां सरकार की ओर से गरीबों को दी जावें और वह पूरी तौर से दी जावें। डिस्पेन्सरीज जहां नहीं है वहां के लिये कोई क्राईटेरिया बनना चाहिये कि दस-पांच मील के अन्दर एक डिस्पेन्सरी खोल दी जावे ताकि गांवों के अन्दर सभी को सुविधा मिल सके। हर ग्रामीण को चिकित्सा सुविधा आसानी से मिलने चाहिये। एक औरत दस मील चल कर बड़े शफाखाने पहुंचती है और उसके बच्चा रास्ते में ही हो जाता है। मेडिकल फैसिलिटी के अभाव में उसको बड़ी तकलीफ होती है और कभी कभी तो उनकी जान भी चली जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि तहसील हैड क्वार्टर पर मैटरनिटी सेन्टर हर हालत में सरकार को खोलने चाहिए। कुचामन में एक मैटरनिटी सेन्टर सैंक्सन हुआ था परन्तु किन्हीं कारणों से वह कैंसिल हो गया। इसकी दीवारें चार फुट तक बनी पड़ी हैं डेढ़ लाख रुपया लोगों ने चन्दा इकट्ठा कर रखा हैं मगर अभी तक उसकी आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

परिवार नियोजन के लिये स्पेशल अभियान चलाया जाता है। जिन आदमियों के अभी तक बच्चा नहीं हुआ है उन आदमियों को 15 रुपयों का प्रलोभन देकर नसबन्दी कर देते हैं। उसका पहले भी आपरेशन था, कुदरत ने उसको पहले ही बच्चा नहीं दे रखा था और फिर उसका परिवार नियोजन के अन्दर उसका आपरेशन होता है। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, जो परिवार नियोजन के अन्दर नसबन्दी का आपरेशन होता है डाक्टर तत्काल नस काटकर चला जाता है, सैकेन्ड टाइम उसको नहीं संभालता हैं। इससे परिवार नियोजन के प्रति लोगों की जो आस्था पैदा हुई थी वह दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। जहां भी परिवार-नियोजन सेन्टर खोले हैं वहां पर उचित प्रबन्ध नहीं हैं, न दवाईयां और न पट्टियां हैं। मेरी उंगली में चोट लग गई थी। मैं इस सेन्टर पर गया और कहा कि पट्टी बांध दो। कहा गया कि पट्टी नहीं है मैंने कहा कि टींचर लगा दो, कहा गया कि टींचर भी नहीं हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, फिर हमें ऐसे अस्पताल की जरुरत नहीं है। मैंने वहां की शिकायत पुस्तिका में लिख दिया और डिस्ट्रिक्ट फेमली प्लानिंग आफिसर ने उसको बंद कर दिया। यही हालत हर सेंटर की है। हर सेन्टर के अन्दर केरल

(श्री रामेश्वरलाल चौधरी)

की लड़कियां हैं। हमें उनसे कोई ऐतराज नहीं है परन्तु हम यह चाहते हैं कि वहां पर लोगों को दवाईयां मिले। सिर्फ यह नहीं हो कि सेन्टर खोल दिये गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि या तो सरकार ऐसे सेन्टर खोले नहीं और खोले तो वहां पर पूरी दवाईयों का इन्तजाम करे।

ऐसी ही हालत लूप वगैरह की है। जो ज्यादातर पेशेवर औरतें होती हैं वह यह धन्धा करती हैं। इसके लिए परमानेन्ट इलाज हो तो कहा जा सकता है कि ठीक है।

पानी के लिए जो कि आज की हमारी जरूरी समस्या है उसके लिए आपके सामने अर्ज कर दूं। टेक्स डाइरेक्ट काश्तकारों पर लगता है जिनका प्रतिनिधित्व करने हम यहां आये हैं। आज 20 साल के लम्बे अरसे के बाद भी हमें मीठा पानी मुहैया नहीं कराया गया है तो वापिस जाकर हम किस मुंह से कहेंगे कि हमने आपको पानी पिलाया है। आज तो वह कह सकते हैं कि हमने इस पार्टी का आदमी भेजा है पहले इस पार्टी के आदमी नहीं गये तो नहीं मिल सका। वहां पर दो हाथ खोदकर हमें पानी निकालना पड़ता है और वह कच्चा पानी पीना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा गहरा खोद लेंगे तो खारा पानी होगा। ऐसी ऐसी हालत होती है गांवों के लोगों की। आज हमने देखा सेक्रेटेरियेट में जब कि हम दो आदमी वहां पर गये थे तो वहां पर पानी पिया और देखा कि यह तो बहुत अच्छी बात है कि यहां पर ऐसा मीठा पानी मिलता है और उसको इस तरह से लोग ढोलते हैं जब कि गांव वालों को पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता है। तो मेरा निवेदन, उपाध्यक्ष महोदय, यही है कि डिपार्टमेंट के आदमियों का और मंत्री महोदय का और सेक्रेटेरियेट का पानी बन्द किया जाय जब तक कि गांव वालों के लिए पीने के पानी का इन्तजाम न हो। इन्हें कोई राइट नहीं है कि वे पानी को इस तरह से ढोले। आप यहां पर बैठे हैं और आपके चारों तरफ पानी है। गांव वालों को पीने का पानी नहीं मिलता है। हमारे लिए जल्दी से जल्दी सरकार पीने के पानी का इन्तजाम करे (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) बैठ जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती निर्मलासिंह।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं परिवार नियोजन पर अपने कटौती प्रस्ताव के ऊपर अपने विचार व्यक्त करूंगी। जन संख्या का विस्तार एक राजस्थान की ही समस्या नहीं है बल्कि यह अखिल भारतीय समस्या है क्योंकि इस समस्या का सीधा सम्बन्ध भुखमरी, बेकारी, बेरोजगारी और रोग-ग्रस्तता से है। आज जनसंख्या का विस्तार भारत में इतनी तीव्र गति से हो रहा है कि प्रति वर्ष एक नया आस्ट्रेलिया हम बसा रहे हैं अर्थात् आस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर प्रति-वर्ष हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में परिवार-नियोजन का जो कार्यक्रम है वह वास्तव में एक सराहनीय कदम है। किसी माननीय सदस्य ने अभी कहा था कि परिवार नियोजन के ऊपर व्यय की गई धनराशि व्यर्थ है परन्तु मैं उनके सुझाव से

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)

कतई सहमत नहीं हूं क्योंकि यदि जनसंख्या इसी रफ्तार से बढ़ती जायगी तो इस शताब्दि के अन्त तक हमारे देश की जनसंख्या जो है, वह 100 करोड़ हो जायगी। ऐसी स्थिति में परिवार नियोजन अत्यन्त आवश्यक है। जनसंख्या की रोकथाम के लिये यह एक सराहनीय कदम है। अगर यह कदम नहीं उठाया जायगा तो जनसंख्या की रोक के लिए प्रकृति द्वारा नैसर्गिक चैक्स लाये जायेंगे जिनके ऊपर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मालथस ने भी विचार किया था। उन चैक्स को हमें नहीं लाना है। हमें मानवीकृत एक प्रकार से जो तरीके हैं उन्हीं के द्वारा जनसंख्या का निरोध करना है। सौभाग्य की बात है कि भारत में 1960 से ही परिवार नियोजन के कार्यक्रम को एक प्रकार से सरकार के द्वारा लागू किया है। प्रथम योजना में, द्वितीय योजना में और तृतीय योजना और चतुर्थ योजना में इसके लिए काफी धनराशि व्यय की गई है और पांचवी योजना में भी इसके लिए काफी प्रावधान होगा ऐसी आशा है, और इस वर्ष भी हमारे राजस्थान के बजट में इस कार्यक्रम के लिए 276-87 लाख रुपये रखे गये हैं, परन्तु मैं यह अर्ज करना चाहती हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि यदि केवल परिवार नियोजन के लिए बजट में धनराशि रखी जायगी तो उससे जनसंख्या पर चैक नहीं आयेगा। हमें उसके लिए कुछ विशेष प्रकार के तरीके अपनाने होंगे।

परिवार नियोजन के जो भी कार्यक्रम हुए हैं या जो भी विकास के कार्यक्रम हुए हैं वह अधिकतर नगरों में ही हुए हैं ग्रामीण क्षेत्र इससे अधिकतर अछूता रहा है—अछूता तो नहीं परन्तु इस क्षेत्र में बहुत कम कार्य हुआ है। इसलिए इसके लिए कुछ सुझाव आपके सामने पेश करना चाहती हूं। पहला सुझाव तो यह है कि जो आज हमारे यहां पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है, परन्तु पंचायती राज में पंचों और सरपंचों का कार्य अधिकतर दूसरे प्रकार का है। वह विकास के कार्यों में अधिकतर लगे रहते हैं और ऐसे कार्यों में लगते हुए परिवार नियोजन की तरफ उनका ध्यान नहीं गया है। अतएव सबसे सरल और सीधा तरीका यही होगा कि पंचायतें और पंच और सरपंच जो हैं वे इस प्रकार के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करें और जनता को इसके बारे में जानकारी दें। ग्रामीण जनता इस प्रकार के कार्यक्रमों से पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। बाहर के व्यक्ति जब सलाह देने आते हैं तो एक प्रकार से उनकी सलाह में उनका भयावह दृष्टिकोण होता है। यदि उन्हीं के गांव के लोग उनके, जो मुखिया हैं वे उन्हें इस बात की सलाह दें तो वह मानेंगे और इस प्रकार से यह एक सराहनीय कदम होगा।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि केवल हम परिवार नियोजन केन्द्र खोलते जायं और बहुत सारी धनराशि व्यय करते जायं तो यह एक अच्छा कार्य नहीं होगा। यह तो हमें करना ही है, खैर, परन्तु इसके साथ-साथ प्रचार की बहुत आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष प्रकार से प्रचार किया जाना चाहिये। पंचायत घरों और इसके साथ-साथ स्कूलों या कोई भी ऐसे सार्वजनिक स्थान हैं। जहां सभी व्यक्ति एकत्रित होते हैं वहां पर परिवार नियोजन के लाभ के बारे में तथा ज्यादा जनसंख्या होती है उससे क्या नुकसान होते हैं, इन सब बातों की विशेष कार्यक्रमों

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)

द्वारा जनता को जानकारी कराई जानी चाहिये।

इसके साथ-साथ सामूहिक वार्ता, नाटक या चलचित्रों के माध्यमों से उन्हें जानकारी कराई जानी चाहिये। पहले भी ऐसे कार्यक्रम किये जाते रहे हैं, परन्तु उनकी जो गति है वह सन्तोषप्रद नहीं है। अधिकतर ये सब जो फिल्म शो या दूसरे जो भी कार्यक्रम हैं वह कुछ समय के लिए किये जाते हैं और अधिकांश समय ग्रामीण व्यक्तियों को इस प्रकार से विशेष प्रकार की जानकारी देने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। कान्टीन्युमस जो है इसके लिए कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक बढ़ाया जाय।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि हर पंचायत में एक प्रकार से परिवार नियोजन सम्बन्धी शिविर जरूर लगाना चाहिए हर वर्ष, और इस प्रकार के शिविरों का जो है पहले से बहुत अधिक प्रचार कर दिया जाना चाहिये ताकि ग्रामीण लोग इतनी ज्यादा संख्या में उसमें आ सकें और उसका लाभ उठा सकें। आजकल अधिकांशतः जो शिविर लगते हैं उनमें अक्सर चिकित्सक जो होते हैं वह इतने कुशल नहीं होते हैं और जो आपरेशन होते हैं, जो स्टरलाइजेशन के आपरेशन होते हैं उनमें कभी गलतियां रह जाती हैं और ऐसे एक व्यक्ति को भी नुकसान पहुँचता है तो इस प्रकार की अफवाहें फैल जाती हैं और सारे के सारे ग्रामीण व्यक्ति उससे प्रभावित होकर उसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि शिविरों में जो भी चिकित्सक जायं वे कुशलतम व्यक्ति जायं ताकि कुशलतम शल्य-चिकित्सा कर सकें और इससे ग्रामीण जनता को अधिक से अधिक लाभ हो सके।

इसके साथ-साथ इसी संदर्भ में मेरा एक सुझाव यह भी है कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की तरफ से कर्मचारी हैं या शहरी क्षेत्रकों को भी ले लिया जाय और वह परिवार नियोजन के कार्यक्रम में विश्वास करते हैं तो ऐसे लोग दो बच्चों के बाद में जो स्टरलाइजेशन करा लेते हैं तो ऐसी स्थिति में दो इन्क्रीमेंट उनको मिलना चाहिये ताकि उनको इस प्रकार के कार्यों के लिए प्रोत्साहन मिले। और उसी प्रकार से 3 बच्चों के बाद जिन्होंने स्टरलाइजेशन कराया है उन्हें एक इन्क्रीमेंट मिलना चाहिये एक वेतन-वृद्धि मिलना चाहिये ताकि लोग इस तरफ आकर्षित हों, और परिवार नियोजन सम्बन्धी हमारा जो कार्यक्रम है वह सफलता प्राप्त कर सके।

इसके साथ—साथ ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर में एक सुझाव दूंगी कि ग्रामीण व्यक्तियों को एन्करेज करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए यदि किसी ग्रामीण व्यक्ति के 3 बच्चों के बाद में स्टरलाइजेशन करा लिया है तो भूमि—आवंटन में भी उन्हें सुविधा मिलनी चाहिए।

जैसी कि अभी हमने भूमि आवंटन में इस प्रकार की सुविधायें दे रखी हैं, पचास प्रतिशत भूमि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राईब्स को देते हैं, 35 प्रतिशत मिलिट्री पर्सन्स के लिये रिजर्वेशन रखा है। उसी प्रकार से एक रिजर्वेशन इन लोगों

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

के लिये भी रख देना चाहिये। जिन्होंने तीन बच्चों के बाद या दो बच्चों के बाद स्टरलाईजेशन करा लिया है। ऐसी स्थिति में लोग इस कार्यक्रम की तरफ आकर्षित होंगे और हमारा कार्य सुचारु रूप से चल सकेगा।

एक और सुझाव मेरा है, वह यह है, अधिकतर परिवार नियोजन के अन्दर बाधा है, वह है, हमारे समाज के रीति रिवाज और खास तौर से बाल विवाह की प्रथा। यद्यपि शारदा एक्ट के द्वारा बाल विवाह की प्रथा को हमने समाप्त कर दिया, फिर भी यह जो कानून है, यह कानून की पुस्तिका का एक पृष्ठ मात्र बन कर रह गया है। हम हमेशा बाल विवाह सम्पन्न होते हुए देखते हैं। ऐसी स्थिति में बाल विवाह पर कड़ा प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये। हिन्दू विवाह कानून, 1955 के अनुसार विवाह की आयु पन्द्रह वर्ष रखी गई है। परन्तु इस बारे में मेरा सुझाव है कि यदि इस आयु को हम बीस या बाइस साल कर दें तो यह सर्वोत्तम कार्य होगा (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी) और इससे जनसंख्या की वृद्धि में एक तरह का चैक आ जायगा।

मैं दो मिनिट और लूंगी।

जो लोग स्टरलाइजेशन कराते हैं, तो इसके लिये इन्सेन्टिव के रूप में कुछ धन राशि पहले डाक्टरों को दी जाती थी। अब यह बन्द कर दी गई है। यह सराहनीय कार्य है क्योंकि डाक्टरों को यह इन्सेन्टिव देने की आवश्यकता नहीं है। यह इन्सेन्टिव उन लोगों को अधिक मात्रा में दिया जाना चाहिये जिन्होंने वास्तव में स्टरलाईजेशन करवाया है। रतनपुर, गुजरात में हैं और जो राजस्थान की सीमा पर है वहां पर इन्सेन्टिव बढ़ने से काफी लोग इसके लिये उत्साहित हुए हैं, कई लोगों ने स्टरलाईजेशन कराया है और राजस्थान के कई व्यक्ति भी वहां गये। मेरा सुझाव है, यह इन्सेन्टिव की राशि को बढ़ा दिया जाय। इससे इस कार्यक्रम के अन्दर अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

इंग्लैंड में सोशल सीक्योरिटी स्कीम के अन्तर्गत नेशनलाइज्ड हैल्थ स्कीम है। उस स्कीम के अन्तर्गत प्रत्येक परिवार की चिकित्सा के सम्बन्ध में जिम्मेदारी है, वह सरकार के ऊपर है। रोग के निदान के लिए जो भी खर्च होता है वह सारा का सारा खर्च सरकार देती है। हमारे यहां पर, भारत में या राजस्थान में हम पार्टली नेशनलाइज्ड हैल्थ स्कीम लागू कर सकते हैं। इसका अभिप्राय यह है, जिन व्यक्तियों ने स्टरलाइजेशन करा लिया है या जो परिवार नियोजन में विश्वास रखते हैं उन लोगों को सरकार की ओर से स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सेवायें हैं वह निःशुल्क मिलनी चाहिए। इस प्रकार की पार्टली नेशनलाइज्ड हैल्थ स्कीम लागू करेंगे तो यह उनके लिए सुखद होगा और इस कार्यक्रम की ओर लोग अग्रसर होंगे।

एक और सुझाव है मेरा, वह यह है, जिन लोगों ने परिवार नियोजन के कार्यक्रम के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए योगदान दिया है उन लोगों के जो बच्चे हैं, उन्हें छात्रवृत्ति देने में भी विशेष

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

रियायत बरतनी चाहिए, जिससे इस कार्यक्रम को और भी प्रोत्साहन मिलेगा।

एक और सुझाव मैं आपके सामने रखती हूं, वह यह है कि जो उद्योगपति अपने श्रमिकों के हितार्थ परिवार नियोजन के लिये पैसा खर्च करते हैं उनको उस पैसे के कर से मुक्त कर देना चाहिए ताकि अन्य उद्योगपति भी अपने श्रमिकों के लिए विशेष प्रकार का खर्च कर सकें और इससे परिवार नियोजन के कार्यक्रम को केवल हम सरकारी स्तर पर नहीं बल्कि निजी स्तर पर भी लागू कर सकें।

अतः अन्त में मैं यह कहूंगी वास्तव में हमारे देश की प्रगति, शांति तथा स्थायित्व के लिए परिवार नियोजन आवश्यक है। जब तक गांव गांव, घर घर, झोंपड़ी झोंपड़ी में क्रांति नहीं आयेगी तब तक हमारे विकास का कार्य अधूरा रहेगा। हमारी सभी पंचवर्षीय योजनाओं में जो हमने पूरी की हैं बहुत अधिक हमें सफलता नहीं मिली है। अगर इस परिवार नियोजन के कार्यक्रम को सुचारू रूप से नहीं चलाया तो यह योजना बालू में महल खड़े करने के समान है जिसे हवा का कोई भी झोंका बहा ले जा सकता है। उन योजनाओं को अधिक जनसंख्या सफल नहीं होने देगी। इस योजना के बिना इसमें प्रवाह नहीं लाया जा सकता है। इसके लिए अन्तिम सुझाव मेरा है वह यह है कि शिक्षा का प्रसार हो क्योंकि परिवार नियोजन या जन संख्या नियंत्रण में केवल शिक्षा के माध्यम से ही हम अधिक से अधिक प्रगति कर सकते हैं। पश्चिमी देशों का उदाहरण लीजिये जहां पर शिक्षा प्रसार के साथ साथ स्वतः ही जनसंख्या नियंत्रित हुई है। पश्चिम जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड वहां मृत्यु दर से भी जन्म दर कम है। स्वटजरलैंड, पूर्वी जर्मनी, फ्रांस, रूस में जीरो पोपूलेशन ग्रोथ है। अतः मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि सबसे अधिक पैसा हमें शिक्षा के ऊपर व्यय करना है। परिवार नियोजन के सेन्टर खोले हैं वह अलग से सेन्टर खोले हैं उन पर इतना व्यय करने की आवश्यकता आज नहीं है। यह व्यय तो चिकित्सा कार्य के लिए करें तो सर्वोत्तम होगा। कई ऐसे स्थान हैं जहां पर चिकित्सा केन्द्र नहीं हैं लेकिन परिवार नियोजन केन्द्र हैं। मेरा सुझाव है, अलग परिवार नियोजन केन्द्र की आवश्यकता नहीं है; चिकित्सा केन्द्र में ही उसका सेल होना चाहिए, जहां पर परिवार नियोजन के बारे में जानकारी दी जा सके। इसी प्रकार से मैं यह निवेदन करूंगी कि इतना बजट जो इसके लिए रखा गया है, उससे केवल चिकित्सा केन्द्र की बिल्डिंग बनाते रहें तो वह हमारे लिए अच्छा रास्ता नहीं होगा। अच्छा यह होगा कि इसके प्रचार-प्रसार के लिए अन्य तरीके अपनायें जिनके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज किया था तभी जाकर इस कार्यक्रम को हम सफल बना सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

चूंकि समय हो गया है, इसलिए मैं इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरलाल मीणा !

श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा के सम्बन्ध में

(श्री हरलाल मीणा)

मेरे तीन कटौती प्रस्ताव हैं। प्रतापगढ़ जनरल अस्पताल की अव्यवस्था और उसमें दवा न मिलने के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, आज से लगभग एक साल पहले से वहां दवा नहीं मिल रही है। मैंने इस सम्बन्ध में बार बार पहले भी इस प्रश्न को लेकर प्रश्न उठाये हैं और यह कोशिश करता रहा हूं, जब लोग वहां पहुंचते हैं तो बाजार से दवा लाने के लिए लिख दिया जाता है। जो लोग बाजार से खरीद सकते है, वह तो बाजार से खरीद लाते हैं लेकिन जिनके पास पैसा नहीं होता है वह वापिस अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, प्रतापगढ़ आदिवासी एरिया है। वहां लोग, गरीब लोग रहते हैं। उनके पास पैसा नहीं होता है। वह अपने घर से चल कर अस्पताल जाते हैं लेकिन दवा नहीं मिलने की वजह से निराश होकर मर जाते हैं। मैं निवेदन करूंगा, आदिवासी एरिया होने की वजह से वहां दवा की सुविधा मिलनी चाहिए। वहां पर बेड्स की कमी है, पैंतालीस बेड जनरल अस्पताल में हैं, तीस जनाना अस्पताल के अन्दर हैं और बीस बेड टी. बी. अस्पताल में है पांच बेड्स बढ़ाने से एक सौ बेड्स हो जाते हैं अभी अभी मैं वहां जाकर आया हूं। तीनों अस्पताल में लगभग 75 मरीज नीचे पड़े हुए थे, बेड्स की कमी के कारण, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, जो बिल्डिंग अस्पताल की मौजूद है, वह स्टेट टाइम की है। उसके बाद आज तक सरकार ने एक पैसा खर्च नहीं किया, इसके अभाव में काफी परेशानी रहती है, इसलिए वहां एक बिल्डिंग बनाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा मैं एक निवेदन और कर दूं कि वहां पर सरकारी महल 1 लाख 22 हजार में बेचा गया है, मुझे ऐसा विदित हुआ है, वह पैसा दूसरी जगह लगाया जा रहा है, जब कि डाक्टरों के रहने के लिए वहां पर क्वार्टर नहीं हैं, बेडों की कमी है, नर्सों के रहने के लिए व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा डाक्टरों के लिए मीटिंग हाल नहीं है। ऐसी स्थिति में दूसरी जगह में यह रकम लगाई जाती है तो उचित नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और निवेदन कर दूं, प्रतापगढ़ अस्पताल स्टेट टाइम का है। उस समय जनाना अस्पताल में 30 बेड थे, 45 बेड जनरल अस्पताल में थे। आज भी वही चले आ रहे हैं। तीनों में मिला कर 95 बेड होते हैं, पांच बेड और बढ़ा दिये जाते हैं तो तीनों में सौ बेड हो जाते हैं। जब और जिलों के डी. एम. ओ. हैड क्वार्टर पर बेड्स दिये हैं इसलिए वहां भी बढ़ा देने चाहिए।

उपाध्यक्षजी, रोगी वाहन गाड़ी जो 2—3 वर्ष पहले प्रतापगढ़ को एलाट हुई थी वह गाड़ी कुछ दिन तक उदयपुर में पड़ी रही उसके बाद कोशिश करने के बावजूद प्रतापगढ़ में आई। 5-6 महीने रही उसके बाद गाड़ी मंगवाली और वह चित्तौड़गढ़ में पड़ी हुई है जबकि वहां पहले ही इस गाड़ी की सुविधा है। प्रतापगढ़ एरिया आदिवासी एरिया है, वहां गाड़ी होना आवश्यक है। विधानसभा में कई बार प्रश्न उठाया गया है। आश्वासन मिला कि यह गाड़ी प्रतापगढ़ भेजी जाएगी लेकिन भेजी नहीं। मंत्री महोदय से निवेदन है कि यह गाड़ी प्रतापगढ़ को भेजी जाए।

(श्री हूरलाल मीणा)

दूसरा मुझे पहाड़ी एरिया में परिवार नियोजन के बारे में निवेदन करना है कि आपके शहर में और बड़े कस्बों में तो इसका प्रचार है, लेकिन पहाड़ी एरिया में इसका प्रचार नहीं है। वहां पर इस विषय में कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए पहाड़ी एरियाज में कैम्प्स लगाए जायं, और प्रचार किया जाए, और परिवार नियोजन के सम्बन्ध में उनको समझाया जाए, और चल-चित्र बताए जाएं। पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग अशिक्षित हैं। इसलिए बार बार कोशिश करने के बावजूद ही उनकी समझ में बात बैठेगी। कुछ दिन पहले की बात है। वहां पर इसका कैम्प लगा तो आदिवासियों को मालूम हुआ कि यह प्रचार किया जा रहा है। उन लोगों ने तो उस गांव में आना ही बंद कर दिया, और कहने लगे कि हमारे साथ यह व्यवहार करते हैं, और तहसीलदार भी मजबूर हो गए। मेरे पास आए कि इस प्रकार की बात हो रही है। जब मैं और वहां के प्रधान साहब दोनों गाड़ी लेकर गए तो हमारे लिए मुश्किल हो गया। उन लोगों ने इन्कार कर दिया और बंदूक और तलवार लेकर वे लोग तैयार हो गए कि हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। तो यह सब उन लोगों को समझाने की कमी है, इसलिए वहां पर कैम्प्स लगाए जायं और जो काम करने वाले हैं उन लोगों को बुलाया जाए और बुलवा कर समझाया जाए तो मेरे ख्याल से वे समझ सकते हैं।

एक प्रस्ताव मेरा पहाड़ी एरिया में शुद्ध पीने के पानी के बारे में भी है। प्रतापगढ़ आदिवासी एरिया है जहां पर शुद्ध पानी नहीं मिलता। 50 प्रतिशत लोग पहाड़ी एरिया में रहते हैं। पानी की व्यवस्था नहीं है। एक-एक, दो-दो मील से वह पानी लाते हैं जहां जंगली जानवर, पशु पानी पीते हैं वहां से। पहाड़ी एरिया में रहने वाले लोगों के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, वे अशुद्ध पानी पीते हैं, और बीमार रहते हैं और मर जाते हैं। इसलिए पहाड़ी एरिया में रहने वाले लोगों के लिए शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए।

पहाड़ी एरिया में रहने वाले लोगों के लिए जनसंख्या के आधार पर तय करना चाहिए कि इतने गांवों के लिए अस्पताल खोलना चाहिए। जो कुछ सरकार कर सकती है, करना चाहिए। पहाड़ी एरियाज में तो अस्पताल की कोई व्यवस्था नहीं है। 50-50 मीलों से लोग आते हैं उनके लिए इलाज कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रतापगढ़ की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। बार बार मैं इस सदन में प्रश्न भी उठाता रहा हूं, लेकिन कोरे आश्वासनों के सिवा कुछ नहीं है। प्रतापगढ़ में विशेष तौर पर अस्पताल के बारे में ध्यान देना चाहिए। वहां पर डॉक्टर है, अस्पताल है तो दवाइयां नहीं मिलती हैं। वहां के लोग मध्य प्रदेश में इन्दौर तक जाते हैं, लेकिन पैसे वाले लोग जाते हैं गरीब लोग नहीं जा सकते। इसके अलावा वहां पर एक दो डॉक्टर अच्छे भेजने चाहिए। अक्सर अनुभवी डॉक्टर नहीं आते हैं। यह बड़ा सब-डिवीजन है, इसलिए मंत्री महोदय इस एरिया की तरफ विशेष तौर से ध्यान दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा के सम्बन्ध में

Page No. 90

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

विवेचना करना अथवा सुझाव देना मैं व्यर्थ मानता हूं। वह इसलिए कि जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है और जिस गति से परिवार नियोजन असफल हो रहा है उस पृष्ठभूमि में राजस्थान में इस विभाग द्वारा डॉक्टरों के माध्यम से अथवा अन्य कर्मचारियों के माध्यम से हम किसी तरह से आम जनता की सेवा कर सकते हैं. यह असम्भव सा लगता है। चिकित्सा स्वयं में एक विश्वास है और इस विश्वास के आधार पर यदि आश्वासन और हमदर्दी मिल जाए तो रोगी को स्वस्थ होने में बहुत सहयोग मिल सकता है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा। आखिर रोगी की मनःस्थिति क्या होती है, और चिकित्सा करने वाले डॉक्टर की क्या मनःस्थिति होती है? उस संदर्भ में Statistics by a Demographer about Difficult Conditions in Hospitals के अध्ययन का यहां उल्लेख करना चाहूंगा। उस अध्ययन के आधार पर जनरल अस्पतालों के डॉक्टर जो आउट पेशेंट डिपार्टमेन्ट में बैठते हैं, वह कितना मरीजों को देखते हैं, कितने सैकण्ड एक डॉक्टर मरीज के प्रति व्यय करता है? इस अध्ययन में उस व्यक्ति ने बताया है कि एक डॉक्टर 38.4 सैकण्ड एक रोगी को ओ. पी. डी. में देता है। उसमें वह क्या करता है? मरीजों को देखता है, एग्जामिन करता है, कुछ पूछता है और उसके बाद प्रेस्क्रिपशन भी लिखता है। उसका इसमें एवरेज समय 38.4 सैकण्ड लगाया है।

अब मैं पूछना चाहता हूं कि यह एवरेज समय जो डॉक्टर देता है उसमें एक रोगी क्या लेकर जाता है? रोगी एक बात कहता है तो डॉक्टर दूसरी बात लिखता है। रोगी यह धारणा लेकर जाता है कि डॉक्टर ने मुझे नहीं देखा और डॉक्टर देख कर मौन रहता है कि मैं तुमको देखने की स्थिति में नहीं हूं। इसलिए नहीं हूं कि तुम रोगी इतनी अधिक संख्या में प्रति दिन आते हो कि ओ. पी. डी. में डॉक्टर द्वारा देखना और चिकित्सा का प्रेस्क्रिपशन लिखना, एक असंभव सी बात है। ये आंकड़े अध्ययन के आधार पर दे रहा हूं। ऐसी हालत में राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि ये जनरल अस्पतालें आप और हम जिन्हें प्रतिदिन देखते हैं जन-सेवा में असफल हैं। आप और हम एक विशिष्ट व्यक्ति हैं इस कारण हमारी निगाहें उनकी ओर नहीं जाती जो प्रति दिन अस्पतालों में हजारों की संख्या में क्यू में ओ. पी. डी. में खड़े रहते हैं, और उनके साथ अभद्र व्यवहार डॉक्टर द्वारा होता है। यह प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, उनका चिढ़ना स्वाभाविक है, उनका व्यवहार अभद्र होना स्वाभाविक है, प्रति दिन इस आदमी को इतने अधिक से अधिक रोगियों से निपटना पड़ता है।

दूसरा प्रश्न दवाइयों के अभाव का प्रश्न अलग है। अस्पताल में एक्स-रे प्लेट्स है या नहीं, कॉटन है या नहीं, औषधियां हैं या नहीं, प्रेस्क्रिप्शन लिखने के लिए कागज है या नहीं जिसको स्टेशनरी कहते हैं, यह अलग सवाल है। इन सब बाधाओं के अतिरिक्त भी क्या हम इन रोगियों का चिकित्सा संबंधी विश्वास पा रहे हैं या नहीं? मेरा विश्वास है कि जहां तक जनरल हॉस्पीटल्स नगरों की हैं वहां चिकित्सा पद्धति, चिकित्सा क्षमता और चिकित्सा की सफलता का

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)

प्रश्न है, हम इस में असफल रहे हैं। हम राजनेता हैं। मैं कभी कभी प्रार्थना करता हूं कि भगवान किसी राजनेता को बीमार न करे और अगर वह बीमार हो गया तो सारे अस्पताल की छुट्टी हो जाती है। सारे डॉक्टरों का आकर्षण हमारी तरफ, चिकित्सा का आकर्षण हमारी तरफ, सारे अस्पताल की छुट्टी, आज केदिन कोई बीमार नहीं पड़ेगा, यह स्थिति होती है। इसलिये निवेदन कर रहा था अर्बन लोगों का जनरल हॉस्पीटल्स पर मोनोपोलाईजेशन है, और हमने मोनोपोली दी है एट दी कास्ट आफ विलेज हास्पीटल्स। 80 प्रतिशत जनरल अस्पताल शहरों और 20 प्रतिशत केवल रूरल एरियाज में हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि आखिर चिकित्सा पद्धति क्या है? जो रोगी आते हैं डॉक्टर के पास उन रोगियों में से 90 प्रतिशत केवल उस डॉक्टर की बात से प्रभावित, उसकी हमदर्दी और सहानुभूति से प्रभावित होकर अपनी स्थिति का केवल अध्ययन कराने के लिये आते हैं कि हम रोगी हैं या नहीं। लेकिन यह 90 प्रतिशत उग्र होकर लौटते हैं, क्यों कि डॉक्टर की हमदर्दी, व्यवहार, स्नेह इस व्यक्ति को नहीं मिलता। 90 प्रतिशत लौटने वाले दुखी होकर लौटते हैं। यह स्टेटिस्टिक्स और अध्ययन के आधार पर निवेदन कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब बाकी रहे 10 प्रतिशत लोग जो ऐसे रोगी होते हैं जो डॉक्टरों के पास जाते हैं अपने रोग के निदान के लिए सिर्फ उनके सुझाव चाहते हैं, और सिर्फ यह चाहते हैं कि उन्हें कौनसी बीमारी है और उसके लिए उन्हें क्या मेडीसन लेनी चाहिये। और अगर बीमारी नहीं है तो सन्तोष चाहते हैं। इस प्रकार की पद्धति आज हमारे यहां है। उपाध्यक्ष महोदय अस्पतालों में आज बड़ी ही दयनीय स्थिति बनी हुई है। आज राजस्थान में जितने भी डॉक्टर्स हैं एवं जनरल अस्पतालें हैं उनमें कई प्रकार की अव्यवस्था देखने को मिलेगी। कहीं पर आपको डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे और अगर भाग्यवश डॉक्टर मिल जाते हैं तो आपको कम्पाउन्डर्स उपलब्ध नहीं होंगे। आज इस प्रकार की अव्यवस्था इस चिकित्सा विभाग में है कि गरीब व्यक्ति के लिये किसी प्रकार से चिकित्सा हो जाय या वह किसी प्रकार से अपना उपचार करा ले तो यह एक ईश्वरीय कृपा होती है। क्योंकि पहले तो डॉक्टरों का अभाव, और अगर डॉक्टर्स का अभाव नहीं तो वहां पर रोगियों को दवाइयां उपलब्ध होना मुश्किल है। मैं चिकित्सा विभाग की जो दुर्व्यवस्था है उसके लिये चिकित्सा मन्त्री से कहूंगा कि वह इन अनियमितताओं को जल्दी से जल्दी दूर करें ताकि गरीब जनता का उपचार हो सके। मेरा मतलब वहां पर जनता से गरीब लोगों से है। आज पैसे वाला तो कहीं भी जाकर अपना इलाज करा सकता है। पर एक गरीब व्यक्ति ऐसी स्थिति में नहीं होता है। दूसरी बात जो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा वह आज आपको शहरों के हॉस्पीटल्स में डॉक्टर्स मिल जायेंगे पर गावों में आपको डॉक्टर्स मिलना बहुत ही मुश्किल है। पहले तो ग्रामीण क्षेत्रों में आपको हॉस्पीटल्स बहुत ही कम मिलेंगे, और अगर वहां सरकार हॉस्पीटल्स खोल देती है तो

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)

वहां पर आज के जो नवयुवक डॉक्टर्स हैं वो वहां पर जाना ही नहीं चाहते, वो तो शहरों में ही रहना चाहते हैं। इसके लिये डॉक्टर्स में भी प्रतिस्पर्धा रहती है। इससे डाक्टर्स लोग रोगियों में इन्ट्रेस्ट लेते नहीं हैं, और उसका असर यह होता है कि रोगियों का ठीक तरह से इलाज नहीं होता है। दूसरे ऐसा भी देखने में आता है कि एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के पेशेन्ट को ठीक तरह से नहीं देखता है।

इसके अलावा मेरे क्षेत्र मावली में जो स्थिति हॉस्पीटल की है उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। वहां पर जो डिस्पेन्सरी है वह एक प्राइवेट मकान में ही है वहां पर कोई डिस्पेन्सरी भवन नहीं बना हुआ है। उस क्षेत्र के लोग बहुत ही पिछड़े हुए हैं। आज तक वहां पर कोई भवन ही नहीं बना है। कैसी दयनीय स्थिति है? वहां पर एक और बात है वह यह है कि रोगियों के लिये दवाइयां भी उपलब्ध नहीं रहती हैं, इसके लिये मैं राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि वहां पर अस्पताल की इमारत बनायी जाय और दवाइयां वगैरह उपलब्ध कराई जायं। फतेनगर के पास एक गांव सनवाड़ है, वहां पर एक बार हमारे राजस्थान के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री ब्रजसुन्दर जी इन्सपेक्शन करने के लिये गये, और यह तो आप जानते ही हैं कि जब मन्त्री लोग इन्सपेक्शन मे जाते हैं तो उनका स्वागत समारोह भी खूब होता है। खैर, साहब, उनका स्वागत समारोह हुआ उन्हें मालायें वगैरहा पहनाई गई। इन्सपेक्शन में उन्होंने अपने हाथ से लिखा कि इस अस्पताल में एक्सरे मशीन होनी चाहिए। मन्त्री महोदय ने तो आदेश देये दि पर आज तक वहां पर एक्सरे मशीन फिट नहीं हो सकी है। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिन हॉस्पीटल्स में दवाईयां नहीं हैं। और अगर एक्सरे मशीन वगैरह नहीं है तो फिर कई ऐसी बीमारियां होती हैं उनका निदान करना डॉक्टर के लिये बड़ी मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार की जो अव्यवस्था बनी हुई है उनमें सुधार होना अत्यन्त आवश्यक है। आज आप अगर चाहते हैं कि जनता का भला हो तो यह बहुत ही जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हॉस्पीटल्स खोलिये, वहां पर डॉक्टर्स की समुचित व्यवस्था कीजिये। वहां पर दवाइयां पूरी तरह से उपलब्ध होनी चाहिये। ये सभी व्यवस्थायें होंगी तब तो राज्य सरकार गरीब जनता के लिये कुछ कर सकेगी अन्यथा नहीं। आज गरीब लोगों को जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हे पूर्ण चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिये। मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार जरूर इस बारे में कार्यवाही करेगी। बस मुझे इतना कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती कान्ता कथूरिया।

श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, हालांकि स्वास्थ्य विभाग पर मेरे कटौती प्रस्ताव तो नहीं हैं फिर भी मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगी। मैं आपके मारफत, उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा मंत्री का ध्यान बीकानेर की बड़ो अस्पताल की तरफ आकर्षित करना चाहूंगी। उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर का जो जनरल हॉस्पीटल है उसमें 1000 बेड्स को सैंक्शन है, और वहां पर 1200 बेड्स लगे हुए हैं। पर स्टाफ तो वहां पर जो काम करता है वह 1000 बेड्स का ही है। वह उन 1200

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

बेड्स के रोगियों के लिये बहुत ही कम पड़ता है। इसका नतीजा यह होता है कि स्टाफ को जो एक डे आफ वगैरा मिलता है वह नहीं मिल पाता है क्योंकि स्टाफ वहां पर 1200 बेड्स होने की वजह से 200 बेड्स का कम पड़ता है। इससे जनता को बहुत ही भारी परेशानी होती है। इसलिए मैं आपके मारफत मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगी कि वहां पर जल्दी से जल्दी स्टाफ बढ़ाया जाय।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगी कि बीकानेर के पास दो मील दूर गंगाशहर नाम का कस्बा है जहां पर एक डिस्पेन्सरी है। वहां के अस्पताल की स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वहां पर जो डो.एम.एच.ओ. कभी भी हॉस्पीटल की व्यवस्था ढंग से नहीं चला सकते। दूसरे वहां ऐसी स्थिति है उपाध्यक्ष महोदय, कि इस अस्पताल में रोगियों के लिए आपको दवाइयां भी नहीं मिलेंगी। दवाई की बात तो दूर वहां पर आपको मरहम पट्टी करने के लिए पट्टी भी नहीं मिल सकती है, और वहां का जो डो.एम.एच.ओ. साहब हैं उस ओर कोई भी तवज्जुह ही नहीं देते। कई बार वहां की जनता द्वारा उनकी शिकायतें की गयीं पर राज्य सरकार द्वारा उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया गया है। जबकि एनक्वायरी रिपोर्ट भी उनके खिलाफ आ चुकी है। उनका बरताव वहां की जनता के साथ बहुत ही खराब है। आज तक राज्य सरकार ने उनकी ट्रान्सफर तक नहीं की है। वह तो वहां के वहां ही मौजूद हैं। मैं आपके मारफत राज्य सरकार के मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि उन्हें वहां से तुरन्त हटाया जाना चाहिये और डो.एम.एच.ओ. के खिलाफ जो शिकायत है उसकी जांच कर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिये।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगी वह है बीकानेर जिले में एक उदरामसर गांव है। वहां पर एक बार भूतपूर्व मुख्य मन्त्रीजी गये थे तो गांव वालों को एक आश्वास दिया था कि अगर आपके गांव वाले भवन निर्माण करा दें तो राज्य सरकार वहां पर रूरल हैल्थ सेन्टर खोल देगी व भवन बनते ही उसको टेक अप कर लेगी। उपाध्यक्ष महोदय, आज वहां गांव वालों ने दो साल हुए भवन तो तैयार करा दिया पर अभी तक वहां पर रूरल हैल्थ सेन्टर की जिम्मेदारी पूरी तरह सरकार ने नहीं सम्हाली। आज राज्य सरकार वहां पर चाहे बड़े अस्पताल से डॉक्टर भेजती है जो सुबह को वहां जाते हैं पर दोपहर में या रात को डॉक्टर की जरूरत वहां पड़े तो कोई डॉक्टर नहीं मिलता। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसकी परमानेंट व्यवस्था शीघ्र होनी चाहिये। जिससे कि वहां के लोगों को कुछ राहत मिले।

इसके अलावा मैं एक बात और राजस्थान के स्वास्थ्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी वह यह है कि बीकानेर के पास कोलायत जगह है। यह एक जगह बड़ी महत्वपूर्ण है वहां अच्छी आबादी है और दूसरे वहां पर बाहर से यात्री लोग भी आते रहते हैं, पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहां पर अस्पताल में दवाइयों का बहुत ही अभाव है, उसकी व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यक है। दूसरे वहां पर जो स्टाफ की कमी है वह भी पूरी की जानी चाहिये। इसके अलावा कोलायत के आसपास मीलों तक अस्पताल नहीं है वहां पर भी जो छोटे छोटे

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

गांव है बच्चू, जैसे गडियाला आदि वहां पर बीच के किसी गांव में प्राईमरी हैल्थ सेन्टर खोले जाने चाहिये ताकि दूर दूर गांव वालों को राहत मिले।

मैं इसके साथ साथ जन-स्वास्थ्य पर भी निवेदन करना चाहूंगी। श्री लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधान मंत्री बने तो शुरू शुरू में उन्होंने इस बात को कहा था कि भारत का रहने वाला, चाहे वह किसी भी गांव में रहता हो, उसको पानी की सुविधा अवश्य मिलनी चाहिये। उनके प्रधान मंत्रित्व काल के बाद में, और दूसरे प्रधान मंत्री को बने हुए भी काफी अर्सा हो गया है, लेकिन आज तक गांवों में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं हो पायी है। कोलायत में नोखा उर्फ दइया गांव है, पानी के लिये कोडमदेसर 10 मील दूर आना पड़ता है। एक आदमी जब चार घड़े पानी लेकर जाता है तो गर्मी के कारण दो घड़े तो पानी रास्ते में ही पी जाता है और दो घड़े पानी लेकर गांव जाता है। कई गांवों में खारा पानी है और मीठा पानी उपलब्ध नहीं है। कोलायत क्षेत्र में 9 वर्ष में बारिश हो नहीं हुई है। 9 वर्ष का बच्चा यह नहीं जानता है कि बारिश क्या चीज होती है। अकाल के समय में वहां पर टैन्करों से पानी पहुंचाया जाता था, लेकिन राज्य सरकार ने इस बार यह कर दिया है कि जहां पिछले साल अकाल नहीं था वहां पर पानी नही पहुंचाया जायगा और फाईनेन्स से यह एतराज हुए हैं कि वहां पानी भेजने की मन्जूरी नहीं है गिरदावरी जिस प्रकार से होती है वह ढंग आप सब जानते हैं। इन गांवों मे आप पानी की व्यवस्था नहीं करें यह बड़ी ही खेदजनक और अनुचित बात है। इसलिये वहां पानी पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिये। गटियाला गांव है वहां पर मीठा पानी है और आसपास के गांवों में खारा पानी है। यदि वहां पर वाटर पाइप की स्कीम बनायी जाय तो आसपास के गांवों को मीठा पानी मिल सकता है। इस बार गटियाला गांव अकाल में नहीं होने से कुए के लिये सबसिडी नहीं मिल सकती और गांव इस स्थिति में नहीं है कि आसपास के गांवों को पानी पिलाये और न किसी को पानी दे सकता है। इसलिये सरकार को ऐसे गांवों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिये। गटियाला गांव को रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम बना कर पानी की व्यवस्था शीघ्र की जाय।

पिछले फेमीन में कुछ ट्यूब वेल्स किन्हीं गांवों में खुदवा दिये थे लेकिन चालू आज तक नहीं हो पाये हैं। कुआ मोजूद हो लेकिन गांवों के लोग पानी के लिये तरस रहे हों तो आपकी यह व्यवस्था कैसे चलेगी, मेरी समझ में नहीं आता है। केसरदेसर, किलब, मिठरया वगैरा गांव हैं उनके लिये ट्यूब वेल्स की व्यवस्था नहीं की गई है। अन्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड से वह कुए खुदे हुए है, वे उनको चालू नहीं करते है; और इसलिये पानी की वहां व्यवस्था नही की जा सकती है ग्राउन्ड वाटर बोर्ड से या वाटर वर्क्स से इसकी व्यवस्थ करवाई जाय या और किसी विभाग से कराई जाय लेकिन कुए हों और इन्सान प्यासा रह जाय यह सरकार की कमजोरी की निशानी है। कुओं को चलाने की व्यवस्था शीघ्र करानी चाहिये। एक बार और निवेदन करूंगी कि मेरी साथी नगेन्द्र

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)
बालाजी कह रही थीं कि इस सम्बन्ध में बड़ा भ्रम है। कोटा है, और चम्बल है इसलिये वहां तो पानी बहुत है। लेकिन उनके क्षेत्र में सैकड़ों गांव ऐसे हैं कि जहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। केवल चम्बल के नाम से सोचा जाता है कि कोटा में चम्बल है इसलिये वहां तो पानी बहुत है और कमी नहीं है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है।

शेरगढ़ तहसील के लिये निवेदन करना चाहूंगी।

श्री हरिदेव जोशी : सब की एजेन्सी है?

श्री चन्दनमल बैद : सोल एजेन्सी है ?

श्रीमती कान्ता कथूरिया : जी हां। सरकार का ध्यान दिलाना ही पड़ेगा। वहां इस तहसील के 11 गांवों में पानी की व्यवस्था नहीं है। तालाब से पानी पीने से कीड़ा पैदा हो जाता है। और तीस मील दूर से पानी लाना पड़ता है। इसलिए इन 11 गांवों की स्कीम बनाकर पानी की व्यवस्था की जावे।

वित्त मंत्रीजी ने इस बात को कहा है कि हरिजन कालोनी जहां जहां है, वहां पानी की व्यवस्था नहीं है तो वहां पर विशेष तौर से ध्यान दिया जायगा। बीकानेर शहर में हरिजन बस्तियां बसी हुई हैं. नाजायज तौर से बसी हुई हैं, जमीन का पट्टा नहीं है। वाटर वर्क्स की यह हालत है कि समाज कल्याण विभाग से चाहे पैसा क्यों न सेंक्शन हो जाय पानी का कनेक्शन नहीं देता, जब तक म्युनिसिपेलिटी इजाजत न दे तब तक नहीं दी जाती। पैसे भरे हुए हैं, हर बार कोशिश करते हैं कि रेगुलेराईजेशन कर दिया जाय। रेगुलेराइजेशन जब होगा तब होगा लेकिन पानी की व्यवस्था वहां होनी चाहिये। पिछड़ी जाति के लोगों को और ज्यादा देना चाहिये। छोटी छोटी बाधायें हैं उनको हटाया जाय। गरीब लोगों के लिये पानी की व्यवस्था क्यों नहीं की जाय ? रामपुरा हरिजन बस्ती व अन्य बस्तियों में शीघ्र पानी के सार्वजनिक और प्राइवेट कनेक्शन देने की व्यवस्था कराई जावे। बीकानेर शहर में पानी की यह हालत है कि पानी का प्रेशर इतना कम है कि 7 बजे ही नल बन्द हो जाते हैं। पानी खत्म हो जाता है। 14 लाख गैलन बताया जाता है जब कि 20 लाख गैलन पानी की आवश्यकता है। चाहे दूसरे कुओं की व्यवस्था की जाय या कोई और तरीका अपनाया जावे लेकिन पानी की व्यवस्था शीघ्र की जावे।

सन् 1967 में एक स्कीम सूर सागर नाले के नाम से मंजूर हुई थी जिसमें 26 लाख रुपये खर्च होंगे। बार बार विधान सभा में और भी तरीके से राज्य सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया। भूतपूर्व मुख्य मंत्री को इसका मुआयना कराया गया। उन्होंने कहा था कि उदयपुर का नाला बड़ा न्यूसेन्स है लेकिन इसको देखने के पश्चात् यह महसूस करते हैं कि उदयपुर के नाला के मुकाबले में यह कुछ भी नहीं है। लोगों के मकानों की नींव में पानी चला गया। एक लड़की की मृत्यु हो गयी। उसमें एक गाय पड़ गयी। बार बार इस ओर तवज्जह दिलायी गयी कि इसको बस्तियों के अन्दर ढक दिया

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

जाय पर कोई परवाह नहीं। पांच वर्ष हो गये अभी तक योजना खत्म नहीं हुई और न्युसन्स ज्यों को त्यों बनी हुई है। वहां इतना गंदा पानी सड़ता है कि वहां पर इनसान का रहना मुश्किल है। इसलिये आप इस ओर ध्यान देकर व्यवस्था कीजिये। आश्वासन दिये गये लेकिन पांच पांच वर्ष हो गये कोई भी इस ओर तवज्जह नहीं दी गयी। कम से कम इस को ढक तो दीजिये। आदमी मोटर में बैठ कर भी नहीं निकल सकता है। मंत्री महोदय, जिन अफसरों ने नाका बनाया है उसकी जांच कराइये। अफसरान की ही गलतियां है यह मैं दावे के साथ कहती हूं। बीकानेर की जनता का 26 लाख रुपया इस पर खर्च हुआ है। 26 लाख की जिम्मेदारी उन अफसरान पर लगानी चाहिये।

और उन अफसरान से पूछना चाहिये आखिर यह स्कीम गलत क्यों बनी और अगर गलत बनी तो उनको दण्ड दिया जाना चाहिए। आज भी वहां की हालत खराब है। मैं माननीय मंत्री महोदय का खास तौर से ध्यान दिलाना चाहती हूं वे इस बात की पूरी जांच करें क्या हुआ है जो स्कीम पूरी करनी है उसको जल्दी से जल्दी पूरी कराने की व्यवस्था करें (विराम) मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल :

(अनुपस्थित)

श्री गुरदयालसिंह सन्धु।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु (करणपुर) : उपाध्यक्ष जी मैं अपने कटौती प्रस्तावों द्वारा गंगानगर की स्थिति के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। गंगानगर जिला आबादी के हिसाब से राजस्थान में दूसरे नम्बर पर आता है और वैसे शहर के हिसाब से राजस्थान में छटे नम्बर पर आता है। गंगानगर में एक हास्पिटल चल रहा है। उसमें पिछले वर्ष कुछ बैडस की संख्या बढ़ाई थी लेकिन बजट में बढ़ोतरी नहीं की गई थी जिसके कारण स्थिति पहले जैसी है। उसमें हालत यह है कि गन्दगी ज्यादा है, दवाइयों का प्रबन्ध नहीं है। डाक्टर बहुत लम्बे अर्से से बैठे हुये हैं और आपस में लड़ते रहते हैं और आपस में सहयोग नहीं है और इसके कारण वहां पर हालत खराब है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि कुछ थोड़े से समय की बात है–दो वर्ष पहले की, एक लड़का जगजीतसिंह सड़क पर बेहोश मिला और उसे उठाकर पुलिस वाले हास्पिटल में ले आये। वह बेहोशी की हालत में था। उसका कोई वारिस नहीं था और लावारिस के हिसाब से उसका इलाज नहीं किया गया और उसकी वहां पर मौत हो गई। सुबह पता लगा कि उस लड़के को डेड बाडी Mortuary में भेज दिया गया और यह कब पता लगा जब सुबह उसका भाई हास्पिटल में गया। उसके भाई का नाम सरदार मुकनसिंह था और वहां के डाक्टर का नाम एस.के. शर्मा था। जब उसने डाक्टर से कहा यह जो डेड बाडी Mortuary में भेजा है वह मेरा भाई है। तब डाक्टर ने कहा ऐसे डेड बाडी नहीं मिलती है-रुपया चाहिये और उससे 100 रुपया मांगा। बड़ा झगड़ा हुआ आखिर 50 रुपये देकर डेड बाडी ले गया। उसके बाद शिकायतें की और उसकी एन्क्वायरी भी चल रही है लेकिन आज तक उस डाक्टर के खिलाफ कुछ नहीं किया गया। उसका

(श्री गुरदयाल सिंह सन्धु)

रिजल्ट यह रहता है कि उस डाक्टर को करनपुर भेजा जाय क्योंकि गवाह करनपुर के हैं। उस पर काफी प्रेशर डाला, यह हालत है वहां की। वहां ऐसे बहुत से केसेज होते हैं। मैं पदमपुर का रहने वाला हूं। पदमपुर में एक ऐसी डिस्पेन्सरी चल रही है जहां गंगा नगर की जैसी हालत है। वहां पदमपुर में एक लाख की आबादी है और एक छोटी सी डिसपेन्सरी चल रही है। वहां पर अपने तौर पर ही मरीज रहते हैं। वहां के डाक्टर प्राइवेट प्रेक्टिस कर रहे हैं। पिछले एक दफा तबादला कर दिया गया था, उन्होंने कोशिश की तबादला न हो तो उनको 10–12 मील पर लगा दिया गया। वे वहां पर अपने स्कूटर पर चले जाया करते थे, लेकिन वे अभी भी पदमपुर में रहते हैं। वे प्राइवेट प्रेक्टिस चलाते हैं–हास्पिटल में नहीं आते हैं न हास्पिटल में उनका कोई काम है अगर किसी मरीज को ले जायं तो कहते हैं इसको जहर दिया हुआ है। मैं इसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराऊंगा। जगजोत सिंह का पिता बीमार हो गया, उसको टाइफाइड हो गया उसको जब वहां पर ले गये तो ले जाने के बाद डाक्टर ने कहा आपने इसको जहर दिया है। बड़ी मेहनत से उसको वहां ले गये और डाक्टर ने कह दिया इसको जहर दिया है। वह वहां मर गया तो उसकी डेड बाडी को 500) रुपये लेकर छोड़ दिया। यह तो वहां की हालत है। उसके बाद शिकायत की और शिकायत के जरिये अपने भूतपूर्व मंत्री जो वहां गये और सब लोगों ने वहां उनसे कहा डाक्टर का यह रवैया है और ऐसा हो यह काम करता है। मंत्रीजी ने कहा यह नन्दसिंह आसावा का आदमी है। काफी शिकायतें कीं लेकिन कोई ट्रान्सफर नहीं हुआ। एक छोटा सा लड़का था उसके नाक में मिट्टी फंस गई और उसके घर वाले उसको हास्पिटल में ले आये डाक्टर ने केस बनाकर उसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी। उसके भी डाक्टर ने 200) रुपये ले लिये। जब लड़के से पूछा गया और सब जगह पूछा गया तो राजी हो गये लेकिन उसने कहा दो सौ रुपये ले लिये हैं अब मैं नहीं दूंगा। यह वहां की स्थिति है जो गंगानगर में चल रही है। एक सांखला नाम का डाक्टर है उसका तबादला नहीं किया जाता है। उसका ट्रान्सफर धौलपुर कर देंगे मगर वह धौलपुर नहीं जायगा।

श्री शीशराम ओला : आप तो बहुत पुरानी बातें दोहरा रहे हैं।

श्री गुरु दयाल सिंह सन्धु : पुरानी बातें नहीं है, नई बातें है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पुरानी ही चल रही हैं।

श्री गुरु दयाल सिंह सन्धु : मैं नई भी सुनाना चाहूंगा। सांखला का 69 में ट्रान्सफर हुआ। अगस्त 69 में ट्रान्सफर हुआ और जुलाई 70 तक धौलपुर से तनख्वाह लेते रहे और गंगानगर में बैठे रहे और अब ट्रांसफर हुआ था और एक सप्ताह में केन्सिल हो गया यह तो 10–15 दिन की बात है। डाक्टर की तार आ रही है फलां डाक्टर, फलां डाक्टर किन्तु असल झगड़ा यह नहीं है झगड़ा यह नहीं ह

(श्री गुरदयाल सिंह सन्धु)

कि उनमें आपस में कोई झगड़ा हो । झगड़ा तो यह है कि मरीज मेरे पास आए, वह डाक्टर कहता है मरीज मेरे पास आये। वह कहता है मेरी प्रेक्टिस का क्वश्चन है, वह कहता है मेरी प्रेक्टिस का क्वेश्चन है। मैं अर्ज करना चाहता हूं यह हालत है। मैं कहना चाहता हूं मेरे पास एक गांव है जलूके वहां पर एक चपरासी है जो दवा बांटता है। वह पढ़ा हुआ नहीं है। मैंने सुना 400 रुपयों की दवाइयां बेची हैं। पिछले 6 महीने एक कम्पाऊन्डर लगा हुआ था उसका ट्रान्सफर हो गया। वह जलूके के गांव से हर सोमवार को वहां आता था और पिछले सप्ताह की पूरी हाजरी लगा देता है और कहता है मैं बीमार हूं और सप्ताह के बाद आकर पूछता है कोई आया था नहीं । कोई आया तो दरख्वास्त दे देता है और अगर कोई नहीं आया तो दरख्वास्त को फाड़ देता था। और पूरे सप्ताह की हाजरी लगा देता था । यह रोज की बात है। जलूका में एक चपरासी बैठा है वह उसी गांव का है। वह कहता है मैं नहीं जानता दवा का नाम क्या है। 400–500 रुपये की दवाइयां तकसीम को जाती है। मैं अर्ज कर रहा था वहां एक मलेरिया सेन्टर भी है। मेरे गांव के पास है। वहां एक सरपंच बैठा हुआ है वह भी ऐसा ही करता है। पिछले सप्ताह का भी जब आता है भर देता है। वह कहता है काम क्या करें थोड़ी सी तनख्वाह मिलती है। हमको कोई टी.ए., डी.ए. भी नहीं मिलता है न रहने को कोई मकान है और न कोई दूसरी सुविधा है। हमें एक जगह पर बैठाया हुआ है। हमें भी जब फुर्सत मिलती है जाते हैं और सारे पिछले सप्ताह की एन्ट्री कर आते है। यह रिवाज वहां चल रहा है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं वहां पर अभी-अभी एक फुड इन्सपेक्टर अजीतसिंह है. वह वहां चक्कर काटता रहता है। पांच साल से वह वहां इन्सपेक्टर है। उसने कुछ काम नहीं किया। उसके नवम्बर के महीने में आदेश हुये थे कि तुम आबू चले जावो वह नहीं जा रहा है। वहां चक्कर लगाता रहता है किसी तरह ट्रान्सफर कैन्सिल हो जाय और कह देता है मैं इलेक्शन ड्यूटी पर लगा हुआ हूं। एक पक्ष के लोगों का काम करता है वैसे ड्यूटी पर हाजिर नहीं। नवम्बर से आज तक उस समय मैं कह सकता हूं किसी ड्यूटी पर हाजिर नहीं है और नवम्बर में ट्रांसफर हो गया था।

यह हालत है वहां के हास्पीटल की कि दवाइयां नहीं हैं, पट्टियां नहीं हैं और मैं जिस क्षेत्र में रह रहा हूं वहां तो एक मामूली सी डिस्पेन्सरी है और एक डाक्टर है, एक क्वार्टर है जिसको किराये पर दिया हुआ है। कोई मरीज आता नहीं है, बेड नहीं है और प्राईवेट बना रखा है शर्मा मेडिकल क्लिनिक उसका नाम है। वह चलाता है और अब थोड़ा उसके धन्धे में मद्धम आया है, वह भी चाहता है कि ट्रान्सफर हो जाये, क्योंकि इलेक्शन के बाद थोड़ी तब्दीली आई है। अब वह रात में कभी-कभी आता है डेढ़-दो महीने से। उसकी एक दुकान है ड्रग्स की। वहां तो दवाइयां बेचता है। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें सुधार की जरूरत है।

गंगानगर में पिछले 15 साल से वहां डाक्टर बैठे हुए हैं। इनको सब को एक बार तो ट्रान्सफर कर दो, ये मेरा निवेदन है

(श्री गुरदयाल सिंह संधु)

और वहां पर नये आदमी ले जायें। मैं तो यह मानकर चलता हूं कि वह कोई प्रेस्टिज क्वेश्चन नहीं है। वह क्वेश्चन है उनके बटवारे का। तो आप उनका ट्रान्सफर कीजिए और ऐसे डाक्टर हैं कि जिनके खिलाफ शिकायतें चल रही हैं जैसे डा. बी डी. शर्मा हैं। मैं पदमपुर की डिस्पेन्सरी के लिए भी कहूंगा कि वहां म्युनिसिपैलिटी है और एक लाख की आबादी है और वहां एक छोटी सी डिस्पेन्सरी है उसको भी सरकार को अपग्रेड करना चाहिए। उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

अब मैं थोड़ा पीने के पानी के मुतालिक कहता हूं। हम भी गंग केनाल के लोग हैं। लोगों का मानना है कि वहां गंग केनाल होने से कोई तकलीफ नहीं है लेकिन मैं कह दूं कि आबादी में पानी नहीं है एक आदमी एतराज कर दे आबादी को पानी न दें क्योंकि उसको पानी कम मिलता है तो उस आबादी को नहर वाले पानी नहीं दे सकते। यह सही भी है कानूनन, इससे बहुत सी आबादी को पानी नहीं मिल रहा है। जब बस्ती में पानी नहीं है तो मैंने कहा कि मेरी बाड़ी में पानी दे दो। हम तो बाड़ी में से ले ले लेकिन जो भूमिहीन हैं वे कहां से लें। मेरे पास गांव है उसमें दो आबादी है, एक आबादी के लोगों को जमीन तो रायसिंहनगर से मिलती है, वह बहुत बड़ा गांव है लेकिन वे कहते हैं कि पीने के लिए हमें पानी मिलना चाहिये और वे कहते हैं कि यहां से मिलना चाहिये और दूसरे कहते हैं कि हम कैसे दे सकते हैं हमारी जमीन को पानी की कमी आयेगी। अब उन्होंने समझौता करके थोड़ा सा पानी तो ले लिया लेकिन वहां के रहने वाले हरिजनों को पानी नहीं मिल रहा है। इस असेम्बली में भी यह सवाल उठाया तो मैं हैरान हूं। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि पीने के पानी को गंगानगर में बहुत भारी समस्या है। वहां तो पंखे लगाये जा सकते हैं जो कि हवा से चलते हैं और पीने के लिए लोगों को पानी दिया जा सकता है। तो करनपुर में जो वाटर वर्क्स है वह पानी पूरा नहीं दे रहा है और वहां पानी की बहुत तकलीफ है और इसके अलावा केसरीसिंहपुर में पानी के लिए आज से चार-पांच साल पहले सर्वे हुआ था लेकिन वहां पानी का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। तो मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि करनपुर में पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं हैं। करनपुर बहुत बड़ा कस्बा है, वहां म्युनिसिपैलिटी भी है तो वहां पानी का प्रबंध होना चाहिये। केसरीसिंहपुर और दूसरे गांवों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। यह कह कर मैं अपनी मांगों को आपके सामने पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल।

श्री मीठालाल (लालसोट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी के सामने कल तो सड़कों के बारे में निवेदन किया था लेकिन सड़कों के बिना तो काम चल सकता है लेकिन मानव रोगों के निराकरण किये बिना काम नहीं चल सकता। उपाध्यक्ष महोदय, आज यह स्थिति हो गई है कि चाहे आयुर्वेदिक औषधालय हो, चाहे डिस्पेन्सरी हो या चाहे हास्पीटल हो, कहीं दवाइयें नहीं हैं हो सकता है बड़े शहरों में जरूर दवाइयों आदि का इन्तजाम हो

(श्री मीठालाल)

लेकिन गांवों में आज स्थिति यह है कि यदि डिस्पेन्सरी के सामने, औषधालयों के सामने, या हास्पीटल के सामने से उनके बोर्ड हटा-कर यह लिख दिया जाये 'रोग सलाहकार कार्यालय' तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज कोई भी मरीज हास्पीटल में जाता है तो जो डाक्टर लोग चिट्ठी पैड में लगाकर रखते हैं उसमें लिख देते हैं कि ये दवाइयां बाजार से ले आओ। तो यदि इन हास्पीटल और डिस्पेन्सरी के आगे रोग सलाहकार कार्यालय लिख दिया जाये तो जनता को पहचानने में देरी नहीं लगेगी और आप भी उसकी वास्तविक स्थिति में पहुंच जायेंगे। आज माननीय मंत्री महोदय अनुभव करते हैं कि किसी भी हास्पिटल में 90 प्रतिशत दवाइयां बाजार से आती हैं और जो 10 प्रतिशत दवाइयां दी जाती हैं वे भी मिक्सचर बोतलों में भर कर रखते हैं या बाजार से जो 10 पैसे की 10 गोलियां आ जाती हैं वह मरीजों को जरूर दे दी जाती हैं। कोई भी रोग का बीमार आये मैं समझता हूं कि दस बीस बीमारियों में तो मिक्सचर या गोलियां दी जाती हैं। बाकी सब दवाइयां बाजार से खरीदनी पड़ती हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम दवाइयों का जितना हो सके उतनी अधिक से अधिक व्यवस्था की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि हर विभाग में, गांवों में और शहरों में भेद-भाव बढ़ता जाता है उसी तरह से स्वास्थ्य के बारे में भी शहरों और गांवों में भारी भेद-भाव है। आज जयपुर को ही देख लें, कहीं तो हास्पीटल हैं, कहीं औषधालय हैं और कहीं 'ए' श्रेणी के हैं और कहीं, 'बी' श्रेणी के हैं। यहां पर जनाना हास्पीटल भी ले लें तो मर्दाना हास्पीटल भी ले लें। गांवों की स्थिति यह है कि बीस-बीस मील के क्षेत्र में एक भी औषधालय नहीं है। बड़े हास्पीटल तो होना दूर रहा लेकिन बीस-बीस मील में औषधालय भी नहीं मिलेंगे। मेरा निवेदन है कि आप इन स्थानों के लिए एक सलाहकार वैद्य तो दे दें कि जो सलाह दे सकें कि बीमारी क्या है। आये दिन यह प्रायः देखा जाता है कि भूतप्रेत देखने वाले वहां आ जाते हैं और उनके हाथों से कई औरतों और आदमियों की मौत हो जाती है, लेकिन वहां कोई रोगों की सलाह देने वाला नहीं रहता। देवी-देवताओं के सामने ढोंग करके लोगों की जान ले लेते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, 15 या 20 मील के एरिया में राजस्थान में एक आयुर्वेदिक औषधालय तो जरूर खोला जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, बड़े-बड़े हास्पीटल के बारे में कहूंगा। सवाई माधोपुर जिले का हैडक्वार्टर हैं और वहां पर 100 रोगी शय्या का हास्पीटल खुला था लेकिन आज तक 100 रोगी शय्याओं के बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है और वहां एक शय्या ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर रोगी अपना इलाज करवा सकें।

दूसरी बात दवाइयां तक उनमें नहीं हैं। अधिकांश जगह प्रायः सभी हास्पीटल में आजकल आम शिकायत मिलती है कि डाक्टर लोग रिश्वत लेते हैं और दो आदमियों में झगड़ा हो जाता है तो डाक्टरी मुआयने में हजार-हजार और

(श्री मीठालाल)
पांच–पांच सौ रुपये की भी रिश्वत ले ली जाती है।

अगर कोई इलाज कराने के लिए आता है तो आज गांवों में यह एक आम धारणा बन गई है कि डाक्टर साहब से घर पर मिलेंगे तो ज्यादा अच्छा-इलाज होगा अस्पताल के बनिस्पत । तो इस प्रकार की जो यह प्रक्रिया दिनों दिन बढ़ती जा रही है उसके बारे में सरकार को विशेष तौर से सोचना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, जो पंचायत समितियों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल रखे हैं उनमें अधिकांश स्थानों पर या तो भवन नहीं हैं, भवन हैं तो दवाइयों के बारे में कहने की बात ही नहीं है । इसलिए कम से कम भवन और डाक्टरों की व्यवस्था तो निश्चित तौर से कर देनी चाहिए ।

पहले मच्छरों को समाप्त करने के लिए सब जगह डी.डी.टी. छिड़की जाती थी और उससे काफी फायदा हुआ था। मच्छरों की शिकायत भी बहुत कम हो गई थी लेकिन आज स्थिति यह है कि हो सकता है कि कहीं लिखा पढ़ी करें तो उन स्थानों पर डी. डी. टी. छिडक दी जावे लेकिन गांव गांव में यह काम बन्द कर दिया गया है और गांवों की तो बात दूर जयपुर शहर में भी आज सब जगह मच्छरों की शिकायत है । यहां भी मच्छर पहले से ज्यादा बढ़े हैं । आज तुलना में मच्छरों की शिकायत प्रायः सब जगह ज्यादा है । चाहे कस्बा हो, चाहे गांव हो और चाहें बड़ा शहर हो, सब जगह मच्छर ज्यादा पैदा हो रहे हैं और वे ही सब बीमारी के कारण बने हुए हैं।

शल्य चिकित्सा केन्द्र आप गांवों में लगाते हैं। वे गांव वालों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं और गांव वालों की बहुत कुछ समस्यायें इन शल्य चिकित्सा केन्द्रों से हल हो जाती है लेकिन इन कैम्पों की जो संख्या है वह गांवों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती। उनके बारे में मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन कैम्पों की संख्या बढ़ाई जावे और अधिक से अधिक दो तीन साल में एक पंचायत समिति में एक कैम्प का दौरा जरूर होना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, माताओं का जो प्रसव समय होता है वह शहरों में भी होता है तो गांवों में भी होता है। लेकिन यहां शहरों में कोई माता बच्चा देती है तो उसको सब सुविधाएं मिलती हैं, यहां जनाना अस्पताल में भर्ती करा देते हैं लेकिन गांवों में देख-रेख कौन करेगा । यहां बड़ो 2 नर्सें हैं, दवाइयां और इंजेक्शन लग जाते हैं लेकिन गांवों में क्या है जब कि शहरों की बजाय गांवों में ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। दस दस, बीस बीस मील के क्षेत्र के अन्दर केवल तहसील हैडक्वाटर या पंचायत समिति के हैडक्वार्टर पर कहीं-कहीं नर्स दाइयां रखी हैं या मिडवाइफ्स हैं बाकी और कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। यहां तो सब तरह की दवाइयां लग जाती हैं लेकिन न वहां दवाइयों की कोई व्यवस्था है डाक्टरी सलाह की कोई व्यवस्था है और इसके परिणामस्वरूप हजारों की तादादों में, माताएं और बहिनें

(श्री मीठालाल)

इसी समय पर अपना जीवन दे देती हैं। तो मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इन मिडवाइव्स की व्यवस्था कम से कम जहां आयुर्वेदिक औषधालय हैं, वहां तो निश्चित रूप से कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय, पानी के बारे में भी निवेदन है। सरकार इस मामले में ऐसा जान पड़ता है कि जागरूक है पानी के मामले में, लेकिन फिर लोगों को भी ऐसा मालूम पड़ना चाहिए कि जागरूक है। यह सही है कि सरकार इस मामले में जागरूक है और कई नई-नई योजनाओं का प्रावधान रखा है लेकिन कम से कम लोगों को भी मालूम पड़ता जाय कि सरकार जागरूक है। यह मेरे क्षेत्र की बात नहीं है, मैं नाडौती के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी जानते हैं कि वहां से प्रायः हर समय कांग्रेस के एम. एल. ए. जीत कर आते रहे हैं। वह ग्राम गंगापुर और टोडाभीम के बीच में है। नाडोती का क्षेत्र आधा गंगापुर में आता है और आधा टोडाभीम में आता है। नादोती के पास करीब 8–9 गांव है जिसमें पीने के पानी की बहुत ज्यादा किल्लत हमेशा रहती है और प्रायः प्रतिवर्ष गवर्नमेंट भी कुछ न कुछ इन्तजाम पानी लाने का करती है, ट्रकों के द्वारा लेकिन उपाध्यक्ष महोदय करीब तीन या चार साल पहले, सन् 1968-69 में 23 लाख की योजना केन्द्रीय सरकार से स्वीकृत हुई थी और 23 लाख रुपया केन्द्र सरकार ने इसके लिए पास किया था लेकिन उन 23 लाख रुपयों की आज तक न तो कोई योजना ही बनी और न आगे कोई कार्यवाही ही हुई। न वहां पर सर्वे हुआ और न कोई और काम हुआ। तो आखिर वह 23 लाख रुपया कहां गया? वह केन्द्र सरकार के पास है या राजस्थान सरकार के पास है या सरकार ने इस 23 लाख रुपये को किसी अन्य स्थान पर लगा दिया या यह हो गया कि 23 लाख रुपया कागजों में खर्च हो गया लेकिन क्षेत्र में कुछ भी खर्च नहीं हुआ। प्रतिवर्ष गर्मियों में वहां पर इतनी दिक्कत होती है कि लोगों को पांच-पांच मील तक पानी नहीं मिलता। तो उपाध्यक्ष महोदय, इस योजना के बारे में माननीय मंत्रीजी विशेष तौर पर गौर करके देखें कि किस लिए यह योजना रुकी हुई है और इसके बारे में विशेष गौर करके इस योजना को हाथ में लें।

उपाध्यक्ष महोदय, लालसोट कस्बे में जलप्रदाय योजना द्वारा पानी सप्लाई किया जाता है लेकिन आधे कस्बे में तो पानी पहुंचता है और आधे कस्बे में पानी नहीं पहुंचता है, लेकिन विभाग द्वारा डिमाण्ड नोटिस सबके पास पहुंचा दिया जाता है जिनके पास पानी नहीं पहुंचता है उनके पास भी डिमाण्ड नोटिस पहुंच जाते हैं कि या तो पैसा जमा कराओ नहीं तो कनेक्शन काट देंगे, कुड़की लाकर पैसा वसूल करेंगे। जिसके पास पानी ही नहीं पहुंचा तो भी उसके पास बड़े-बड़े नोटिस भेज दिए जाते हैं प्रतिमाह की इस बिल की रकम वसूल होगी। इस तरह से लोगों को कुड़की की धमकी देकर और कई नाजायज तरीकों से उनसे रकम वसूल की जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं लालसोट क्षेत्र के बारे में एक बात और निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय लालसोट

(श्री मीठालाल)

तहसील में बीस-पच्चीस माइल तक कोई औषधालय नहीं है। मैं समझता हूं कि जयपुर जिले में सबसे कम औषधालय लालसोट पंचायत समिति में हैं। और यह पहाड़ के बीच का इलाका है। मैंने एक प्रार्थना-पत्र माननीय मंत्रीजी को भी दिया है खटूमर ग्राम के बारे में कि इसके चारों तरफ पहाड़ हैं, अगर कोई दवाई की सलाह भी लें तो भी बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस माइल तक कोई डिस्पेंसरी और दवाइयों की व्यवस्था नहीं है। दवाइयां तो सरकारी मिलती ही नहीं हैं, लेकिन अगर कोई डिस्पेन्सरी खोल कर सलाह देने की व्यवस्था कर दी जाय तो लोगों को सुविधा हो सकती है। इस बारे में मेरा कट मोशन है कि खटूमर में औषधालय खोलने का कष्ट करें।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा एक पी. एच. पी. के बारे में मेरा निवेदन है, इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सन् 71–72 में 16 लाख का प्रावधान किया गया था लेकिन 72–73 में 5 लाख 50 हजार कर दिया गया है। मैं माननीय मंत्रीजी से जानकारी चाहूंगा कि यह [illegible] प्रावधान रखा गया है या इसमें कोई गलती हो गई है जिसको बाद में सुधारा जाएगा.....

श्री चन्दनमल वैद : बीस लाख और 11 लाख अलग हैं, यह उसमें शामिल नहीं हैं।

श्री मीठालाल : वह इसके अन्दर नहीं हैं।

श्री चन्दनमल वैद : बजट स्पीच को भी इसके साथ मिला कर पढ़ो।

श्री मीठालाल : धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा आपके विभाग में रसायनिक परीक्षण एवं जल विश्लेषण विभाग है जो गावों में और शहरों में, जो खराब पानी है जो पीने योग्य पानी नहीं है, उसके बारे में सलाह देता है कि किस तरह से पानी को पीने योग्य बनाया जा सकता है और किस तरह से दवाइयां वगैरा मिला कर उसको पीने योग्य बनाया जा सकता है। लेकिन हमने तो आज तक न देखा है और सुना कि इस प्रकार का कोई विभाग है।

उपाध्यक्ष महोदय, तो इस ढंग का यह जो विश्लेषण परीक्षण और जल विश्लेषण विभाग है उसके बारे मे जरूर निर्देश दें कि वह गांवों में जाकर लोगों को समझायें ताकि गांव वाले भी फायदा उठा सकें। उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम गांवों के इस स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या का जो हल हो सकता है उसको और जरूर ध्यान दें और शहरों की तरफ भी ध्यान दें। परन्तु गांव वाले बड़े अस्पताल अपने यहां पर नहीं चाहते हैं। वे तो सिर्फ औषधालय चाहते हैं। वे इसके लिये मकान भी देंगे आप केवल एक वैद्य उनको दे दें।

अन्त में मैं उपाध्यक्ष महोदय, वैद्यों के बारे में एक सुझाव सरकार को देना चाहता हूं। आज जो बेरोजगार वैद्य हैं उनको अभी तक पोस्टिंग नहीं की गई है। उनको आप कहीं पर लगायेंगे। परन्तु उनको लगाने

(श्री मीठालाल)

के पहले जब कि वह बेरोजगार है उसको आप सौ रुपया, डेढ़ सौ रुपया जरूर दें। वह पास शुदा वैद्य हैं। यह सरकारी सहायता आप उनको दें ताकि वे गांवों के अन्दर प्राइवेट प्रेक्टिस कर सकें। गवर्नमेन्ट आवश्यकतानुसार इस रकम में हेरफेर कर सकती है। अगर उसको किसी प्रकार की सहायता दी जाती है तो उसका एक फायदा यह होगा कि गांव वालों को एक वैद्य मिल जायेगा। आप उसको दवाई भी मत दीजिये। वह अपनी प्राइवेट प्रेक्टिस कर लेगा और गांव वाले समझ लेंगे कि उनके गांव में भी एक वैद्य है। इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करता हुआ कि मंत्री महोदय गांवों की आवश्यकताओं की ओर पूरा ध्यान देंगे और अगर ध्यान नहीं देंगे तो मैं सदन से निवेदन करता हूं कि मंत्रीजी को एक पैसा भी नहीं दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसे नाजुक मसले पर कट मोशन मूव किया है जिसका सम्बन्ध इन्सानों की जिन्दगी और मौत से है। मैं जो कुछ भी सुझाव रखूं और जो त्रुटियां पाइन्ट आउट करूं, मैं यह आशा करता हूं कि इन त्रुटियों को और इस क्रिटिसिज्म को इस लेविल पर लिया जायेगा, और मैं यह चाहता हूं कि इससे गरीबों को राहत मिले और मेरी यह दिली तमन्ना है कि वह समाजवाद, जिसका कि हमने वायदा किया है, उस समाजवाद की मंजिल की ओर कदम उठा सकेंगे। मेरे क्रिटिसिज्म को यह नहीं समझा जाये कि मैं सिर्फ गवर्नमेन्ट की आलोचना करता हूं। मैं किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कहना नहीं चाहता हूं।

मैं सब से पहले यह गुजारिश करूंगा कि मैंने पिछले 15-20 सालों के मुख्तलिफ बजटों का अध्ययन किया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जो कुल बजट है उसका एक बटा बारहवां हिस्सा या एक बटा ग्यारवां हिस्सा ही सिर्फ दवाइयों पर खर्चा होता है और बाकी जितना भी रुपया है वह दूसरे मद पर खर्च किया जाता है। इसका नतीजा यह होता है और कि अब इस साल के बजट पर जिसमें आपने कुल 13 करोड़ रुपये की रकम मांगी है, मैंने इसके कुछ आंकड़ों को देखने की कोशिश की है और उससे यह अन्दाज हुआ कि इसमें दवाइयों का बजट केवल एक करोड़ और 25 लाख का होगा। इसमें थोड़ा अन्तर हो सकता है इसलिये कि बजट का मामला पेचीदा है और दूसरे मैं हिसाब में कमजोर हूं। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं यह गुजारिश करूंगा कि दवाइयों का कितना कम बजट है और इसके कम होने से बहुत सी कठिनाइयां होती हैं मैं इस बारे में केवल जयपुर के अस्पताल के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। क्योंकि इस अस्पताल में जयपुर के आस-पास के लोग भी आते हैं, क्योंकि इसमें कुछ दूसरी शाखाएं भी हैं जो कि दूसरे अस्पतालों में नहीं हैं। इसलिये मैं अपनी क्रिटिसिज्म केवल इसी पर केन्द्रित करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया दवाइयों के अभाव के कारण ऐसी दवाइयां, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं जैसे पेथेडिन और मार्फिया वह हर अस्पताल में उपलब्ध होना चाहिये। परन्तु नाजुक

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

हालातों में मरीज दो-दो घन्टे इमर्जेन्सी वार्ड में पड़ा रहता है। जब पेशेन्ट वहां पर जाता है उसको कहा जाता है कि बाजार से पेथेडिन का इन्जेक्शन लेकर आओ। मर्फिया के इन्जेक्शन की कास्ट चौदह आना या एक रुपया आती है। वह तलाश कर के उसको लाता है और उसको उसी चीज के बाजार में 5-7 रुपया देना पड़ता है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस बात पर तवोज्जह करें कि ऐसी चीजें, जो कि लाइफ सेविंग ड्रग में आती हैं, वह हर अस्पताल में उपलब्ध हों। अगर ये दवाइयां न होंगी तो आप ही बताइये लोगों को राहत कैसे मिलेगी। इसके अलावा यह जो शिकायत है वह सौ फीसदी नहीं है कि छोटी-छोटी दवाईयां ही अस्पतालों से सप्लाई की जाती हैं और बाकी की दवाइयां बाजार से खरीदनी पड़ती हैं इसके लिये हमारी जिम्मेदारी यह रही है कि 25 सालों में जितना भी हमने बजट पास किया उनमें दवाइयों का जो प्राविजन था वह काफी नहीं रखा है। आप इस बात की तवज्जो फरमावें कि फारमर जयपुर स्टेट के अन्दर एक यह जो ग्लूकोज सेलाइन की प्रिप्रेशन तैयार हुआ करती थी वह बोतल फारमर जयपुर स्टेट तैयार कराती थी और वह फ्री आफ कास्ट दिया करती थी। ये ही बोतलें जो बाजार में मिलती हैं उनकी कास्ट 7 रुपया या 6 रुपया देना पड़ती है और अगर हमारे वर्कशाप के अन्दर तैयार की जाये तो इसकी कास्ट 75 पैसा हो आयेगी और यह ग्लूकोज करीब करीब हर मरीज को दिया जाता है, जिसको कोई चीज खाने को नहीं दी जाती, पानी पिलाने में दिक्कत होती है उसको ताकत पहुंचाने के लिये ग्लूकोज सलाइन दी जाती है और एक एक मरीज को चार-चार पांच-पांच बोतलें दी जाती हैं। आप अस्पताल का एक चक्कर लगाकर यह देख सकते हैं कि एक मरीज को कितनी बोतलें लगती हैं। आपको मालूम होगा कि कम से कम 5-7 बोतलें रोजाना एक मरीज को लगती हैं और इस हिसाब 35 रुपये की कास्ट एक पेशेन्ट पर आ जाती है। वह एक गरीब मरीज होता है और वह ऐसे तबके का होता है जो काटेज वार्ड में नहीं रह सकता है। अपना महंगा ईलाज नहीं करवा सकता है और वह अस्पताल के जनरल वार्ड में पड़ा रहता है। यह हालत इसलिये पैदा हुई है कि हमारा दवाइयों का जो बजट है वह कम है और इसके लिये कुछ ऐसा बहाना बना लिया गया है कि जिसके आधार पर केमिस्ट को फायदा पहुंचता है। एक केस में यह इत्तफाक हो गया कि जिस पेशेन्ट को ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई गई उसकी मौत हो गई। इस किस्म की खराबी हर अस्पताल में पाई जाती है। परन्तु अस्पताल के अन्दर भी यह स्थिति नहीं होनी चाहिये कि ग्लूकोज उपलब्ध न हो और वह मरीज को न मिले। यह क्रिटिसिज्म कर रहा हूं और सुझाव भी देना चाहता हूं कि जो ग्लूकोज अब तैयार किया जा रहा है वह ठीक है। इसकी ज्यादा से ज्यादा बोतलें अस्पताल में तैयार होनी चाहिये और वह मरीजों को उपलब्ध होनी चाहिये। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब यह है कि गांवों से जो लोग आते हैं, जो लोग कास्टली ईलाज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वे इस सुविधा का फायदा नहीं उठा सकते। इसी

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

तरह से एक बात और अर्ज करना चाहता हूं, जहां क्रिटिसिज्म करता हूं वहां समाधान के लिये सुझाव भी रखना चाहता हूं। यह न कहा जाये कि हमारे बजट में तंगी है। जो प्रिप्रेशन 14 आने के अन्दर तैयार होती है उसकी कीमत एक पेशेन्ट को 6 या 7 रुपया बाजार में देनी पड़ती है। अगर आप चाहेंगे तो पेशेन्ट आपको खुशी से एक रुपया दे देगा। ब्लड बैंक में वह खुशी से देता है तो इसका भी देगा। मेरा अर्ज करना यह है कि इसकी तरफ ध्यान देना चाहिये। यहां अस्पताल में राजस्थान के हर कोने से लोग आते हैं इसलिये हर चीज यहां पर उपलब्ध होनी चाहिये।

आप मुलाहिजा फरमाइये कि गैस और आक्सीजन जिसके कम्पाइनेशन को मिला कर आपरेशन होता है वह भी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं होता है और इसके अभाव में आपरेशन को पोस्टपोन करना पड़ता है। यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यह गुजारिश करूंगा कि आज जो लोग जिन्दगी और मौत के दरमियान भूल रहे हैं, जो जिन्दगी की आखरी नमाज गुजार रहे हैं उनके लिये इस किस्म की चीज उपलब्ध की जाये तो हम कह सकते हैं कि हम समाजवाद की तरफ बढ़ रहे हैं।

यह साइन्टिफिक दौर है, साइन्स का जमाना है। इसमें हर चीज का अध्ययन, हर मरीज का डाइगोनेसिस इसी तरीके से होता है। स्पुटम एक्जामिन होता है, यूरिन एक्जामिन होता है, ब्लड एक्जामिन होता है और उसके साथ साथ बहुत से अन्दाज ऐसे हैं कि जिनके अन्दर एक्स-रे प्लेट्स लेना पड़ती है, और उनकी उपलब्धि भी इतना ही जरूरी है जिनसे और किस्म के एक्जामिनेशन हों। मेरा आपको अर्ज करने का मकसद यह है कि यहां पर 12 मशीनें इस हास्पिटल के अन्दर हैं। जयपुर में मानसिंह हास्पिटल उन 12 मशीनों के ऊपर मैंने जहां तक असर्टेन किया है मुझे यह पता चला है कि 400 पिक्चर्स तैयार हो सकती हैं। पर होता क्या है कि उनके ऊपर, जहां तक मुझे पता चला है 10–5 का इधर–उधर फर्क हो सकता है, 30 पिक्चर्स रोजाना तैयार होती हैं। तो आज चीजें हैं, स्टाफ भी कम्पीटेन्ट है और मशीनें भी मौजूद हैं लेकिन वे इसलिए इस्तेमाल नहीं हो सकती हैं कि उनके पास एक्स-रे प्लेट्स एवेलेबल नहीं हैं। मैं यह गुजारिश करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट यह कहती है कि एक्स–रे के प्लेट्स एवेलेबल नहीं हैं, उनको एक्स-रे प्लेट्स नहीं मिलती है, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक्स, जो यहां पर 4–5–7 या 10 चलते हैं, मैं पूरे स्टेटिस्टिक्स प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन 4–5 प्राइवेट क्लिनिक जरूर चल रहे हैं, जिनके अन्दर एक्स-रे प्लेट जितना वह चाहते हैं वह मिलती है। उसी हास्पिटल के सामने सन्तोकबा क्लिनिक में 70 पिक्चर्स रोजाना तैयार होते हैं तो हम गवर्नमेंट के लेवल पर यह कहते हैं कि हमें प्लेट्स दस्तयाब नहीं होते हैं। यह मैं कहता हूं कि यह मेरी समझ में आने वाली बात नहीं है। इसलिये इस पर गम्भीरतापूर्वक तवज्जह देना चाहिये। जहां पर 400 प्लेट्स तैयार हो सकते हैं वहां पर हमारे आर्थोपैडिक डिपार्टमेन्ट ने, जो राजस्थान के बजट में गुजिश्ता साल में

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

एस्टीमेट रखा वह 2372 प्लेट्स का रखा कि इतनी हर महीने चाहिए, जब कि हमारे यहां पर कुल महीने भर के अन्दर 30 प्लेट्स के हिसाब से 900 पिक्चर्स ली जा सकती हैं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि एक डिपार्टमेन्ट की रिक्वायरमेन्ट हम मीट नहीं कर सकते हैं और हमारी एक्स-रे मशीनें बेकार पड़ी हैं और हमारा एक्स-रे डिपार्टमेन्ट राट कर रहा है, और प्राइवेट क्लिनिक्स 70-80 प्लेट्स प्रोड्यूस कर रही हैं और वही लोग जो एक्सपर्ट प्राइवेट क्लिनिक्स में जाते है, वह तैयार करते हैं। यह चीज जब इस इश्यू को लूंगा तब अर्ज करूंगा। लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह मसला, जो है, बहुत गम्भीर है। इसकी तरफ मंत्री महोदय को तवज्जह देना चाहिए और यह जो स्टेट आफ अफेयर्स है यह बदलना चाहिए। एक्स-रे प्लेट्स जब एवेलेबल न हों तो उसका नतीजा यह होता है कि जो लोग टांग टूटे हुए लंगड़े, लूले ट्रालीज में भर कर जाते हैं उस क्लिनिक में जहां कि प्लेट्स तैयार होती हैं तो एक–दो आदमी उनको ले जाते हैं तो वहां पर 6 घन्टे उस कम्पाउन्डर के या उस पोर्टर के जो कि यह कार्य करते हैं और उनको ले जाते हैं उनके सर्फ हो जाते हैं। हास्पिटल के स्टाफ का वक्त इस तरह से जाया होता है, और प्लेट्स एवेलेबल नहीं होने की वजह से ये तमाम दिक्कतें पैदा होती हैं। तो इस डिपार्टमेंट के मंत्री महोदय से अर्ज करूंगा कि आपकी जिम्मेदारी है, और आपने यह अपने सिर पर बोझ लिया है उसकी कठिनाइयां इस वक्त आपके सामने रखी गई हैं और पहले भी रखी गई हैं इस सदन में, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि इसकी तरफ तवज्जह नहीं की गई, और अब आपने जब यह बोझ अपने सर पर लिया है तो मैं यह समझता हूं कि यह चीजें बहुत जल्दी तय होंगी और इसको आप जल्दी से सेटल करेंगे।

इसके बाद में मैं यहां पर इमर्जेन्सी वार्ड के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। यह जो स्टेट आफ अफेयर्स है वह बहुत ही अफसोसजनक है। आपको एक नहीं अनेकों मिसालें इस किस्म की दे सकता हूं। इमर्जेन्सी वार्ड में जो ट्रेनीज डाक्टर होते हैं उनको इमरजेन्सी वार्ड में भेज दिया जाता है, और बड़े-बड़े सीरियस केस इमर्जेन्सी वार्ड में जाते हैं और बाबा आदम के जमाने के इन्स्ट्रूमेंट्स वहां रखे हैं, कोई दवा नहीं, कोई आक्सीजन नहीं, कोई आक्सीजन का सिलेन्डर नहीं, कोई इन्तजाम इस बात का नहीं है कि वहां पर किसी इमर्जेन्ट केस को लेकर उसका ट्रीटमेंट कराया जा सके, और फिर यह स्थिति पैदा होती है कि जो लोग वहां पर पहुंचते हैं रात के वक्त में कोई गरीब आदमी बदकिस्मती से पहुंच गया तो सीनियर डाक्टर को सीरियस हालत में मरीज को बताने को तैयार नहीं होते। वे अपने बास को नाराज करने को तैयार नहीं होते हैं। इसलिये इमर्जेन्सी वार्ड में बहुत सी मौतें हो जाती हैं। आपके यहां पर एक एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर थे-यह किस्सा बहुत पुराना है मगर चूंकि एक चीज है इसलिये उसका रेफर करना जरूरी है—एक एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर थे गिरधारीलाल ठाकुर। उनका एक लड़का था ओम ठाकुर। उस लड़के ने प्वाइजन ले लिया और इम-

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

जेंन्सी वार्ड में ले गये, और उसके जाने के बाद उसके रिश्तेदारों ने जिनमें बहुत से गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स थे, उनके साथ उन्होंने बड़ी कोशिश की और कहा कि बड़े सीनियर सर्जन को बुला लें ताकि वह कुछ रेमेडी कर पाये और हमारा यह बच्चा मरने से बच जाय, यह नहीं कहता कि वह बच्चा मरने से बच जाता, उसको मरना था तो मरता ही चाहे बड़ा डाक्टर भी आ जाता, लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। इमर्जेन्सी वार्ड में अनट्रेन्ड लोगों की जरूरत नहीं है। इमर्जेन्सी ऐसा वार्ड होता है कि जिसमें सीरियस केसेज आते हैं और ऐसे आड अवर्स में आते हैं जिनका ट्रीटमेंट इमर्जेन्टली होना चाहिए। इसलिये मेरा एक यह सुझाव है जो मंत्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं कि एक कम्पीटेन्ट सीनियर फिजीशियन और एक सीनियर सर्जन हर वक्त वहां पर रहना चाहिये, और अगर ऐसा नहीं हो तो उस इमर्जेन्सी वार्ड का कोई मतलब नहीं है। अहमदाबाद और दूसरी जगहों में जहां पर म्युनिसिपैलिटीज चलाती हैं हास्पिटल्स वहां पर मैंने मालूमात की तो मुझे यह मालूम हुआ कि वहां पर इमर्जेन्सी वार्ड में बहुत कम्पीटेन्ट डाक्टर्स रहते हैं, दवाइयां इमर्जेन्सी और डिस्पेन्सरीज में बहुत सी एवेलेबल रहती हैं, आक्सीजन के सिलेण्डर्स, इन्स्ट्रूमेन्ट्स रहते हैं, उनमें हर किस्म की सहूलियत रहती है। आजकल हृदय रोग हार्ट ट्रबल बहुत ज्यादा हो गई है और बहुत से केसेस सुबह से शाम तक हम सुनते हैं, तो इमर्जेन्सी वार्ड में मोबाइल यूनिट होना बहुत जरूरी है।

इसी सिलसिले में मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि शायद मंत्री महोदय को यह मालूम नहीं है कि इस हास्पिटल के करीब गाड़ियों का एक कब्रिस्तान है। मैं वह जगह देखकर आया हूं। जैसे वियतनाम के लोगों ने अमरिका के जहाजों का एक कब्रिस्तान बना रखा है वैसे ही हमारे मानसिंह हास्पिटल के लोगों ने, अधिकारियों ने एक कब्रिस्तान गाड़ियों का जिसमें बहुत सीवाम्स 20-25, 50 हों मैं गिन नहीं सका, लेकिन मंत्री महोदय अगर वहां जाने की तकलीफ गंवारा फरमावें और वहां जाकर देखें तो उनको यह पता चलेगा कि नई से नई और अच्छी से अच्छी गाड़ियां वहां पर पड़ी हुई हैं जिनका कोई उपयोग नहीं हुआ है। यह गाड़ियां दुरुस्त होकर हास्पिटल को दी जा सकती हैं और इन पर मोबाइल यूनिट्स बनाई जा सकती हैं जिनमें हर प्रकार की सहूलियतें और आराम हों तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वे गाड़ियां खराब हो चुकी हैं, बरबाद हो चुकी हैं तो उनको नगर परिषद् को मुन्तकिल कर दिया जाय।

(श्रीमती मदन कौर, सभापति, पदासीन)

(2.58 म. प्र.)

राज्य की संपत्ति, जो इतने बड़े पैमाने पर नष्ट हो रही है, इतनी गाड़ियां वहां पर पड़ी हुई हैं जिनके टायर्स गल गये हैं और ट्यूब गल गये हैं। यह तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि राष्ट्र की यह सम्पत्ति, यह चीजें जो हमें उपलब्ध हैं उनको भी हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। इसलिये मेरी यह गुजारिश है कि इस तरफ भी बहुत

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

जल्दी तवज्जह करना चाहिये, और हमारा जो इमर्जेन्सी वार्ड है उसकी तरफ तवज्जहा इसके बारे में जो भी सजेशन्स दिये हैं, जो मैंने पेशे-नजर किये हैं उसमें कुछ न कुछ ऐसे तरीके अपनाने चाहिये जिससे लोगों की जानें बचाई जा सकें।

आजकल 15-20 मिनट के अन्दर अन्दर मौत हो जाती है और टेलीफोन वगैरह पर और इमर्जेन्सी में कोई नहीं बैठता है। एन्क्वायरी के अन्दर कोई टेलिफोन नहीं उठाता है। उसका नतीजा यह होता है कि पेशेन्ट वहीं पर मर जाता है। उसका मैं शिकार बन चुका हूं। इसलिये मेरा बड़ा गम्भीर तजुर्बा है। यहां पर 23 तारीख को मेरे बड़े भाई की डेथ हुई। मैं बहुत कोशिश करता रहा कि हास्पिटल से कान्टेक्ट करूं और किसी तरह से गाडी आ जाय तो मैं उनको शिफ्ट कर सकूं, लेकिन मैं उनको हास्पिटल में शिफ्ट नहीं कर सका और एक घन्टे की कोशिश के बावजूद भी शिफ्ट नहीं कर सका उसके बाद जो होना था सो हुआ। इसलिए मेरी गुजारिश यह है। यह चीज आपको बहुत गम्भीरतापूर्वक सोचनी चाहिए। इसके अन्दर बहुत पैसे का खर्च नहीं है। गाड़ियां आपके पास हैं, स्टाफ आपके पास है। सिर्फ यह चीज है कि उसको किस तरह से एक्जीक्यूट किया जाय। इससे बजट में बहुत बड़ा इजाफा होता हो—ऐसा नहीं है।

एक और बात आपको गुजारिश करूंगा। यहां एक वर्कशाप है, इस वर्कशाप में न सिर्फ राजस्थान के लोग बल्कि दूर दूर के लोग आते हैं। उस वर्कशाप में लिम्ब्स बनते हैं, क्लचेज बनते हैं, बेल्ट्स बनते हैं। लोग बराबर यहां आते हैं और यूनेस्को की टीम आई थी, उसने कहा, —यह वर्कशाप बहुत अच्छा है, यहां बड़ा एफीसियेन्ट स्टाफ है। हम चाहेंगे कि यहां जो सिस्टम रखा है लिम्ब्स बनाने का वह हम अपने यहां भी इन्ट्रोड्यूस करेंगे। यह हमारी खुशकिस्मती है, हमारे यहां काबिल लोग मौजूद हैं, अच्छे डाक्टर मौजूद हैं, उनकी स्कीम मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि उसके लिए बजट नहीं है। बजट नहीं होने की वजह से लिम्ब्स की कीमत मरीज से ले सकते हैं, बेल्ट्स की कीमत मरीज से ले सकते हैं, क्लचेज की कीमत मरीज से ले सकते हैं, मेरा यह सुझाव है, इसका एक बजट होना चाहिए, भले ही वह रुपया रखा रहे किन्तु जब भी कोई बनवाने आये तो वर्कशाप के द्वारा वह बना कर उसका पैसा उससे ले लिया जाय। अब यह होता है कि लूले-लंगड़े आते हैं, वह खुद दुकान पर नहीं पहुंच सकते ताकि वह वहां जाकर खरीद लायें उनको मालूमात नहीं होती हैं कि कौनसा सामान कहां मिलता है। वह मिडिलमैन को तलाश करते हैं और पांच दस, या जितने रुपये चाहिए, पहले दे देते हैं, और वह माल जैसा चाहे लाकर दे देता है। यह चीज कर सकते हैं कि आप उसका बजट बना दें, जुदा बजट बना दें और नुकसान नहीं हो इसलिए नो प्राफिट नो लास की बुनियाद पर आप सप्लाई करते रहे है और कर सकते हैं, उसकी कीमत आप लेते रहें। यह सिस्टम बहुत अफेक्टिव है, यूजफुल है और इसकी यूटिलिटी का पूरा इस्तेमाल करने के लिए, पूरा फायदा उठाने के लिए यह जरूरी है कि आप इसका बजट कायम फर्मायें और

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

उस बजट से खरीदा हुआ माल रखा रहे। आज ऐसी सोसाइटी भी है जिनको एप्रोच करें तो वह आफर करने को तैयार हैं कि हम माल दे दें नो प्राफिट नो लास की बुनियाद पर दे दें। मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा, इस वर्कशाप की तरफ आप तवज्जह करें और वर्कशाप को सही बनायें।

दूसरी चीज यहां होती है यहां फिजियोथेरापी की ब्रांच है उसमें एक्ससाइज के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। इसकी पोजीशन यह है कि यह अण्डर स्टाफ है। 1958 में 30 पेशेन्ट थे जो रोजाना यह एक्सरसाइज करने आते थे आज पर डे 280 पेशेन्ट आते हैं लेकिन स्टाफ उतना का उतना ही है। इसकी वजह से यह होता है कि जो आते हैं उनको अटेण्ड नहीं किया जाता है और वह मायूस होकर चले जाते हैं। कुछ अपने आप लटक जाते हैं, फंदों से, वहां लोग हिलते रहते हैं, यह मगर आप देखेंगे, कोई डाक्टर, यह सही है उन तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए जो स्टाफ तीस आदमियों के लिये था उसको आप आज 280 के लिए लगाना चाहेंगे तो मुश्किल की बात है। इसलिए मेरा सुझाव है, आप इस तरफ तवज्जह फर्मायें। यह जो फिजियोथेरापी की ब्रांच है, एक्ससाइज ट्रीटमेंट की, मेरी गुजारिश है, इसमें तमाम लोग, दूर दूर के लोग आते हैं, न सिर्फ गांव के लोग ही, उनकी तरफ आप तवज्जह करें। यह एक ऐसा हास्पिटल है जो थोड़ी सी तवज्जह से आइडियल हास्पिटल बन सकता है। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति यह है कि इस महकमे के जो भी मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने इसकी तरफ कोई तवज्जह नहीं फर्मायी, वह आज इस जगह नहीं हैं, कुछ सयासी मौत के शिकार हो गये, उनका जिक्र भी फालतू है, कुछ ऐसे हैं जो मेरे सामने मौजूद नहीं हैं, इसलिए यह बात कहना मैं मुनासिब नहीं समझता।

इसके अलावा एक चीज और अर्ज करूं, वह यह है, यह जो रीइम्बर्समेंट का सिस्टम बना, इस पूरे सिस्टम के अन्दर भ्रष्टाचारी बन गये हैं, डाक्टर भ्रष्टाचार में मुबतिला हो गये हैं और मुलाजिमान यह भी तमाम करप्ट हो गये हैं। जो दवा बेचने वाले हैं उनको मैं छोड़ देता हूं। बहरहाल, तीनों की साजिश से रीइम्बर्समेंट के सिलसिले में लाखों रुपया भेजा जा रहा है, फर्जी तरीके से करोड़ों रुपये सर्फ हो रहे हैं। इसलिए मैं अर्ज किया चाहता हूं, अप्रैल 1971 में फोर्ज्ड डाकूमेंट पेश किये गये, फोर्ज्ड रसीद पेश की गई और उसकी बाकायदा कम्पलेन्ट की गई। जब मैं पुलिस की मांग पर बोलूंगा, क्योंकि यह पुलिस के करप्शन का केस है, उस वक्त मैं इस केस पर बोलूंगा, अभी मैं इसको नहीं लेना चाहता। मैं मंत्री महोदय से अर्ज किया चाहता हूं यह जो मुसीबत हम पर है, यह जोरी रीइम्बर्समेंट का सवाल है. इसमें डाक्टर फर्जी सर्टीफिकेट देते हैं, मरीज, जो गवर्नमेंट एम्प्लाई होते हैं, वह फर्जी सर्टीफिकेट बनवाते हैं, उसके आधार पर फर्जी कैशमीमो बनते हैं और बहुत से लोगों ने तो यह वतीरा बना रखा है, हर दवाखाने की रसीद छपवा रखी है, यह रसीद पकड़ भी ली गई थी, उसके बाद एक दुकान पर बीस बाइस वर्कशाप की रसीद भी पकड़ी गई थी, जो दरगिस रसीद पकड़ी गई, वाउचर पकड़े गये, उसके बाद वह

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

मामला खटाई में डाल दिया गया। पता यह चला, उसमें किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिनके पास वह पकड़ी गई, उन्होंने कुछ रुपया देकर पुलिस वालों से पीछा छुड़ा लिया। मेरा कहना यह है, यह ऐसा ईविल है जो आसानी से कवर नहीं हो सकता। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज जहां दूसरे मुल्क चांद पर जाने की सोचते हैं, आसमान पर जाने की सोचते है, सितारों को फतह करने की सोचते हैं, वहां आजादी के बाद यहां यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे यहां के लोग यह सोचते हैं कि किस तरह से पैसा कमाया जाय, किस तरह से बेईमानी की जाय, किस तरह से फर्जी डाकूमेंट बनाये जायें। जिस तरह से आजादी के बाद पच्चीस वर्ष में लोग डिमारेलाइज हुए हैं उसकी पेशगोई के कारण ही महात्मा गांधी ने कहा था, जिस कांग्रेस को मैंने बनाया है, जिस कांग्रेस ने आजादी हासिल की है उस कांग्रेस को मैं चाहता हूं समाप्त कर दूं, अपनी जिन्दगी में वरना यह कांग्रेस खत्म हो जायगी। यह कांग्रेस के लिए गांधीजी का मैसेज है। मैं कहना चाहता हूं आज डिमारैलाइजेशन की इन्तहा है। हमारे देश के अन्दर आदमी चाक और खड़िया दवा में मिला कर सल्फेडाइजिन के बजाय बेचें तो यह इन्तहाई पतन है, इखलाखी पतन का नंगा नाच है। चूंकि भ्रष्टाचार बहुत है इसको आप या मैं एलीमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन इसको रोकने की तजबीज मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं मैं गुजारिश करना चाहता हूं, जितने मुलाजिम हैं उनमें जिनकी तनख्वाह पांच सौ से कम है उनके लिए अलाउन्स मुकर्रर कर दिया जाय जो मेडीकल अलाउन्स की शक्ल में उनको मिलता रहे, वह एडीशन होगा उनकी तनख्वाह में उससे वह इलाज करें या कुछ करें हो सकता है आप पन्द्रह मुकर्रर करें बीस मुकर्रर करें और हो सकता है, किसी पर्टीक्यूलर केस में नाकाफी हो, उसके लिये मेरा आल्टरनेटिव सुझाव है, आप अच्छे लोगों की एक टीम मुकर्रर कर दीजिये, जो स्पेशल केसेज को डील करे, वह स्पेशल केसेज इस तरह के डील करे, लिम्फोमा है, ऐसे मर्ज हैं जिनमें कीमती दवाई देनी पड़ती हों वह इस टीम की रिकमन्डेशन पर दे दी जाय। अभी जो रीइम्बर्समेंट का तरीका चल रहा है, उससे डाक्टर करप्ट होते जा रहे हैं, मुलाजिम करप्ट होते जा रहे हैं। 1971 में एक लिस्ट तैयार हुई थी, जो डाक्टरों की लिस्ट थी, उन डाक्टरों ने झूठे सर्टीफिकेट बनाये थे, उनमें प्रामिनेन्ट डाक्टर्स हैं, उनके नाम मैं बाद में मंत्री महोदय को बता दूंगा मिल कर। मैं अर्ज करना चाहता हूं, उन डाक्टरों पर पाबन्दी लगा दी गई थी कि वह सर्टीफिकेट रीइम्बर्समेंट के बारे में न दें। मुझे मालूम हुआ है—

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : माननीय सदस्य, मेरा आपसे निवेदन है उन डाक्टरों के नाम सदन से क्यों छिपाना चाहते हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं आपको अर्ज कर दूं, मैं एक दो नाम सिंगल आउट करूं यहां, यह गलत है। पूरी की पूरी सूची है, मैं वह मंत्री महोदय के सामने पेश कर दूंगा। मैं दो नाम लूं भी, तो उससे पर्पज सर्व नहीं होता।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

मेरा कहना है, यह चीज ऐसी नहीं है जो आपकी निगाह में नहीं हो, गवर्नमेंट की निगाह में नहीं है। गवर्नमेंट की निगाह में है, 60 आदमियों की सूची तैयार की गई है, उन पर यह पाबन्दी लगाई गई है कि वह सर्टीफिकेट इश्यू न करें। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, मेन्योवरिंग करके वह सर्टीफिकेट दे रहे हैं, आज तक भी दे रहे हैं। तो आप इस स्टेट आफ एफियर्स को टालरेट न करें, कोई ऐसा तरीका निकालें जैसे मैंने अर्ज की, उस किस्म का तरीका निकालें। अपना इन्टरेस्ट नहीं है। विधान सभा के सदस्यों को चिकित्सा मिले या नहीं, मुझे इन्टरेस्ट नहीं है, सर्विसिज के बड़े आदमियों को चिकित्सा मिले या नहीं, वह अपने आप चिकित्सा लेते हैं, अपने पैसे के बलबूते पर लेते हैं लेकिन दुख होता है कि जो लोग हक रखते हैं उनके लिए सही समय पर चिकित्सा का इन्तजाम नहीं होता है, और जो फ्राड करते हैं लाखों रुपये के फर्जी सर्टीफिकेट बना कर सरकार के लेते हैं, वे फायदा उठाते हैं। तो रीएम्बर्समेंट की जो समस्या है उसको भी आप दुरुस्त करें।

लो पेड स्टाफ के लिए गुजारिश करता हूं कि यहां पर जो नर्सेज और कम्पाउंडर्स हैं उनके लिए ड्यूटी अवर्स नियत होने चाहिए। 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी लेना किसी तरह से जायज नहीं है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

मैं समझता हूं ये बड़े महत्वपूर्ण इशूज हैं। मुझे 5 मिनट का समय दिया जाए। मुझे खास बोलने की परेशानी नहीं है लेकिन मैं चाहता हूं कि जो चीज मैं रखना चाहता हूं उसको रख दूं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि कम्पाउंडर्स और नर्सिज की सर्विस के कन्डीशन्स में कुछ तबदीली होनी चाहिए। इसके अलावा नर्सेज की कुछ रैप्यूटेशन है कि वे बदमिजाज होती हैं। यह इसलिए है कि उनको सही ट्रेनिंग नहीं मिलती है, सही तालीम नहीं है तो वे कुछ ऐसा सबूत देती हैं। तो मेरी अर्ज है कि जहां उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, जहां उनके वर्किंग अवर्स को मुकर्रर किया जाए, वहां उनको सही तालीम दी जाए कि मरीजों के साथ बड़ी हंसी खुशी के साथ पेश आएं। मैं लखनऊ मेडीकल कालेज में रहा हूं और मैंने देखा कि वहां नर्सिज इस कदर नेक और अच्छी होती हैं कि हमेशा उनका स्माइलिंग फेस होता है और उनसे यह आशा भी की जाती है, लेकिन चूंकि हमारे यहां तालीम का अभाव है, इसलिए यह चीज पैदा नहीं होती है। इसके अलावा मैं यह अर्ज करूंगा कि यहां कुछ मशीनें हैं जिनका आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ और लाखों रुपए लगाए गए, वे बेकार पड़ी हुई हैं। एक तो नन्दवाना साहब के लिए आरटीफिशल किडनी लाए थे उसका आज तक उसके बाद कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। इसके अलावा एक मशीन है जो ब्रेन का ट्यूमर एसेस कर सकती है। उसका भी शायद आज तक कोई उपयोग नहीं हुआ क्योंकि कोई टेक्नीशियन, कोई उसको जानने वाला नहीं है। एक मशीन और है जो स्कल का एक्स-रे करने वाली मशीन है जब से वह आई है उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। थोड़ी सी मेहनत से, थोड़ा सा पैसा लगाने के बाद इन मशीनों का बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता है। हमारे यहां बहुत केसेज ब्रेन ट्यूमर के आते हैं, समय पर डाइग्नोसिज करके सही हिदायत अगर

(श्री मोहम्मद गफ्फार)

करें और साउथ में जहां इसका इलाज होता है, वहां भेज दें तो उनकी जान बच सकती है लेकिन यह मशीन यूजलेस पड़ी हैं। इसलिए इन मशीनों के लिए जो कुछ भी उपयोग हो सके आपको करना चाहिए।

एक मशीन का मुझे पता चला कि उसका इसलिए इस्तेमाल नहीं होता है कि उसका पेपर नहीं आता है। मैं समझता हूं पेपर ऐसी चीज नहीं है जैसे हार्ट का कार्डियोग्राम पेपर होता है इसलिये उस मशीन का भी पेपर होता है। अगर भारत में वह उपलब्ध नहीं है तो बाहर से मंगवा सकते हैं। यह कास्टली अफेयर नहीं है लेकिन इस तरह तो मशीनें रद्दीखाने में पड़ी पड़ी खराब हो जायंगी। जिनकी जनरल अस्पतालों में यूटिलिटी हो सकती है उनको वहां भेजें। अगर उनका जिन अस्पतालों में उद्देश्य नहीं है तो वहां क्यों पड़ी हैं? इसलिए मैंने आप से गुजारिश की है।

एक बात और आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं प्राइवेट प्रेक्टिस के बारे में खिलाफ नहीं हूं। कुछ मुल्कों में प्राइवेट प्रेक्टिस की इजाजत नहीं होती है। वहां भरपूर तनख्वाहें दी जाती हैं लेकिन यहां बजट आड़े आएगा और काम्पीटेन्ट डाक्टरों के लिए सवाल पैदा हो जाएगा कि प्राइवेट प्रेक्टिस से रोक देंगे तो शायद छोड़कर चले जायेंगे। तो उसूलन तो सही है कि प्राइवेट प्रेक्टिस की इजाजत नहीं देनी चाहिए लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि डाक्टर्स को थोड़ीसी सीमित ढंग से प्राइवेट प्रेक्टिस की इजाजत होनी चाहिए कि जो शफाखाने के एडमिनिस्ट्रेशन पर गलत असर न डाले मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि हमारे काबिल काबिल डाक्टर, आप फरमायेंगे तो नाम भी बतलाऊंगा लेकिन नामों की जरूरत नहीं है, कुछ संतोकबा क्लीनिक में कुछ और क्लीनिक्स में डाक्टर्स काम कर रहे हैं उसका नतीजा यह होता है कि ज्यादा समय वे वहां व्यतीत करते हैं और मरीजों को डाइरेक्ट करते हैं कि वहां पर जाकर इलाज कराओ क्योंकि अस्पताल में तो बंधी हुई तनख्वाह मिलती है और क्लीनिक्स में और सुविधायें होती हैं यह चीज काबिले एतराज है। हमारे डाक्टरों को प्राइवेट क्लीनिक्स के अन्दर इजाजत क्यों दी गई, किस आधार पर दी गई, जिस जमाने मे दी गई उस जमाने के मंत्री तो विधायक की हैसियत से भी यहां नहीं इसलिए उसका जिक्र करना बेकार समझता हूं। अगर जानना चाहेंगे तो।...

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं दो मिनट में ही समाप्त करूंगा। कुछ पानी की समस्या के बारे में बोलकर अपनी बात खतम करूंगा। मैंने चिकित्सा के बारे में कुछ बातें कहीं। एक मेरा सुझाव भी है। यू.पी. में जितने विधायक और एम. पी. हैं, वे एक्स आफीशयो विजिटर्स होते हैं शफाखानों के। यहां पर मेरे खयाल से ऐसा नहीं हैं। फार्मर जयपुर स्टेट में असेम्बली के मेम्बर्स मुकर्रर कर दिये जाते थे। यह परम्परा या तो खतम हो गई या कानून इस समय नहीं है। मैंने मालूम करने की कोशिश की कि बहुत समय से इस किस्म की परम्परा नहीं है। फार्मर जयपुर स्टेट में विजिटर्स जरूर थे। मेरा सुझाव है कि ये जो दिक्कतें रात दिन आती हैं उनको

(श्री मोहम्मद गफ्फार)

दूर करने के लिए कुछ एक्स-डाक्टर्स, कुछ नागरिक या अगर विधान सभा सदस्यों को लिया जाय और उनकी टीम बनाकर पागलखाने के लिए मुकर्रर की जाय और कुछ अस्पतालें मुकर्रर की जाएं तो अच्छा है। मैंने पागलखाने का जिक्र इसलिए किया कि पागलखाने के डाक्टर के खिलाफ बहुत गम्भीर आरोप हैं और हमारे यहां जब वह खास इग्जेमिनेशन में आए हैं, बहुत से केसेज में तो उनके लिए अदालतों ने लिखा है कि इनकी एवीडेन्स को तसलीम नहीं कर सकते वह वहां एक्सपर्ट की हैसियत से गए हैं, किसी पागल को सही दिमाग और सही दिमाग वाले को पागल बता देते हैं और इसके अलावा भी उनकी परसनल प्रापर्टी की लिमिट नहीं है। लाखों रुपये का वह मालिक बना हुआ है। मैं उसकी काबिलयत की कद्र करता हूं मैं नहीं कहता कि उसको निकाल दिया जाए लेकिन उनकी गतिविधियों को देखा जाय, कन्ट्रोल किया जाए। वह प्राईवेट प्रेक्टिस नहीं करते बल्कि मरीजों को एक्सप्लाइट करते हैं। बड़ा आदमी अगर पागल हो जाय तो फिर तो वह चरम सीमा तक पहुंच जाता है। तो मैंने पागलखाने के लिए विजिटर्स टीम का इसलिए निवेदन नहीं किया कि यहां के लोग ऐसा दिमाग रखते हैं बल्कि मेरी गुजारिश है, मेरा सुझाव है। उसके बाद मे थोड़ा सा जिक्र जन स्वास्थ्य के बारे में करना चाहता हूं।

पानी की समस्या है। बहुत सी बातें कही गई और मैं मानता हूं वित्त मंत्री का कहना मानता हूं कि जयपुर की सिचूएशन अच्छी है मगर उनकी राय से मैं सहमत नहीं हूं। अगर बनास योजना बने और राहत मिले तो क्यों नहीं दी जाए। अगर हमारा पानी छीनकर दूसरों को राहत मिले तो एतराज है लेकिन अगर हमको एक घन्टा मिले और दूसरों को भी मिले तो मुझे एतराज नहीं लेकिन हमें जो फायदा मिल सकता है उससे इसलिए वंचित किया जाए क्योंकि दूसरों को नहीं मिलता यह गलत है। आज आवेश में आकर कहें तो यह अन्याय होगा। आपने हमेशा जयपुर में पानी की स्कीम को लागू किया है और मैं आशा करता हूं कि आप बनास योजना को कामयाब बनायेंगे।

इसके अलावा मैं जो निवेदन करना चाहूंगा वह है ब्यावर और अलवर में पीने के पानी की समस्याओं के बारे में सभापति महोदय, इस पीने के पानी के प्रश्न पर इस विधान सभा में इन दो जगहों के लिए कई बार माननीय सदस्यों द्वारा यहां पर गुजारिश की गयी पर अभी तक उसका कोई परमानेन्ट इलाज नहीं हो सका है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा अभी खतम कर रहा हूं।

श्रीमती सभानेत्री : काफी समय ले लिया है अब इसे जल्दी ही समाप्त करें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं अभी समाप्त कर रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : ये तो बराबर आधे घन्टा से बोल रहे हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : कोई हर्ज की बात नहीं है कोई अपनी इन्डीविजुअल

(श्री मोहम्मद गफ्फार)

बात तो कर नहीं रहा हूं जिससे किसी को नुकसान हो। खैर तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि पीने के पानी की वहां पर भारी समस्या है। हांलाकि पहले वहां पर पांच कुए भी खुदवाये गये। पर वहां पर पाइप नहीं लगने के कारण वहां पर अभी तक वही समस्या बनी हुई है। आज भी जनता परेशान है। इसलिये में मंत्री महोदय को आपके मारफत गुजारिश करूंगा कि वहां पर पाइप लगाये जावें ताकि जो कुए खोदे गये हैं उससे जनता को पानी पीने को मिल सके। इस प्रकार जो आज ब्यावर में अस्पताल है वह भी बहुत ही खराब स्थिति में है। वह भी एक तरह से 'सी' ग्रेड अस्पतालों की तरह ही हैं। तो मैं यह चाहूंगा कि अलवर और ब्यावर में जहां पानी की समस्या है, लोगों को अस्पताल में जहां पर दवा वगैरह नहीं मिलती है, उसकी तरफ राज्य सरकार अपना उचित ध्यान दे ताकि जनता को राहत पहुंचे। बस मैं इतना ही गुजारिश करूंगा और ज्यादा समय सदन का लिया उसके लिए माफी चाहूंगा। और आइन्दा कभी आप भी इस तरह मेरा कोई बोलने का समय हो तो समय भि लेना।

श्री सभानेत्री : श्री भीमसेन !

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : सभापति महोदया, आज जो मांगें प्रस्तुत हुई हैं। उन पर मेरे भी कुछ कटौती के प्रस्ताव हैं उनके बारे में मैं भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है और वहां पर पानी की समस्या बहुत ही अधिक है और खास तौर से मेरे क्षेत्र लूणकरणसर में पानी खारा है और पेय जल की जनता को बहुत ही कठिनाई है। इसलिये मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा।

(3.22 म. प.)

(श्री राम सिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में पीने की समस्या हमेशा से रही है। हमारे राजस्थान में पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाएं बनीं और तीन सालाना योजनायें बनी पर यह सभी शहरी इलाकों के लिये ज्यादा फायदेमन्द रहीं। जो कुछ भी विकास हुआ या कुछ भी कार्य हुआ वह सिर्फ शहरों में ही हुआ और ग्रामीण क्षेत्रों में तो कुछ भी काम नहीं हुआ। आज जबकि राजस्थान की शहरी आबादी तो 15 प्रतिशत ही है बाकी की जनता तो ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहती है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो पिछली पंचवर्षीय तीन योजनायें हैं और जो उसके बाद की तीन सालाना योजनायें बनी उनमें 11 करोड़ रुपये का खर्चा किया गया है पेय जल की समस्या वगैहरा के बारे में, शहरों की आबादी पर, और जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता 83 प्रतिशत है उसके लिये इन योजनाओं में कुल मिलाकर 8.40 लाख रुपये का खर्चा ही किया गया है, जो कि आबादी के लिहाज से अगर देखे तो करीब 66 करोड़ रुपया खर्च होना चाहिये था, पर वह नहीं हुआ। अगर यह रकम ग्रामीण क्षेत्रों के लिये खर्च की जाती तो यह समस्या आज पेयजल की बनी हुई

(श्री भीमसेन)

समाप्त हो जाती। अब की बार राज्य सरकार ने ऐसा प्रावधान अपने बजट में रखा है यह करीब 10 करोड़ रुपया मेरे ख्याल से कुछ ठीक ही रकम है।

श्री उपाध्यक्ष : आप आंकड़े नहीं बोले सिर्फ पोलिसी मेटर पर ही बोलें।

श्री भीमसेन : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आज जो पहली, दूसरी, तीसरी पंचवर्षीय योजनायें बनीं और जो तीन सालाना योजनायें बनीं और उसके अन्तर्गत पीने के पानी के लिये कोई स्थायी हल नहीं निकल सका है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां पर पानी की बहुत ही भयंकर कमी है, कुए नहीं हैं। कुए अगर खोदते हैं तो पानी काफी नीचे और खारा निकलता है। इसलिये ऐसे एरिया के लिये मेरा निवेदन है कि ट्यूब वेल से पानी पहुंचाया जाना चाहिये। या राज्य सरकार लिफ्ट योजना से पानी पहुंचाये तो पानी की समस्या का हल हो सकता है अन्यथा जनता को पेय जल मिलना बहुत ही मुश्किल है। आज पिछले चार साल से ऐसी स्थिति है कि कुओं में पानी नहीं है, जहां है वहां पर खारा पानी निकलता है, जो कि पीने के काम में नहीं आ सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है इस क्षेत्र को पाइप लाईन लगाकर राजस्थान केनाल की जो मुख्य नहर से जोड़ा जाय ताकि जनता को पीने का पानी मिल सके। इसके लिये कोई जल प्रदाय योजना बननी चाहिये। चूंकि इन सभी चीजों का हमारे क्षेत्र में अभाव है इसलिये लोग वहां पर जगह जगह पानी के टांके बनाते हैं पर उससे भी समस्या का कोई हल नहीं होता है। इसलिये लूणकरणसर व उसके आस पास के क्षेत्रों में, जहां कि पिछले तीन चार सालों से भयंकर पानी की समस्या है, उसके लिये पाइप लाइन जल्दी से जल्दी लगायी जानी चाहिये। इसके लिये कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाकर उसके अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय; आज राज्य सरकार की जो नीति कुओं से पानी निकालने की है उससे तो हमारे लूणकरणसर क्षेत्र की समस्या का हल नहीं हो सकता है क्योंकि कुओं से पानी नहीं मिलेगा। इसलिये जैसा कि मैंने सुझाव दिया है लिफ्ट केनाल द्वारा या राजस्थान केनाल की मुख्य नहर द्वारा पाइप लाइन लगाकर इसका हल निकाला जाय। दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा वह है वहां पर चिकित्सा सुविधा के बारे में। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर अस्पताल नहीं, एक मोबाइल यूनिट पूंगल में रहता है। उसको मोटर गाड़ी बीकानेर में पड़ी है और उसका भी कोई उपयोग ग्रामीण क्षेत्र के लिये नहीं हो रहा। इसलिये मैं आपके मारफत मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पीने के पानी की समस्या के हल के साथ जनता को चिकित्सा सुविधा मिल सके इसकी भी व्यवस्था की जानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शीशराम ओला।

श्री शीशराम ओला (चिड़ावा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में कांग्रेस को शासन करते हुए 25 साल हो गये हैं और

Page No. 117

(श्री शीशराम ओला)

इन पिछले पच्चीस वर्षों में हमने राजस्थान की जो ग्रामीण जनता है, जो कि इस राज्य की आबादी का 85 प्रतिशत है, उसके लिये हम न तो पीने के पानी की समस्या का ही हल कर सके हैं और न ही आज तक हम उन्हें चिकित्सा सुविधा ही पूरी तरह से दे सके हैं। आज जो भी विकास हुआ है शहरों का हुआ है। शहरों में अस्पताल बने, वहां वाटरवर्क्स की योजनायें बनीं पर गांवों में वह समस्या अभी तक बनी हुई है। शहरों में 1000 की जगह 1200 बेड्स हो जायेंगे, डाक्टरों की वृद्धि भी दो की जगह तीन हो जायेगी, लेडी डाक्टर्स भी तीन चार हो जायेंगी, एक एक अस्पताल में नर्सें भी एक की जगह चार पांच हो सकती हैं; लेकिन राजस्थान की ग्रामीण क्षेत्रों की जनता के लिए कुछ नहीं। आज अगर एक आदमी को गांव में सांप खा जाय तो वहां पर आपको मीलों दूर तक हास्पीटल नहीं मिलेगा और जब तक वह हास्पीटल को पहुँचेगा वह मृत्यु की शरण में पहुँच जायेगा। इसी प्रकार अगर किसी को गावों में टिटेनस होजाय तो वो भी बिना चिकित्सा सुविधा के ही मरेगा। क्योंकि आज गावों में अस्पताल नहीं है और रोगी जब तक मीलों पार करके अस्पताल पहुंचता है उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिये आज शहरों में डाक्टर कम हैं वह प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह प्रश्न है कि जहां पर मीलों तक अस्पताल नहीं है वहां की जनता को चिकित्सा सुविधा कितनी जल्दी पहुंच सके। आज गांवों में पीने के पानी की भारी समस्या है। उसका हल करना अत्यन्त आवश्यक है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि आज तक राजस्थान में हमेशा से गांवों के विकास की उपेक्षा ही की गयी है। मैं आपसे निवेदन करदूं कि आज जो भी शहर है वे सभी गांवों के बलबूते पर जिन्दा हैं। क्योंकि अगर आज लड़ाई छिड़ जाती है तो शहर से देश के लिये मर मिटने कोई नहीं जायेगा पर मेरे क्षेत्र में आपको देश के लिये मर मिटने वालों की संख्या ज्यादा मिलेगी। शहर से तो कोई जायेगा तो इक्का दुक्का, चाहे आफिसर भले ही बन जावे पर फौज में मोर्चे के ऊपर काम करने वाले ग्रामीण निवासी ही होंगे। तो, उपाध्यक्ष महोदय, ये ग्रामीण क्षेत्रों की जो आज तक उपेक्षा की गयी है उसे बन्द किया जाना चाहिये। आज एक व्यक्ति जो, शहर से फौज में जाता है और वहां पर कोई बहादुरी का काम करता है तो उनका बड़ा स्वागत समारोह होता है, अखबारों में नाम छपता है, पर बेचारे गावों में रहने वाले जो वीर सिपाही होते हैं या पदकधारी होते हैं उनको कोई तारीफ नहीं होती। लोग उन्हें जानते तक नहीं। आज मेरे जिले में 20 एवार्ड वाले व्यक्ति बैठे हैं। पर बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि उन लोगों के परिवार वालों के लिये राज्य सरकार चिकित्सा सुविधा भी नहीं दे पाती है। मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि हर पंचायत क्षेत्र के दस मील में एक होस्पीटल होना चाहिये। आज स्थिति ऐसी है कि जहां जहां पर डिस्पेन्सरीज है वहां पर डाक्टर एवेलेबल नहीं होते हैं और अगर डाक्टर एवेलेबल होते हैं तो दवाइयां एवेलेबल नहीं होती। आज वहां

(शीशराम भोला)

पर आपको अस्पतालों में बान्धने को पट्टियां नहीं मिलेंगी। मरीज लोग 15-20 मील से जाते हैं पर इन सभी चीजों के अभाव में रोगियों का इलाज नहीं हो पाता है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मारफत मन्त्री महोदय से पुरजोर शब्दों में मांग करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अस्पताल ग्रामीण क्षेत्रों मे खोले जायें ताकि जनता को राहत मिले। अब फिफ्थ फाइव ईयर प्लान बन गया है इसलिये मेरा सुझाव है कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो यह समस्यायें हैं पीने के पानी की और चिकित्सा सुविधा की, वह हल की जानी चाहिये।

इसलिये मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से जोरदार शब्दों में निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार राजस्थान में स्वास्थ्य की दृष्टि से अब तक अवहेलना हुई है वह भविष्य में इस प्रकार से अवहेलना न हो और भविष्य में जो भी योजना बने उसमें ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें और दवाइयों आदि का प्रबन्ध किया जाना चाहिये। ज्यादा से ज्यादा दवाइयों के कारखाने खोले जाय। शहरों में अस्पताल हैं, डिस्पेन्सरीज हैं और मोहल्ले मोहल्ले में डिस्पेन्सरीज मिलेंगी लेकिन दस दस हजार की आबादी वाले गांवों में होस्पिटल नहीं, दवाखाने नहीं, डिस्पेन्सरी नहीं है। आखिर यह हाल कहां तक रहेगा? अधिक से अधिक होस्पिटल्स गांवों में खोलने का प्रावधान करें ताकि गांवों के लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभ मिल सके।

मलेरिया पहले दूर कर दिया गया था लेकिन मलेरिया के मच्छर बहुत फैल रहे हैं और हो सकता है कि मलेरिया भयंकर रूप से फिर फैल जाय। इसलिये इस ओर रोक थाम की व्यवस्था की जाय।

गांवों मे ट्रकोमा की बीमारी है। झुंझुनू जिले के लोग अधिकतर सेना में भर्ती होते हैं और उनको इसी कारण से रिजेक्ट कर दिया जाता है कि उनके ट्रकोमा की बीमारी है। इसलिये हर डिस्ट्रिक्ट में और खास तौर से झुंझुनू जिले में डिस्पेन्सरी में इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि ट्रकोमा का फौरन इलाज करें और यह बीमारी न फैले और दूर हो। ट्रकोमा, आंधी, धूप और धूएं से होता है। अच्छे 2 लड़के ट्रकोमा की बीमारी से सेना में भर्ती नहीं हो सकते हैं इससे आपके सामने अनएम्पलोयमेन्ट की समस्या भी बढ़ेगी और दूसरी ओर हमारी सेना में जवान नहीं जावेंगे तो हमारी डिफेन्स की प्रोब्लम भी हो जावेगी।

145 प्रोग्रेसिव गांव बताये हैं। 117 में पानी की पूर्ण व्यवस्था कर दी गयी है। जिनमें व्यवस्था नहीं हुई है उनको भी जल्दी पानी मिलेगा। ऐसे गांवों का भी जिक्र हो चुका है जहां खारा पानी है और पानी पीने से कोढ़ आदि अनेक बीमारियां हो जाती हैं। मेरे इलाके में भी ऐसे गांव है जहां कि इस प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। इसलिये गांवों के लिये रोजनल स्कीम बना कर पानी की व्यवस्था की जाय ताकि जल समस्या दूर हो। ऐसे बहुत से गांव हैं। अलसीसर में काम हुआ। स्कीम की मंजूरी दे दी गई। सूरजगढ़ पंचायत समिति से जोड़ा गया खारा पानी है, लोगों को पानी प्राप्त नहीं होता

(श्री शीशराम)
है। स्कीम को चालू करिये। जितना शहरों की ओर ध्यान दिया गया है, उतना गांवों की ओर नहीं दिया गया। इसलिए गांवों की ओर ध्यान दिया जायेगा तो अच्छा होगा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं आपका बड़ा भारी आभारी हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि मैंने जो सुझाव दिये हैं उन पर मंत्री महोदय सोचेंगे तो अधिक से अधिक गांवों की सेवा कर सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चेतराम।

श्री चेतराम (टोड़ाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं। चिकित्सा और जनस्वास्थ्य की मांग पर बहस हो रही है। मैंने चिकित्सा के सम्बन्ध में कट मोशन दिया है। चिकित्सा विषय ही ऐसा है कि जिसको हम लोक कल्याण कारी विभाग कह सकते हैं। डाक्टर्स, कम्पाउन्डर्स और नर्सेज के विषय में मैं निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान बनने के बाद से अब तक डाक्टर्स की सीनीयोरिटी डिसाइड नहीं की है। इससे उनकी सेवाओं पर बुरा असर पड़ता है और जनता पर भी उनका बुरा असर पड़ता है। जब कभी डाक्टर्स का ट्रान्सफर किया जाता है तो जूनियर और सीनियर का बड़ा भारी प्रश्न आता है और इससे उनके अन्दर बड़ा असर पड़ता है। परिणाम यह होता है कि वह अपना ट्रान्सफर कराने की कोशिश करता है इससे क्या होता है कि एक अस्पताल बहुत दिनों तक, मैं तो यहां तक कहूंगा कि, कई महीनों तक डाक्टर्स से वंचित रहता है और यही हाल कम्पाउन्डर्स और नर्सेज के बारे में भी है।

जहां तक कार्य के समय का प्रश्न है वह तो एक जनरल क्वेश्चन है जिस पर सरकार को ही डिसीजन लेना है।

आज इस लोक कल्याणकारी समाज में जब हम इस ओर सोचते हैं कि क्या सरकार गरीबों के स्वास्थ्य की ओर ध्यान दे रही है और जब हम स्वास्थ्य के सम्बन्ध में बजट के आंकड़ों को देखते हैं तो हम को आश्चर्य और दुख होता है कि किस प्रकार की व्यवस्था आज लोक कल्याणकारी समाज में चल रही है। यहां पे और एस्टेबिलशमेन्ट की मद को यदि हम छोड़ भी दें और दूसरी मदों की दवाइयां और उपकरण देखें तो बड़ा दुख होता है कि उन पर क्या और किस प्रकार से खर्च हो रहा है? बड़े बड़े अस्पतालों में डेढ डेढ लाख दो दो लाख का खर्च किया जाता है जबकि हम पंचायत समितियों के एरिया को कवर करते हैं तो उनके मुकाबले इनका खर्चा बहुत कम है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप चल कर देखें तो आपको भी आश्चर्य होगा कि हिण्डौन के अस्पताल की क्या दुर्दशा है और उसको लेकर वहां की पब्लिक में बड़ा असन्तोष है। फुन्सी और फोड़े तक पर भी बांधने के लिये घर से रुई और पट्टियां लाकर देनी पड़ती हैं। सरकार जब कर लगाती है तो उसका असर ग्रामीण क्षेत्रों पर अधिक होता है और जब सरकार से इनके प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने का सवाल आता है तो सरकार उनकी ओर आंख बन्द कर लेती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप सरकार तक

(श्री चेतराम)

हमारा यह निवेदन पहुंचा दें कि जब सरकार चलाने के लिए हम पर कर लगाती है, जिसको हम अदा करते हैं लेकिन हमारे प्रति जब कर्तव्यों का सवाल आता है सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है। इसलिये सरकार को चाहिये कि इस ओर पूरा ध्यान दे, जिससे जनता को राहत मिल सके।

भरतपुर अस्पताल रियासतों के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में बहुत अच्छा अस्पताल माना जाता था। लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि वहां पर चार वर्ष से रोगी वाहन (एम्बुलेन्स) नहीं है। सरकार ने कई बार आश्वासन दिये लेकिन वह उनको पूरा नहीं कर सकी। यह भी निवेदन करदूं कि यह अस्पताल सिटी में स्थित है। गंदा पानी जो निकलता है उसके लिए किसी प्रकार की कोई ड्रेनेज व्यवस्था नहीं है। न तो उसके लिये कोई हौज तैयार किया गया जहां कि इस गन्दे पानी को इकट्ठा किया जाय और न ही और कोई व्यवस्था की गई है। परिणाम यह होता है कि अस्पताल से जितना भी गंदा पानी निकलता है शहर के मध्य में बहुत बड़ी नहर है वहां जाकर गिरता है। इससे वहां पर गंदगी बढ़ती रहती है और हर साल कोई न कोई बीमारी वहां पैदा हो जाती है। उसके साथ ही उस अस्पताल के लिये यह भी निवेदन करदूं कि मैला, पट्टी, मरहम का कचरा फेंका जाता है उसको कहीं पर इकट्ठा करने के लिये कोई स्थान नहीं रखा है इसकी तरफ सरकार ध्यान दे।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये निवेदन कर दूं। इसके सम्बन्ध में जो पेटर्न बनाया गया है उसके अनुसार कर्मचारी वगैरा पंचायत समितियों के माध्यम से चलेंगे लेकिन औषधालय और चिकित्सालय बहुत सी जगह एक साथ चल रहे हैं। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। स्वास्थ्य केन्द्रों पर न तो बच्चों के स्वास्थ्य की ओर ध्यान है, न दूध वगैरा की व्यवस्था है और न ही उनकी शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाता है। इसलिये इस ओर डाइरेक्शन दिये जायें कि जिस ध्येय के लिये ये बनाये गये हैं उसकी ओर आवश्यक ध्यान देना चाहिये।

दवाइयों के लिये बहुत कम एलोकेशन्स हुए हैं। या तो उन पर खर्च नहीं होता है या दूसरी तरफ चला जाता है। यात्रा व्यय में बहुत बढ़ोतरी की है। टी. बी. में 1.79 लाख रु. से बढ़कर 1.93 लाख रु. कर दिया है। चिकित्सा औषधालय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विभाग में यहां मद 8.67 लाख रुपये से बढ़ाकर 9.17 लाख रुपये कर दिया है। शिक्षा (कोलेज) में बढ़ाकर 0.55 से 0.49 लाख रु. कर दिया है। मलेरिया विभाग में वही मद 10.14 लाख रुपये से बढ़ाकर 12.74 लाख रुपये कर दिया है। चेचक उन्मूलन में 4.14 लाख रुपये से बढ़ाकर 5.68 लाख रुपये कर दिया है। इसके साथ ही परिवार नियोजन से परिवहन पर 29.99 लाख रुपये से 38.62 लाख रुपये कर दिया है।

यात्रा व्यय पर भी बढ़ा दिया। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। यदि इसी मद पर ध्यान दिया जाय तो भी 13 लाख रुपये की बचत होती है। यदि 50 हजार रुपये हर जिले में दिये जायं तो बहुत कुछ उपलब्धि हो सकती है।

(श्री चेतराम)

परिवार नियोजन, इस डिपार्टमेन्ट पर जो खर्चा होता है वह केन्द्रीय सरकार मीट करती है। यह 344.99 लाख है। इसकी उपलब्धि के लिए जो लक्ष्य रखा था उसकी पूर्ति नहीं हुई है। बंध्याकरण के लिए प्रति हजार जनसंख्या के लिए जहां 3.9 रखा है वहां उपलब्ध 1.9 है। मैं आपसे यह निवेदन करूं कि जहां 80 हजार आदमियों का एस्टीमेट रखा था वहां 40 हजार का ही हुआ है। आई.यू.डी.सी. का लक्ष्य 30 हजार का रखा था वहां उपलब्धि 15 हजार ही है। इस दृष्टि से बजट एलोकेशन्स बढ़े हैं, लेकिन हमारी उपलब्धि कम हुई है। हमारे लक्ष्य कम प्राप्त हुए हैं।

परिवार नियोजन के बारे में अच्छी तरह से आंकड़े देखें तो हमें अच्छी तरह से मालूम हो सकेगा। जहां जहां शिक्षा का प्रभाव है वहां इस विभाग को सफलता मिली है। यह योजना शिक्षितों में सफल हुई है। इस डिपार्टमेन्ट को ग्रामीण शिक्षा और शहरी शिक्षा में परिणित कर दें। साक्षरता बढ़ने से इसमें प्रगति होगी, और छोटे छोटे लूप आदि पर व्यय करने से जो इसके लक्ष्य रखे गये हैं उनकी सहज ही उपलब्धि और प्राप्ति होगी। एजुकेशन बढ़ेगी तो परिवार नियोजन का लक्ष्य सफल होगा। इस बारे में निश्चित रूप से यह निवेदन करूंगा कि परिवार नियोजन का जो डिपार्टमेन्ट है उसको ग्रामीण शिक्षा में रखें।

मलेरिया के सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि यह डिपार्टमेन्ट 59 में स्टार्ट हुआ था। उस समय भारत में 33 पर्सेन्ट व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित थे वहां 69 में यह आंकड़े 0.6 पर्सेन्ट आ गए। स्प्रे आदि का काम बन्द कर दिया गया। अब पहले से मच्छरों की संख्या काफी बढ़ गयी है और इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि मलेरिया पुनः न बढ़े।

चेचक के बारे में निवेदन करूंगा कि चेचक के टीके 1963 में 62 लाख के ऊपर लगे थे वह 70 में 32 लाख पर आ गए थे। बजट एलोकेशन्स जहां बढ़े हैं तो लक्ष्य क्यों फेल हुए हैं? स्टाफ कम नहीं हुआ है, खर्च बढ़ा है तो उपलब्धि क्यों कम है? यह शोचनीय विषय है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि कट मोशन पर विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट में चिकित्सा की मद को देख कर बड़ा अफसोस हुआ है। चुनावों के समय में और देश के बदलते हुए हालात को ध्यान में रख कर चिकित्सा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए था। गांवों में चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। 20 साल में चिकित्सा के माने में जो तस्वीर बनी है वैसी दूसरी किसी विभाग या मद में नहीं है। डिस्पेंसरी और औषधालय, कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया है जिससे कि गांवों के लोगों को राहत मिले। मैंने फाइनेन्स मिनिस्टर का भाषण सुना और पढ़ा भी। चार करोड़ की करों के द्वारा आमदनी बढ़ायी है सरकार के $3\frac{1}{2}$ करोड़ की उद्योगों में घाटे की पूर्ति के लिए।

(श्री रामनारायण चौधरी)

इस बजट के अन्दर चिकित्सा के मद में हमें सोच कर और आगे प्रावधान करना चाहिए। आज झुंझुनू जिले में अस्पताल और दवाओं के माने में बड़ी दयनीय स्थिति है। डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल झुंझुनू में हैं, लेकिन वहां पर मरहम पट्टी के लिए भी व्यवस्था नहीं है। मेरे क्षेत्र में महनसर, मंडावा मलसीसर आदि चिकित्सालय राज्य की ओर से चलते हैं। डेढ़ वर्ष से एक भी पैसे की दवा नहीं मिली है। डी. एम. एच. ओ. हैड क्वार्टर सीकर में होने से वहां पर अलॉट हो जाती है और झुंझुनूं जिला महरूम रहता है। मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि झुंझुनूं जिले, जिसकी आबादी 9 लाख है, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी सरकार और प्राइवेट उन सबको ध्यान में रखा जाय तो सबसे ज्यादा झुंझुनूं जिले को डी. एम. एच. ओ. के हैडक्वार्टर्स वहां नहीं होने से बहुत नुकसान हो रहा है, और चिकित्सा सेवा से जनता वंचित है। उसको जो लाभ इन सेवाओं से मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। इसलिए मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि डी. एम. एच. ओ. के हैडक्वार्टर्स झुंझुनू में कायम किया जाय।

झुंझुनूं में जो हॉस्पिटल्स हैं वहां स्पुटम टेस्ट, स्टूल टेस्ट और एक्सरे आदि की व्यवस्था कायदे में तो लिख रखी है, लेकिन व्यवहार में नहीं है, और इसका नतीजा यह होता है कि मरीजों को प्राइवेट रूप से टेस्ट करवाने पड़ते हैं। और इन हॉस्पिटल्स में जिन लोगों को समाजवाद के नाम पर तिरस्कृत किया था उन पूंजीपतियों के हॉस्पिटल में समाजवाद के अन्दर विश्वास रखने वालों को जाकर एक्सरे आदि करवाना में पड़ता है। इसलिये मैं आपके द्वारा चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूँ कि झुंझुनू हॉस्पिटल में इनकी मुकम्मिल व्यवस्था की जाय।

दूसरा, जन स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान झुंझुनूं जिले में ज्वलन्त समस्या की ओर दिलाना चाहता हूँ। अलसीसर है। सन् 1965 में भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी और वर्तमान मुख्य मंत्रीजी जो पहले जनस्वास्थ्य मंत्री थे, वहां पधारे थे और उनको पंचायत समिति अलसीसर की ओर से एक मैमोरेन्डम प्रस्तुत किया गया था कि वाटर सप्लाई स्कीम मंजूर कर खारे पानी की जगह मीठा पानी दिया जाय। मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिया कि स्कीम बनायी जाय। 8 वर्ष होने आये लेकिन आज तक व्यवस्था चालू नहीं हुई। इसलिए मैं जनस्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि चालीस गांव खारे पानी की दृष्टि से परेशान हैं उनके लिए यह स्कीम मंजूर कर उनको मीठा पानी उपलब्ध करायें।

दूसरा है डाबड़ी, बहुत बड़ा गांव है। वहां पर वाटर वर्क्स की मांग की जाती रही है। उसको चालू करने की स्वीकृति प्रदान करें।

जन स्वास्थ्य मंत्रीजी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के जल कष्ट को दूर करने की ओर विशेष ध्यान देने का आश्वासन दिया था। मैं उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि अलसीसर, मलसीसर, टांड, इन तीनों गांवों में पाइप लाइन की व्यवस्था नहीं है, जबकि राज्य सरकार के स्टेन्डिंग आदेश हैं कि किसी भी वाटर सप्लाई

(श्री रामनारायण चौधरी)

स्कीम में जहां चालू है वहां अनुसूचित जाति के लोगों को प्रायोरिटी दी जायेगी।

मैं जन-स्वास्थ्य मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के द्वारा भी राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था। मलसीसर में वाटर सप्लाई स्कीम चालू थी। यह राजस्थान की पहली स्कीम है इसमें वन-थर्ड वहां की जनता का कन्ट्रीब्यूशन है और टू-थर्ड सरकार का खर्च होता था। उस मलसीसर स्कीम के लिये 56 हजार का फन्ड जमा करवाया था और वाटर सप्लाई स्कीम चालू करवाई गई थी। आज उसकी बड़ी दयनीय स्थिति है। विशेष तौर से चुनावों के बाद काम कभी भी चालू नहीं हुआ यह क्या कारण है? इसके लिये कई बार विभागों से भी निवेदन किया, मंत्री महोदय से भी निवेदन किया, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा भी निवेदन किया कि मलसीसर की वाटर सप्लाई स्कीम को सुचारू रूप से शुरू कराने के लिए राज्य सरकार का कई बार ध्यान आकर्षण किया है। आपके माध्यम से मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि रीजनल वाटर सप्लाई मलसीसर से 40 गांव प्रभावित होते हैं। उनकी वाटर सप्लाई के लिये ग्राम गाग्यांसार और ग्राम डाबड़ी धीर सिंह को लिया था तो उनमें खारा पानी होने की सम्भावना हो सकती है, क्योंकि वह खारे पानी की बेल्ट पर स्थित है। इसके बाद राज्य सरकार ने दूसरी ओर का सोर्स तलाश किया, और अगर वहां फिजिबिलिटि है और पानी अच्छा है तो मेरा निवेदन है वहां से किया जाना चाहिए। जो प्रोपोजल बन चुका है, स्वीकृत भी एक आध जगह हो गया है तो मेरा निवेदन है ग्राम गाग्यांसर और ग्राम डाबड़ी धीर सिंह की भी राज्य सरकार स्वीकृति देगी यह मैं कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जन-स्वास्थ्य में वाटर सप्लाई जो एक निहायत और अत्यन्त जरूरी चीज है, जो प्राणी मात्र की एक समस्या है उसके लिये राज्य सरकार ने व्यवस्था की है, लेकिन चिकित्सा की तरफ भी ध्यान दें और नये औषधालय और डिस्पेन्सरीज खोलने के लिये भी बजट के अन्दर प्रावधान करायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रणजीत सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके मारफत राजस्थान के जन-स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान जोधपुर जिले के पानी की किल्लत के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर जिला सदियों से पानी की किल्लत से जूझता रहा। देश को आजादी के 25 साल बाद गांवों के आदमी पानी मांगते हैं। इसके लिए मैं और यहां का सदस्य किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करें किसी मामले को लेकर कि गांव में पानी की दिक्कत है इससे अधिक शर्मनाक स्थिति हम लोगों की नहीं हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय जोधपुर जिले में जहां प्रति दूसरे और तीसरे वर्ष अकाल पड़ता है और अकाल की स्थिति में राज्य सरकार के लाखों और करोड़ों रुपया गांवों के अन्दर पीने के पानी की व्यवस्था में खर्च करना पड़ता है।

(श्री रामसिंह विश्नोई)

लेकिन हमारी राज्य सरकार के समक्ष आज तक तमाम गांवों का कोई परमानेन्ट सॉल्यूशन नहीं निकाला गया जिससे यह अन्दाज लगाया जा सके कि कितने वर्षों में उन गांवों में रहने वालों के लिए पानी की व्यवस्था कर दी जाएगी। सरकार बिना मतलब हर वर्ष ठेके से पानी की व्यवस्था हेतु करोड़ों रुपये खर्च करती है जबकि इन्हीं करोड़ों रुपयों से गांवों के अन्दर पानी की परमानेन्ट व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन यह व्यवस्था नहीं की जाकर बार-बार हर वर्ष खर्च कर दिया जाता है और कोई मतलब नहीं निकलता है। आपको सबको मालूम है कि राजस्थान में पानी की बड़ी भारी दिक्कत है, लेकिन फिर भी इस ओर कोई तवज्जह नहीं दी जा रही है। जोधपुर के गांवों में सेन्ट पर्सेन्ट लोग तालाबों से पानी पीते हैं। तालाबों का पानी कितना गन्दा और स्वास्थ्य की दृष्टि से कितना खराब हो सकता है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, वह पानी तालाब का जिसके अन्दर इन्सान के साथ-साथ पशु, पक्षी, गाय, भेड़, बकरी और यहां तक कि चील कौवे, कुत्ते, गधे भी पानी पीते हैं, और जिस तालाब की एक-एक बून्द समाप्त नहीं हो जाती तब तक वहां का इन्सान उस पानी को पीता रहता है, और तालाब के पानी में गाय-भैंस के पेशाब की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाती है कि किसी शहरी व्यक्ति को पीने को कह दिया जाय और उसके सामने उस पानी का ग्लास सौंप दिया जाय तो कोई समझदार व्यक्ति उसको देखना तक पसन्द नहीं करेगा। ऐसे पानी को आज देश की आजादी के बाद भी इन्सान पीते हैं। मुझे खुशी है, कि इस वर्ष जरूर कुछ प्रावधान ज्यादा रख दिया है, लेकिन मुझे यकीन और विश्वास है हमारे वित्त मंत्री जी पर क्योंकि ये ऐसे इलाके से आते हैं जहां पानी की किल्लत है। होना तो यह चाहिये था कि बजट का 50 प्रतिशत भाग पानी की व्यवस्था के लिए किया जाता, लेकिन प्रावधान बहुत कम रखा गया है। मैं आपके मारफत जन-स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं हमारे जिले के गांवों की ओर। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा साधन है हमारे पास में कुओं का। इस क्षेत्र जो लूनी क्षेत्र कहलाता है, जहां खारा नमक के समान पानी मिलता है इसलिए कुओं में नमक का पानी मिलता है जिसको इन्सान पी नहीं सकता और जानवर जो पीते हैं वह भी अन्धे रातीन्धे हो जाते हैं और गायें जो ब्याने को होती हैं वह अधूरा डाल देती हैं या मर जाती हैं। हिन्दुस्तान की प्रसिद्ध नस्ल की वहां की गायें और प्रसिद्ध जानवर हैं जिन्हें ऐसा पानी पीकर जिन्दा रहना पड़ता है। गांव के अन्दर जो दिक्कतें हैं पानी को लेकर वह मैंने पेश कीं। दूसरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जोधपुर शहर में रामपुरा जल-योजना लागू की गई थी जोधपुर शहर को पानी देने के लिए कल वहां के किसानों ने भूख हड़ताल की। गांव रामपुरा में 12-13 ट्यूब वेल्स खोदे गये हैं जोधपुर शहर को पानी देने के लिए। जब वे ट्यूब वेल्स चलते हैं तो उस क्षेत्र के तमाम कुएं जहां पर सिंचाई होती उनका एक बून्द पानी नहीं बचता है। उन

(श्री रामसिंह विश्नोई)
ट्यूबवेल्स की 300–400 फुट की गहराई है। तमाम का कनेक्शन उन पास के कुओं से है, और वहां बहुत बड़ी दिक्कत पीने के पानी में हो रही है। सिंचाई के पानी में भी दिक्कत है और पीने के पानी में भी दिक्कत है। तमाम पानी सूख जाता है।

यह ट्यूब वैल्स उस समय खोदे गये थे जिस समय संवत् 2026 में भयंकर अकाल पड़ा था और पानी देने का कोई जरिया नहीं था जिससे कि जोधपुर शहर को पानी दिया जा सके। ऐसी स्थिति में दूसरा कोई चारा नहीं देखकर केवल अकाल की स्थिति में ही इसको चालू रखेंगे यह आश्वासन गांव की जनता को देकर यह ट्यूब वैल्स खोदे गये थे, लेकिन आज बारहों मास यह ट्यूब वैल्स चलते हैं तो गांव के किसानों की पानी के मामले में ऐसी स्थिति है कि उसका वर्णन नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारे जिले में गांवों में पानी की समस्या है इसके परमानेन्ट सॉल्यूशन के लिए मैं माननीय जन-स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान साई नदी जल योजना के बारे में आकर्षित करूंगा जिसके काम करने की गति मगर मच्छ की तरह से है जो कि 25 साल तक भी पूरी नहीं हो सकती। तब तक यह पानी की दिक्कत नहीं मिट सकती। ऐसी सूरत में मैं आपके जरिये निवेदन करूंगा कि इस साई नदी जल-योजना का काम शीघ्र चालू कराया जाकर इसका काम घोड़े की दौड़ के मुताबिक कराना चाहिये। जिससे सदैव के लिए पानी का संकट दूर हो सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री चन्दनमल बैद : हवाई जहाज की गति से।

श्री रामसिंह विश्नोई : ... जिससे *हमारे गांवों में पानी की किल्लत दूर हो सके।*

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रसाद बोहरा।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा के सम्बन्ध में मेरे साथी काफी कह चुके हैं, लेकिन फिर भी रात दिन हॉस्पीटल के अन्दर गरीब आदमियों को दवाइयां उपलब्ध नहीं होती उसके लिए मेरा सजेशन है कि जो री-एम्बर्समेन्ट पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, लाखों आदमी करोड़ों रुपया उठाते हैं उनको री-एम्बर्समेन्ट बन्द किया जाकर इसी पैसे से जहां गांवों के, शहरों के हॉस्पीटल्स के अन्दर दवाइयां नहीं मिलती हैं, पट्टियां तक नहीं मिलती हैं, वहां दवाइयां दी जायें और गांवों के आदमियों को यह सहूलियत मिल सके ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रसाद बोहरा।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कुछ कटौती प्रस्ताव हैं उनके बारे में मैं निवेदन करूंगा। झालावाड़ जिले में जो शहर का अस्पताल है उसकी अव्यवस्था के बारे में और दवाइयों के नहीं मिलने के बारे में सारी बातें मैं आपके सामने रखूं। माननीय सदस्यों ने कई बातें अस्पतालों के बारे में कही हैं कि फलां अस्पताल की हालत अच्छी नहीं है, तो मैं

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

आपका समय ज्यादा नहीं लेना चाहता । हर जगह वही हालत है। अब जो चर्चा हुई है डॉक्टरों की, दवाईयों की, भ्रष्टाचार की, इन्जेक्शन नहीं मिलने की, करीब-करीब वही हालत सब जगह है, इसके बारे में मैं निवेदन नहीं करना चाहता हूं। यह आम शिकायत है, लेकिन इसके बाद विशेष बात यह है कि वहां के जिला चिकित्सा अधिकारी हैं वह खुद तो अधिकारी हैं ही लेकिन उनके पुत्र वहां डॉक्टर हैं, उनकी पुत्रवधु डॉक्टर है और उनके बारे में शिकायतें बराबर जारी हैं लेकिन उनको बदला नहीं गया और उनका आधिपत्य उस चिकित्सालय पर है। उनके बारे में विधानसभा में कई बार चर्चा भी हुई थी। वह भी एक कारण अव्यवस्था का हो सकता है। वहां पर 15–16 डॉक्टर हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि उनमें इस प्रकार के झगड़े हैं कि एक रोगी किसी डॉक्टर के पास पहुंचता है तो दूसरा डॉक्टर उसका इलाज नहीं करना चाहता, और सबसे मोटी बात यह है कि ऐसे नियम भी बन चुके हैं, लेकिन फिर वे बंगले पर देखते हैं 9 बजे से अस्पताल में आयेंगे और फिर इन्जेक्शन, दवाइयों वगैरह का पैसा तो लगेगा ही और फिर भी गरीब का इलाज नहीं हो पाता है। वहां भी सिफारिश चाहिए। अगर कोई ऑफिसर है या नेता है तो उसका इलाज तो जरूर सम्भव हो सकता है, लेकिन गरीब के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि बहुत महंगा इलाज है, व्यवस्था नहीं है और पैसा देकर भी इलाज वहां पर नहीं करा सकता है। इसका एक मात्र कारण यह है कि वहां पर डॉक्टरों में आपस में झगड़े हैं, ग्रुपबाजी हैं। इसके लिए मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस अव्यवस्था को आप हटाने की व्यवस्था करें।

दूसरी बात यह है कि झालावाड़ बड़ा शहर है और यहां पर हॉस्पिटल शहर से बहुत दूर है। वहां शहर में भी डिस्पेन्सरी होना आवश्यक है जिसके बारे में निवेदन किया गया था और इसके बारे में आप विचार करें

झालरापाटन की आबादी 25–30 हजार के लगभग है, और यहां हॉस्पिटल है। परन्तु वहां पर इतनी आबादी होते हुए भी लेडी डॉक्टर की व्यवस्था नहीं हो पाई है। इसके बारे में पहले ही निवेदन किया था, और दो साल से जनता भी मांग कर रही है और हम लोग भी निवेदन करते आ रहे हैं कि लेडी डाक्टर की पोस्ट कायम की जाये जिससे कि वहां के लोगों को सुविधा हो सके, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस ओर माननीय मन्त्री महोदय थोड़ा ध्यान दें।

इसके अलावा रटलाई गांव में 7–8 महीने से डॉक्टर नहीं है। वहां पर छोटा शफाखाना है और 100 गांवों के आदमी इस शफाखाने से अपना इलाज कराते हैं, और यहां डॉक्टर के नहीं होने से लोगों को काफी असुविधा है। वहां पर डॉक्टर नहीं पहुंच पाया है। इसका कारण यह है कि लोग शहरों में रहना पसन्द करते हैं और वहां जाने के बाद या तो छुट्टी ले लेते हैं या कोई और दूसरी बात पैदा करके वहां नहीं रहना चाहते हैं। इसके बारे में मैं आपको निवेदन करता हूं कि व्यवस्था जल्दी करें।

इकलेरा बड़ी आबादी का कस्बा है वहां पर भी ट्रेण्ड नर्सेज की पोस्ट होते हुए

(श्री राम प्रसाद वोहरा)

कोई व्यवस्था नहीं है और लेडीज को बीमारियों से बड़ी तकलीफ होती है। केवल वहां जो डॉक्टर है वह इलाज करता है और इस कारण झालावाड़ जाना पड़ता है और पैसा खर्च करना पड़ता है।

इसी प्रकार से मैं परिवार नियोजन के संबंध में आपसे निवेदन करूंगा कि अभी झालावाड़ जिले में एक विशेष कार्यक्रम चल रहा है और 40 मोटरें इस काम में लाई जा रही हैं। जिलाधीश से लेकर नीचे के अधिकारी, कर्मचारी, पटवारी से लेकर तहसीलदार सब इस काम में लगे हुए हैं। जो पब्लिसिटी ऑफिसर है मैंने उनसे पूछा था कि अब तक 7 रोज में कितनी नसबन्दी हुई है? उन्होंने कहा कि 300–400 हुई हैं। आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि 7 रोज में 300–400 नसबन्दी हुई, और कम से कम दस हजार रुपया खर्च हुआ होगा, और इसके अलावा और भी खर्चा वेहन का टी. ए., डी. ए. का काफी हुआ है एक बात सुनने को मिली है कि लोगों को जबरदस्ती लाया जाता है और यह कहा जाता हैं कि आपको कलेक्टर साहब बुला रहे हैं, तहसीलदार साहब बुला रहे हैं। आपको जमीन देंगे और उनको जबरदस्ती टेबिल पर लिटा दिया जाता है और उनका आपरेशन कर दिया जाता है, मर्जी के खिलाफ आपरेशन कर दिया जाता है। मैं नहीं चाहता कि परिवार नियोजन न हो। आबादी को कम करने के लिए लोगों के विचारों में तब्दीलियां की जानी चाहिए, उनकी विचारों के अनुसार और उनकी इच्छा के मुताबिक आपरेशन होने चाहिए मगर उनको जबरदस्ती टेबल पर लिटाते है, और वह भाग जाते हैं और यहां तक सुना गया है कि हास्पिटल के कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गयी है। तो मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कम से कम इसकी जांच की जाये कि ऐसे आपरेशन किये जा रहे हैं और वास्तविक स्थिति क्या है।

जिला झालावाड में जो डॉक्टर परिवार नियोजन के इन्चार्ज हैं और पब्लिसिटी ऑफिसर जो इस समय वहां पर हैं उनके बारे में अच्छी चर्चा नहीं है और कई लोगों की शिकायतें आपके सामने आई हैं, परन्तु

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके बारे में आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। वर्षों से वे टिके हुए हैं और वहां का वातावरण कैसा होगा यह आप अन्दाज लगा सकते हैं। और जो नर्सेज हैं और दूसरे हैं सिवाय रंगरेलियां करने के और घूमने-फिरने के और हवाखोरी के और कोई काम नहीं है।

इसी प्रकार मैं जन-स्वास्थ्य के बारे में जन-स्वास्थ्य मंत्री को आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि सरडा गांव है जो नदी के किनारे है वहां की जल-योजना के लिए 30–9–60 को रकम जमा हो चुकी है, लेकिन योजना का काम चालू नहीं हुआ है। सबसे दिक्कत की बात यह है कि उस नदी का पानी पीते हैं तो उससे बाले की बीमारी होती है और 75 से 80 प्रतिशत तक लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। इस प्रकार की परेशानी लोगों की है। तो मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस कस्बे को पानी देकर आप इस बीमारी से छुटकारा दिलाने का कष्ट करेंगे।

(श्री राम प्रसाद बोहरा)

सरडा ग्राम के अलावा दूसरा कस्बा इकलेरा है जहां पर जल-योजना का काम चल रहा है। बहुत दिनों से यह योजना चल रही है लेकिन अभी तक बहुत थोड़ा काम हुआ है। उसके बारे में भी निवेदन है कि उसको पूरा कराने का कष्ट करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक्स-रे मशीन झालावाड़ में खराब पड़ी हुई है और इतनी दूरी से लोगों को कोटा आना पड़ता है। कोटा में भी टाइम नहीं मिलता है और उसको पचास रुपये दस रुपये की जगह खर्च करने पड़ते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं कि डेढ़ साल से मशीन खराब है। इसकी शिकायत भी बड़े अफसरों को की, उच्च अधिकारियों से भी निवेदन किया, लेकिन अभी तक वह मशीन दुरुस्त नहीं हुई और न ही दूसरी मशीन का इन्तजाम यहां से हुआ है। इस बात को देखकर, इस असुविधा को देखकर वहां पर दूसरे आदमी ने मशीन लगा ली है और वह चौगुना पैसा ले रहा है। इसलिए इसकी व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र होनी चाहिए।

एक और निवेदन अन्त में करना चाहूंगा कि जिन डॉक्टरों की शिकायत की जाती है उनकी जांच भी वास्तव में उन्हीं के पास में बैठ कर रोजाना चाय पीते हैं और जिनका रोजाना मिलना जुलना होता है, जिनका आपस में दोस्ताना होता है। वे सब पास में बैठने वाले मित्र हैं, तो उन्हीं को जो जांच सुपुर्द की जाती है तो वे क्या जांच करेंगे? इसलिये मेरा निवेदन है कि जो सीनियर आॅफिसर्स हैं उनसे निष्पक्ष जांच करवाई जानी चाहिए। जो मेडिकल के डाइरैक्टर साहब हैं या तो वे स्वयं जावें तो निष्पक्ष रूप से देख सकेंगे। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पास ज्यादा कार्यभार है, वे कालेज को भी देखते हैं, चिकित्सा को भी देखते हैं और आॅफिस में भी काम करते हैं। तो इसके लिए पहले एक एडीशनल डाइरेक्टर थे। वे अक्सर जाया करते थे यह पोस्ट शायद अब नहीं है इसके लिए मेरा निवेदन है कि वास्तव में ऐसे उच्च अधिकारी की जांच के सम्बन्ध में नियुक्ति की जावे। और जो आपने समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रावत राम।

(विराम)

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास।

श्री रावत राम (छापर): मैं बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा, जन-स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के बारे में मेरे कुछ कटमोशन्स हैं। मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने यह शिकायत की है कि इस बार बजट में खास तौर से नई डिस्पेन्सरियां, नए औषधालय और नये अस्पताल खोलने के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। तो यह उनका कहना उचित है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि आज शहर और गांवों में बड़ा अन्तर है। उस अन्तर को मिटाने के लिये हमको

(श्री रावतराम)

एक दृष्टिकोण बना कर चलना पड़ेगा। एक तरफ कई तरह की सुविधाएं हैं, अस्पताल हैं, अच्छे होस्पिटल्स हैं और एक तरफ गांवों में किसी भी तरह की कोई व्यवस्था दवाई की भी नहीं है। हम यह उम्मीद करते थे कि थर्ड फाइव इयर प्लान जब पूरा होगा उस समय तक ज्यादा नहीं तो कम से कम पंचायत सेन्टर लेवल पर एक आयुर्वेदिक औषधालय तो खुल ही जायगा, लेकिन वह इच्छा भी गांव वालों की पूरी नहीं हुई। मैं समझता हूं माननीय मन्त्री जी बतायेंगे जब अपना रिप्लाई भाषण देंगे तो क्या हम चौथे प्लान में पंचायत लेवल तक आयुर्वेदिक औषधालय तो कम से कम खोल देंगे, ऐसा वे हाउस में बतावें। सब लोग मांग करते हैं और मांग बड़ी जरूरी है। मैं तो कहता हूं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक कस्बा है लालगढ़। यह बड़ा गांव है उसमें मकान गांव वालों ने बना करके एक पार्टी ने दिया, करीब बीस पच्चीस हज़ार की लागत का और उस ग्राम के आस पास बीस पच्चीस माइल तक कोई डिस्पेंसरी नहीं है, मैंने माननीय मन्त्री जी से भी बात की इस बारे में तो उन्होंने फरमा दिया कि नहीं खोल सकते। तो आप देखिए गांव 2 में जहां कोई डिस्पेंसरी न हो कोई आयुर्वेदिक औषधालय भी न हो और गांव वाले मांग करें तो वह गांव वालों की मांग गैर वाजिब नहीं है। तो हमें इस बात के लिये सोचना पड़ेगा और गांव के लोगों की तरफ देखिए। गांवों में दवाइयों की व्यवस्था होना जरूरी है। हम कई चीजें ऐसी हैं जिनको गवारा कर सकते हैं, सड़क के बारे में कह सकते है, कई चीजों के बाबत कह सकते हैं लेकिन पीने के पानी के बारे में, दवाइयों के बारे में और शिक्षा के बारे में आप गांवों की उपेक्षा नहीं कर सकते। तो मैं आपको मार्फत निवेदन करूं कि ज्यादा से ज्यादा हम ग्रामीण जनता के लिए चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा सकें तो उतनी व्यवस्था करानी चाहिए, और हम दूसरे सीगे में जितनी कटौती कर सकें उतनी कटौती करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि हम को कुछ क्रांतिकारी कदम उठाने चाहिए। जैसे आपका मेडिकल डिपार्टमेंट है, इसमें आप एक ठोस कदम यह उठा सकते हैं कि जिन लोगों को थोड़ी तनख्वाह मिलती है उनको मेडिकल फैसिलिटी दीजिए। मेरी आप से यह मांग है कि पांच सौ रुपये से ज्यादा वेतन पाने वाले लोग हैं उनकी आप मेडिकल फैसिलिटी बन्द कर दीजिए। यह एक बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। लेकिन आज तो उसका उल्टा हो रहा है। यहां जिसको जितनी ज्यादा तनख्वाह मिलती है उसको उतनी ही ज्यादा फैसिलिटी बढ़ती जाती है। जो सबसे ज्यादा कमजोर लोग हैं, जो गरीब हैं जो कम तनख्वाह पाते हैं, जो मजदूर किसान लोग हैं उनके लिए आपके पास बजट में प्रावधान नहीं है। इसलिए आप इस जमाने के मुताबिक जो हमारे लक्ष्य हैं समाजवादी समाज की तरफ बढ़ने का, हमारा लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का लक्ष्य है उस ओर हमको कुछ कदम उठाने चाहिए जिससे हम गरीब लोगों को बता सकें कि हमने उनके लिए कुछ किया है।

Page No. 130

(श्री रावतराम)

इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से यह भी निवेदन करूंगा कि आज आपके बड़े शहरों में सब तरह की सुविधाएं हैं, मैटरनिटी हॉस्पिटल हैं, लेडी डाक्टर्स हैं, मिडवाइफ हैं सब कुछ हैं, लेकिन आज गांवों की हालत को देखें कि आज गांवों में कोई दवाई तक की भी व्यवस्था नहीं है। आप अनुमान कीजिए गांवों की उन महिलाओं का जो कि प्रसूति में होती हैं तो उनको कोई, सलाह किसी प्रकार का साधन दवाई वगैरा नहीं मिलती। तो कम से कम इतना तो करें कि जहां हमारे औषधालय है गांवों म फिलहाल जो चालू स्थिति में हैं उनमें कम से कम एक ट्रेण्ड मिडवाइफ तो वहां एपॉइन्ट करें ताकि गांवों की औरतें भी यह महसूस कर सकें कि सरकार की तरफ से थोड़ी बहुत व्यवस्था हमारे लिए भी हुई है। तो मैं समझता हूं कि इन सब बातों पर आप ध्यान देंगे।

इसके अलावा पीने के पानी के बारे में मेरे से पूर्व बोलने वाले वक्ताओं ने इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। हम इस हाउस में पिछले 15 सालों से इस बात को दोहराते आ रहे हैं कि गांवों में पीने के पानी की बड़ी भारी कमी है। राजस्थान में खास तौर से कुछ जिले ऐसे हैं जैसे चूरू, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर जो डेजर्ट एरिया हैं, इन एरियाज में कहीं तो पानी चार सौ फिट तक गहरा है जिसको हम निकाल नहीं सकते। आज हमारे चूरू जिले में भी कुछ एरिया ऐसा है, डूंगरगढ़ तहसील, सुजानगढ़ तहसील, रतनगढ़ तहसील, इनमें कुछ गांवों में ऐसे कुए हैं जिनको साठे कुए कहते हैं। उनको साठे कुए इसलिए कहते हैं कि उनमें करीब तीन सौ, साढ़े तीन सौ फीट नीचे पानी मिलता है। तो आज आप देखिए कि उन गांवों में रहने वाले किसानों की क्या हालत है। उनका सारा समय····

(समय-समाप्ति-सूचक–घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनिट में समाप्त करता हूं।

उनका सारा धन पानी निकालने में चला जाता है। उनका सारा पैसा इसी में खर्च हो जाता है और उनको कभी अवकाश ही नहीं मिलता कभी दूसरे गांवों में जाने के लिए या दूसरा धन्धा करने के लिए। चार महीने बरसात का टाइम चला जाता है और दिन रात कुओं पर पानी निकालने में ही उनकी सारी शक्ति और अपना सारा पैसा लग जाता है। अब तो सारे कस्बों में करीब 2 जल-योजनाएं पूरी होती जा रही हैं और अब तो एक ऐसा समय आ रहा है कि उस समय को देखते हुए भारत सरकार भी इस तरफ ध्यान देगी और राजस्थान सरकार भी इस बारे में काफी सक्रिय है। इसलिए हम यह उम्मीद करके चलते हैं कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के पूरी होने तक हम समझते हैं कि ऐसे इलाकों में जहां कि पानी खारा है, जहां का पानी गहरा है उन गांवों में तो कम से कम मीठा पानी पहुंचा दिया जाएगा। यह उम्मीद लेकर हम चलते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक–घण्टी)

सिर्फ एक मिनिट और

परिवार नियोजन के बारे में मेरा सिर्फ यही कहना है कि यह योजना आपकी जो है वह

(श्री रावतराम).

गांवों में असफल होती जा रही है, और इसलिए होती जा रही है कि गांवों में जो जाते हैं आपके डाक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ वगैरह उनका हमारे गांव के लोगों से कान्टेक्ट नहीं होता है और इसके साथ ही वे गांवों में जल्दबाजी से आपरेशन करते हैं। वे आपरेशन्स आपके असफल हो जाते हैं। मैं अपने गांव की चर्चा करूं। मैंने अपने गांव में 20–25 आपरेशन्स नसबन्दी के कराये हैं। उसमें 2–3 आपरेशन्स असफल हो गये और 12 महीने बाद में उनके बाल बच्चे हो गये और उन औरतों की हालत बड़ी खराब हो गई। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह कार्य परिवार नियोजन का ऐसा है कि इसमें सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की सहायता लें और मैं यहां तक कहूंगा कि गवर्नमेंट सर्विजेस से बाहर सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं उनको भी पेड रख सकते हैं ताकि वह इसके महत्व को गांवों के लोगों को समझा सकें, वर्ना आपके डाक्टर वहां जाकर ऐसा काम नहीं कर सकते हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक-घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं।

होता यह है कि आपरेशन्स के बारे में सही स्थिति गांवों के लोगों को नहीं बताई जाती है। कोटा की पूर्ति की जाती है। वे चाहते हैं कि आंकड़े ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं। कोशिश यह की जाती है कि ऐसे लोगों को बुलाया जाता जिनकी औरतें खत्म हो जाती हैं और जिनको हमारे यहां मारवाड़ी में रंडुए कहते हैं उनको नसबन्दी करते हैं उन लोगों का आपरेशन कर देते हैं ताकि उनको बतावें। हम यह नहीं चाहते हैं कि इस तरह की संख्या बताकर यह दिखाना चाहें कि यह परिवार नियोजन में सफल हो गये हैं यह लोगों को बताए। यह काम सार्वजनिक कार्यकर्ता कर सकते हैं। उनको पेड रखें। सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को काम भी मिल जायगा जो कि बेकार घूमते हैं। (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) वे गांवों में घूम घूम कर परिवार नियोजन के फायदों को बतायेंगे। इसलिए परिवार नियोजन के मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए और नये तरीकों से और नई व्यवस्था से गांवों में जाना चाहिए। परिवार नियोजन से अनपढ़ जनता को लाभ नहीं मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : मेरा भी नाम है वह आपने पुकारा था पहले।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री गिरधारीलाल भार्गव से) नहीं बोलना चाहते हैं?

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : मेरा नाम है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल जयपुर) : नहीं। बोलना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, जयपुर शहर में माधोविलास नाम का एक आयुर्वेदिक कालेज है। यहां पर आयुर्वेदिक औषधियां देने वाला विभाग भी है, और इसके साथ-साथ कालेज भी है। आयुर्वेद विभाग और कॉलेज दोनों के लिए एक ही पोस्ट है। इससे मेरा यह निवेदन है कि जब दोनों विभाग अलग अलग हैं तो दोनों विभागों के लिए अलग अलग पोस्ट्स इस प्रकार से

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

हों जिस प्रकार से दोनों विभागों के अलग अलग अधिकारी होना चाहिये। आउट डोर वाले रोगियों को वहां पर दवाइयां नहीं मिलती हैं और इनडोर वाले रोगियों के लिए भी जो दवाइयां रखी जाती हैं वह उन लोगों को प्राप्त न होकर बड़े बड़े अधिकारियों और बड़े बड़े प्रभावशाली व्यक्तियों को उन दवाओं का फायदा मिलता है और वे ही उनका उपयोग करते हैं।

पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज वहां पर दो वर्ष से चालू की गई हैं, परन्तु जो सामान खरीदा जाना चाहिये था इन क्लासेज के लिए वह पूरा सामान नहीं खरीदा गया है और जो भी सामान खरीदा गया है वह भी बिना टेण्डर और बिना कोटेशन के 31-3-72 को खरीदा गया है और ऐसा सामान खरीदा गया है जो वहां के लिए अनुपयोगी है।

इसी प्रकार से केमिकल्स की भी वहां पर पूरी व्यवस्था नहीं है जिसके कारण से जो छात्र वहां पर प्रेक्टिकल करना चाहते हैं वह प्रेक्टिकल कर नहीं सकते। उनकी पढ़ाई की समुचित व्यवस्था वहां पर नहीं है।

वहां की रोगीशाला को जाकर देखें तो वहां पर इतनी भयंकर गंदगी है कि एक अच्छा आदमी वहां पर चला जाये तो वहां वह अच्छा आदमी न रहकर वहां पर वह रोगी हो जाय।

इसी प्रकार से वहां पर आउट डोर में बैठने की व्यवस्था भी नहीं है।

अब मैं ग्रामों में जो औषधालय हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज गांवों में जो औषधालय हैं उनकी दशा दयनीय है। वहां एक भी भवन नहीं है, और औषधालय का भवन नहीं होने के साथ साथ आयुर्वेद के काम में जो लगे हुए कर्मचारी हैं उनके आवास की सुविधा नहीं है। इसलिए राज्य सरकार से मेरा निवेदन है कि आज कई व्यक्ति ग्रामों में औषधालयों में काम करते हैं तो उनके आवास की सुविधा होना चाहिये या उनको ग्रामीण भत्ता वहां का मिलना चाहिये। इसी प्रकार से वैद्यों का जो वेतन-स्तर है वहां डाक्टरों के वेतन-स्तर के समान होना चाहिये।

अनुसंधानशालाओं की समुचित व्यवस्था नहीं है। उसके लिए पर्याप्त मात्रा में बजट हो। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। वैद्यों को इसकी समुचित ट्रेनिंग दी जाये और अनुसंधान करने वाला व्यक्ति केवल अनुसंधान में ही रहना चाहिये और उसका किसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में ट्रान्सफर नहीं करना चाहिये।

अब जो मेडिकल डाइरेक्टोरेट है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। मेडिकल डाइरेक्टोरेट का सारा डिपार्टमेंट ही एडाहक डिपार्टमेन्ट है। जिस प्रकार से आज राजस्थान का मन्त्री-मंडल है एडहाक जिसमें आज जो मंत्री है वह कब भी मंत्री रहेगा या नहीं रहेगा यह मालूम नहीं है, क्योंकि वह मंत्री परमानेन्ट मंत्री नहीं है। उसी प्रकार से यह दोनों आयुर्वेद विभाग और चिकित्सा विभाग यह एडहाक विभाग हैं। चिकित्सा

Page No. 133

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

विभाग के डाइरेक्टर साहब जो यहां पर काम कर रहे हैं वे पार्ट टाइम डाइरेक्टर हैं। दिन में यहां हास्पिटल में काम कर लेंगे उसके बाद में डाइरेक्टोरेट का काम करेंगे। इस प्रकार से यह दोनों विभाग एडहॉक विभाग हैं और जब तक वे रिटायर हो जाते हैं एडहॉक ही रहते हैं। मैं समझता हूं कि इस एडहॉक की प्रणाली को राज्य सरकार को ठीक करना चाहिए।

भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय पर, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इसी डाइरेक्टोरेट ने इस प्रकार की बैन्डेजेज खरीदी, दवाइयां खरीदी लेकिन स्टेण्डर्ड का माल नहीं मिला, और इस खरीद में भयंकर घोटाला हुआ, इसलिए मेरा सुझाव है कि सारे घोटाले की जांच करायें।

डिपार्टमेंटल प्रोमोशन कमेटी बिठाई जाये और लोगों को कन्फर्म किया जाये। लोग यदि कन्फर्म हो जायेंगे तो लोगों के मन में स्थिरता आयेगी और उनके दिमाग में स्थिरता आयेगी तो उनका मन काम में लगेगा। इस प्रकार का डिसीजन हाई कोर्ट ने भी लिया है।

मैं दूसरा इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो एम्प्लाईज स्टेट इन्श्योरेन्स की योजना के अन्तर्गत अस्पताल जो कि अजमेर रोड पर है वह अर्ध निर्मित अस्पताल है उसमें डाक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति कर दी गई है जबकि वहां पर न तो पीने के लिए पानी है और न पानी की टंकी है और न प्रकाश व्यवस्था है। प्रकाश की व्यवस्था के बारे में मैं जानता हूं कि उसके लिए जो एल फार्म भरा जाना चाहिए वह नहीं भरा गया है, लेकिन नवम्बर 71 में ही नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति कर दी गई है। नवम्बर 71 से वहां पर कोई भी मरीज नहीं आया है और हजारों रुपया व्यय किया गया है, और मेरा राज्य सरकार पर आरोप है कि राज्य सरकार ने 45 हजार रुपया उन सारे डाक्टर्स और नर्सेज पर व्यय किया है जहां कि एक मरीज भी नहीं आया है व्यय कर दिया है।

इसी प्रकार से मेडिकल कालेज की कुछ पोस्टों के लिए विज्ञापन दिया गया था सितम्बर 71 में और लोगों के इन्टरव्यूज भी लिये गये थे लेकिन उसके रिजल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं किये गये हैं और केण्डीडेट्स सेक्रेटेरियेट के चक्कर लगाते फिर रहे हैं, और मुझे यह जानकारी मिली है कि सेक्रेटेरियेट में, सचिवालय में रिजल्ट की फाइल दबी पड़ी है।

इसी प्रकार से यहां पर एक डाक्टर हैं एस. एम. चिनाय। वैसे अपने नाम के आगे वे एल. पी. एस. लिखते हैं लेकिन उसके बाद में उसके आगे ब्रेकिट में लिखते हैं आई. एस. ओ.। मुझे क्षमा करें, महिला सदस्याएं इस समय सदन में नहीं हैं इसलिए मैं कह सकता हूं कि वे ब्रेकिट में लिखते हैं लूप एक्सपर्ट। वे पुरुष डाक्टर हैं और लूप एक्सपर्ट हैं। वे ई. एस. आई. डिस्पेन्सरी में काम करते हैं। जिस समय यहां पर हरिजनों की स्ट्राइक चल रही थी तो वह एक नकली सरकारी अफसर बनकर चले गये और एक अन्य अधिकारी को अपने साथ में ले गये 27-4-72 को। राष्ट्रदूत में सारे समाचार प्रकाशित हुए हैं।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि वे ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं कि इस प्रकार से सारे चक्कर लगाकर और चूंकि वे जयपुर के निवासी हैं यह इस प्रकार से कर रहे हैं कि उनके गवाहों को राज्य सरकार तोड़ रही है और उन पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो रही है।

इसी प्रकार से आज मैं सवाईमानसिंह अस्पताल की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। सवाई मानसिंह अस्पताल में न पट्टी मिलेगी न मीठा सोडा मिलेगा, न भली प्रकार की चद्दरें मिलेंगी। आप चाहे काटेज वार्ड में चले जायें, मैं समझता हूं बढ़िया काटेज वार्ड है, वहां पर बहिन जी, कमला बेनीवाल एडमिट हुई, भूतपूर्व गृह मंत्री श्री दामोदर व्यास एडमिट हैं, भूतपूर्व मुख्य मंत्री हीरालाल शास्त्री एडमिट हैं और एक आध और नेता एडमिट है। फटी हुई चद्दरें काटेज वार्ड में दी जाती हैं तो और वार्डों की बात तो दूसरी है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, जनाना हास्पिटल है। जनाना हास्पीटल सवाई मानसिंह हास्पीटल से काफी दूर पर है। एक बार यह मांग की गई थी कि जनाना हास्पीटल महाराजा कालेज की बिल्डिंग में लाया जाय या सवाई मानसिंह हास्पीटल के पास अन्य किसी उपयुक्त स्थान पर लाया जाय क्योंकि वहां पर एक्स-रे मशीन की व्यवस्था नही है, सीनियर डाक्टर से किसी केस में भेंट करनी हो, सीनियर डाक्टर से किसी केस में सलाह करनी हो तो जनाना...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं, पारस्परिक वार्तालाप के मैं बिल्कुल विरुद्ध हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जनाना अस्पताल से सवाई मानसिंह हास्पिटल तक मरीज को लाने पर मरीज खत्म हो जायेगा और उसको उपचार नहीं मिल पायेगा। इसलिए मेरी मांग है कि जनाना हास्पिटल को महाराजा कॉलेज में शिफ्ट कर दिया जाये या सवाई मानसिंह हास्पिटल के पास किसी उपयुक्त स्थान पर जनाना हास्पिटल का निर्माण कर दिया जाय। वर्तमान जो जनाना हास्पिटल है इसको जिला जनाना हास्पिटल में परिवर्तित कर दिया जाय। मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि जनाना हास्पीटल के लिए जे. के. सिंहानिया ने तेरह लाख रुपये देने की घोषणा की थी, वह तेरह लाख रुपये राज्य सरकार ने प्राप्त कर लिये तो क्या कार्यवाही करना चाहते हैं ? अगर तेरह लाख रुपये प्राप्त नहीं किये हैं तो तेरह लाख रुपये प्राप्त करके जनाना हास्पिटल को सवाई मानसिंह हास्पिटल के पास किसी उपयुक्त स्थान पर बनाना चाहिए।

इसके बाद सिटी डिस्पेंसरी है। इनमें यह हालत है, आप चले जायें और डाक्टर से बात करिये, वह कहेंगे, पांच पांच रिमाइन्डर दे दिये हैं, लेकिन न वहां पट्टी की व्यवस्था है, न ए.पी.सी. की पुड़िया की व्यवस्था है, न जल की व्यवस्था है और न चिकित्सा की व्यवस्था है। इन डिस्पेन्सरी में महिला डाक्टर भी नहीं मिलेंगी, महिला नर्स भी नहीं मिलेगी। पुरानी बस्ती की डिस्पेन्सरी है और मोतीकटला की डिस्पेन्सरी हैं उनमें आप चले जायं, मेरा निवेदन है कि इन डिस्पेन्सरी और सवाई मानसिंह हास्पीटल की यह दुर्दशा है कि

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

लोग त्राहि त्राहि पुकारते हुये मिलेंगे, उनके खून निकल रहा है लेकिन पट्टी नहीं है खून बहता रहता है तो लोग धोती फाड़कर पट्टी ले आते हैं और वह पट्टी बांधते हैं। कोई भी बीमारी होती है डाक्टर सात सात दवाई लिख देते हैं, कोई न कोई गोली तो लगेगी। एक मध्यम श्रेणी का व्यक्ति सात दवाई लाता है तो पच्चीस रुपये में दवा आयेगी। मैं पूछता हूं क्या यह अनुपयुक्त नहीं है कि सात दवा लिख दी और पच्चीस रुपये के अन्दर वह दवा आये, दो दिन का नुस्खा पच्चीस रुपये का। आप विचार करिये, मध्यम श्रेणी के व्यक्ति को वहां दवा नहीं मिलती है। गरीब हैं उनको डिस्पेन्सरी से दवा नहीं मिलती है। सवाई मानसिंह हास्पीटल की यह दुर्दशा है कि पीने के लिये पानी उपलब्ध नहीं होता। मेरी प्रार्थना है यह सवाई मानसिंह हास्पीटल की हालत है, उसको जाकर आप देखने की चेष्टा कीजियेगा।

इसी प्रकार से सवाई मानसिंह हास्पीटल में जो स्टाफ है उस स्टाफ के बारे में कई प्रकार चर्चा होती है। सवाई मानसिंह हास्पीटल में दो प्रकार का स्टाफ है एक तो क्लिनिकल और दूसरा नान क्लिनिकल। दोनों प्रकार के अलग अलग स्थान है। इनमें पक्षपात के आधार पर अनियमित रूप से स्टाफ का पोस्टिंग कर देते हैं। महालेखाकार ने कहा है, शिक्षा का व्यक्ति है वह मरीजों को देखने का काम नहीं करेगा, मरीजों को देखने का जो कार्य करता है वह शिक्षा का काम नहीं करेगा। इस प्रकार से ट्रान्सफर करने की प्रवृत्ति है, उसके कारण डाक्टरों में भयंकर असन्तोष है।

इसके अलावा जो रिक्त स्थान हैं उनके लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के जो अभ्यार्थी हैं उनका चयन करने का माप दण्ड नहीं बना रखा है। अभी तक की सूचना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों को रखने के लिए किसी प्रकार की कोई नियमावली नहीं बना रखी है।

इसी प्रकार जो विदेशों में प्रशिक्षण होता है उसके लिए विभाग द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का चयन किया जाना चाहिये, लेकिन वह नहीं हुआ है।

इसी प्रकार विभागीय पदोन्नति करने के लिए कमेटी बनी हुई है लेकिन उस कमेटी की बैठक, अब उस कमेटी को बने चार वर्ष कम्पलीट हो जायेंगे, लेकिन बैठक नहीं हो रही है और इस कारण से कई–कई डाक्टर को दो–दो स्थान में लगा रखा है।

एन. आर. सी. में एक एम. बी. छात्रा को रख लिया गया है जबकि एम.बी., बी.एस. मौजूद हैं। इस प्रकार पक्षपात के आधार पर नियुक्ति की जाती है।

इसी प्रकार से सवाई मानसिंह हास्पिटल में पांच लाख पिच्यानवे हजार रुपया दवाई आदि के लिए रखा गया. उसमें से चार लाख रुपया बैंडेज, गाज, एक्स-रे फिल्म आक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस के लिए रखा है और 1 लाख 95 हजार रुपया रोगियों को दवा के लिए रखा है मैं निवेदन करना चाहूंगा, राज्य सरकार ने प्रत्येक इण्डोर पेशेन्ट के लिए मापदण्ड दवा

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

का बना रखा है, उस प्रकार से इन्डोर पेशेन्ट के लिए सात सौ रुपये का बना रखा है, यह पर बेड है, सवाई मानसिंह हास्पिटल में 900 बेड हैं, इस हिसाब से 6 लाख 30 हजार रुपया तो स्वतः ही हो जाता है, जबकि इस बजट में 5 लाख 95 हजार रुपया कुल है। यह इण्डोर के लिए है तो ग्राउटडोर के लिए क्या प्रावधान है। केवल यह इन्डोर पेशेन्ट में खर्च हो जायगा तो आउट डोर पेशेन्ट को आप एक कौड़ी की दवा भी नहीं दे सकते हैं। आज आउट डोर में गरीब आदमी ही आते हैं, क्योंकि इन्डोर कौन भर्ती होना पसन्द करे लेकिन आउट डोर पेसेन्ट को बिल्कुल दवा नहीं मिलती है। उनको भी दवा मिल सके—इसके लिए प्रावधान रखना चाहिए। इस प्रकार सवाई मानसिंह हास्पीटल में जो दुर्दशा है, मरीजों को दवा नहीं मिलती है उसके लिए आपको व्यवस्था करनी चाहिए।

इसी प्रकार आपने सवाई मानसिंह अस्पताल के लिए एक सलाहकार समिति बनाने की इस सदन में घोषणा की थी। वह सलाहकार समिति आज तक नहीं बनी है। और इस हास्पीटल में ओपन टेन्डर के आधार पर दवा खरीदी जाती है। जो कम्पनी जिस रेट पर दवा देती है, उससे सस्ती दवा देने वाले लोग आज मौजूद हैं आप सोचें, जो लोग कम्पनी दर से सस्ती दर पर दवा देंगे, वह दवा किस प्रकार से अच्छी किस्म की होगी? वह भली प्रकार की दवा होगी नहीं। उस दवा से लोगों को आराम मिलेगा नहीं। इसलिए कम्पनी रेट से सस्ती दवा न खरीद कर सीधे कम्पनी से दवा खरीदें तो अच्छी दवा तो लोगों को मिलेगी।

इसी प्रकार से सवाई मानसिंह हास्पीटल में ब्लड रखने के लिए प्लाजमा प्लान्ट लगाया जाना चाहिए, वह नहीं है। समय पर खून नहीं मिलता है, रिश्तेदार को लेकर आये यदि खून लेना हो, या किसी बाबा को पकड़ कर लायें तो यह पता नहीं लग सकता कि किस किस्म का खून चाहिए। आज खून के अभाव में लोगों की मृत्यु होती है। इस पर मंत्री महोदय को विचार करना चाहिए।

सवाई मानसिंह हास्पीटल में अच्छा मिक्स्चर प्राप्त नहीं होता है, इस पर भी मंत्री महोदय को विचार करना चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं आपका ध्यान सवाई मानसिंह हास्पीटल में जो भी खरीद की गई, उसकी ओर दिलाना चाहता हूँ। सवाई मानसिंह हास्पीटल में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, आज लोगों को देने के लिए दवा नहीं मिलती है, लेकिन वह सामान पड़ा हुआ है। इसकी रिपोर्ट इस सदन में प्रस्तुत हुई थी। इस सदन में यह प्रश्न पूछा गया, सवाई मानसिंह हास्पीटल तथा मेडिकल कालेज जयपुर में किस-किस मूल्य की कौन-कौन सी मशीनें कब—कब से उपयोग में नहीं लाई गई और क्यों? कौन कौन सी मशीन उपयोग में आने के कारण कब-कब से खराब पड़ी हैं? इन मशीनों का उपयोग किन-किन डाक्टरों द्वारा कितने कितने समय के लिए किया गया तथा इन डाक्टरों को इन मशीनों के सम्बन्ध में कहां और कब

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कब प्रशिक्षण दिया गया? इसका उत्तर दिया गया कि सूची संलग्न है। इस सूची में यह लिखा है: एक.ए.जी.टी. कट फिल्म चैन्जर खरीदा। यह .78 लाख में खरीदी और मई 1967 में खरीदी। इसके लिए लिखा है: फर्म द्वारा अभी तक संतोषजनक डिमान्स्ट्रेशन नहीं दिया गया है तथा इसमें काम में आने वाली एक्स–रे फिल्म उपलब्ध नहीं हो रही है।

दूसरी है, स्कोन्दर स्कल एक्स–रे यूनिट, इसका मूल्य है 1.07 लाख और अगस्त 68 में खरीदी। इसके लिए लिखा है: यह मशीन जेनरेटर द्वारा कार्य करती है जिसका मूल्य 0.40 लाख है तथा अभी तक धनाभाव के कारण नहीं खरीदा गया है।

तीसरी मशीन है, आर्टिफिशियल किडनी मशीन, इसका मूल्य है 0.30 लाख यह जनवरी 66 में खरीदी। इसके लिए लिखा है: इस मशीन के पूर्ण पार्ट्स अभी तक नहीं खरीदे गये हैं। मैसर्स केसी सेठोया, लन्दन द्वारा पार्ट्स, जिनका मूल्य 2 हजार पौंड है, जो मुफ्त में मिलने हैं अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। फर्म ने अब इन पार्ट्स का आर्डर लन्दन में फर्मों को देने का प्रबन्ध कर दिया है।

चौथी मशीन है, एक्स-रे मशीन 200 एम. ए. (एंक्सकार्ट) इसका मूल्य है 0.62 लाख, यह मार्च 1969 में खरीदी। इसके लिए लिखा है इस मशीन का फिटिंग हो रहा है और माह सितम्बर से काम में लाई जाने लगेगी।

इसी प्रकार से वाटसन 100 एम. ए. एक्स-रे मशीन 1967 में खरीदी गई। चार्ल्स सुपरफीशियल थेरापी मशीन 1966 में खरीदी गई। इनके बारे में लिखा है–उपरोक्त दोनों मशीनों पर एक्स-रे विभाग में कार्य करने वाले डाक्टर्स ने कार्य किया है। इन मशीनों पर डाक्टर्स के प्रशिक्षण का प्रश्न ही नहीं उठता है।

इस प्रकार से तीन लाख के अनुमानित व्यय से मशीन खरीदीं गई वह भी पड़ी रहीं। ये मशीने मार्च 1967 में प्राप्त हो गई। लेकिन इस प्रकार की लाखों रुपये की मशीनें हैं, वह अनधिकृत रूप से बेकार पड़ी हैं, अनुपयोगी पड़ी है। किसी के लिये पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, किसी के लिए प्रशिक्षण प्राप्त डाक्टर नहीं मिल रहे हैं।

यह एक और सूची है जो सदन में एक प्रश्न के उत्तर में दी थी। सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज के जिन डाक्टरों को मुफ्त बिजली, पानी व मकान एवं टेलीफोन की सुविधा प्राप्त है उनका विवरण दिया है। सवाई मानसिंह हास्पीटल में लाखों रुपये की मशीनें हैं जिनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। मैं समझता हूं कि इनका उपयोग करने के लिये जिन पार्ट्स की आवश्यकता है, जिन डाक्टरों का प्रशिक्षण कराने की आवश्यकता है उसकी व्यवस्था की जाये ताकि मशीनों का भली प्रकार से उपयोग हो। यह मेरी प्रार्थना है।

मैं अब परिवार नियोजन की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। यह इस प्रकार का विभाग है जैसे अकाल राहत का महकमा। 100 आदमियों का मस्टर रोल बना दो, 150 रु. ले लो। मुझे मालूम

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

है जो लोग जयपुर शहर में चने बेचते थे अकाल राहत के कार्यक्रमों में बाड़मेर और जैसलमेर में उनके बड़े-बड़े भवन बन गये। मुझे एक बाबा मिला मैंने उनसे कहा कि अब तुमको क्या होगा तुम तो यहां चने बेचते थे, उन्होंने कहा कि अकाल राहत कार्यो से धन बना लिया। इसी प्रकार का काम परिवार नियोजन का है। मेरे पास एक पत्र है जिसमें सारे के सारे नाम लिखे हुए हैं। मन्त्रीजी सारे नाम फर्जी हैं, इनको लूप लगाया, इनकी नसबंदी की......

श्री रघुनाथ विश्नोई : पत्र कहां से प्राप्त किया गया ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र के नाम के आगे दो महिलाओं के नाम हैं जो इसमें 29–30 नम्बर पर दर्ज हैं, पति का नाम, पत्नी का नाम, दोनों ने लूप लगवाये। एक श्री नाथूलाल हैं 50 वर्ष के व्यक्ति ग्राम झोटवाड़ा दिनांक 18–12–71 को उसकी नसबंदी की गई और क्यों की गई ? बच्चा पैदा नहीं होता था। जिसको 50 वर्ष तक बच्चा पैदा न हो, उसकी आपके विभाग द्वारा नसबंदी की गई, यह सम्पूर्ण सूची में दर्ज है परिवार नियोजन की उम्र 45 से 50 वर्ष तक की है यहां लूप लगायेंगे 70 वर्ष की आयु के लोगों को। नसबंदी किसकी की जाएगी ? 70 वर्ष के आयु के आदमी को। अनुमान लगायें राजस्थान में आखिरकार 70 वर्ष की आयु तक लूप लगवाने की कार्यवाही और नसबंदी की कार्यवाही चलती है। जितने लूप लगाए हैं उनको 4 महीने बाद गर्भ हो गया। क्या यह आपका परिवार नियोजन है ? जिस डाक्टर महोदय का ट्रांसफर हो गया 4 महीने पहले वह हटता नहीं, क्वार्टर खाली नहीं करता, यह कहकर कि ट्रांसफर कैंसिल करवा दूंगा क्योंकि मन्त्रीजी मेरे रिश्तेदार हैं।

परिवार नियोजन के नाम पर अश्लील प्रचार होता है। पोस्टरों पर पति-पत्नी की फोटो है। उस पर लिखा है एक दो तीन बच्चे, बस। बच्चे पर क्या असर पड़ेगा ? बच्चा पूछता है पिता से कि मैं भी लूप लगवा लूं ? परिवार नियोजन का प्रचार तो इस राज्य सरकार का इतना निम्न स्तर पर गिर गया है कि यह शोभनीय काम नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसा पैसा क्यों खर्च करते हैं ? उसके बजाय तो आप खेलने-कूदने के स्थान बनवाइए। फुटबाल वालीबाल खेलने का प्रबंध करें रामनिवास बाग जैसे और स्थान बनवाइए। इससे क्या होगा कि खेल कूद से इतना थक जायेंगे कि घर आने के बाद रात को उधम नहीं करेंगे। अपने आप परिवार नियोजन हो जायगा इस पर इतना पैसा खर्च करने की आवश्यकता क्या है ? सारा काम उससे हो जाएगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इनके तजुर्बे का लाभ उठाइए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आज नौजवान बिल्कुल ढीले-ढाले दीखेंगे। अरब हैं उनको देखिये। आज के नौजवान चीन और पाकिस्तान के आक्रमण का मुकाबला नहीं कर सकेंगे।

इसी प्रकार उदयपुर का वनवासी क्षेत्र है, वहां के निवासियों को चिकित्सा के

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

अभाव में, बिना उपचार के दुनियां से चले जाना पड़ता है। क्योंकि वहां उपचार की व्यवस्था नहीं होती है तो फिर वहां ईसाई मिशनरीज काम करते हैं, दवाइयां मुफ्त में बांटते हैं और लोगों को प्रलोभन देते हैं और गरीबी के कारण, बदकिस्मती से उदयपुर के वनवासी लोग दवाइयों की लालच में आकर ईसाई धर्म ग्रहण करते हैं। यह तो आप भी पसंद नहीं करेंगे कि भारत में इस प्रकार धर्म परिवर्तन हो, यह राजस्थान सरकार के लिए कलंक है।

आयुर्वेद के बारे में निवेदन करना है कि वैद्यों की तनख्वाहें डाक्टरों के समान होनी चाहिए।

जन स्वास्थ्य के बारे में निवेदन है कि 20 वर्षों से जन स्वास्थ्य विभाग के नाम से योजनायें बनी हैं और करोड़ों रुपया खर्च हो गया उसके बाद भी जितने माननीय सदस्य हैं उनमें एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि मेरे यहां पीने का पानी है और बड़ा आनन्द है। जितने भी बैठे हैं 183 सदस्य मेरे अलावा। मेरे क्षेत्र में भी अभी तक पीने के पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ। मैंने एक प्रश्न पूछा कि सम्बन्धित सिंचाई योजना पर कितना रुपया खर्च हुआ तो कहा कि सिंचाई पर सर्वेक्षण के कार्यों पर खर्चा चौथी योजना के तहत 44,344- लेकिन यहां कहते हैं कि योजना ही नहीं है आपने इर्रीगेशन योजना जिसको बनास योजना माना है लेकिन जयपुर शहर के अलावा, बनास योजना के अलावा दूसरी योजनाओं पर भी इन 20 वर्षों में करोड़ों रुपया खर्च होगा। जांच समिति बिठाकर देखें कि गबन हुआ क्या? पैसा कहां गया, कुए में डाल दिया? पानी की समस्या का समाधान हुआ नहीं, इसलिए आपको जांच समिति बिठानी चाहिये। उसके बाद राजस्थान में 32 हजार गांव हैं, राज्य सरकार ने किताब छापी है, उसके अनुसार 10 हजार गांवों में एक भी पीने के पानी का स्रोत नहीं है। थोड़ा इस पर विचार करें और जल्दी से जल्दी समस्या के समाधान के लिए जैसे मास्टर प्लान जयपुर में दिखाया जाता है कि मास्टर प्लान आ जायगा, गजब हो जायगा, दिल्ली में नक्शे छपने के लिए गए हैं। उसी प्रकार जल समस्या के समाधान के लिये 70 करोड़ का मास्टर प्लान आपने बनाया और तीन वर्षों से मास्टर प्लान जल समस्या के समाधान के लिए कहां पड़ा हुआ है? भारत सरकार के पास? आपने चिंतन किया? मास्टर प्लान को मंगाइए। राजस्थान में पानी के लिए तड़प रहे हैं, कम से कम पीने के लिए पानी और रहने के लिए मकान दो जैसे संविधान के डाइरेक्टिव प्रिन्सीपल्स में कहा गया है। सरकार वह बढ़िया जो भोजन दे, मकान दे, चिकित्सा की व्यवस्था करे। पीने का पानी बड़ी आवश्यक चीज है। कम से कम वह तो लोगों को मिलनी चाहिये। जोधपुर में जवाई बांध का सवाल है। जवाई बांध से पानी चोरी हुआ। चोरी करने वाला कौन था? भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष नाथूराम मिर्धा। आपने जांच की? जो बांध का पानी डैम से जाता था उसमें छेद करके अपने खेत में पानी ले लिया...।

एक माननीय सदस्य : यह आरोप गलत है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जयपुर शहर में पानी के दो स्रोत हैं एक अमानीशाह और दूसरे रामगढ़ का बंधा। अमानीशाह में 1906 से 1910 तक कुएं बने जिनकी सफाई आज तक नहीं हुई। कुओं में कीचड़ जमा हुआ है, पानी का स्रोत कम हो गया। अमानी शाह 1.25 लाख गैलन पानी दिया करता था। 7 बोरिंग खुद जाने के बाद उसकी कैपसिटी बढ़नी चाहिए थी लेकिन पानी क्षमता 1 लाख गैलन हो गई। यह व्यवस्था है वहां की। रामगढ़ के लिये आपने कहा 1972-73 से काम करेंगे। इसके लिए आपको धन्यवाद लेकिन आखिरकार अमानीशाह की यह हालत है। पिछली बार कुएं खुदवाए गए। माधोसिंह सर्किल उस पर आपने 66 हजार खर्च गत वर्ष किया, कुआं खुदवाया। वह जाकर देखो। मैंने परसों जाकर देखा वहां कुछ लोग काम कर रहे थे, मैंने पूछा क्या कर रहे हो तो कहने लगे कि समतल कर रहे हैं।

जोधपुर में रामपुरा योजना में 15 नलकूप खोदे हैं तो आसपास के खेतों का पानी सूख गया। तो जयपुर शहर में 150 नलकूप पहले ही हैं, 200 और खुदवायेंगे तो इससे जयपुर शहर में रहने वाले पानी के लिये तो तड़पते हैं ही लेकिन गरीब किसान जो खेत में पैदा कर लेता है अपने परिवार को पाल लेता है, वह और गरीब होगा और पानी के लिए तड़पेगा। आपने सर्वेक्षण नहीं किया। नक्शे बनाने का खर्च किया और कहा कि 200 नलकूप खुदवायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जयपुर शहर में जो पानी के मीटर्स लगे हुए हैं उनके बारे में भी मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। उनकी हालत बहुत ही खराब है। वैसे तो इन्होंने मीटर्स के नाम रख रखे हैं जैसे किसी का नाम राहुल रख दिया यों तो राहुल भगवान बुद्ध के लड़के थे बड़े अच्छे थे पर यह जो मीटर है वह तो बहुत ही खराब है। आज वह मीटर काम नहीं करते हैं और जकड़ गये हैं। और स्थिति ऐसी है कि मीटर्स तो बन्द पड़े रहते हैं और वाटर वर्क्स वाले आपको बिल लाकर मनमाने ढंग से दे देते हैं। आज इस वाटर वर्क्स डिपार्टमेन्ट में ऐसी घोर अव्यवस्था है कि लोगों के पास 5-5 साल पुराने बिल आ रहे हैं। आपको ताज्जुब होगा कि यह बिल छः साल बाद क्यों आये पर असलियत यह है कि जो वाटर वर्क्स का दफतर पुरानी बस्ती में मिस्त्री खाने में हैं वहां पर आग लग गयी थी और रिकार्ड सारा का सारा जल गया। इसलिये इस विभाग के लोग मनमाने ढंग से लोगों के पास बिल पुराने सालों के भेज रहे हैं। और जो इन बिलों का भुगतान नहीं करता है उसका कनेक्शन वाटर वर्क्स द्वारा काट दिया जाता है। बड़े ही खेद का विषय है कि जब मीटर बन्द पड़े हैं तो इन्होंने किस आधार पर बिल बनाकर भेजा है। मेरा आपके मार्फत राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि इस अनियमितता को खत्म किया जाना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

इधर पानी देने की जो व्यवस्था वाटर वर्क्स की है वह बहुत ही खराब है। उपाध्यक्ष महोदय, वाटर वर्क्स डिपार्टमेन्ट के आफीसरों का यह आदेश है कि नल 9 बजे बन्द हो जाने चाहिये। और यहां जो नल खोलने आता है वह बहुत ही दूर से

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

जगह-जगह जो हाईड्रेन्ट्स है वहां खोलता हुआ आता है। जब वह एक नल खोलता है तो वहां पानी आता है इस प्रकार जब तक छोटी चौपड़ तक आता है तब तक 9 बज जाती है और पुरानी बस्ती के लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। क्योंकि उस चपरासी को यह आदेश है कि 9 बजे बाद पानी के नल बन्द कर दिये जाने चाहिये। तो उपाध्यक्ष महोदय, वो वापिस नल बन्द करते हुये चला जाता है। तो जो यह व्यवस्था आज वाटर वर्क्स डिपार्टमेन्ट की है वह भी ठीक करवायी जानी चाहिये। इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि अगर शहर में या कच्ची बस्तियों में जहां पर कि आग लगने का ज्यादा खतरा है आग लग जाय तो उसके बुझाने की व्यवस्था आज यहां पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि आज आग बुझाने की जो पानी लेकर गाड़ी जाती है और जो टंकी है उसका नाम है हुस्नबानू उसकी हालत बहुत खराब है वह फूटी हुई है और अगर आज उसे बनीपार्क या, तिलक नगर या मान लीजिये उसे गान्धी नगर जाना पड़ता है तो वह पानी की टन्की जब तक वहां पहुंचेगी खाली हो जायेगी और उसे वापिस पानी के लिये आना पड़ेगा तो इस प्रकार यह हुस्नबानू जो है वह तो आग बुझाने की समस्या का हल कर नहीं सकती। इसलिये राज्य सरकार को इस समस्या का भी हल जल्दी से जल्दी जनता के हित के लिये करना चाहिये। दूसरे आज जयपुर की जो कच्ची बस्तियां हैं वहां पर न तो पीने के पानी के नल ही हैं और न ही वहां पर पानी की समस्या के लिए कुछ किया गया है। आज उन कच्ची बस्तियों में जो लोग रहते हैं, उनके अस्पताल की भी व्यवस्था नहीं है। इसलिये मेरा आपके मार्फत राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि वहां इन कमियों को दूर किया जाय और इन कच्ची बस्तियों में हाईड्रेन्ट्स की स्थापना की जाय। सन् 1971-72 में राज्य सरकार से काफी लड़ झगड़ कर हमने 60 लाख रुपये की मन्जूरी ली थी पर उसमें से भी सिर्फ 16 लाख 70 हजार रुपया ही खर्च हो सका बाकी की रकम यों ही बिना काम आये ही रही। तो मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को चाहियें कि जो रकम पिछले साल काम नहीं आ सकी उसे उनके लिये काम में लाई जाय। इसके अलावा इस विधान सभा में कई बार सिंचाई के नाम पर पानी देने के लिये वाद-विवाद हुए हैं पर मैं तो जयपुर शहर में जो पीने के पानी की भयंकर समस्या है उसके लिये निवेदन करना चाहूंगा आज यहां पर पीने के पानी की बहुत ही कमी है। इस समस्या का हल आप और किसी भी तरह से नहीं कर सकेंगे और अगर कोई स्थायी हल हो सकता है तो वह है बनास योजना के लागू होने से। पर न मालूम क्या बात है, किन्हीं राजनैतिक कारणों से इस योजना की क्रियान्विति नहीं हो रही है। हालांकि 72 में इसके लिये 84 लाख रुपये की सैंक्शन भी हुई है और कुछ पहले का पैसा जो 60 लाख था उसमें से बचा है उसे अगर मिला कर बनास योजना से पानी की समस्या का हल किया जाय तो काफी पीने के पानी की समस्या का हल हो सकता है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ये काफी समय से बोल रहे हैं और सदन का समय समाप्त होने को है, हमें भी बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : ये आप मुझ पर छोड़ दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी समाप्त कर रहा हूं। अब मैं जयपुर में जो अस्पताल है वहां के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। इन अस्पतालों की हालत बहुत खराब है। वहां पर आपको पहले तो डाक्टरों की कमी मिलेगी और अगर डाक्टर मिल जायेंगे तो कम्पाउन्डर नहीं होगा और तकदीर से वो मिल गया तो लोगों को वहां पर दवाई वगैरहा उपलब्ध नहीं होगी, बड़ी विकट समस्या है। इसके लिये राज्य सरकार को टोप प्रायोरिटी देनी चाहिए। पर, उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक इसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसलिए मैं यह उपाध्यक्ष महोदय, आपके मारफत मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान देकर जनता की जो समस्यायें हैं उनको हल करें।

श्री उपाध्यक्ष ; श्री झाबरमल ।
(अनुपस्थित) ।

श्री मूल चन्द सामरिया ।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय समाप्त होने जा रहा है इसे एक घण्टे और बढ़ाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय एक घण्टे और बढ़ाया जाय।

(स्वीकृति)

सदन की कार्यवाही एक घण्टे और बढ़ायी गयी।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी चिकित्सा की जो मांगों पर बहस चल रही है उसमें दौसा के अन्दर जो अस्पताल है उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, दौसा के अस्पताल में एक एक्सरे मशीन सन् 62 से खरीदी हुई है वह एक्सरे मशीन दौसा नगरपालिका के द्वारा खरीदी गयी थी पर आज तक वह मशीन रोगियों के काम नहीं आ रही है। इसलिये मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह उस मशीन को दौसा क्षेत्र की जो जनता है उसके लाभ के लिये काम लाने के लिये अच्छे डाक्टर की व्यवस्था करे नहीं तो वो मशीन न तो मरीजों के काम आयेगी और जो पैसा लगा है वह बेकार हो जायेगा। इसका परिणाम यह होगा कि वह मशीन पड़ी पड़ी खराब हो जायेगी। आज उस एक्सरे मशीन के काम नहीं करने से जनता को दौसा से चलकर जयपुर आना पड़ता है अपना एक्सरे कराने के लिये। दूसरी बात मैं जो आपको दौसा अस्पताल में जो दवाईयों की कमी है उसके बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। वहां पर पर्याप्त मात्रा में स्टाफ नहीं है और मैं आपको जानकारी के लिए निवेदन कर देना चाहूंगा कि दौसा सब डिविजन जो है वह राजस्थान के एक दो जिलों से बड़ा है। वहां की आबादी ज्यादा है इसलिए दौसा अस्पताल में ऐसी

(श्री मूलचन्द सामरिया)

फैसीलिटिज होनी चाहिये जो कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के हास्पीटल में होती है। आज दौसा में जो डी. एम. एच. ओ. का हैडक्वाटर था उसका राजनैतिक कारणों से हैडक्वार्टर को हटा लिया गया और उसका कार्यालय जयपुर कर दिया गया है। इससे वहां की जनता को काफी परेशानी है। आज डी. एम. एच. ओ. का हैडक्वार्टर जो दौसा में जयपुर का था उसे भी वापिस वहीं किया जाना चाहिये। दूसरी बात जो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा वह है कि वहां दौसा में जो डाक्टर है उसका वर्ताव जनता के साथ बहुत ही खराब है उनके खिलाफ कई बार शिकायतें की गयी। और उनके तबादले के लिये लोगों ने भूख हड़ताल भी की थी और बाद में उनका तबादला दौसा से जनता के हित में किया गया। उन डाक्टर साहब को पुलिस के सुरक्षा में दौसा से पहले लाया गया था क्योंकि जनता उनसे बहुत ही खिलाफ थी पर बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो ही वापिस दौसा में आगये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, डाक्टरी पेशा बहुत ऊंचा पेशा है और डाक्टर की मरीज के लिये जो देख रेख होती है वह ईश्वरीय देखरेख की तरह होनी चाहिये। उसे तो रोगी का इलाज प्रेम से करना चाहिये और रोगी को ऐसी तसल्ली होनी चाहिये कि जिससे वह अपना प्रेम पूर्वक इलाज करा सके। ऐसी स्थिति पैदा हो गयी हो तो उसको वहां न भेजा जाय। जिस जगह उसकी आवश्यकता हो उसको वहां भेज देना चाहिये।

थोड़े अर्से पहले मलेरिया नाम की चीज नहीं थी लेकिन अब यह रोग फैल रहा है। कुछ लोग मच्छरदानी आदि का उपयोग करते हैं लेकिन सब लोग तो नहीं कर सकते बिना फ्लीट छिड़के, डी.डी.टी. छिड़के और बिना मच्छरदानी के कोई सोना चाहे तो नहीं सो सकता है। इस प्रकार मच्छरों की भरमार है। इन मच्छरों से मलेरिया होता है या नहीं, यह मुझे नहीं मालूम। डी.डी.टी. आदि दवाइयां बन्द कर दी गयी हैं। मच्छरों में क्या वह जहर ही नहीं रहा जो मलेरिया पैदा करे? इसकी जांच अवश्य होनी चाहिये और मलेरिया के कीटाणु हैं तो उनका अवश्य पता लगाया जाना चाहिये।

एक निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने समाजवाद का नारा दिया था। बीमारियों का इलाज सबसे बड़ी चीज है। रोटी और कपड़े के बाद यदि किसी बीमार को अच्छे से अच्छा भोजन दिया जाय तो वह पचा नहीं सकता है। गरीबी ही बीमारी का कारण है। गन्दी झोंपड़ी गन्दे मोहल्ले में जो रहता है, इस प्रकार के व्यक्ति ज्यादा संख्या में बीमार होते हैं। सरकार की नीति तो शहरों में बड़े बड़े हास्पिटल्स खोलने की है। विशेषज्ञ डाक्टर्स भी यहीं पर रखे जाते हैं और गांवों और कस्बों में यह बात नहीं होती, उपाध्यक्ष महोदय, कल्पना कीजिये, एक गरीब आदमी गिर जाय और फ्रैक्चर हो जाय उसके दौसा जैसे होस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं है और उसको तुरन्त यहां जयपुर जीप द्वारा लाना पड़ता है, उसको खर्चा लगेगा। वह उस खर्चे को उठा नहीं सकता। इसलिये सरकार से निवेदन करूंगा कि जब आप समाजवाद की बात करते हैं तो गरीब के लिए व्यवस्था करने के लिये कर्जा दे, सहायता दें। एक व्यक्ति जो इनकम

(श्री मूलचन्द सामरिया)

वाला है, किसान और मजदूर जिसकी आमद होगी, 60 रु., 70 रु., या सौ रुपया अधिक से अधिक, उनके ऐसे परिवार में एक न एक मरीज भी रहता है, उनके इलाज का समुचित प्रबन्ध अपने साधनों से नहीं कर सकती है। ऐसे आमदनी वाले ग्रुप के लिए सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये और इस प्रकार के हास्पिटल्स में निर्देश होने चाहिये कि बड़े आदमी जिनको आमदनी ज्यादा हो, इनकम टैक्स पे करता हो, अच्छी से अच्छी दवाइयां वह ला सकता है उसको न देकर जो व्यक्ति दवाइयां नही ला सकता है, साधन नहीं है उसके लिए भोजन, रोटी, दूध आदि के लिए क्या व्यवस्था है सरकार की ओर से मैं पूछना चाहता हूं। सरकार को चाहिये कि उनके इलाज के लिए सरकार पूरी जिम्मेदारी ले और दवाइयां, इन्जेक्शन आदि का पूरा प्रबन्ध करे। सरकार को इस ओर गम्भीरता से विचार करना चाहिये वरना समाजवाद का नारा एक थोथा नारा होगा। गरीब लोगों की भयंकर बीमारियों का इलाज नहीं किया जा सकता। ऐसी बीमारियां जिनसे मृत्यु होती है, सरकार को चाहिये कि कितना भी इन्टीरियर में रहने वाला हो उसका सरकारी खर्चे से इलाज होगा यह गारन्टी सरकार द्वारा दी जायगी तो यह समझा जायगा कि सरकार ने कुछ किया है। वरना नारा लगा दिया कि समाजवाद लावेंगे और सही माने में समाजवाद नहीं लाये तो आपके समाजवाद से जनता को कोई फायदा नहीं होगा। आप थोथा नारा ही लगाते रहोगे और लोग पैसे के अभाव में मरते रहेंगे और फिर भी आप कहेंगे कि समाजवाद ला रहे हैं तो ऐसे समाजवाद से कोई फायदा नहीं हो सकेगा।

फेमिली प्लानिंग के बारे में मेरे पूर्व वक्ता ने काफी अच्छे तरीके से बताया कि क्या हो रहा है। मैं तो एक मिसाल देना चाहता हूं मेरे गांव का एक कन्हैयालाल मजदूर है, उसने नसबन्दी कराई थी दौसा के अस्पताल में। उस व्यक्ति को आपरेशन के बाद छः मास बीमार रहना पड़ा और बीमार भी ऐसे हुए कि उनके पेट और गुर्दों में बहुत दर्द रहा करता था। उसने बैंक से 1000 रुपये का लोन इसलिये लिया था, लेकिन चर्म उद्योग तो वहीं रह गया उस गरीब को वह सारा पैसा अपनी बीमारी में लगाना पड़ा और उसमें खा गया। डाक्टर के पास जाता तो वह भी कुछ नहीं करता। मुहल्ले वाले इस बात से इतने भयभीत हो गये कि नसबन्दी को खतरा समझने लगे कि यह बहुत ही खतरनाक चीज हैं और इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिये आपको चाहिये कि नसबन्दी के कार्य के लिए केवल योग्य और दक्ष डाक्टर को ही लगावें, और अगर किसी आदमी की नसबन्दी से कोई गड़बड़ हो जावे, और कोई बीमारी हो जावे तो उस आदमी की बीमारी पर जो खर्चा हो वह सारा सरकार को भुगतना चाहिये और उस आदमी के बेकाम होने से भी जो हानि उसके परिवार वालों को होती हो वह भी सरकार को भुगतनी चाहिये। जब तक वह आदमी ठीक हो जाये और काम पर लग जावे, उसके परिवार के पालने का खर्चा सरकार को उठाना चाहिये।

(श्री मूलचन्द सामरिया)

नसबन्दी के कार्य-क्रम के साथ साथ सरकार को यह भी चाहिए कि मादक वस्तुओं का उपयोग कम हों ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिये। यदि मादक वस्तुओं का उपयोग कम किया जावे तो यह परिवार नियोजन के कार्य में मदद कर सकता है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सुझाव तो अच्छा है।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं लेकिन मेरा ख्याल है कि मादक वस्तुओं का कम उपयोग करने से परिवार नियोजन में सहायता मिलेगी। एक तरफ तो आपने मादक वस्तु पीने की छूट दे रखी है, इंग्लिश वाइन बेचने के लिए आप लाइसेन्स देते हैं और विभाग उसको छूट देता है और दूसरी तरफ आप यह चाहें कि पीने के बाद उस आदमी पर कोई असर नहीं होगा, तो यह आपकी भूल होगी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं और अपने देखे हुए अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि मादक वस्तु पीने के बाद सन्तान उत्पन्न होने के अवसर बढ़ जाते हैं। इसलिये नसबन्दी से भी ज्यादा इफेक्टिव इलाज फैमिली प्लानिंग के लिये दारूबन्दी हो सकती है। इसलिये अगर आप नसबन्दी के बजाय दारूबन्दी पर जोर दें तो इससे आपका परिवार नियोजन का मसला हल हो सकता है।

मेरे इलाके में पेय जल की व्यवस्था का काम हो चुका था लेकिन चुनाव की वजह से, बदले की भावना से वहां काम रोका गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास पहले ही 144 आदमी मौजूद हैं, अब आपको ज्यादा आदमियों की क्या जरूरत है? कुछ लोग विरोध में भी होने चाहिये, वरना आप करेंगे क्या? आप पहले ही जरूरत से ज्यादा जीत कर आ गये हैं, तो कुछ लोग तो विरोध से भी जीत कर आने चाहिये। इसलिए अगर आपने राजनैतिक कारणों से वहां पर काम बन्द कराया है तो मेरा आपसे निवेदन है कि उसको पुनः चालू करालें। इसके लिये मैंने एक स्थगन प्रस्ताव भी रखा था, उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया वहां पर जितने भी कुएं हैं वह खारे पानी के हैं। नये कनेक्शन नहीं दिये जाते हैं कि पानी नहीं है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं इस तरह की कमी है और इस बात की जानकारी भी आपको कराना चाहता हूं कि कपड़े धोने के लिये पानी नहीं मिलता है। एक हफ्ते में दो हफ्ते में पानी मिलता है। पानी की बड़ी किल्लत है। खारा पानी पीने के लिये मजबूर हो रहे हैं। मेरा निवेदन है तुरन्त ध्यान दिया जाय और तुरन्त व्यवस्था की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रणजीत सिंह।

श्री रणजीत सिंह (ओसिया) : उपाध्यक्ष महोदय, जो आज मांग है जन स्वास्थ्य विभाग की और स्वास्थ्य विभाग की, इस पर हर सरकार को गर्व होता है और हर प्रजातन्त्र में इस बात को खुशी होती है कि वहां पर सुचारु रूप से स्वास्थ्य का इन्तजाम हो और सुचारु रूप से पानी की व्यवस्था

(श्री रणजीतसिंह)

हो। इन दोनों के आधार पर सरकार की तरफ से जो मांगे पेश हुई हैं। इन चीजों के ऊपर सबकी नजरें हैं। नजर इस बात की है कि अगर स्वास्थ्य का इन्तजाम सरकार नहीं कर सकती हो या पेय जल की समस्या के ऊपर अगर सरकार इन्तजाम नहीं कर सकती हो तो सरकार को भी काफी नीचे देखना पड़ता है और इसी भूमिका में मांगें पेश हुई हैं। जो पैसा खर्च होना चाहिये अगर वह पैसा सुचारु रूप से खर्च किया जाता तो आज प्रजातन्त्र में काफी सन्तोष हो सकता है पर आज हालत यह है कि प्रजातन्त्र है जरूर–डेमोक्रेसी है परन्तु डेमोक्रेसी के अन्दर हमेशा हुकुम लाल फीता शाही का चल रहा है और यही कारण है कि आज सरकार के प्रति थोड़ी बहुत खराब धारणा पैदा है तो वह सरकारी कर्मचारी के मार्फत है। गांवों के अन्दर जहां मैं रहता हूं अगर वहां पर पटवारी ठीक नहीं है तो गांव के अन्दर कहते हैं सरकार ठीक नहीं है क्योंकि उनका ताल्लुक हमेशा पटवारी से लगा रहता है। उसी तरह से आज स्वास्थ्य के अन्दर अगर गांव के अन्दर कोई व्यवस्था है, डेजर्ट के अन्दर पश्चिमी राजस्थान में यह व्यवस्था बहुत कम मात्रा में है। दूसरी जगह भी शहरों में व्यवस्था है मेडीकल ऐड मिलती है परन्तु गांवों की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया गया है।

गांवों में सिर्फ प्राइमरी हैल्थ सेन्टर है, जहां पंचायत समितियां हैं वहां पर प्रा० हैल्थ सेन्टर जरूर बने हुये है और वे भी जन सहयोग से बने हुये हैं। हर गांव में पंचायत समिति का दायरा होता है तो थोड़ी बहुत सुविधा मिल सकती है। अगर पंचायत समिति का दायरा बड़ा हो तो पूरे को सुविधा नहीं मिल सकती है क्योंकि वहां जो जीप की व्यवस्था होती है उसका साल भर का तीन हजार का बजट है। उसी में पेट्रोल और आइल शामिल है, उसी मे रिपेयर शामिल है इसलिये यह व्यवस्था गांव वालों को दिखाने मात्र है। अगर इस तरफ तवज्जुह दी जाय तो गांव के अन्दर चिकित्सा का लाभ हो सकता है और थोड़ी बहुत सुविधा मिल सकती है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा डाक्टर तो वहां सलाहकार के रूप में है जो जगह जगह काम कर रहे हैं। वास्तव में हालत यह है कि जब गांधीजी ने आन्दोलन छेड़ा था उस समय उनकी यह शपथ थी कि गांव के अन्दर पानी की व्यवस्था हो, गांव के अन्दर छोटा–मोटा शफाखाना हो, चाहे वह आयुर्वेद का हो या किसी दूसरे का परन्तु आज व्यवस्था इतने साल बाद भी नहीं कर पाये। इसके लिये सरकार तो दोषी हैं ही पर सरकार के अन्दर सबसे ज्यादा दोष उनका है जो प्रतिनिधि यहां आते हैं वे अपनी बात कहने के बाद भी करा नहीं पाते हैं, इसलिए नहीं करा पाते कि सरकार मशीनरी को नहीं सम्भाल सकती है। जो कार्यक्रम सरकार का है उस पर अमल कर लिया जाय तो काफी समस्या गांवों की हल हो सकती है। पहले तो गांवों में अनपढ़ समाज था। अनपढ़ समाज में चिकित्सा में कम विश्वास रखते थे। वे हमेशा देवी देवताओं पर और परमात्मा के ऊपर और जो दूसरे अन्ध विश्वास हैं जादू–टोना उन पर विश्वास कर लिया करते थे। अगर कोई बीमारी हो जाय, अपेन्डिसाइड की बीमारी हो

(श्री रणजीतसिंह)

जाय तो वे सब जादू–टोनों के आधार पर ठीक कर लिया करते थे। आज भी मेरे समझ में नहीं आता है लेकिन हो सकता है उससे थोड़ी बहुत रिलीफ मिल जाती होगी। जादू टोने से शरीर को छेद छेद कर देंगे पर ज्यों ज्यों शिक्षा का प्रसार हुआ तो आदमियों का दिमाग चिकित्सा पर लगा रहता है। वे दवाई कराना चाहते हैं और दवाई के लिये प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में आते है जहां पर आज कोई व्यवस्था नहीं है। अगर डाक्टर है तो सलाह दे देगा कि तुम अमुक दवा बाजार से खरीद लावो और अगर गांव वाले शहर में आ जाय जोधपुर, जयपुर अजमेर, कोटा जहां जहां बड़े बड़े हास्पीटल हैं, मेडिकल कालेज हैं वहां पर आये तो देहात के आदमी की हालत भी खराब है। उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर किसी की सिफारिश हो या पैसे हो डाक्टर के घर पर जाये और उससे मिले घर का मतलब मेरा फीस देने से है। फीस देने के बाद सबसे पहले उस को ऐडमिट कर लेते हैं, एडमिट तो हो जाता है पर एडमिट होने के बाद दवाई का कोई इन्तजाम नहीं है। जो मेडिकल कालेज के ट्रेनीज हैं वे वहां पर हर मरीज को देखते हैं और कोई इलाज वह डाक्टर नहीं कर सकता है। घर पर फीस देने का मतलब हास्पिटल में एडमिशन की फीस है। हास्पिटल में देहाती लोगों को देखा नहीं कि हर आदमी वहां का उसे पिन्च करने लग जाता है और पता नहीं मेडिकल कालेज के ट्रेनीज भी उसी देहाती पर अपना एक्सपेरीमेंट करना चाहते है क्या देहात का आदमी पहुंचा नहीं कि उसको सुई लगाना प्रारम्भ कर देते हैं। गांव वाले शहर में आये तो यह हालत है। इसलिए मेरा निवेदन है जो भी पैसा खर्च हो उसका सदुपयोग होना चाहिये। प्राइमरी हैल्थ सेन्टर का जो पैसा होता है वह भी वहां पर पूरा काम में नहीं आता है, उसके भी भेजने का सही तरीका होना चाहिए। मेडिकल के डायरेक्टर के थ्रू या डी.एम. एच.ओ. के थ्रू भेजना चाहिए। आज यह मेरा दावा है कोई भी प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में जाकर देख ले यही हालत आपको सब जगह मिलेगी इसलिये मेरा निवेदन है जो भी पैसा खर्च हो वह सुचारु रूप से हो। पर आज यह बात किसी से कहे, कोई कम्पलेन्ट करें, शिकायत के बाद होगा क्या। किसी सीनियर डाक्टर को उसकी इन्क्वायरी करने के आदेश दे देंगे। हमारे मारवाड़ी में कहावत है अगर पों पों करें तो क्या होगा। कोशिश करें चोर घर में से निकल जाय लेकिन वहां तो चोर के भाई दूसरे चोर बैठे हैं वे उसको क्यों निकालें। राज्य कर्मचारियों की एन्क्वायरी सुचारु रूप से नहीं हो सकती है। या तो उसके साथ कोई दूसरा आदमी लगाया जाय जो निष्पक्ष हो तब तो ठीक है अन्यथा कोई एन्क्वायरी का फायदा होता नहीं है। पांच हजार की एन्क्वायरी के लिये 50 हजार रूपये खर्च कर देंगे और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा यही नतीजा निकलेगा कि दोषी नहीं पाया गया। कोई सुझाव हो और उन पर अमल किया जाय तब तो ठीक है है अन्यथा फायदा नहीं है। यही हालत परिवार नियोजन की है। कुछ साथियों ने कहा था गांवों से परिवार नियोजन

(श्री रणजोतसिंह)

के कैम्प लगते हैं, नर्से जाती हैं डाक्टर जाते हैं और अभियान के रूप में जगह जगह कैम्प लगाते हैं, वह अभियान लूप लगाने का होता है। गांव में काफी औरतों को इकट्ठा किया। एक संगठित गांव था- एक लेडी डाक्टर की बात सुनाता हूं। उस लेडी डाक्टर को देखकर ज्यादा औरतें तैयार हो गईं और उसकी सारी भूमिका बान्धने के बाद औरतें कहने लगी बहनजी आपने शादी कहां की है। वह करीब 35 साल की थी, उसने जवाब दिया मैंने शादी नहीं की औरतों ने कहा जब तो आप ही लूप लगवाइये हमें जरूरत नहीं है। हमारे तो आदमी है, हमारा तो पता लग जायगा लेकिन आपका पता नहीं लगेगा इसलिये यह धन्धा तो आप ही कीजिये। मेरा निवेदन है अगर वहां पर ऐसी लेडी डाक्टर जाती जो शादी शुदा होती तो शायद उनके दिमाग में बैठती। औरतों ने कहा 35 साल की औरत हैं और हमें शिक्षा देने आई है और वह भी अन-मेरिड यह है, आपका परिवार नियोजन का तरीका केवल झूठे आंकड़े बता दिये उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा आयुर्वेद विभाग के बारे में अर्ज करूंगा। आयुर्वेद ऐसा विभाग है कि इसका और गांवों में विस्तार किया जाये तो और तो कुछ होगा नहीं मगर गांव वालों के दिलों में तसल्ली जरूर हो जायगी और यह सरकार की तरफ से भी था कि जहां 2000 की पापुलेशन हो वहां आयुर्वेद का शफाखाना खोलेंगे लेकिन यह सारी कागजी योजना है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इस बात पर अमल करायें कि जहां पापुलेशन 2000 की है वहां आयुर्वेद शफाखाना खोला जाये तो राहत मिल सकती है वरना आयुर्वेद विभाग में भी बजट नहीं हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके ऊपर पुनः विचार किया जाये।

बाकी जो सबसे बड़ी समस्या है वह पेयजल की है। राजस्थान की जो पेयजल की हालत है उसको देखते हुए बहुत ही कम पैसा इसमें रखा हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो पश्चिमी राजस्थान है वहां एक एक लोटे पानी के लिए आदमी तरसते हैं और दिन भर में एक लोटा मिलता है जिसमें मुश्किल से एक किलो पानी होता है। इसलिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं करा सके तो सरकार को शर्म आने की बात है विधान सभा को तो है ही कि यहां बैठकर हम उन आदमियों के लिए बजट पारित करे और उसमें इतना सा पैसा हो कि जिसमें कुछ भी नहीं हो पाये। वैसे काफी पैसा दिया है मगर डिमाण्ड बढ़ गयी है, पापुलेशन बढ़ गयी है इसलिए यह पैसा बहुत ही कम है। इसलिए भारत सरकार को इसके लिए दबाव दिया जाये तो कुछ हो सकता है वरना पेयजल के लिए जितना पैसा है और एक जगह लगा दिया गया, बहुत बड़ी योजना के ऊपर खर्च कर दिया गया तो बड़ा दुरुपयोग होगा और राजस्थान की जनता के साथ बड़ा अन्याय होगा। वरना जैसी हालत है हर गांव में इस समय राजस्थान का पेयजल का पैसा वहां जाना चाहिए जहां दिक्कत है। इसलिए सामूहिक रूप से एक जगह पैसा नहीं लोगे बड़ी योजना में नहीं लगे और गांवों में ही

(श्री रणजीतसिंह)

उसका पैसा लगना चाहिए। गावों में कहीं तो पांच फुट गहरा कुआ खोदा जाये तो उनकी समस्या हल हो सकती है, कहीं पर दस फुट कुआ खोदा जाये, कहीं बीस फुट कुआ खोदा जाये तो समस्या हल हो सकती है। हम टंकियों से पानी मंगाकर देते है और भिकमंगों की तरह से देते हैं इसलिए जो कुछ पैसा आप रखें वह ज्यादा रखें और पूरे राजस्थान में खर्चा हो और जहां डेजर्ट ज्यादा है वहां के लोगों को ज्यादा दुख है इसलिए वहां पर पानी दिलाने की व्यवस्था करें।

(समय–समाप्ति–सूचक–घंटी)

दूसरे मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पेयजल की समस्या के ऊपर तो मैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश किया है और उस पर 15 सदस्यों के दस्तखत हैं। पेयजल की समस्या का समाधान यदि सरकारी तंत्र से कराया गया तो दुरुपयोग होगा। रामपुरा की योजना है। जिस समय योजना बनी उस समय वैसे पहले मैंने विरोध किया कि यहां पानी का स्रोत नहीं है और यह योजना फेल होगी लेकिन सरकारी तंत्र ने इस बात पर अमल नहीं किया और वह हमेशा मंत्री महोदय को गुमराह करते रहे कि यहां पानी बहुत है इसलिए यह योजना ऐसी होगी कि शहर की पिलाई हो जायेगी और देहातों पर इसका असर नहीं पड़ेगा, ऐसा सरकारीतंत्र ने कहा था। मुख्य मंत्री जी वहां गये, स्वास्थ्य मंत्री जी भी गये और देखा और देखने के बाद एक बात के लिए वहां गांव की जनता को आश्वासन दिया कि जो पेयजल की समस्या हो गयी है इससे एक साल के लिए पानी देंगे और बाद में बन्द कर देंगे और इस तरह से बाद में गांव के ऊपर किसी तरह का असर नहीं होगा। वहां 1800 कुए हैं और जिनमें से 700–800 कुऐ सूखे हुए हैं और पानी बहुत गहरा चला गया है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

वह योजना फेल हो गयी। उपाध्यक्ष महोदय सूक्ष्म में अर्ज कर देता हूं। इसलिए मेरा निवेदन है कि पेयजल का मामला है इसके लिए सर्वे किया जाये तो डिटेल में किया जाये और यह नहीं हो कि एक तरफ तो पेयजल का समाधान करें और एक तरफ इलाके को बिलकुल ही सुनसान कर दें। तो यह समस्या हमारे यहां पर है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सरकार कभी भी सर्वेक्षण कराये, वह सर्वेक्षण चाहे ज्योलाजीकल सर्वे से कराये या भूजल मण्डल से कराये वह सर्वेक्षण ठोस होना चाहिए और इतना पैसा खर्च करने के बाद जिम्मेदारी लेनी चाहिये। लेकिन आज जिम्मेदारी किसी की नहीं है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो पेयजल का पैसा है वह ढंग से लो और मेडिकल एड का पैसा भी ढंग से लो तो थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है वरना हम यहां बातें कह कर चले जायेंगे और वह बेकार जायेंगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर (लाडनूं): उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्यों ने अस्पतालों की व्यवस्था के बारे में, डाक्टरों के बारे में बातें कहीं हैं मैं उन्हीं को दोहराऊं ऐसी आवश्यकता नहीं है। यह सत्य है कि देश में इन चुनावों के वक्त और इससे थोड़ा समय

(श्री रणजीतसिंह)

पहले भी कहूँ तो कोई बात नहीं है एक समाजवाद के नाम पर, गरीबों के भले के नाम पर एक आवाज उठी और इस पर देश ने विश्वास किया और उसी का परिणाम है कि हम सरकारी बैंचों पर 145 की संख्या में आये हैं। हमने जो जनता को विश्वास दिया उस विश्वास के अनुसार जनता ने हमसे बहुत आशायें रखी हैं और उन आशाओं के अनुरूप हम जो कुछ भी कर सकते हैं सरकार की ओर से तो हमारे बजटों में ऐसा प्रावधान होना चाहिए। जब विभागों को अपने बजट बनाने का वक्त आता है इतनी तनख्वाह का, इतना दवाइयों का तो ये सब परम्परागत आंकड़े हैं वह बनाकर दे दिये जाते और उन परम्परागत आंकड़ों के अनुसार बजट का स्वरूप बनकर सामने आया है। अलबत्ता थोड़ी बहुत आवश्यकता पानी की है या और इस तरह की छोटी मोटी आवश्यकतायें हैं तो उसमें हम रकम रख दें तो इससे जनता का हमारे ऊपर विश्वास नहीं बैठता है। इसलिए बड़ी निराशा की स्थिति है कि हम आज इतने वर्षों के बाद पानी नहीं दिला सके। दूसरी बातें अलग हैं। हमने भारतीय संविधान में गारन्टी दी है कि हम हिन्दुस्तान में रहने वाले हर इन्सान को रहने का मकान देंगे, मकान के साथ ही साथ, दवाइयों का बन्दोबस्त करेंगे, हम उसको पढ़ायेंगे मुफ्त में, हम हर तरह से धंधा देंगे। हम कोई भी वायदा पूरा नहीं कर सके। इसका परिणाम है जो हम आज देख रहे हैं। अब आवश्यकता इस बात की है जिस तरह से अकाल पड़ता है और भारत सरकार से स्पेशल मांग करते हैं कि इतना रुपया चाहिये हम अपने बजट से दूसरे विभागों से कटौती करके हम विशेष व्यवस्था कर रहे हैं कि हम लोग अकाल राहत कार्य में लगा सकें किसी की जिन्दगी बचा सकें और इसके लिए करोड़ों रुपया लगाते हैं तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि पानी जैसी समस्या के लिए विशेष कोई व्यवस्था सोची जाये ? 7-8 वर्ष पहले हर पंचायत समिति का एक मास्टर प्लान था। एक हवा चली थी पंचायती राज की ओर हमारे राजस्थान ने उसमें पहल की थी। बड़े बड़े आफिसर्स, चीफ सेक्रेटरी गांवों में घूमते थे और जो अच्छा काम करते थे उनको धन्यवाद दिया जाता था और कोई काम नहीं करता था तो उसका उलाहना दिया जाता था। आज स्थिति कुछ और है। अब जनता का पंचायती राज व्यवस्था पर विश्वास उठ गया। मगर समय की बात है। हर पंचायत समिति का मास्टर प्लान बना था कि पानी की समस्या कैसे हल की जायेगी। मैं समझता हूं कि हर पंचायत समिति का मास्टर प्लान आज बन्द पड़ा है एक फाइल में और मैं समझता हूं कि अगर उस समय उस पर अमल हो गया होता तो कम पैसों में हो जाता लेकिन आज उसकी कीमत दुगनी और चौगुनी हो गयी है। आज क्या हालत हो गयी है कि जिसका ज्यादा असर पड़ता है वह चाहे बड़ा शहर हो या छोटा गांव हो उसकी स्कीम बनती है। हमारे सामने योजनाबद्ध तरीके से हम यह सोचें कि जिन गांवों में पानी की

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

समस्या विकट है हमें योजनाबद्ध तरीके से एक साथ पूरा करना चाहिए, वह हमारी

(श्री दीपंकर)
योजना नहीं बन पाई है। वह हमारी बननी चाहिये।

जहां तक अस्पतालों का सवाल है मैं आपका ध्यान मेरे क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूं। लाडनूं तहसील मुख्यालय है और एक ऐसी जगह पर स्थित है जहां अधिकतर लोग आंखों के बीमार हैं। रतनगढ़ दूर पड़ता है, सीकर दूर पड़ता है, नागौर दूर पड़ता है, कम से कम चालीस पचास, अस्सी माईल का एरिया है वहाँ आखों का कोई अस्पताल नहीं है दो तीन साल से वहां पर डोनर तैयार हुआ, उसने भवन बनाने के लिए, रेकरिंग एक्सपेन्डीचर देने के लिए और औजार देने के लिए योजना बना कर दी जो अभी तक सरकार के पास पड़ी है। समझ में नहीं आता क्यों पड़ी है। अगर यह योजना कार्य रूप में परिणित हो जाती है तो उस इलाके की समस्या हल हो सकती है।

जहां तक लाडनूं के अस्पताल का सम्बन्ध है वहां पर हमने मंत्री महोदय को लिखित रूप में भी दिया कि वहां के कम्पाउण्डर और डाक्टर एक एक चाय के प्याले की शर्त लगाते हैं कि यह आदमी जो जा रहा है वह अस्पताल में आएगा या आगे जाएगा। आदमी आगे निकल जाता है और गऊशाला में चला जाता है। आदमी अस्पताल में नहीं आता। एक हार जाता है और एक जीत जाता है। इसका मतलब यह है कि उस अस्पताल का क्या इन्तजाम है। आप जानते हैं कि उस अस्पताल की कोई इज्जत नहीं है। डाक्टर आपस में लड़ते हैं, नर्सें लड़ती हैं, चपरासी आपस में लड़ते हैं और उनका आपस का मनमुटाव प्रगट होता है। वहां से लोगों को मार मार कर धक्के लगा लगा कर बाहर निकालते हैं। हम ऐसा भी देखते हैं कि जिन्होंने सरकारी मशीनरी होते हुए, सरकारी स्टाफ होते हुए, चुनाव में दूसरी पार्टियों की जीपों में बैठकर उनसे वेतन लेकर चुनावों में डाक्टरों ने, नर्सों ने और कम्पाउण्डरों ने काम किया है। बड़े शर्म की बात है। इस तरह से एक बीमारी की अवस्था में जब आदमी होता है तो वह एक दम असहाय होता है, बिलकुल दूसरे का सहारा चाहता है, चाहे कोई पैसे वाला हो, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, उसको सहारा चाहिए, वह आशा करता है कि उस समय उसको दवा दी जाय परन्तु अफसोस है कि उस अस्पताल में कोई किसी को नहीं देखता और पांच दस से ज्यादा मरीज वहां नहीं जाते जब कि 50 बैड का अस्पताल है जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है।

(कुछ माननीय सदस्य आपस में बात कर रहे थे)

श्री उपाध्यक्ष : No talk please.

श्री दीपंकर : अभी समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपस में वार्तालाप न करें।

श्री दीपंकर : मैं निवेदन कर रहा था कि अस्पताल में ऐसी स्थिति है तो क्या आवश्यकता है वहां डाक्टर को रखने की? और वहां पर दवा किसलिए भेजी जाती है, कौन उनका उपयोग करता है?

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

(श्री दीपंकर)

डाक्टरों ने अपने अपने मेडिकल स्टोर लगा रखे हैं। एक आदमी दूसरे मेडिकल स्टोर से दवा नहीं ले सकता। उसे उसी मेडिकल स्टोर से दवा लेनी होगी जिसके लिए डाक्टर कहे। इस तरह की वहां की हालत है। इन हालतों पर मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस तरह का जो भी स्टाफ है उनके बारे में मैंने शिकायत भी की थी और अलग से निवेदन भी किया है लेकिन मुझे आश्चर्य है जब हम वहां जाते हैं, उस एरिया में घूमते हैं, हम वहां के विधायक हैं और सरकारी पक्ष के व्यक्ति हैं तो लोग हम से पूछते हैं कि क्या हुआ? वे हमें ताने देते हैं कि दवा लेनी है तो मंत्री महोदय को दवा दिलाने के लिए साथ लाओ। अगर इसी तरह से ताने सुनते रहें, इसी तरह की हालत रहे और ऐसे ही सारा स्टाफ अस्पताल में चलता रहे तो मैं समझता हूं कि विधायक को लानत है, सरकार को लानत है और मंत्री को लानत है। क्यों नहीं इस तरह की व्यवस्था की जाती कि लोगों को सन्तोष हो सके। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, आज हमारी सरकार है, लोगों ने हमारे पर विश्वास प्रगट किया है, अगर उनकी व्यथा को हम नहीं सुनें और जो कुछ भी बातें सरकार के सामने रखें उन पर कोई (समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी) की कार्यवाही न हो तो यह हमारे लिए शर्म की बात है।

(एक माननीय सदस्य द्वारा मेज थपथपाई गई)

इसमें कौन सी ताली बजाने की बात है?

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि जो अस्पताल की हालत बिगड़ी हुई है उसको सुधारा जाय और बुरे स्टाफ को बदला जाय। हम यह सिफारिश नहीं करते कि अमुक व्यक्ति को भेजा जावे या फलां आदमी को विशेष सुविधा दी जाय। अस्पताल की हालत सुधरे, वहां पर जो दवा भेजी जाती है वह गरीबों के काम में आवे, बीमार जो वहां जाते हैं उनका इलाज हो। अगर यह नहीं होता है तो विचारणीय बात है। उम्मीद है कि मंत्री महोदय इन हालात को सुनकर अच्छी तरह से इसकी व्यवस्था करने के बारे में सोचेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

जहां तक आपकी फैमिली प्लानिंग का सम्बन्ध है...

(अनवरत समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

अभी बन्द कर रहा हूं। फैमिली प्लानिंग की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है लेकिन न कोई स्टाफ है और न किसी तरह की कोई व्यवस्था है। जब यह हालत है तो क्यों बिल्डिंग बनाई, यह पता लगाया जाय। इसकी विभागीय जांच हो और जो दोषी हों उनको अवश्य सचेत किया जावे कि इस तरह की बिल्डिंग का उपयोग क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है इसका। आशा है इस पर आप तवज्जोह देंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री किशन मोटवानी।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अज-

(श्री किशन मोटवानी)

मेर के पानी की समस्या किसी डेजर्ट एरिया के क्षेत्र से नहीं है। अजमेर में अगर पानी की समस्या न होती तो शायद आज यह राजस्थान की कैपिटल होती। उसके बाद स्टेट री-आर्गेनाईजेशन कमीशन की रिकमण्डेशन के बाद भी जब उसको कैपिटल नहीं रखा गया तो उसके बावजूद भी उस क्षेत्र के साथ उपेक्षा बर्ती गई। हर क्षेत्र में पानी की समस्या को हल करने के लिये सबसे पहले राजगढ़ स्कीम अजमेर के लिए लागू करने की योजना बनी परन्तु उसको कई कारणों से सेल्व कर दिया गया। उसके बाद बनास योजना बनी। इस योजना के दो फेज्ड प्रोग्राम थे उसको भी वन-फ्ज प्रोग्राम बनाया गया और एक फेज को सेल्व किया गया। अब उसके निराकरण के लिये निवेदन करूंगा कि टू-फेज्ड प्रोग्राम में काफी हद तक उसमें कार्य हो चुका है। अब अगर कुछ थोड़ा पैसा लगा कर अगर टू फेज्ड प्रोग्राम को कम्पलीट किया जायगा तो मैं समझता हूँ कि अजमेर की समस्या आज के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले समय में जब कि अजमेर का जिस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है, अजमेर का विकास हो रहा है, उस समस्या का पूर्णतया हल कर पायेंगे।

मंत्री महोदय ने इस प्रोग्राम के बारे में बराबर यही कहा है कि गांवों के क्षेत्रों में पानी की समस्या हल करने के लिए बजट में प्रावधान रखेंगे और रखा भी है। मैं मानता हूं कि यह उचित है परन्तु मैं साथ साथ यह भी निवेदन करूंगा गांवों का विकास शहरों के विकास के साथ इण्टर कनेक्टेड है और शहरों में जिस तरह से एक किस्म के स्लम्स हैं, जो गांवों की तरह ही है, जिनमें पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, जिनमें शिड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं, जिनमें शिड्यूल ट्राइब्स के लोग रहते हैं जिनमें गरीब लोग रहते हैं उनको भी पेयजल की समस्या उसी तरह से विकट है जिस तरह से की गांव के लोगों को है। मैं निवेदन करूंगा कि शहरों के जो स्लम्स हैं उनके अन्दर अजमेर प्लस अन्य शहरों के पेयजल को समस्या का निराकरण करने के लिए कोई न कोई बन्दोबस्त करेंगे।

मैं हास्पिटल के मुत्तल्लिक भी निवेदन करूंगा कि मेरे से पहले दूसरे सदस्य भाइयों ने बहुत कुछ कहा है। हास्पिटल का तो मैं समझता हूं कि खुदा ही मालिक है। उसमें मौजूदा स्वास्थ्य मंत्रीं महोदय भी कोई संशोधन कर पायेंगे मुझे शक है जब कि हास्पिटल को चलाने वाले लोगों में कोई नवीनता नहीं आएगी। उनके विचार धारा में तब्दीली आ जाय, उनके विचारों में कोई रिवोलूशन आ जाय तो यह समस्या हल होगी, अन्यथा मैं नहीं मानता कि कुछ हो सकेगा। हम लोग यों ही चिल्लाते रहेंगे और हालत यही चलती रहेगी।

फैमिली प्लानिंग के मुताबिक निवेदन यह है कि उद्देश्य बहुत अच्छा है परन्तु यही चीज सामने आ जाती है क्रियान्वन की। इसको कार्यान्वित करने वाला साधन जो है वह सही नहीं है। जो चलाने वाले हैं उनके दिमाग में सुधार लाने की जरूरत है। जब तक उनके दिमाग में संतुलन नहीं आएगा, उनकी भावनाओं में तब्दीली नहीं आएगा, उनकी विचार धारा में तब्दीली नहीं आएगी तब तक यह प्रोग्राम सिर्फ कागजों में रखा

(श्री किशन मोटवानी)

रहेगा और इसके अन्दर जो डिफेक्ट्स, जो करप्शन पैदा हो गया है वह वहीं रहेगा। मैं निवेदन करूंगा मंत्री महोदय, से इसके स्टाफ के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम बनावें कि उनके दिमाग का संतुलन सही हो जावे, उनकी विचार धारा में तब्दीली आवें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनराज !

श्री मोहनराज (बाली) : उपाध्यक्ष महोदय सर्वप्रथम आजकल होस्पिटल में जो दवाइयों की कमी है उसकी ओर में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा हालांकि इस बार सरकार ने अस्पतालों में जो दवाइयां दी जाती है उनकी मिकदार बढ़ाने के लिए कुछ अर्थ का प्रावधान किया है लेकिन फिर भी वह बहुत कम है।

मरीजों को संख्या अस्पतालों में बढ़ी है और गांवों में ज्यों ज्यों लोगों को मालूम हुआ है कि इन बीमारियों का इलाज हो सकता है, वे अस्पतालों में जाते हैं, लेकिन दवाईयों के अभाव के कारण, दवाईयां महंगी होने के कारण वे इलाज से महरूम रह जाते हैं। मैं जानता हूं कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर स्थानीय लोगों ने भी इस तरह की व्यवस्था की है। मैं यह ध्यान में लाना चाहूंगा कि हादड़ी और भूंला दो स्थानों में—वहां के जो मौजूदा डाक्टर हैं, उनके सतत् प्रयत्नों और जनता के सहयोग से सालाना करीब पांच हजार, दस हजार की दवाईयां मुफ्त में गरीब लोगों में वितरित की जाती हैं। उन्होंने एक धर्मादा दुकान इन दोनों स्थानों पर खोल रखी है। मैं सोचता हूं कि इसके बावजूद वहां की हालत चूंकि रात दिन मैं वहां पर रहता हूं और देखता हूं, दर असल कई गरीब लोगों को दवाईयों के अभाव में, दवाईयां मंहगी होने के कारण, इलाज से मोहताज रहना पड़ता है, वे अपना इलाज नहीं करा पाते हैं। इसलिये छोटे से छोटे अस्पताल में जहां पर अस्पताल खुल गये हैं, वहां पर दवाईयां मिलें और रात दिन के काम में आने वाली दवाईयां मुहैय्या किया जाना आवश्यक है।

एक चीज, मैं बाली क्षेत्र में रैनवास अस्पताल के बारे में निवेदन करूंगा। करीब 8/10 महीने पहले एक दानदाता ने मौजूदा अस्पताल भवन जो कि पूरा नहीं पड़ता है और मरीजों के बैठने की जगह नहीं है, वहां पर एक दानदाता अच्छी लागत लगा कर उस भवन के एक्सटेंशन के लिये प्रार्थना-पत्र दिया, उसका नक्शा बना कर भेज दिया गया और मेरा ख्याल है कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने उस पर रिमार्कस लिखे कि यहां पर यह व्यवस्था अगर सरकार स्वीकार कर लेगी तो उससे अस्पताल और आने वाले मरीजों को राहत मिलेगी लेकिन 8/10 महीने हो गये, सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की है और न दानदाता के आफर को स्वीकृत करने को सूचना दी है। अस्पताल के अन्दर यह हो जाता है तो कई मरीज वहां पर भरती हो सकते हैं और मैं सोचता हूं की सरकार इस ओर ध्यान देगी। और जल्दी कार्यवाही करेगी।

दूसरा निवेदन मैं करना चाहूंगा, मानपुरा और सेवाडा गांव हैं, जिनकी आबादी पांच हजार और सात हजार के बीच में है। दोनों जगहों पर भवन जन सहयोग से बने हुए हैं। इन दोनों स्थानों पर डाक्टरों की नियुक्ति

(श्री मोहनराज)

की जाये तो वहां की एक बड़ी आबादी को और छोटे आस पास के गांवों को, आस पास के क्षेत्र की जनता को राहत मिलेगी। इसके अलावा और कई जगह अस्पताल बनाने की जरूरत है। जिन दानदाताओं ने पहले के भवन बनाये हैं और वे अपनी ओर से विशेष सुविधाओं के मकान बनाने के लिये तैयार हैं, मै सोचूंगा कि इससे एक बहुत लम्बे अर्से से चली आ रही हमारी मांग की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि वे इन दोनों स्थानों के बारे में डाक्टरों की नियुक्ति के बारे में सोचें।

दूसरा यह निवेदन करना चाहूंगा कि रानी पंचायत समिति में देवली एक गांव है जिसकी आबादी और उसके आस पास के क्षेत्र की आबादी काफी बड़ी है और आस पास के गांवों में किसी प्रकार की इलाज की व्यवस्था नहीं है। मै सोचता हूं कि अगर वहां पर एक पोस्ट कायम की जाये, तो वहां की सारी जनता को, 20 गांवों की जनता लाभान्वित होगी और सारे क्षेत्र में जो पिछड़े हुए लोग हैं, वहां की जनता को राहत मिलेगी।

आयुर्वेदिक औषधालय के लिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि छोटी और गरीब बस्तियां हैं और खास तौर से अनुसूचित जाति और आदिवासी इलाकों के गांव हैं, वहां पर आयुर्वेदिक औषधालय खोले जायं, इन गांवों के अन्दर दवाईयां उपलब्ध करायी जायं तो इससे बड़ा लाभ हो सकता है। इसके लिये अर्थाभाव का कोई कारण नहीं होना चाहिये। मैं सरकार का ध्यान पंचायत समिति बाली के दो प्रस्तावों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जहां पर पहले आयुर्वेदिक औषधालय थे, उन गांवों के अन्दर एक फर्स्ट ग्रेड अस्पताल कर दिया गया है। पंचायत समिति यह चाहती है कि अगर सरकार कुछ और इलाकों के अन्दर खास तौर से कलमसा, गरिया, मालना ये आदिवासी गांव हैं, इलाका है और इन तीनों गांवों के अन्दर दूर दूर तक इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है, अगर इन तीनों के अन्दर आयुर्वेदिक औषधालय खुल जायं या दोनों ही क्षेत्र में मौजूद हैं, जो तीन आयुर्वेदिक औषधालय चल रहे हैं वे इन गांवों में ले जाने का प्रस्ताव पंचायत समिति ने दे दिया है, कुछ वर्ष पूर्व ही यह भेजा गया था और अभी तक इस पर कार्यवाही नहीं की गई है। अगर सरकार नये औषधालय खोले तो ठीक है वरना मौजूदा स्थानों से औषधालयों को हटा कर इन गांवों में पहुंचाया जाये तो उससे गरीब जनता को राहत मिलेगी।

जल प्रदाय योजना के बारे में मैंने मंत्री महोदय, जल प्रदाय के अधिकारियों से बात की है। मेरे क्षेत्र में बड़े बड़े गांव हैं और यहां पर पीने के पानी की एक बड़ी कठिन समस्या है। मैं चाहता हूं और मुझे विश्वास है और जैसा कि सरकार ने अबकी बार पीने के पानी की व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखा है और जो आर्थिक प्रावधान बजट में रखा है, मैं सोचता हूं कि उनके अन्तर्गत इन गांवों के अन्दर भी व्यवस्था की जायेगी। सादड़ा, बास मुन्छड़ा, पलाना और रानी में जो मौजूदा व्यवस्था है वह नाकाफी है। इनकी व्यवस्था ठीक करने के लिये शीघ्र कदम उठाये जाने चाहिये और जिस मुस्तैदी से जल प्रदाय

(श्री मोहनराज)

विभाग काम कर रहा है, इस वक्त, अकाल के दिनों के अन्दर शीघ्रातिशीघ्र वहां पर व्यवस्था की जायेगी तो जनता को राहत मिलेगी। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : जन-स्वास्थ्य मंत्री जी ! सरकार की ओर से उत्तर।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय उपाध्यक्ष जी···

श्री मोहनलाल वैद : उपाध्यक्ष महोदय···

श्री मोहनलाल छंगाणी : पांच पांच मिनिट का समय और दिया जाये··

एक माननीय सदस्य : कई सदस्य एक एक घंटा बोले हैं।...

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय एक घन्टे के लिये ही बढ़ाया गया था।

श्री श्रीराम गोटेवाला : पांच पांच मिनिट का और समय दिया जाये।

एक माननीय सदस्य : कल भी टाइम नहीं मिला था और आज भी नहीं मिला है····

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन छंगानी !

श्री मोहन लाल छंगानी (फलौदी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं खासतौर से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा और मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बजट की मांग के हिसाब से हम इस चक्कर में पड़ गये हैं कि कहीं आगे कुछ हम कर पायेंगे ? यह साहस पैदा नहीं होता है। यह प्रश्न गंभीरता से हमारे सामने आया है। चिकित्सा के मामले में, राजनीतिक काम के अन्दर जो लोग फंस गये हैं, उस हिसाब से हमने यह वायदा किया है कि गांवों में अस्पताल खोलेंगे, बिना इलाज के किसी को मरने नहीं देंगे और गांवों को आयुर्वेदिक औषधालयों की सुविधा मिलेगी। इस बजट से हमारी सारी आशाओं पर तुषारापात हो गया है। सवाल यह है कि तीन तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बाद, 25 साल की आजादी के बाद, चिकित्सा के लिये जो हम बजट बनाते हैं, यह कब तक ऐसा ही बनाते रहेंगे। यह एक बुनियादी सवाल है। हमारी जो धारणाएं हैं, हमारी जो आस्थाएं हैं, हमारी जो उम्मीदें हैं वे इस फ्रेम वर्क के अन्दर, प्रोग्रेस के इन्स्ट्रूमेन्टल के अन्दर पूरा कर पायेंगे, यह हमें विचार करना है। हमारी धारणाओं को, हमारी आस्थाओं को 25 साल की आजादी के बाद आज तक पूरा नहीं कर पाये हैं और यह ब्यूरोक्रिसी हमारी योजनाओं को पूरा होने देगी यह हमारे सामने प्रश्न है। हमारी जो आस्थाएं हैं शायद ही यह ब्यूरोक्रिसी इसको पूरा करने देगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट से अगर कोई खुश है तो वह ब्यूरोक्रिसी है। कांग्रेस की आज तक जो आस्थाएं रही हैं, आज तक उसने जो वायदे किये हैं, वह सफल नहीं हो सके हैं और अन्दर अन्दर ही हम शर्मिन्दा है। अगले साल का यह बजट बन रहा है और आगे क्या कर पायेंगे, क्या मुंह हम अपनी जनता को दिखायेंगे, हमने उनसे वायदे किये हैं। उपाध्यक्ष महोदय

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
आपके द्वारा मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, हालांकि मंत्री महोदय ने इस महकमे को पहली बार संभाला है, मैं नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि वे कुछ न कुछ इसके अन्दर परिवर्तन करेंगे। वे चिकित्सा विभाग के अन्दर ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे लोगों को दवाइयां मिल सकें, वे अपना इलाज करा सकें और बिना इलाज के कोई न मर सके। मैं आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर शब्दों के साथ निवेदन करूंगा कि गम्भीरता से वे इस पर विचार करें और हमारी नीतियों का निर्माण करेंगे। हमारी नीति के निर्माण में, बुनियाद में, कांग्रेस के सिद्धान्त, कांग्रेस की आस्थाएं कांग्रेस के जो विचार हैं उसको ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण करेंगे।

दूसरा सवाल यह उठता है कि आज जो हास्पिटल्स की हालत है चाहे आप जोधपुर को देखिये, चाहे जयपुर को देखिये, चाहे उदयपुर को देखिये, वह दिन पर दिन गिरती जा रही है। कुछ तो कारण मैं मानता हूं पापुलेशन भी बहुत बढ़ती जा रही हैं और बीमारी भी बहुत बढ़ती जा रही है और जो मेडिकल सर्विसेज हैं वे सारे के सारे दबाव को कोप अप नहीं कर पा रही हैं। फिर भी हम बजट का बहुत बड़ा हिस्सा हर तरह से उनको मुहैय्या करते हैं दवाओं के लिए, डाक्टरों के लिए, लेकिन वह ध्यान नहीं देते हैं और जब वहां के दृश्य हम देखते हैं तो शर्म आती है। इमर्जेन्सी वार्ड में जब हम उनकी हालत देखते हैं तो हमारे दिल पसीज जाते हैं और कोई तरीका नहीं है। मेडिकल डाक्टर्स हैं उनका एटीट्यूड जनता के प्रति कुछ भी अच्छे नहीं हैं।

एक थोड़ा सा मेडिकल कालेज के बारे में भी निवेदन करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय आज जोधपुर मेडिकल कालेज का ही आप उदाहरण लेलें। उनकी जो भर्ती की जाती है तो आज बहुत बड़ी तादाद में प्रोफेसर्स लेक्चरार्स एडहाक बेसिस पर ही काम कर रहे हैं। कुछ यह भी होता है जैसे कि अभी सर्जरी के एक रीडर हैं तो उनके साथ ही वह पोस्ट चलती है। वह उदयपुर चले गये तो सारी सर्जरी की रीडरशिप उदयपुर चली गई। किस तरह से लगाये जाते हैं कि कोई नियम का ध्यान नहीं रखा जाता है।..

एक माननीय सदस्य : यह महकमा ही एडहाक महकमा है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : एडहाक बेसिस पर ही एपाइन्टमेंट होते हैं। आज जोधपुर मेडिकल कालेज की हालत ऐसी है कि वहां पर न तो कुछ सुख-सुविधाएं हैं और न बराबर पढ़ाई ही मिलती है और न उनकी तरफ ध्यान दिया जाता है। उदयपुर मेडिकल कालेज की भी वैसी की वैसी ही हालत है। इसलिए मैं नम्र निवेदन करूंगा आपके द्वारा कि इसमें कुछ न कुछ सुधार किया जाय।

अपने क्षेत्र के लिए भी थोड़ा बहुत बोल लूं। फलौदी में एक अस्पताल खोला गया था तो हमने 66-67 में एक्स-रे यूनिट बनाया, हमने उसमें चिल्ड्रन वार्ड बनाया, मैटरनिटी वार्ड बनाया। उन विभागों के बनने के बाद वहां पर कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई। कोई भी डाक्टर का प्रावधान बजट में नहीं है। कई बार इस बारे में

(श्री मोहनलाल छंगानी)

नम्र निवेदन किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से नम्र निवेदन करूंगा कि फलौदी 25 हजार की आबादी का शहर है वहां पर अस्पताल में न तो कोई लेडी डाक्टर है और न कोई व्यवस्था है। कोई नहीं है और अब यह कहना कि मेडिकल बजट में यह नहीं कर पायेंगे यह बहुत बुरी बात है और दुःख की बात है। सवाल यह है कि बजट के अन्दर कब तक इस तरह से करते रहेंगे? जिस आस्था और विश्वास को लेकर हम इस सदन में आये हैं वह विश्वास हमारा सर्वोपरी है, वही हमारे आचरण का आधार है और वही रहेगा। इसी तरह से बजट मिलते रहे और इसी तरह से बजट के अन्तर्गत काम करने की सम्भावना रही तो हमारे लिए बहुत बड़े दुःख की बात है। यह हम नहीं कर पायेंगे, क्योंकि हमारी अपनी आस्था से हम अस्पताल खोलेंगे, लेकिन इलाज होगा कैसे जब कि इस तरह से बजट नहीं बनेंगे और ब्यूरोक्रेसी में तो बजट का ही आधार कोई नहीं रहेगा। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा पेय-जल की समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जो भी अधिकारी या कर्मचारी हैं तो उनसे मेरा सम्पर्क हुआ है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है और मेरा विश्वास है कि वे उस काम को करेंगे...

एक माननीय सदस्य : अहह, अहह, (हंसी)

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, आप समझ गये हैं। आज से 10 साल पहले फलौदी में पीने के पानी...

श्री रामसिंह कुडी : मंत्रीजी का विश्वास नहीं और अधिकारियों का पूरा विश्वास है।

श्री मोहन लाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कम से कम अब फलौदी में पेय जल की समस्या को देख लें और इसलिए देख लें कि अभी बाड़मेर में इसके लिए 65 लाख रुपये लगायेगी केन्द्र उपाध्यक्ष महोदय, यह भी तो बजट का एक अंश है। यह केन्द्र की ओर से मिलता है तो उसके बारे में लड़ाई झगड़ा करके कुछ इलाकों में काम करा सकते हैं। नहीं तो हमें पूरी की पूरी निराशा है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि फलौदी और शेरगढ़ को प्राथमिकता दी जाय और वहां पर पेय जल की जो समस्या है कि हर साल अकाल पड़ता है उसको हल कर दें। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी मानेंगे नहीं कि हर साल 25 लाख रुपया पानी पिलाने के लिए खर्च करना पड़ता है अकाल के तहत या किस के तहत। यह 25 लाख रुपया हर साल पानी पिलाने में खर्च करते हैं तो एक एक रीजनल वाटर स्कीम क्यों न लागू की जाय।

श्री खतसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि जब तक यह मांग पारित न हो तब तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि जो प्रस्तुत की गई मांग है वह पारित न हो तब तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

सदन की अनुमति से समय बढ़ाया गया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष जी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने जो कटौती-प्रस्ताव दिये हैं वे स्वास्थ्य और जन-स्वास्थ्य दोनों ही विषयों पर हैं। यह भाग्य की बात मैं मानता हूं कि जो हमारे वित्त मंत्री जी हैं उनके पास जन–स्वास्थ्य का महकमा भी है। जब वित्त मंत्री की हैसियत से उन्होंने कर लगाये तो उन्हें गालियां खाने का अवसर मिला है। मैं यह निवेदन करूंगा कि लोगों को पानी पिला कर लोगों का आशीर्वाद लें। सारे राजस्थान के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था करें कि जिससे राजस्थान के हर गांव को पीने का पानी मिल जाय, तो मैं समझता हूं कि जितनी गालियां उन्हें बजट प्रस्ताव में टैक्स लगा कर मिली हैं उससे चौगुना आशीर्वाद लें। गांव का हर आदमी दे देगा। मैं इस आशा के साथ में जल-प्रदाय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। मैं जयपुर शहर के बारे में तो नहीं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि उनका स्वयं का मकान यहां पर है। मेरी ऐसी मालूमात हैं कि जयपुर शहर के लिए बनास योजना की बात आती है, जयपुर की और बस्तियों के पानी की व्यवस्था का सवाल आता है तो उनके सामने सारे राजस्थान का नक्शा होता है। उनके संदर्भ में उनको देखकर दृष्टिकोण जिस प्रकार का है उसके बारे में कुछ निवेदन नहीं करना चाहता हूं। इतना अवश्य कहता हूं कि यहां की समस्या के हल करने के लिए बहुत कुछ किया गया है उसके लिए मैं आपको आदमियों का ही नहीं या 45 लाख आदमियों का ही नहीं बल्कि राजस्थान में 2 करोड़ 55 लाख इन्सान हैं उनकी उस समस्या को हल करने का उनका जिम्मा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी जब हमने 10 सूत्री कार्यक्रम के अन्दर यह घोषणा की थी कि हिन्दुस्तान के हर गांव में पीने के पानी की व्यवस्था की जायेगी, लेकिन मुझे अफसोस है कि हम राजस्थान के 10 हजार गांवों के पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर सके हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी से वह इस बात के लिए किसी भी प्रकार से आपसे निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, उन्हें व्यवस्था करनी है। मैं नहीं कहता कि जयपुर के लिए व्यवस्था करें। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि व्यवस्था करना होगा आपको राजस्थान के लिए। राजस्थान के लिए जल बोर्ड बना और राजस्थान के लिए और योजनाएं बनीं, और सारी योजनाओं के बनने के बाद भी आज राजस्थान का आदमी, राजस्थान के गांवों के अन्दर रहने वाला इन्सान पीने के पानी के लिए परेशान है, यह हमारे लिए अच्छी बात नहीं है।

फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य जिस बात के लिये कह रहे थे तो मैं निवेदन

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष, कि दिल्ली में आज इस प्रकार का वातावरण है कि अब पेय जल की व्यवस्था के लिए हम रुपया ला सकते हैं। पहले भी कुछ जल की व्यवस्था के लिए रुपया आया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह रुपया पेय जल की व्यवस्था पर नहीं लगाया गया है और वह रुपया दूसरी व्यवस्थाओं में लगाया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जन-स्वास्थ्य मंत्री जी से कि इस पर उदारता पूर्वक सोचें।

उनके हाथ में एक और महकमा है जिसका चिकित्सा व्यवस्था से भी बहुत बड़ा संघर्ष है। उनके पास में जलोत्सारण यानी ड्रेज का एक महकमा और है। एक ओर तो चिकित्सालयों में दुर्व्यवस्था है और डाक्टर और सारे लोग यह बात करते हैं। जयपुर के पिच्यासी पर्सेन्ट आदमियों के पेट में कीड़े हैं। इसके लिए मेरी समझ में नहीं आता, यहां का जो महकमा है वह किस प्रकार की व्यवस्था करता है, क्या करता है। इसका सम्बन्ध यहां की ड्रेनेज से है। उसके चीफ इंजीनियर हैं, एक एडीशनल चीफ इंजिनियर हैं, लेकिन फिर भी सारे शहर के लोगों की ड्रेनेज की उचित व्यवस्था के अभाव में यह हालत हो चुकी है, उनको गन्दा पानी दिया जाता है, जो सीवेज खुले हैं उनके कारण से लोगों के पेट में कीड़े होने की बीमारी फैली हुई है। आप कल्पना कीजिये, जयपुर के पिच्यासी पर्सेन्ट लोगों के पेट में कीड़े हैं। यह कोई मैं नहीं कहता, यह डाक्टरों की रिपोर्ट है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसके ऊपर आप गम्भीरता से सोचें, यह ड्रेनेज का सवाल है, यह केवल जयपुर में ही नहीं है, बीकानेर से आने वाली माननीय सदस्या कान्ता कथूरिया भी ड्रेनेज के बारे में शिकायत कर रहीं थीं, और लोगों की भी इस प्रकार की शिकायत है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ड्रेनेज के सम्बन्ध में, गटर लाईन के सम्बन्ध में 1965 में तीन करोड़ की योजना जयपुर के लिए स्वीकृत की गई थी, लेकिन पता नहीं, क्या हो रहा है, इस सम्बन्ध में अधिकारी क्या कर रहे हैं। जिन अधिकारियों के डिविजन खुले पड़े हैं, वह ड्रेनेज के लिये क्या कर रहे हैं, कहां पर इस योजना के तहत काम होता है। पिछली साल पांच लाख रुपया दिया गया जयपुर में नालों की सफाई करने के लिए। वह रुपया खर्च हुआ और एक मशीन लाने की व्यवस्था की। यह कहा गया था कि यह रुपया नगर परिषद् को नहीं देंगे, रुपया जलदाय विभाग के अधिकारी को दिया गया, यह कह कर दिया गया आप यथाशीघ्र, इस यथाशीघ्र की लिमिट दे दी गई, दो महीने अन्दर अन्दर गटर साफ करने को मशीन लाकर देंगे। लेकिन एक वर्ष पूरा हो गया पता नहीं, वह मशीन क्यों नहीं लेकर जयपुर नगर परिषद् को सौंपी गई, ताकि जो गटर लाईन में गन्दगी है वह समाप्त हो।

आमेर के रास्ते से आते हैं, हजारों फारिनर्स, टूरिस्ट आते हैं वहां इतनी बुरी सड़ान्ध उठती है। इसके लिए बीस लाख की योजना है इस योजना में यदि यह धन खर्च होने की बात है तो इससे बाद में इन्कम भी हो जायेगी। लेकिन उसकी भी व्यवस्था नहीं हो रही है।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

मैं जन स्वास्थ्य मंत्री से इस बात के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि केवल पीने के पानी का ही सवाल नहीं है, जो पानी बुरा है, जो गन्दा पानी है उसकी वजह से जो परेशानी हो रही उसकी व्यवस्था भी करने का प्रश्न है। उसके लिए बजट में प्रावधान रखा है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, उसकी सरकार व्यवस्था करे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं निवेदन करना चाहता हूं यह इस महकमे से सम्बन्धित है। गन्दे पानी की वजह से और जगह जगह जो खड्डे पड़े हैं उनकी वजह से मच्छरों का बाहुल्य हो रहा है और मलेरिया फैलने वाला है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मलेरिया के लिये पहले डी. डी. टी. छिड़कने का कार्यक्रम चलता था वह कार्यक्रम अब बन्द हो गया है। उसको पुनः शुरू किया जाय। इसके अलावा आज जगह जगह नाहरू और अन्य रोग फैल रहे हैं इनके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी रोकथाम के लिये व्यवस्था करनी चाहिये।

अब दो मिनट में चिकित्सा के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। पचास हजार की आबादी तोपखाना देश की है। मैं चिकित्सा मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा अब की बार आपने तोपखाना देश में डिस्पेंसरी में महिला डाक्टर की व्यवस्था की है लेकिन आप वहां जाकर देखें वहां पर मरीजों के बैठने की कितनी व्यवस्था है। वहां पर सात सौ मरीज प्रति दिन दवा लेने के लिये आते है लेकिन वहां खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं है। वहां पर स्टाफ पूरा है मुझे स्टाफ के बारे में कोई शिकायत नहीं है। लेकिन दवा बिल्कुल नहीं है नाम मात्र के लिये नहीं हैं। मैं चिकित्सा मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि मोदीखाना डिस्पेन्सरी में और तोपखाना देश डिस्पेन्सरी में आज जिस प्रकार की हालत है उसकी ओर ध्यान दें। आज गांवों से आने वाले सम्माननीय सदस्य शहरों की आलोचना करते हैं लेकिन शहर में बैठकर यह सारी बातें कर रहे हैं उनके अन्दर जिस प्रकार की हालत है उससे कल्पना कर सकते है कि गांवों में किस प्रकार की स्थिति होगी।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वादविवाद के समय भी मैंने निवेदन किया था। आज मेडिकल के बिल बनते हैं उनके लिए लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है। देश का जो साधारण नागरिक है उसका भी राज्य सरकार पर उतना ही अधिकार है और चिकित्सा की उसके लिए व्यवस्था करना राज्य सरकार का दायित्व है लेकिन उन पर एक आना प्रति व्यक्ति खर्चा आता है परन्तु अध्यक्ष महोदय में दावे के साथ निवेदन करता हूं कई लोगों ने धन्धा बना रखा है कई रुपया कमाते हैं। ऐसे डाक्टर जयपुर में जमे हुए बैठे हैं, वह जयपुर से बाहर जाना नहीं चाहते हैं। उल्टे सीधे असर डाल कर वह इस व्यवस्था को कायम रखे हुए हैं। इन डाक्टरों के लिये प्राइवेट प्रेक्टिस की बात कही जाती है। आज दूसरे कर्मचारी दूसरी जगह काम नहीं कर सकते हैं, उनके ऊपर प्रतिबन्ध है, फिर क्या कारण है, कोई गोलछा की डिस्पेंसरी में काम कर रहा है और कोई दुर्लभ जी की डिस्पेंसरी

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

में काम कर रहा है ? यह क्या व्यवस्था की गई है। आपके अस्पतालों में एक्स-रे प्लेट नहीं हैं, अस्पतालों में आवश्यक दवा मुहैय्या करने की मांग है उसके लिए प्रावधान नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप कल्याणकारी राज्य व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, तो आपको यह आश्वासन देना चाहिये कि वह कैसा कराना चाहते हैं, किसके लिये कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करना चाहते हैं। आज एक पर्सेन्ट कर्मचारी है उनके लिये या 99 पर्सेन्ट जनता के लिये। आप एक पर्सेन्ट के लिये 99 पर्सेन्ट की उपेक्षा कर देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज यह हो रहा है, डाइरेक्टर, एडीशनल डाइरेक्टर, चीफ इंजीनियर, एडीशनल चीफ इंजीनियर दुनियां भर का खर्चा आपने लगा रखा है, कहीं पर सुपरिन्टेंडिंग चीफ इंजीनियर बैठे हुये हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि खर्च में कमी करके इस प्रकार की व्यवस्था करें कि एक वर्ष के भीतर पूरे राजस्थान में पीने के पानी की व्यवस्था करवा सकें, पूरे राजस्थान में चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवा सकें। जिस प्रकार सारे लोगों की शिकायतें हैं, मैं मानता हूं, वह शिकायतें पूरे ढंग से एक वर्ष में दूर नहीं कर सकते। लेकिन इतना निवेदन मैं करना चाहता हूं कि आज जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की बात है, यह हमारे यहां की हजारों वर्षों पुरानी पद्धति की बात है, यह चिकित्सा पद्धति सस्ती है, इसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जान बूझ कर इस पद्धति की घोर उपेक्षा की गई है। आज हमारे वैद्यों का स्थानान्तरण और दूसरे उल्टे सीधे काम करना ही रह गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसके अन्दर शोध कार्य होना चाहिये और यह व्यवस्था होनी चाहिये कि हर कस्बे में, हर गांव में छोटा मोटा आयुर्वेदिक औषधालय कायम करवा दें। (समय—समाप्ति—सूचक घन्टी) होम्योपैथी के लिये मैं अर्ज करना चाहता हूं, उसके बाद समाप्त कर दूंगा। होम्योपैथी गरीब बीमारों के लिये सहायक है, यह बड़ी सस्ती चिकित्सा पद्धति है। लेकिन इसके साथ में बायोकैमिक को जोड़ दिया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं बायोकैमिक की अलग व्यवस्था है और होमियोपैथी की अलग व्यवस्था है। आप होमियोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदिक पद्धति को प्रोत्साहन देंगे, तो मैं निवेदन करता हूं कि थोड़ी बहुत हर गांव में रिलीफ की व्यवस्था कर सकते हैं। मैं अर्ज करता हूं कि आप इन के द्वारा हर गांव में हर आदमी को थोड़ा बहुत लाभ कैसे पहुंचा सकते हैं उस पर विचार करें।

एक मैं टी. बी. सैनीटोरियम के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। टी. बी. सैनीटोरियम के चारों तरफ पहले जंगल था, बहुत बढ़िया वातावरण था मैं मानता हूं कि टी बी. पेसेन्ट के लिये अनुकूल वातावरण होना चाहिये। वह जंगल अब हाउसिंग के लिये साफ किया गया है, बहुत अच्छी बात है करें इस में कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वहां पर जो किराये के कमरे हैं उनकी खिड़कियां टूटी हुई हैं वहां का वातावरण दूषित हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप थोड़ी सम्भाल करें,

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

थोड़ा देखें राजस्थान की राजधानी में आप की नाक के नीचे इस प्रकार की व्यवस्था चल रही है उस अस्पताल के सुपरिन्टेन्डेन्ट थे एक महीना हुआ उनका ट्रान्सफर हो गया लेकिन वह बंगला खाली नहीं करते हैं। वहां के जो दूसरे डाक्टर है उनके अन्दर असन्तोष है। इस कारण जिस ढंग से टी. बी. की पेसेन्ट को डील करना चाहिये वह सारी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय चूंकि मेरा नम्बर बहुत बाद में आया मैं अधिक समय नहीं ले सकता हूं हालांकि मैंने कई मुद्दे लिख कर रखे थे।

एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं। बेरोजगार डाक्टरों के संबंध में मेरा यह निवेदन था जैसा मैंने पहले भी कहा था जो डाक्टर सरकारी सेवा में हैं उन पर पाबन्दी लगाई जाय कि वह प्राइवेट मरीजों को न देखें ताकि कम से कम दूसरे जो तीन सौ डाक्टर यहां पर बेकार बैठे हैं जिनके सामने बहुत बड़ी समस्या है रोजगार की समस्या है उनके माता-पिता ने हजारों रुपये खर्च करके उनको पढ़ाया-लिखाया है लेकिन उनको रोजगार नहीं मिलता है। वह किसी धन्धे पर नहीं बैठ पाते। आप कल्पना कीजिये उनमें कितना असंतोष है। वह असंतोष किस रूप में व्यक्त होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आखिर कौनसी अड़चन आ रही है। मुझे पता नहीं जब अन्य कर्मचारियों पर पाबन्दी है वह दूसरा धन्धा नहीं कर सकते तो इन डाक्टरों को हजारों रुपये लूटने की खुली छूट दी गई है। यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं माननीय चिकित्सा मंत्री को यह बातें निवेदन करते हुए एक बात और निवेदन करता हूं, आप इन बातों को जांच करें जो मैंने कही, जैसे 85 पर्सेन्ट लोगों के पेट में कीड़े क्यों हैं। जन स्वास्थ्य मंत्री को भी इस संदर्भ में निवेदन करना चाहता हूं, इसका चिकित्सा से भी ताल्लुक है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) अन्य बीमारी जो फैल रही है, मलेरिया, चेचक और खसरा—इनकी रोकथाम के लिए आप शीघ्र कदम उठायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं जन स्वास्थ्य मंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकता जिन्होंने इस साल पानी की समस्या के हल के लिए और ग्रामीण क्षेत्र में पानी की समस्या के समाधान के लिए 10 करोड़ रुपए का विनियोजन किया है 1951 से लेकर 1969 तक इन 18 साल में प्रथम योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना तृतीय योजना और 1966-67, 1967-68 और 1968-69 इनमें 8,43,21,000) रुपये खर्च हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और इस साल 10 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं तो यह राज्य सरकार का सराहनीय कदम है, इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। हम यह जरूर चाहते हैं कि इस समस्या का जल्दी से जल्दी हल हो और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रावधान के लिए निवेदन करते है परन्तु राज्य सरकार के भी साधन सीमित हैं और उन सीमित साधनों को देखते हुए जो पानी की समस्या के हल के

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

लिये व्यवस्था की है, उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं।

अब मैं बाड़मेर नगर की जो पानी की समस्या है, उस बारे में मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बाड़मेर नगर सीमावर्ती नगर है और इसका महत्व बहुत बढ़ गया है। इस नगर की पानी की समस्या के समाधान के लिए मैंने मंत्री महोदय से निवेदन किया और मुख्यमंत्री को भी लिखकर दिया और वह योजना भी बनकर तैयार हो गई है। परन्तु उसमें यह कठिनाई आ रही है कि अर्बन सेक्टर में पैसे की व्यवस्था नहीं है। परन्तु बाड़मेर नगर की जो योजना है उससे बहुत से गांव लाभ उठाते हैं। उस योजना से मिलिटरी परसोनेल के लिए एक लाख गैलन पानी की व्यवस्था की जाती है, फेमिन एफेक्टेड एरियाज के लिये व्यवस्था की जा रही है और अभी छाछड़ो तहसील में पानी पहुंचाया जा रहा है, वह भी बाड़मेर नगर से। इसलिये एक योजना राज्य सरकार ने तैयार की है और वह योजना एग्जीक्यूटिव इंजनीयर से सुपरिन्टेंडिंग इंजीनीयर और वहां से चीफ इंजीनीयर के पास पहुंच गई। मेरा निवेदन है कि इस योजना को जल्दी से जल्दी स्वीकृत कराया जाए। अगर उस योजना को स्वीकृत कराने में देरी हुई तो बाड़मेर नगर के लिए एक बड़े संकट की समस्या पैदा हो जायेगी क्योंकि जो योजना पहले बनी हुई है 5–6 साल पहले की बनी हुई है और वह कोप विथ नहीं कर सकती। एक तरफ मिलिटरी परसोनेल और दूसरी तरफ आबादी बढ़ गई 40 हजार की और फेमिन एफेक्टेड एरियाज को पानी पहुंचाना होता है। इस तरह से स्कीम जो बनाई गई है उसको जल्दी से जल्दी स्वीकृत कराकर उसका एग्जीक्यूशन कराया जाये।

दूसरी स्कीम विलेजिज के बारे में नौबला से सोयोगी की है उसमें जो गांव आते हैं थूंबलो, गिरल, सोनड़ी, बैसाला, सुरा, नांद, कावोड़ा, करावा, दूधाबेटी बसरा, जायडू, इन्द्रोई, सियोली उनमें का भयंकर संकट है और कुओं का पानी सूख जाता है और कुछ गांवों में पानी की कतई व्यवस्था नहीं है, पानी खारा है। तो मैंने जो कटौती प्रस्ताव रखा है इस स्कीम के लिए। इसका सर्वे करा कर स्वीकृति देकर इस कार्यक्रम को जल्दी से जल्दी शुरू किया जाये। उंडू से पनाउडा स्कीम स्वीकृत हो चुकी है लेकिन उसमें कुछ ग्रामों को नहीं लिया गया है। इसलिए मैंने निवेदन किया है कि इनको ले लिया जाए और रिवाइज्ड स्कीम को मंजूर किया जाए।

कुछ परिवार नियोजन के बारे में कहना चाहता हूं। इसका असफल होने का मुख्य कारण यह है कि राजस्थान सरकार ने और चिकित्सा विभाग ने जो अनुभवहीन डाक्टर्स हैं जो बिल्कुल नए नए डाक्टर्स हैं. उनको परिवार नियोजन कार्यक्रम में लिया गया है जिनकी शुरू की सर्विस है उनको परिवार नियोजन में लिया गया है यह प्रणाली बिल्कुल गलत है और इसके अन्दर यह होना चाहिए कि जो 10 वर्ष पुराने डाक्टर्स हैं। जो सर्जरी में एक्सपर्टस् हैं उनको ही यह

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

कार्य सौंपा जाना चाहिये और इसके लिये डाक्टर्स तो विरोध करेंगे ही परन्तु परिवार नियोजन को सफल करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि इसके लिये एक्सपर्ट डाक्टर्स हों और नसबंदी आपरेशन के बाद में इसकी देखभाल की व्यवस्था होनी चाहिये। उनके लिये आवश्यक हो जाना चाहिये कि वह एक सप्ताह तक अस्पताल में भर्ती हों और उनकी पूरी तरह से व्यवस्था हो क्योंकि ये केसेज बाद में सेप्टिक हो जाते हैं काम्प्लीकेशन्स बढ़ जाते हैं और फिर परिवार नियोजन की तरफ लोगों का अविश्वास बढ़ जाता है। यह कार्यक्रम तो अच्छा है इसके प्रति अविश्वास नहीं होना चाहिये और राज्य सरकार व चिकित्सा विभाग को सोचना चाहिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय मेरे 3–4 कटौती प्रस्ताव हैं जिनकी ओर मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विशेष तौर से जालौर जिले में और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा विभाग की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी दवाइयों का अभाव है। वहां पर ग्रामीण लोगों को दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं यहां तक कि पट्टियां वगैरह डेली यूज की चीजें भी उपलब्ध नहीं हैं। सब जगह मरीजों की वृद्धि हुई है उस हिसाब से बजट वजट इन्क्रीज नहीं हुआ है। पहली बार आपने यह पैसा इस साल दिया है तो दवाईयां पूरी तरह से वितरित हों यह ध्यान रखा जाए, सिर्फ शहरों में नहीं..

श्री चन्दनमल वैद : स्पेसीफिकेली लिखा हुआ है कि देहातों के लिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह अच्छा है कि आपका ध्यान तो गया।

दूसरी बात उपाध्यक्ष जी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशली निहड़ एरिया है, वहां एक बार जयनारायण जी व्यास भी गए थे, वहां मलेरिया की बीमारी थी। मलेरिया यूनिट कायम होने के बाद अच्छा इफेक्ट हुआ, औसत उम्र 50 तक पहुंच गई है। वहां का पानी खराब होने से तिल्ली का रोग बढ़ जाता है। उस एरिया में 23 सालों से बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ है। वहां रिलीफ हुआ है। पहले रिपोर्ट आई कि पूरा इरेडिकेशन कर दिया है, ऐसा नहीं है। पिछले साल काफी केसेज आए हैं और अब तक बहुत से केसेज हैं, भयंकर बीमारी फैलने का खतरा है, तो मलेरिया यूनिट जो वहां है उसको सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिये।

जालौर जिले में करीब 300–400 गांव खारे पानी के है। रीजनल योजनायें हाथ में ले ली है फिर भी जालौर जिले में करीब 300–400 गांव ऐसे हैं जहां पानी का सोर्स उपलब्ध नहीं है, 100 गांव तो सांचोर तहसील में हैं जहां पानी का इन्तजाम नही है। वहां का पानी खराब है। ऊपर का पानी पीते हैं इसलिए बीमार होते हैं। जो पैसा इस साल आपने बजट में रखा है। हमारे जिले में रीजनल स्कीम्स विभाग ने जो मंगाई है, दूसरे गांवों की लिस्ट आप को मालूम है, वहां की स्कीम्स बनाकर जहां 8–10 मील से पानी ले जाते हैं वहां पर भू-सर्वेक्षण विभाग ने सर्वे की है, पानी के सोर्सिज से दूर दूर पाइप लाइन के जरिए पानी पहुंचाया जाए।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मारफत मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जालौर जिले में और खास तौर से सांचौर एरिया में जहां कि पीने के पानी की बड़ी समस्या है और जहां पर जो अस्पताल है वह कम हैं और वहां पर जनता की सुविधा के लिए यह जरूरी हो जाता है कि इन समस्याओं का हल तुरन्त किया जाय। इसके लिए मैं एक सुझाव दूंगा कि हर दो हजार जनसंख्या वाले गांव में आयुर्वेद अस्पताल खोले जाय। वहां पर जनता को मेडिकल फैसीलीटीज मिलनी चाहिये। ताकि जनता को आराम मिले। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री राम रघुनाथ (डेगाना) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने चिकित्सा विभाग की जो मांगें हैं उन पर अपने विचार व्यक्त किये हैं—मैं भी उपाध्यक्ष महोदय, कुछ अपने विचार पेश करना चाहता हूं। लेकिन मेरे सुझाव और जो माननीय सदस्यों ने यहां पर सुझाव दिये हैं उनमें से एक दो भिन्न होंगे। इसलिए मैं आपके मारफत उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जो सुझाव मैं दूं उसको भी ध्यान में रखें। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा नागौर जिला एक बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। इस जिले में पीने के पानी की बहुत ही भारी समस्या है। दूसरे वहां पर दूर दूर तक गांव वालों के लिए अस्पताल नहीं हैं। लोगों को इससे बहुत ही परेशानी होती है। आज वहां पर दूर दूर अस्पताल होने की वजह से लोगों को रोगी को लेकर बैलगाड़ी अथवा ऊंट गाड़ी में बैठाकर ले जाना पड़ता है क्योंकि उस क्षेत्र में सड़कों की कमी है। इसके लिए निवेदन करना चाहता हूं कि जिन इलाकों में दूर दूर तक यानी 12 मील या 14—15 मील तक भी चिकित्सा का कोई प्रबन्ध नहीं है तथा हास्पिटल खोलना किसी न किसी वजह से उचित नहीं समझते हों उन इलाकों में 5—7 की दूर तक के ग्रामीण को लाभान्वित करने के लिहाज से जगह और पोस्ट का प्रावधान कर एक एक कम्पाउण्डर रख दिया जावे। वैसे भी डाक्टरों को एम्पलोयमेन्ट नहीं मिल रहा है और अगर डाक्टरों को भी रख दिया जावे तो एक चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय गांवों में इस प्रकार के कम्पाउण्डरों अथवा डाक्टरों के लिए चिकित्सा भवन गांव वाले अपने चन्दे से भवन का निर्माण कर देने को तैयार हैं। इससे सरकार को भी बोझा नहीं पड़ेगा व गांवों में चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध हो जावेगी।

आज स्थिति ऐसी है कि लोग तीस—तीस मील से अपने इलाज कराने आते हैं पर वहां पर उन्हें न तो डाक्टर मिल पाते हैं और न पूरी तरह से दवाइयां ही। तो बेचारे को वापिस जाना पड़ता है या कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता है इससे जनता को बहुत ही परेशानी रहती है। तो मैंने यह जो सुझाव दिया कि प्रति दो हजार की जनसंख्या वाले गांव में आप अगर एक कम्पाउण्डर रख देते हैं तो मरीज को एक प्रकार से गाइड लाइन तो मिल जाय। दूसरी बात मैं जो आपसे निवेदन करना चाहूंगा वह है पीने के पानी की समस्या के बारे में। हालांकि कई माननीय सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की है कि किस तरह

(श्री राम रघुनाथ)

से पानी की समस्या का हल होना चाहिये। पानी के लिए राज्य सरकार का योजना है कि जगह जगह ट्यूब वेल्स का पीने का पानी उपलब्ध कराया जावे। जहां पानी खारा है अथवा है ही नहीं वाले इलाके में रीजनल स्कीम बनाई जावे। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय उन इलाकों को नहीं भूला जावे जहां ग्रामीण लोग तालाबों से काम चलाते हैं। आज तालाब को खोदना, गहरा करने को व्यवस्था करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है। उन लोगों को तालावों के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, उन इलाकों में तालाबों के सिवाय कोई जरिया नहीं है जमीन में नीचे पानी नहीं। वहां कब रीजनल योजना बनेगी व कब पानी आवेगा। लगता है ग्रामीण इन्सान सदियों तक योंही मरता रहेगा बिना पानी। उपाध्यक्ष महोदय सरकार बात करती है कि तालाबों का पानी अच्छा नहीं होता उससे बीमारी होती है उस पानी से बाला या नारु निकल जाता है। उपाध्यक्ष महोदय बीमारी या बाले या नारु से तो आदमी मरेगा नहीं बीमारी भुगतेगा भुगतने दीजिये पर पानी तो दीजिये अगर आज आजादी के 24 वर्ष बाद भी ग्रामीण बिना पानी मर जावेगा तो इससे अधिक खेदपूर्ण बात क्या होगी।

उपाध्यक्ष महोदय इसके साथ ही उन गांवों की समस्या को भी आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान में लाना चाहूंगा कि जिन गांवों में पानी नहीं है अथवा खारा है, रेगिस्तानी इलाका है तालाब खोदे नहीं जा सकते क्योंकि पानी ठहरता नहीं हैं उन इलाकों को तुरन्त रीजनल स्कीम्स बनाई जावे और पानी पीने का उपलब्ध कराया जावे। मैं अपने इलाके की रीजनल स्कीम्स के बारे में निवेदन करना चाहूंगा जहां पानी नहीं है तथा मीलों से पानी लाने जाते है और गर्मी गर्मी तो सारे दिन रात पानी लाने का ही कार्यक्रम चलता है। चोलिया पूरी पंचायत जिसमें सात गांव हैं मालास, खारिया, इमासनी, चौतियास, तैनास पोलास बछवास तथा इसके साथ ही राजोद खुडी, खोयास आदि गांव हैं जहां पीने का पानी नहीं है तथा इनको पुनास गांव से पानी पीने का दिया जावे इसके सिवाय कोई चारा नहीं है। इसी प्रकार जालसू नामक पंचायत के पुनर्तगत गांव, आहेरोली पंचायत व अन्तर्गत गांव इडवा पंचायत, पालियास पंचायत व अन्तर्गत गांव सिरासना पंचायत व अन्तर्गत गांव निम्बोला पंचायत व अन्तर्गत गांव बरना पंचायत व अन्तर्गत गांव खुडी पंचायत व अन्तर्गत गांव चौवली पंचायत के अन्तर्गत गांव आदि गांव ऐसे गांव हैं जहां पानी सिवाय रीजनल स्कीम बना कर पानी लाया जावे और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अंतः उपाध्यक्ष महोदय निवेदन है कि इन गांवों को अविलम्ब पानी पीने का उपलब्ध कराया जावे।

कुछ गांवों में कुए हैं पर 150–150 फिट गहरे है तथा जब आदमी काम पर चला जाता है तो एक महिला से पानी खींचा जाना सम्भव नहीं होता ऐसे गांवों में बिजली उपलब्ध करा कर पीने का पानी उपलब्ध कराया जावे।

(श्री राम रघुनाथ)

उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान मैं डेगाना जल योजना की तरफ दिलाना चाहता हूं डेगाना एक बड़ा कस्बा है तथा मण्डी है तहसील व पंचायत समिति का मुख्यालय है। रेलवे का बड़ा जंकशन है वहां की जल प्रदाय योजना पर कोई 1.5 लाख रुपया खर्च किया जा चुका है पर फिर भी पीने का पानी नहीं मिल रहा है। डेगाना पर रेलवे के पीने का पानी गच्छीपुरा से आता है। जनता भी चोरी छुपे उस पानी को चुरा कर पीती है। उपाध्यक्ष महोदय वहां पीने का पानी दो पैसे में एक प्रति ग्लास के हिसाब गर्मियों में बिकता है। समझ में नहीं आता जिस काम के लिए 1.5 लाख खर्च कर दिया वो थोड़े से कार्य के लिए बिल्कुल बन्द पड़ा है अतः आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे कार्यों को तुरन्त पूरा करावे।

इसी प्रकार उपाध्यक्ष महोदय चान्दारुण गांव में एक नल योजना बनी हुई है। वहां पर जो गांव में कनेक्शन लगे हैं उनकी आय रु. 600।- से 700।- प्रति माह है पर पीने का पानी 15 मिन्ट प्रतिदिन से अधिक नहीं मिलता। ग्रामीण लोगों को सरकार व विभाग के प्रति घोर असन्तोष है। वहां पर जो कर्मचारी या मिस्त्री काम करते हैं वो न तो जानकार हैं न सही तौर से पूरा कार्य करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय उसकी ओर तुरन्त ध्यान देकर कार्य पूरा कराया जावे उपाध्यक्ष महोदय कहां का न्याय है कि गांव में जल योजना है और गांव वालों का पैसा लगता है पर पानी नहीं मिलता और लोग बैलों से दूसरे कुए चलाते हैं और उसका अलग खर्चा करना पड़ता है।

इस आजादी में भी और पानी 6—6 या 7—7 मील से लाकर मिले तो यह कैसी आजादी हुई यह कैसा जनता का राज हुआ उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि ऐसे मामलों पर तुरन्त गौर कर पानी उपलब्ध कराया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बिरदाराम।

श्री बिरदाराम (जालौर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो सदन में चिकित्सा विभाग के ऊपर यह बहस चल रही है उसमें से भी कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं। मेरा सबसे पहला यह निवेदन है कि हमारा जालौर जिला बहुत ही पिछड़ा हुआ है। वहां पर अस्पताल बहुत ही कम है। इसलिये जनता ने राज्य सरकार से मांग की है कि वहां पर अस्पताल बढ़ाये जायं। और जो जालौर में अस्पताल है वहां पर 100 बैड होने चाहिये मैंने जनता से वहां पर कहा इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां पर पचास बैड हैं तथा 100 बैड्स और होने चाहिये। इसके अलावा वहां को जनता बहुत ही गरीब है, पिछड़ा इलाका है और गरीब लोगों को पूरी तरह इलाज प्राप्त हो जाय ऐसी व्यवस्था करना बहुत ही जनता के लिए जरूरी है। दूसरे मैं जो निवेदन करना चाहता हूं वह है कि हमारे जालौर में एक टी. बी. अस्पताल खुलना उसमें 50 बैड्स होने चाहिये है इसके अलावा वहां पर आंखों के लिये और कान नाक व गले के

(श्री बिरदाराम)

लिये डाक्टर भी होना जरूरी है। दूसरे हमारे जालोर क्षेत्र में लेडी डाक्टर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर किसी औरत के जापा होना हो तो वहां पर बड़ी तकलीफ होती है। इसके अलावा वहां पर जो अस्पताल में दवाईयां वगैरहा की कमी है वह की कभी पूरी की जानी चाहिये। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जालोर क्षेत्र में पानी की बहुत कमी है तो मैं राज्य सरकार से आपके मारफत यह निवेदन करूंगा कि इस समस्या का समाधान होना बहुत हो जरूरी है सो जल्दी से जल्दी इसका हल निकालना चाहिये। जालोर और भीनमाल जैसे गांवों में भी पानी की समस्या आज तक दूर नहीं हुई है। जालोर में ऊंचाई के मकानों में पानी नहीं पहुँचता है और भीनमाल की ऐसी स्थिति है, बड़ी मुश्किल से नीचे खड्डा खोद कर बाहर पानी निकालते हैं। इसलिए एक लाख गैलन की टंकी होनी चाहिये। जालोर में एक लाख गैलन पानी के लिये टंकी होनी चाहिये। जालोर हमारा क्षेत्र है, भागली सादुलपुर आदि 6—7 गांवों की स्कीम बनी हुई है। शायद मंजूरी भी हो गई। उसको जल्दी से जल्दी करना चाहिये। आठ दस गांवों की नून, सांलू, बोदलसर, रूवण आदि की स्कीम है। आज तक नहीं हुई है। अब होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करूं कि एक सूड़ी गांव है। तीन साल से नल की फिटिंग हो गई है। परन्तु अभी तक पानी चालू नहीं हुआ है। सरकार को जांच करनी चाहिए। खारा पानी है। सुराणा साहब को लिखा। क्या वजह है। इतनी (समय समाप्ति सूचक घण्टी) ढिलाई क्यों है? सुराणा ए.ई.एन. वाटर वर्क्स ने इसकी कुछ भी परवाह नहीं की।

उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ी बात और कह दूं। तीन तीन साल चार चार साल नल योजना पूरी न हुई है। गढ़ी जैसे गांव में खारा पानी और स्कीम चालू न हो यह सरकार को विचारना चाहिये। जल्दी जल्दी बाकय गांव में नल योजना इस साल जरूर होना चाहिये। बिलकुल खारा पानी है। ऊपर थोड़ा मीठा पानी है, नीचे जाते हैं तो खारा पानी। पीने के लिये खारा पानी नहीं चलता है।

(समय समाप्ति सूचक अनवरत घण्टी)

जल्दी से जल्दी नल फिट करवा कर खारे पानी की समस्या को हल करना चाहिये।

नून गांव है। ट्यूब वेल खुदा हुआ है। मशीन लगी हुई है। वह जल्दी से जल्दी चालू हो जाय तो पेय जल की समस्या हल हो सकती है। जहां खारा पानी है उसके लिये सरकार की स्कीम भी है। वित्त मंत्री ने दस करोड़ की योजना इस साल मानी है। इसके वास्ते हमारा धन्यवाद हैं।

(अनवरत समय समाप्ति सूचक घण्टी)

एक मिनिट में अर्ज कर दूं। पानी की योजना के लिये निवेदन कर दूं। नर्मदा नदी को नहर से जालोर व बाड़मेर की सिचाई हो सकती है। खारा पानी पीने की समस्या भी हल हो सकती है। नर्बदा का पानी कच्छ की खाड़ी में जाकर पानी पड़ता है और बेकार जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : सिंचाई विभाग की मांग पर बोलने का मौका मिलेगा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री बिरदा राम : उपाध्यक्ष महोदय, हजूर सुनो तो सही। इस नदी की नहर से गुजरात में सिंचाई होती है। नर्मदा का पानी नहीं आवेगा तो बिलाडा का पानी भी नहीं आवेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यह बड़ी अजीब आदत है।

(समय समाप्त सूचक घण्टी)

श्री बिरदाराम : जालौर जिले में सिंचाई हो सकेगी।

(समय समाप्त सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनिट निवेदन कर दूं।

श्री बिरदाराम : और निवेदन कर दूं कि साही नदी का पानी जवाई बांध में पड़े। साही नदी का पानी आना चाहिये। जोधपुर में सिंचाई हो सकती है और जालौर में पानी आ सकता है। 16 हजार एकड़ की सिंचाई हो सकती है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

सरकार का उत्तर होगा।

श्री मुंशीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कट मोशन दिया है। मुझे दो मिनिट का समय दीजिए।

(घंटी)

एक माननीय सदस्य : दो मिनिट का समय दे दें।

श्री चन्दन मल बैद (जन स्वास्थ्य मंत्री), माननीय उपाध्यक्षजी, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि जन स्वास्थ्य पर भी उनका रुख उदारता पूर्ण रहा है। इसका एक मात्र कारण मैं यह भी मानता हूं कि कि यह सेवा करने वाला विभाग है और पानी पिलाने वाला गरीब आदमी होता है और उनके प्रति उदारता से सोचना यह समाजवाद के अनुकूल भी है। रेलवे स्टेशन पर जो व्यक्ति पानी पिलाता है उसका किसी से झगड़ा नहीं होता है और सब ही दया और उदारता के भाव रखते हैं। इस विभाग के प्रति जो दया और उदारता का भाव रखा है और आमतौर पर ज्यादा आलोचना नहीं की है उनके लिए ये माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं।

कटौती प्रस्ताव इस विभाग के सम्बन्ध में आये। यह सम्भव तो नहीं होगा कि जितने कटौती प्रस्ताव आये हैं उनका विस्तार से जबाब दूं। लेकिन मैं यह चाहूंगा कि जितने कटौती प्रस्ताव आये हैं उनका लिखित उत्तर उनको भेज दूं। जिससे उनको संतोष हो सके कि उनके मुद्दों के उनको उत्तर मिले।

माननीय उपाध्यक्षजी, यह कहना बड़ा आसान है कि राजस्थान में हर गांव में पानी देने का इन्तजाम कर दिया जाय। लेकिन आंकड़ों को मिला कर देखा जाय तो यह कठिन काम है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चौथी पंचवर्षीय योजना तक, मेरा ऐसा अन्दाज है, हम कुल मिलाकर 65 करोड़ रुपया, खर्च कर चुके होंगे। 42 करोड़ रुपये देहात में खर्च कर चुके होंगे और 23 करोड़ शहरों में 63 करोड़ खर्च करने के बाद 145 नगर हैं उनमें से 115 नगरों में हमारी जल प्रदाय

(श्री चन्दनमल बैद)

योजना पूरी हो चुकी है और 29 नगरों में हम जल प्रदाय योजना को चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के पूरी होने तक पूरी कर चुके होंगे और जहां तक देहात का सवाल है मा० उपाध्यक्ष महोदय इस चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के समाप्त होने तक उन क्षेत्रों को मैं शामिल नहीं कर रहा हूं जहां डवलपमेंट विभाग ने या जो पहले जल बोर्ड चलता था, जो पैसे खर्च किये गये हैं जहां वह कुए खोदने के लिये हो, कुए गहरे करने के लिये हो, चाहे बोर करने के लिये हो, चाहे सुधारने के लिये हो और ईल्ड सुधारने के लिए हो लेकिन जो जन स्वास्थ्य विभाग ने खर्च किये हैं उससे करीब 25 लाख की आबादी पर असर होगा यानि सारे शहर की आबादी करीब सन् 71 की जन-गणना के अनुसार 45 लख से कुछ ज्यादा है और दूसरे 25 लाख की आबादी में हम चाहे पाइप्ड वाटर सप्लाई स्कीम से हो और चाहे किसी दूसरी योजना से हो पानी सप्लाई कर सकेंगे। अब जब 70 लाख की आबादी है तो उसको चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के अन्त तक वह भी करीब 65 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च करके करने की है उस पर भी ध्यान दिया जावेगा। आज राजस्थान की आबादी 2 करोड़ 57 लाख है। आप अन्दाज लगा सकते हैं अभी कितनी बड़ी आबादी बाकी है जिसमें पानी की समस्या की कठिनाई है और वह एक साल में पानी की समस्या हल कर दी जाय, यह आसान नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय मेरा यह सोचना है सारी जल समस्या के समाधान करने के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जो हम खर्च कर चुके होंगे उसके अलावा हमें कम से कम 200 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी। हो सकता है मेरे फीगर रफ हैं लेकिन मेरा अन्दाज है 200 से कम में काम नहीं चल सकता है। यह बहुत बड़ी समस्या है आज हम इस समस्या को हल करने की तरफ बढ़ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा रकम लगाकर इसको कर सकें, ऐसी हमारी कोशिश है लेकिन समस्या ऐसी नहीं है जो बहुत आसानी से हल हो सकती हो। जैसा बहुत से माननीय सदस्यों ने अभी कहा 8-10 जिले ऐसे हैं जिनका पानी खारा है और वहां का पानी पीने लायक नहीं है। कुछ जगह पानी पीने से रोग लग जाते है, दांत गिर जाते हैं, कुबड़ हो जाते हैं, कुछ जगह ऐसी है जहां पीने के पानी लाने के लिये सिड़िढ्या लगी हुई हैं और उसमें उतर कर जाना पड़ता है वहां नाहरु का रोग लग जाता है। मीठा पानी बहुत कम है। इन सारी समस्याओं का हल बहुत बड़ी समस्या है, हमारे जो साधन है, हमारे जो सोर्सेज हैं उसमें हल करने में बहुत समय लगेगा। हम भारत सरकार से बराबर कहते आ रहे है और जैसा भारत सरकार से मालूम हुआ है 125 करोड़ की राशि इस विशेष समस्या के लिये रखी गई है, उसमें 20 करोड़ पानी की समस्या के लिये रखा है। हमारी यह कोशिश होगी कि 20 करोड़ में से ज्यादा से ज्यादा हम ले आये और मेरा ऐसा विश्वास है कि हम दो करोड़ तो ले आयेंगे। उपाध्यक्ष महोदय इसके बावजूद भी हम और भी कोशिश कर रहे हैं ताकि इस कठिन समस्या को हल कर सकें। अभी वर्ल्ड बैंक की एक टीम आई है और उसके साथ वर्ल्ड हैल्थ आरगेनाईजेशन के

(श्रीचन्दनमल बेद)

लोग भी आये हैं। वे अध्ययन कर रहे हैं अभी आश्वासन तो नहीं दिया है लेकिन आज जो वर्ल्ड कम्यूनिटि है उसने एक दूसरे देश की समस्या को समझने की कोशिश की हैं। वर्ल्ड बैंक भी यहां की समस्या को समझ रही है। हमारी जो कठिन समस्या है, विकट समस्या है जहां कहीं से भी हो सके चाहे वर्ल्ड बैंक से हो चाहे वर्ल्ड हैल्थ आरगेनाईजेशन से हो, चाहे भारत सरकार से हो और चाहे हमारे साधनों से हो हम पूरी कोशिश करेंगे और इस समस्या को हल करने की पूरी चेष्टा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद में कुछ हमारे माननीय सदस्यों ने कहा है, हमारा विभाग सेवा का विभाग है। मैं इसके बारे में अर्ज करना चाहूंगा किस तरीके से आज सेवा कर रहा है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि 10 जिले जिनको हम यह मानते हैं कि जहां पीने के पानी की समस्या काफी कठिन है वहां पर जो स्कीम बनाते है उसमें पब्लिक कन्ट्रीब्यूशन नहीं लेते हैं। इन 10 जिलों में जोधपुर, नागौर, बाड़मेर जालौर, जैसलमेर, पाली, बीकानेर, चूरू, सीकर, झूंझनूं इसके अलावा उदयपुर के तीन जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़ इन जिलों में जो आदिवासियों के क्षेत्र हैं वहां पर जो स्कीम बनाई जाती है उसमें भी हम जन सहयोग नहीं लेते हैं। बाकी जगह भी 5 प्रतिशत से घटाकर ढ़ाई प्रतिशत कर दिया गया है, यह मैं आपको सूचना देना चाहता हूं। इसके अलावा रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम बनाते हैं उसमें भी जन सहयोग नहीं लिया जाता है क्योंकि रीजनल वाटर सप्लाई की एक स्कीम से एक गांव को पानी नहीं मिलता है बहुत सारे गांवों को लेकर बनाई जाती है इसलिए जहां रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम बनाई जाती है वहां पर जन सहयोग नहीं लिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं पांच हजार की आबादी अभी है हम कह चुके हैं जहां तक म्युनिसिपल टाऊन का सवाल है चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में हमारी जल प्रदाय योजना बन चुकेगी। जहां पांच हजार से अधिक की आबादी है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जितने गांव हैं उसमें हमारी जल प्रदाय योजना बन जाय। उसके बाद दो हजार के जितने गांव हैं उसमें पम्पिग सेट्स से टैंकों से किसी भी स्कीम से जितनी ज्यादा समस्या हल हो सकेगी, करेगी। जहां विशेष समस्या होगी नाहरु और फ्लूराइट की वहां की स्कीम को विशेष रूप से हाथ में लेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह जिक्र किया था कि पानी में फ्लोराइट ज्यादा होने से कुछ लोगों को हड्डियों का रोग लग जाता है। इस विभाग ने पता लगाया है यह रोग कहीं कहीं ज्यादा हो रहा है। मैं आपके द्वारा सदन को सूचित करना चाहता हूं इसके लिये जो हमें स्थानों का पता चला है वह है नागौर में बांका पट्टी। वहां पर 60 लाख की स्कीम बनाई गई है। काफी काम हो चुका है थोड़ा काम बाकी है। सिरोही जिले में चायला अलगा रावड़ा की स्कीम है इसमें 10 लाख 40 हजार रुपये खर्च करके योजना बनाई गई है जो चल रही है इसमें 10 गांव इन्वोल्व होंगे। तीसरी स्कीम सिरोही में भेड़, अन्डोर और सरदारपुर है यहां पर 85 हजार की स्कीम

(श्री चन्दनमल वैद)

बनाई जा रही है। इसी तरह भीलवाड़ा गंगानगर में 17 लाख 85 हजार लगेंगे और इसमें काम चालू है। इसके अलावा झूंझनू निरादना, माली गांव की स्कीम बनाई है। इस पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है। जल्दी ही काम शुरू करने की योजना है और यह पूरी स्कीम तीन लाख की होगी इससे 6 गांवों को लाभ होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय सदस्यों को इस बात का आग्रह करूंगा कि अगर कहीं भी राजस्थान में हमारी नजर से बाहर फ्लोराइट की बीमारी किसी गांव में हो और उनकी नजर में हो तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा हमें जरूर सूचना दें ताकि हम उस पानी की जांच करा सकें और जहां कहीं फ्लोराइट की बीमारी होती है हम वहां के पानी की समस्या को हल करने की भरसक चेष्टा करेंगे, यह मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं।

(बीच में व्यवधान होने पर)

पहले सुन लीजिये। उपाध्यक्ष महोदय मैंने आश्वासन दिया है कि मैं उसको गांध्र पाल्व करूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोद, ना बाड़े का रोग है वह ज्यादातर डूंगरपुर, बांसवाड़ा में होता है उसके लिये कोशिश कर रहे है उन गांवों में ट्यूब वैल के द्वारा या बेड़िया तोड़कर ऊपर से पानी की व्यवस्था करेंगे ताकि लोगों को पानी के लिये नीचे न उतरना पड़े इससे जो बाड़े का रोग होता है उससे राहत मिल जायगी इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष समस्या की ओर माननीय सदस्यों ने जिसका जिक्र किया है वह बीकानेर के बारे में कहा गया है। बीकानेर में पानी की बड़ी दिक्कत है और समस्या है। मैं माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं बीकानेर की आबादी 1971 की जन-गणना के अनुसार 1 लाख 80 हजार की आबादी है। इस समय जो पानी सप्लाई कर रहे हैं वह 40 लाख गेलन है। मैं मानता हूं इस बात को जब पानी की सुविधा ज्यादा होती है तब पानी भी ज्यादा खर्च करते हैं मुझे याद है खुद मेरे क्षेत्र में जब पानी की ज्यादा तकलीफ थी और जल प्रदाय योजना बन गई तो पहले एक घड़े पानी से काम निकाल लिया जाता था और वह भी ठीक माना जाता था और अब जब सुविधा मिल गई तो 10 घड़े से भी काम नहीं निकलता है, वह भी कम मालूम पड़ता है। 1 और 10 का रेशो हो जाने पर भी पानी की कमी महसूस करते हैं। जहां सुविधायें बढ़ती हैं वहां लोग यही कहते हैं पानी की कमी है, क्योंकि यह तो नियम है। हम तो चाहते हैं लोगों का जीवन स्तर ज्यादा ऊंचा हो और लोग अधिक सुविधाओं में रहें लेकिन जो राजस्थान की स्थिति है उसमें पानी ज्यादा उपलब्ध नहीं है। उस स्थिति में यह कहना कि पानी की बड़ी तकलीफ है मैं समझता हूं ऐसा कहना ज्यादा उपयुक्त नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे बीकानेर में जो राजस्थान नहर का पानी लाया जा रहा है उसके बाद बीकानेर में पीने के पानी की समस्या बहुत कुछ हल हो जायगी।

लेकिन आज भी जो स्थिति है वह ऐसी नहीं है जिसको कह सकें कि खराब स्थिति है। 1 लाख 80 हजार आदमियों के लिए

(श्री चन्दनमल बैद)

40 लाख गैलन पानी दिया जा रहा है तो मैं समझता हूं वह कोई खराब स्थिति नहीं है। थोड़ी सी दिक्कत बीकानेर में यह है कि लक्ष्मीनाथ जी का जोन है उसमें कुछ पानी का प्रेशर कम है और वाटर की सप्लाई कम है उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि रतनसागर का वेल है उसको गहरा करायें और फूलवाड़ी का वेल है उसमें बोरिंग करायें और मुझे आशा है कि 4–6 महीने में काम पूरा हो जायेगा तो जो लक्ष्मीनाथ जी का जोन है उसमें जो पानी की तकलीफ है वह दूर हो जायेगी और शहर की भी दिक्कत कम हो जायेगी।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य ने मलसीसर और अलसीसर के बारे में और उनके क्षेत्र के दूसरे गांवों के लिए काफी जिक्र किया है। मैं उनको सूचित करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय आपकी मार्फत कि मैं इसको मानता हूं कि मलसीसर में पानी की दिक्कत है और हम जितना पानी समझते थे जलप्रदाय योजना से देने का वह नहीं दे पा रहे हैं। हमारा ऐसा अन्दाजा था कि 70 हजार गैलन रोजाना पानी दे सकेंगे लेकिन मुश्किल से 40 हजार गैलन पानी रोजाना दे रहे हैं। उसके बावजूद कभी कभी मशीनरी खराब होने से किसी रोज दिक्कत हो जाती है लेकिन इसका हल यही है कि हम एक बिजनैस स्कीम भी बना रहे है जिससे कि अलसीसर और मलसीसर दोनों शामिल होंगे और उसका जलश्रोत हाबड़ो होगा। यह स्कीम अभी बनकर आ रही है और ज्योंहि हम काम शुरू करेंगे उसके बाद मलसीसर और दूसरे जो 22 गांव इसमें ले रहे हैं उनकी समस्या भी हल हो जायेगी।

इसी तरीके से मण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य के क्षेत्र में शायद ये गांव आते होंगे तो गाग्यासर में जलश्रोत बनाकर दूसरी स्कीम बना रहे हैं जिससे कि 15 गांव लाभान्वित होंगे। मैं समझता हूं कि 22 और 15 गांव इस तरह से 37 गांव कुल लाभान्वित होंगे। तो माननीय सदस्य को समझना चाहिये कि हम इस साल इतना खर्च करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए तो उनको धन्यवाद देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय बाड़मेर के लिए जल समस्या के लिए काफी यहां पर कहा गया है। मैं इस बात को मानता हूं कि बाड़मेर में जितना पानी हम आज 5 लाख गैलन फ्री दे रहे हैं वह बाड़मेर की और साथ ही में जो दूसरी आवश्यकतायें हैं सर्मरिक आवश्यकतायें उनको पूरा नहीं पड़ रहा है और उसके साथ साथ जब एक शहर को पानी देते हैं तो आसपास के गांव के लोग हैं उनको भी इन्कार नहीं किया जा सकता। उनकी आवश्यकतायें भी जरूरी हैं इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि बोशियां में जहां से पानी जा रहा है उसी को जलश्रोत बनाकर दूसरे जो गांव हैं उनके लिए अलग स्कीम बना दें जिससे बाड़मेर का अलग हो जाये और दूसरे गांवों का अलग हो जाये। बाड़मेर की समस्या भी हल हो जाये और आसपास के गांव हैं उनकी भी समस्या हल हो जाये। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को इससे संतोष होगा।

(श्री चन्दनमल बैद)

माननीय उपाध्यक्ष जी, रामपुरा में जो हमारे ट्यूबवैल लगे हुए हैं उनसे हम पानी लेकर जोधपुर को दे रहे हैं। उसके बारे में काफी नाराजगी प्रकट की गयी है। उपाध्यक्ष जी, आज रामपुरा में हमारे 12 ट्यूबवैल हैं और वहां से 20 लाख गैलन पानी प्रति दिन जोधपुर के लिए ले रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत से कुए है और ट्यूबवैल हैं और वहां पर कुओं और ट्यूबवैल से पानी निकाला जा रहा है– वह 2 करोड़ गैलन है। और 2 करोड़ गैलन सिंचाई के लिए, खेती के काम के लिए निकाला जा रहा हैं और उनमें जोधपुर शहर के लिए 20 लाख गैलन पानी निकाल रहे हैं तो मैं समझता हूं कि गलत काम नहीं कर रहे हैं। एक तरफ तो जवाई से पानी लाते हैं जोधपुर के लिए और बीच में पाली और जोधपुर के गांव पड़ते हैं उनका आग्रह रहता है कि हमें भी पानी दिया जाये और उपाध्यक्ष महोदय आपको मालुम है कि हमने 15-16 गावों को नालियों के द्वारा पानी दिया है और वह पानी उधर रोक लेते हैं तो दूसरी तरफ रामपुरा से पानी लेते हैं तो यह शिकायत होती है कि रामपुरा से पानी क्यों लेते हैं। एक जो जोधपुर शहर होने के नाते और दूसरे इसका सामरिक महत्व होने के नाते हमारा फर्ज हो जाता है, हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य हो जाता है कि उस शहर को सबसे ऊपर रखकर, टाप प्रियोरिटी देकर हम पानी की सप्लाई करें। इसलिए रामपुरा के लिए जो माननीय सदस्य ने एतराज किया उसके बारे में बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि सारे प्रश्न को केवल एक गांव का प्रश्न या इलाके का प्रश्न लेकर नहीं चलें बल्कि इसको राष्ट्रीय प्रश्न के रूप में लेकर चलें तो ज्यादा अच्छा होगा यही पाली से आने वाले माननीय सदस्य से कहूंगा कि सारे प्रश्न को इलाके का प्रश्न लेकर नहीं चलें बल्कि राष्ट्रीय रूप में लेकर चलें। हमारी मन्शा नहीं है कि किसी शहर को पानी देने के लिए गांव को पानी से वंचित करें। आप देखें कि जो प्रोवीजन किये हैं उसमें फोर्थ प्लान में जहां अर्बन वाटर सप्लाई के लिए 11 करोड़ हैं वहां रूरल वाटर सप्लाई के लिए 27 करोड़ 35 लाख रुपये रखे हैं और इस साल अर्बन वाटर सप्लाई पर 2 करोड़ 17 लाख रुपये रखे हैं वहां रूरल वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 10 करोड़ रखे हैं। तो जो यह डिफरेन्स है वह अगली साल और भी बढ़ेगा। तो हमारी मन्शा यह नहीं है कि सिर्फ शहरों को ही पानी दें और देहातों को नहीं। जो चार्ज लगाते हैं कि शहरों को ही पानी देते हैं और देहातों को नहीं देते हैं तो मेरा कहना है कि हम देहात में पानी दे रहे हैं लेकिन किसी शहर की ऐसी स्थिति हो सकती है जैसे बाड़मेर है, जोधपुर है– इनकी स्थिति ऐसी है कि उनका विशेष रूप से ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि इनके बारे में राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखने की कृपा करेंगे तो बहुत बड़ी कृपा होगी।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इसके साथ ही नाडोती की रीजनल स्कीम के बारे में कहा गया। मैं उसके बारे में इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि यह 20 लाख 60 हजार की स्कीम मन्जूर की गयी

(श्री चन्दनमल बेद)

थी और उस समय यह अन्दाजा था और जो जगह हमें बताई गई है ज्योलाजीकल सर्वे आफ इन्डिया के द्वारा कि वहां पानी मिल जायेगा और दो जगह खोजने की कोशिश की लेकिन पानी नहीं मिला। एक जगह और बतायी गयी। राजस्थान अण्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड के द्वारा। उन्होंने कहा कि वह देखें कि पानी है या नहीं और अगर वहां पानी नहीं मिलेगा तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि स्कीम नहीं जोड़ेंगे और महावीर के पास गम्भीरी नदी के पास नाडोती की रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम पूरी करेंगे चाहे जो 20 लाख 60 हजार की स्कीम है इससे भी कुछ ज्यादा बढ़ जाये तो भी हम पूरा करेंगे।

अजमेर के बारे में काफी कहा गया है। अजमेर के बारे में भी मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज अजमेर की 1971 की जनगणना के अनुसार 2 लाख 62 हजार की आबादी है और वहां पर जो पानी दे रहे हैं वह करीब 21 लाख गैलन है और उनकी अजमेर की अपनी सप्लाई है, क्योंकि इसका प्रबन्ध वहां की म्युनिसिपैलिटी के हाथ में है उससे भी करीब करीब मेरा अन्दाजा है कि 18–19 लाख गैलन पानी ले रहे हैं। तो कुल मिला कर अजमेर के लिए 40 लाख गैलन पानी होता है। रेल्वे को अलग से पानी दिया जाता है....

श्री किशन मोटवानी : एम. टी. सी. और रेल्वे को भी इसी में दे रहे हैं।

श्री चन्दनमल बेद : रेल्वे को पानी दे रहे है वह अलग से दे रहे हैं। वह इसमें शामिल नहीं है। 21 लाख गैलन दे रहे हैं और वह खुद वाटर सप्लाई से अन्दाज है 19–20 लाख गैलन पानी ले रहे हैं। तो उधर 2 लाख 62 हजार की जाबादी के लिए हम 40 लाख गैलन पानी दे रहे हैं।

मैं मानता हूं कि आज वर्ल्ड का जो स्टैंडर्ड है उसके लिहाज से यह कम है लेकिन राजस्थान का जो स्टैंडर्ड है उस लिहाज से यह कम नहीं है।

इसके बाद मैं जयपुर के पानी की जो जलप्रदाय योजना है उसके बारे में थोड़ा जिक्र करना चाहता हूं। बार बार इस बात की कोशिश की जा रही है कि हम जैसे जयपुर की उपेक्षा कर रहे हैं। बार बार इस बात पर जोर दिया जाता है कि हम जब जयपुर के लिए बनास योजना बनी थी उसका काम शुरू क्यों नहीं करते। मैं इसके बारे में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अर्ज करना चाहूंगा कि बनास नदी पर बांध बांध कर वहां से पानी लाने की योजना बनाई गई थी और उसमें यह तय किया गया था कि सिंचाई विभाग और पब्लिक हैल्थ इन्जीनियरिंग डिपार्टमेंट दोनों मिल कर इस योजना को काम में लेंगे। इसमें से चार हजार एम. सी. एफ. पानी तो पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग वाले लेंगे और बाकी पानी सिंचाई के काम में लिया जाएगा। बाद में जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार वहां जो पानी बांध बांधने से प्राप्त होगा। वह केवल 8 हजार एम. सी. एफ. ही इकट्ठा होगा। तो इर्रीगेशन

(श्री चन्दनमल बैद)
डिपार्टमेंट का यह कहना है कि आठ हजार एम.सी.एफ. में से चार हजार तो जयपुर के लिए चला जाता है तो बाकी चार हजार एम.सी.एफ. मे सिंचाई का काम नहीं चल सकता। इस वजह से वे बैंक आउट हो रहे हैं और वे नहीं चाहते हैं इस स्कीम में हिस्सेदार बनाना। इस योजना के अन्दर 24 करोड़ में से 21 करोड़ रुपया बनास की योजना पर खर्च होगा जो बांध बनाने रिजर्व-वायर तैयार करने में और दूसरे कामों में खर्च होगा और बाकी तीन करोड़ यहां पर रिजर्व वायर बनाने में खर्च होगा। इस तरह से यह कोई 21 करोड़ की योजना है। उपाध्यक्ष महोदय, जब यह 21 करोड़ की योजना है तो इसके लिए यह सोचना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या 21 करोड़ रुपया इसी काम के लिए खर्च किया जाय या कोई दूसरा सोर्स तलाश किया जाय जिससे जयपुर को पानी की सप्लाई हो सकें। जयपुर को पानी मिलता रहें। आप जयपुर के पानी की चिन्ता करें इसको मैं मान सकता हूं और मैं भी माननीय सदस्य का समर्थन कर सकता हूं, मेरा भी इसमें सहयोग होगा लेकिन अगर कोई यह कहे कि हमारे तो अगर बनास की योजना से हो पानी मिले तो ही पानी की समस्या का समाधान हुआ, नहीं तो नहीं तो मैं इसमें उनका साथ नहीं दे सकता।

इसी सम्बन्ध में मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरे भी बातें इसके साथ हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अरबन वाटर सप्लाई के लिए 11 करोड़ का प्रोविजन था, अब 11 करोड़ को फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में 20 करोड़ भी कर देते हैं तो क्या माननीय सदस्य जो इस सदन में बैठे हुए हैं, हमारे यहां राजस्थान में 145 म्युनिसिपल टाउन्स हैं, उन 145 म्युनिसिपल टाउन्स के लिए जो 20 करोड़ का प्रोविजन मान लिया जाय, यह मेरा अन्दाज है, मैं अपना कयास अर्ज करता हूं कि 145 के लिए 20 करोड़ का प्रोविजन पांचवीं योजना में होता है तो क्या सारे माननीय सदस्य यह चाहेंगे कि 145 टाउन्स को छोड़ कर केवल एक टाउन पर ही 21 करोड़ रुपया खर्च कर दिया जावे। 20 करोड़ में से 21 करोड़ खर्च करने का तो प्रश्न नहीं है लेकिन अगर 20 करोड़ भी मान लिया जावे तो भी क्या माननीय सदस्य यह चाहेंगे कि एक टाउन पर ही 20 करोड़ रुपये खर्च कर दिए जावें और बाकी 144 कस्बों से आंख मींच ली जावे। मैं समझता हूं कि ऐसा कोई नहीं चाहेगा। मैं इस बात के साथ हूं कि जयपुर हमारी राजस्थान की राजधानी है तो जयपुर में पानी की व्यवस्था ठीक तरह से चालू रहे, यहां की पानी की व्यवस्था ठीक हो उचित तरीके से रहे कोई पानी की दिक्कत और कमी न हो लेकिन कोई यह चाहे कि जयपुर के पानी देने के लिए बनास से ही पानी लाया जावे और किसी और व्यवस्था से नहीं तो मैं समझूंगा कि यह एक प्रकार से माननीय सदस्य की जिद्द होगी और अगर वे यह चाहते हैं कि माननीय सदस्य की जिद्द में मैं भी शामिल होऊं तो ऐसा करने में मैं असमर्थ हूं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (बांदी कुई): ओन ए पोइन्ट आफ इन्फार्मेशन, सर।

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

मैं यह जानकारी चाहूंगा कि जो यह बनास की योजना जयपुर जल प्रदाय के लिए बनाई गई तो क्या यह जयपुर को जलप्रदाय योजना ही थी या इर्रीगेशन प्रोजेक्ट भी था।

श्री चन्दनमल बैद : मैं इसके बारे में कह चुका हूं कि पहले इर्रीगेशन डिपार्टमेंट इसमें शामिल था और यह सोचा गया था कि इससे ज्यादा पानी मिल सकेगा लेकिन अब सारे जो लेटेस्ट फीगर मालूम पड़ रहे हैं उनसे केवल 8 हजार एम. सी. एफ. पानी ही मिलने की सम्भावना है। इस आठ हजार एम. सी. एफ. पानी में से चार हजार एम. सी. एफ. पानी तो हमारा डिपार्टमेंट ले लेगा, बाकी चार हजार एम. सी. एफ के लिए इर्रीगेशन डिपार्टमेंट भागीदार नहीं बनना चाहता। जब इर्रीगेशन डिपार्टमेंट नहीं चाहता तो हमारे सामने री–थिंकिग करने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमने इससे कोई बेक आउट नहीं किया है। सरकार सोच रही है कि दूसरा कोई सोर्स जयपुर शहर में नहीं तो दस पन्द्रह माइल के अन्दर, ट्यूबवेल के जरिये या दूसरे सोर्स से मिल जाय तो मैं समझता हूं कि यह ज्यादा ठीक होगा बनिस्बत इसके लिये बनास योजना को पूरा करने के लिये 21 करोड़ रुपया खर्च किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज इस बात की चर्चा बार बार की जाती है और इस प्रकार की हवा बनाने की कोशिश की जा रही है कि मानो हम जयपुर की उपेक्षा कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जयपुर की छः लाख की आबादी है...

एक माननीय सदस्य : छः लाख छः हजार की।

श्री चन्दन मल बैद : जी हां, छः लाख छः हजार की जो आबादी है उसे हम 170 लाख गैलन पानी दे रहे हैं। इसका एवरेज 25 गैलन पानी प्रति व्यक्ति से ज्यादा आता है और इतना पानी हम राजस्थान में किसी शहर को और किसी भी गांव को नहीं दे रहे हैं। चाहे उसमें मिलिट्री भी हो उसको भी इतना पानी नहीं दे रहे हैं।

तो उपाध्यक्ष महोदय, आज इस बात की बार–बार हवा बनाने की कोशिश की जाती है और यह कहा जाता है कि जैसे हम तो जयपुर की उपेक्षा ही कर रहे हैं, जयपुर को जैसे प्यासा मारना चाहते हैं और जयपुर को पानी नहीं देना चाहते हैं। मैं अर्ज करूंगा कि मेहरबानी करके इस प्रकार की कुचेष्टा न करें। बाकी नहीं तो यहां बैठने वाले माननीय सदस्य यह भावना बनाते जायेंगे कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य तो जयपुर का ही काम कराना चाहते हैं उन्हें बाकी राजस्थान की कोई फिकर ही नहीं है। आज वे इस बात को नहीं भूलें कि आज गांवों में पानी की क्या स्थिति है और किस कदर गांवों में पानी की समस्या है। लोगों को दस दस माइल से पानी लाना पड़ता है। वह एक ऊंट पर चौगटा लगा कर चार चार घड़े पानी लाते हैं और कहा जाता है कि दो घड़े तो रास्ते में ही पी जाते हैं। सुबह अपने

(श्री चन्दनमल वैद)

घर से पानी लाने के लिये घर के अच्छे आदमी निकलते हैं और सुबह को निकल कर शाम को पानी लेकर घर वापिस आते हैं। मैं ऐसे इलाके से ही चुना हुआ हूं वे ऐसा नहीं समझें कि मैं शहरी क्षेत्र से चुना हुआ हूं और मुझे गांव की पानी की समस्या का ज्ञान नहीं है। मैं भी गांव और देहाती क्षेत्र का रहने वाला हूं मैं उस क्षेत्र में हूं जहां डेढ़ सौ में से सौ गांव खारे पानी के हैं। मैं वहां की व्यवस्था को अच्छी तरह से जानता हूं, समझता हूं कि पानी की समस्या क्या है। जयपुर में बैठ कर पानी की समस्या को नहीं समझा जा सकता। अगर राजस्थान की पानी की समस्या को समझना हो तो मई और जून के महीने में खारे पानी के एरिया में जावें तो यह पानी की समस्या समझ में आ सकती है कि पानी की कीमत क्या है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी मंशा यह है कि शहर को ज्यादा से ज्यादा पानी दिया जावे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो लेकिन साथ ही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो गांवों में पानी की विकट समस्या है उसको भी हल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसी मुद्दे को ध्यान में रख कर दस करोड़ का प्रावधान देहाती जल योजनाओं के लिए किया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि केवल देहाती क्षेत्र की ही बात नहीं है, बेकवर्ड क्लासेज, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी हमने यह प्रावधान किया है कि जयपुर शहर ही नहीं बल्कि चाहे देहात हो कस्बा हो चाहे शहर हो, अविलम्ब शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और बेकवर्ड क्लासेज के मोहल्लों में, उनकी बस्तियों में पानी की व्यवस्था की जावेगी। मैं यह कहना भूल गया था कि आज पी.एच. ई. के माध्यम से जो पंचायत समितियों से पैसा लेते थे उनके लिये मैं कहना चाहता हूं कि पी.एच.ई. के माध्यम से जो भी पानी उनको दिया जायगा उसका किसी तरह का चार्ज नहीं दिया जाएगा। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज यह जन स्वास्थ्य का महकमा सेवा का महकमा है, सेवा का विभाग है और इस विभाग पर माननीय सदस्यों की जो उदारता रही है मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत आभारी हूं और मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्यों की यह उदारता हमेशा बनी रहेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं अपना कर्तव्यपालन नहीं करूंगा अगर मैं जो जन स्वास्थ्य विभाग के हमारे मुख्य अभियंता दूसरे अभियन्ता, इन्जीनियर्स लोग और कर्मचारीगण और मजदूर वर्ग को इस कार्य के लिए धन्यवाद नहीं दूं कि उन्होंने इस डिपार्टमेंट में काफी मेहनत और सेवा से कार्य किया है और उसी का परिणाम है कि आज यह विकट समस्या जो हमारे राजस्थान की है उसको हम हल करने की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं और यही कारण है कि आज माननीय सदस्यों का आम तौर पर इस विभाग की तरफ एक उदारता का रवैया है और मैं आशा करता हूं कि हमारे विभाग के कर्मचारी, इंजीनियर मजदूर हैं इसी तरह से मेहनत में और सेवाभाव के साथ काम करते रहेंगे जिससे हमारे सामने जो राजस्थान की पानी की विकट

(श्री चन्दनमल बैद)

समस्या है वह जल्दी से जल्दी हल हो सकेगी ।

इन्हीं शब्दों के साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना करूंगा और आपके माध्यम से सदन से प्रार्थना करूंगा कि जो मैंने मांग पेश की है उसको स्वीकार करेंगे । जय हिन्द ।

श्री उपाध्यक्ष : चिकित्सा मंत्रीजी ।

श्री हरिदेव जोशी (चिकित्सा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूं कि उन्होंने अपने बहुमूल्य सुझावों से चिकित्सा विभाग में सुधार और संवर्धन के लिए अपनी राय दी हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, सारी चर्चाओं को अगर देखा जाय तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनमें माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्र के अन्दर चिकित्सा सुविधा ज्यादा बढ़ाने की बात कही हैं, कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनमें जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें सुधार करने की बात कही गई है और कुछ चीजें इस विभाग को ठीक करने के बारे में कही गई हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ सदस्यों ने यह भी कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर कुछ ज्यादा काम नहीं होता और शहरी क्षेत्रों के अन्दर ज्यादा चिकित्सा व्यवस्था दी गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को यह विदित है कि चिकित्सा व्यवस्था की परिपाटी आज कल किस प्रकार की है । चिकित्सा सुविधायें आज जो जयपुर शहर में हैं, वह छोटे से छोटे गांव में उस प्रकार की नहीं पहुंचाई जा सकती है । वह एक्सपेंसिव होगी, बहुत ज्यादा श्रम साध्य होगी । इसलिये एक प्रकार से छोटी डिस्पेन्सरियों से बड़ी डिस्पेन्सरियों में लोग बाग जाकर असाध्य रोग के रोगियों को, कष्ट साध्य रोगियों को लाते हैं और उनको चिकित्सा होती है । पांच बड़े कालेज होस्टल को छोड़ दें तो इन वर्षों के अन्दर डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है और राजस्थान के अन्दर पहले के मुकाबले में आज काफी सुधार इस दिशा में हुआ है ।

उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1951 में राजस्थान में केवल चार फर्स्ट ग्रेड अस्पताल थे, उसके मुकाबले में आज 8 हैं । सन् 1951 में सैकेण्ड ग्रेड 6 अस्पताल थे और आज वे 13 हैं और दूसरे अस्पताल 222 थे, उनके मुकाबले में आज 321 हैं । डिस्पेन्सरीज 156 थीं, उसके मुकाबले में 296 हैं । पहले पी. एच. सी. कोई नहीं थी आज 232 हैं । मेटरनिटि और चाइल्ड वेल्फेयर सेन्टर 28 थे उसके मुकाबले 85 हैं, क्षय रोग के इलाज की सुविधा वाले संस्थान 10 थे, उसके मुकाबले आज 47 हैं कहने का तात्पर्य यह है कि इन वर्षों के अन्दर चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, उनमें चिकित्सा व्यवस्था सुधारी गई है और उसको बढ़ाई गई है । ठीक इसी प्रकार से इन पेशेन्ट बैड्स राजस्थान में 1951 में 5720 थे. उसके मुकाबले में 14165 हैं लगभग पांच गुना बेड्स की संख्या बढ़ाई गई है । डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों को स्ट्रेन्थन किया गया है । इसलिये मैं

(श्री हरिदेव जोशी)

यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान में अपनी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर और शहरों के अन्दर इस स्थिति को सुधारने की कोशिश की है। अलबत्ता जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती जाती है, जैसे जैसे जाग्रति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे अस्पतालों में रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले केवल साधन था जादू टोने का और बीमार इसी से अपनी बीमारी को दूर करने का साधन मानता था, वह इनको छोड़कर डाक्टरों के पास आ रहा है, डिस्पेन्सरीज में जाता है और इस तरह से पापुलेशन बढ़ रही है और इस प्रकार से पेशेन्ट की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। जाग्रति बढ़ती है तो जनता की मांग भी बढ़ती जाती है। हम कह सकते हैं कि जो लोगों की मांग है, उस मांग को सरकार पूरा नहीं कर सकी है, परन्तु जो वित्तीय साधन हैं, उन साधनों के अन्दर राज्य सरकार ने नम्रतापूर्वक प्रयत्न करने की कोशिश की है। उपाध्यक्ष महोदय, फिर भी स्थितियां यह हैं कि लगभग 1951 के अन्दर 2808 पेशेन्ट के ऊपर एक बेड था और आज 1806 के ऊपर एक बेड है। अर्थात् बेड्स की संख्या बढ़ा कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा देने की कोशिश की है। प्रति हजार बेड्स पापुलेशन का रेशो पर थाऊजेन्ड जहां पर 2808 था वह 1806 पर एक है। पापुलेशन पर थाऊजेन्ड बेड्स पहले जहां 0.36 थी वहां पर 00.55 है और नेशनल एवेरज 00.49 है। अर्थात् राजस्थान नेशनल एवरेज की अपेक्षा बेहतर स्थिति में है। हमारी मंशा है कि इस स्थिति को सुधारा जाय और जितना भी हो सके उसको और आगे स्ट्रेन्थन किया जाय। इस दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्र में डिस्पेन्सरीज में, प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में दवाई ज्यादा मिले उसको ध्यान में रखते हुए उस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में एड हाक ग्रान्ट 20 लाख की रखी गई है। वह म्युनिसिपल टाऊन में नहीं जायेगी बल्कि उन स्थानों के अन्दर, ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर दी जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट एलोकेशन दवाइयों के लिये है उसमें डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स के ऊपर 33 लाख 3 हजार का खर्च होता है और रूरल एरियाज में 44 लाख 33 हजार प्लस 20 लाख और याने 64 लाख 30 हजार के करीब खर्च आता है। उसके मायने यह है कि दूसरे जो म्युनिसिपल एरियाज हैं उनके ऊपर लगभग 34 लाख और रूरल एरिया के लिए 64 लाख का प्राविजन किया गया है। यह भी इसलिये बता रहा हूं कि माननीय सदस्यों को उस बात का अहसास होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा नहीं की जाती है। डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स के ऊपर म्युनिसिपल टाउन के अन्दर अस्पताल है वहां पर रूरल एरियाज के लोग नहीं आते हों ऐसी बात नहीं है। वे भी उनसे लाभ उठाते हैं और उनके भी बेनीफिट होता है। उपाध्यक्ष महोदय में इस पृष्ठ भूमि में माननीय सदस्यों के जो कट मोशन्स है उनके ऊपर प्रत्येक के विवेचन में नहीं जाना चाहता हूं यह सम्भव भी नहीं है और जैसा कि अभी कहा गया था मैं इन्डीविजुअल मेम्बर्स ने जो कट मोशन दिये हैं उनमें जो जरूरी हैं

(श्री हरिदेव जोशी)
उनका ही उल्लेख करूंगा बाकी का लिखित उत्तर भेज दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय जयपुर शहर से आने वाले सदस्य ने सवाईमानसिंह अस्पताल की अव्यवस्था के बारे में और उसकी दूसरी अव्यवस्था के बारे में यहां पर कहा है। यह सही है कि जो मरीज वहां पर जाते हैं उन मरीजों को पूरी तरह से नहीं देखा जाता है मैं भी मानता हूं कि ऐसी प्रतिष्ठा सवाईमानसिंह अस्पताल की नहीं है कि उसमें आम तौर पर लोगों को सन्तोष होवे यह इसलिये सम्भव नहीं है कि जयपुर शहर के अन्दर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नहीं है और सारे ही मरीज उस अस्पताल को जाते हैं। इससे डाक्टर्स के ऊपर स्टाफ के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। हमारा प्रयत्न है कि जैसे ही एक नया जनाना अस्पताल शहर के अन्दर बनाया जाये पुराना जनाना अस्पताल को डिस्ट्रिक्ट के अन्दर कनवर्ट कर दिया जाय जो दूसरी सुविधाएं एस. एम. एस. में है वही डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सुविधा लोगों को मिले। माननीय सदस्यों ने जनाना अस्पताल के बारे में कहा। जनाना अस्पताल के लिये डोनेशन जे.के. ने देने का वायदा जरूर किया है। हमारी कोशिश है कि वे अपने वायदे को निभावे। ऐसा कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगभग 25 लाख रुपये का खर्चा होगा जबकि उन्होंने 15 लाख का वायदा किया है। इसकी बाकी की राशि कैसे पूरी हो, इसके लिए भी प्रयत्न जारी है। माननीय सदस्यों ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और दूसरे अस्पतालों की विजिट व्यवस्था के बारे में बातें कही थी। मैं इस महीने के अन्दर इनके विजिट की व्यवस्था कर दूंगा और कोई माननीय सदस्य मेन्टल अस्पताल के विजीटर होना चाहेंगे तो मैं उनको उसके लिये नोमीनेट कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ मशीनों के काम में नहीं आने के बारे में यहां पर कहा गया है। यह कहा गया है कि वे पड़ी रहीं। मैं यहां पर उनकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं। यह मैं जरूर देखूंगा कि किस प्रकार से इन मशीनों का सदुपयोग किया जा सकेगा।

कुछ बातें डाक्टर्स के और दूसरे स्टाफ के वर्ताव के बारे में कही गई है। मैं नहीं कह सकता कि डाक्टर्स का इस प्रकार का वर्ताव केवल इसलिए है कि उनके ऊपर काम का प्रेशर ज्यादा है अथवा उनको अपने व्यवहार में सुधार करना चाहिये। मेरी ओर से यह प्रयत्न रहेगा कि मैं डाक्टरों को इम्प्रेस करूंगा कि वे अपने वर्ताव में सुधार करें। मेडिकल प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है और यह सही है, और यह कहावत है कि आधी बीमारी वैद्य या डाक्टर को देख कर ही दूर हो जाती है, वह अपनी बीमारी को भूल जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेडिकल प्रोफेशन के अन्दर रहने वाले व्यक्ति को अपना टेम्परामेन्ट ठीक रखना चाहिए, उसे सिम्पेथेटिक होना चाहिए।

किन्तु जब अस्पतालों के अन्दर कोई शिकायत आती है अथवा डाक्टर्स के कन्डक्ट के बारे में कोई शिकायत आती है तो यह नहीं समझना चाहिए कि किसी डाक्टर के साथ रियायत बरती जायगी। अभी सवाई

(श्री हरिदेव जोशी)

मानसिंह अस्पताल के अन्दर एक डाक्टर के बाबत में शिकायत आई है कि उन्होंने मरीज को अटेन्ड नहीं किया और उस मरीज की डेथ हो गई। उसके खिलाफ इन्क्वायरी कराई गई और उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जायगी। ठीक इसी प्रकार से एक माननीय सदस्य ने कुछ झूठे सर्टीफिकेट वगैरह देने की बात कही, और यह बतलाया कि वह झूठे सर्टीफिकेट देकर बेजा फायदा उठाते है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी में लगभग 12-13 डाक्टर्स ऐसे थे राजस्थान भर में, कुछ एकाध बांसवाड़े का है, 2-3 जोधपुर के हैं, एक सामोद का है, दो कोटा के हैं और दो चार दूसरी जगहों के थे। उन सबके खिलाफ कार्यवाही की गई है, और जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता था वह डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की कोशिश की गई है, और मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी ओर से किसी को स्पेयर नहीं करना चाहते हैं...

एक माननीय सदस्य : कितनों को डिसमिस किया गया है ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं समझता हूँ कि अगर डिसमिसल की सजा दी जा सकती है तो डिसमिस किया जायगा। उनको सस्पेण्ड करके उनके खिलाफ एन्क्वायरी की जायगी। जो कुछ भी सजा दी जा सकती है वह देने की कोशिश की जायेगी।

एक माननीय सदस्य ने गंगानगर के अन्दर कई वर्षों से रह रहे डाक्टरों के बाबत में बात कही। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक परेशानी है। डाक्टर्स एक ऐसे पेशे के लोग हैं कि जिससे बहुत ज्यादा लोग उनके सम्पर्क में रहते हैं, और जब तक मेरे पास यह डिपार्टमेंट नहीं आया था तब तक मैंने इसके इम्प्लीकेशन्स समझे नहीं थे, और मैं धीरे धीरे इन सारी चीजों को देखता था मगर जब से मेरे पास में यह डिपार्टमेंट आया है मेरे पास में विजिटर्स सबसे बड़ी तादाद में डाक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के लिए हुआ करते हैं, और एक लम्बी लिस्ट सी होती है कि किस आदमी को कहां रखा जाना चाहिए और किस आदमी को कहां नहीं रखा जाना चाहिए। परेशानी तब होती है जबकि चार आदमी तो एक को यहां रखने की बात कहते हैं और 6 आदमी उसका विरोध करते हैं। हमें खुशी होगी अगर एक राय से कोई बात उठाई जाय तो उसके अनुसार कुछ किया जा सकता है। अभी एक माननीय सदस्य बोलते हुए बड़े नाराज हो रहे थे और लानत मलामत कर रहे थे। उन्हें शिकायत थी कि डाक्टर चौधरी ने उनके इलेक्शन के अन्दर विरोध किया था। वे मुझसे मिले भी थे, मगर दिक्कत वहां होती है जब कि कुछ लोग किन्हीं को पसन्द करते हैं और कुछ लोग किन्हीं को पसन्द नहीं करते हैं। मैं फिर भी यह कोशिश करूंगा कि गंगानगर के अन्दर बरसों से जो लोग जमे बैठे हैं उनको हटाया जाय, मगर यह केवल गंगानगर पर ही लागू होगा यह बात नहीं है दूसरी जगहों पर भी लागू होना चाहिए। उसमें किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : लागू होना चाहिए उसी तरह से।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कोई शिकायत नहीं होगी अगर एक रूल रखें तो।

श्री हरिदेव जोशी : मैं तो एक रूल रखने की कोशिश करूंगा, मगर मुझे उस पर जमे रहने दें यही मेरा निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर प्राइमरी हैल्थ सैन्टर 232 ब्लाक्स के अन्दर हैं, किन्तु उन सब की बिल्डिंग अपनी नहीं थी। इस वर्ष के बाद में राजस्थान के अन्दर कोई प्राइमरी हैल्थ सैन्टर ऐसा नहीं रहेगा जिसकी सरकारी बिल्डिंग नहीं होगी, और आशा करता हूं कि इस साल सभी प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्स सरकारी बिल्डिंग्स में हो जायेंगे।

मुझे कुछ प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्स के अन्दर एप्रूव्ड सैन्क्शन के अनुसार उनके अन्दर बैड्स नहीं होने की शिकायत भी सुनने को मिली है और मैंने देखा भी है। मैं यह प्रयत्न करूंगा कि हर प्राईमरी हैल्थ सैंटर के अन्दर जो 6 बैड्स रहने चाहिए इस वर्ष के अन्दर वह 6 बैड्स सभी जगहों में हो जायेंगे।

माननीय सदस्यों ने, उपाध्यक्ष महोदय, फैमिली प्लानिंग के बारे में, फैमिली प्लानिंग के कामों के बारे में, फैमिली प्लानिंग के उद्देश्य के बारे में उसके गठन उसके एचीवमेंट्स के बारे में, आफ्टर केयर के बारे में भी काफी बातें कही हैं। माननीय सदस्यों से सहमत नहीं हूं जो फेमिली प्लानिंग को अनुपयोगी मानते हैं। मैं काफी हद तक उनसे इस बात में सहमत हूं कि जो टार्गेट्स हम एचीव करने चाहिए थे वे टार्गेट्स एचीव नहीं हुए हैं। उसके लिए राजस्थान के लोगों की अशिक्षा भी जिम्मेदार है, और मेडिकल स्टाफ भी जिम्मेदार हो सकता है। जहां तक प्रयत्न करने का सवाल है और अधिक प्रयत्न किये जायेंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अगर एक जगह एक केस भी खराब हो जाता हैं तो उसके कारण से वातावरण खराब हो जाता है। एक माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया था कि आपरेशन के बाद में अगर कोई केस खराब हो जाता है तो उसका पूरा इलाज राज्य सरकार को कराना चाहिए मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं और यह आदेश प्रसारित कर दिये जायेंगे कि आफ्टर केयर के बाद में भी यदि कोई खराबी पैदा हुई हो तो राजस्थान सरकार को केयर करना चाहिए और उसको दुरुस्त करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, फैमिली प्लानिंग के बावत यह कहा गया कि यह काम इम्प्रोवाईज्ड डाक्टर्स को दिया जाता है इसलिए बाज मर्तबा काम्प्लीकेशन पैदा होते हैं। हम एक स्कीम के ऊपर विचार कर रहे हैं कि मेडिकल साइड में और फैमिली प्लानिंग साइड में जो अलग अलग विंग आज काम कर रही हैं उनको एक में ला दिया जाय, ताकि डिस्ट्रिक्स के अन्दर जो सीनियर सर्जन्स हैं और अच्छे डाक्टर्स हैं उनको सर्विसेस भी एवेलेबल हो सकें और उनको भी एसोशियेट किया जा सके उन्हें भी एन्ट्रस्ट किया जा सके, और वे लोग भी फैमिली प्लानिंग के अन्दर रुचि

(श्री हरदेव जोशी)

लेकर अधिक उसको ठीक करें। राज्य सरकार जल्दी से जल्दी इसके इम्प्लीकेशन को देखकर आदेश प्रसारित कर देगी।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने किसी इन्डिविजुअल डाक्टर के बारे में और कुछ दूसरे लोगों के बारे में कुछ बातें कही हैं। मैं उन इन्डिविजुअल केसेज के अन्दर नहीं जाना चाहता। एक माननीय सदस्य ने यहां पर किसी एक वीरसिंह नाम के फूड इन्सपेक्टर की बात कही थी। उपाध्यक्ष महोदय, वीरसिंह को कलेक्टर ने रोका था, हमने नहीं रोका था। जिस समय गंगानगर पर पाकिस्तान का हमला हुआ था उस वक्त डिफेन्स सर्विसेज के लिए कलेक्टर ने रोक लगाई थी। तो जिला कलेक्टर ने रोका। हमने उसको नहीं रोका, अगर वह वीरसिंह रिलिव हो चुका है मगर वह अगर ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता है तो सस्पेण्ड कर दिया जायगा। किन्तु मैं एक चीज कहना चाहता हूँ वह यह है कि ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि अमुक प्रकार का आदमी, गवर्नमेंट उसको ट्रान्सफर करे और वह आदमी ड्यूटी ज्वाइन ही न करे। यह एक अजीब सी परिपाटी बनती चली जा रही है कि लोग बाग छुट्टी लेकर बैठ जाते हैं और ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते हैं। इस प्रकार के जो भी डाक्टर्स होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। मैं चाहूँगा कि वे जाकर एक बार अपनी ड्यूटी अवश्य ज्वाइन करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मलेरिया के बाबत में भी कहा गया। मैं स्वयं ऐसे इलाके से आता हूँ, डूंगरपुर और बांसवाड़े के इलाके से जहां पर काफी मलेरिया होता है। यह बात सही है कि एन्टी-मलेरिया आपरेशन्स का काफी अच्छा इम्पेक्ट रहा था, किन्तु पिछले दो साल के अन्दर ऐसा लगने लगा है कि मलेरिया कम्प्लीटली इरेडिकेट नहीं हुआ है। इस ओर जो भी प्रयत्न करना पड़ेंगे वह प्रयत्न किये जायेंगे।

इसी प्रकार से कुछ माननीय सदस्यों ने बेकार डाक्टर्स के बारे में, डाक्टरों के फिक्सेशन के बारे में, सीनियोरिटी के बारे में डिसीजन्स नहीं होने की बात कही थी। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के मीट करने का फैसला हाई कोर्ट से नहीं होने के कारण डी. पी. सी. एस. को मीटिंग्स नहीं हो पा रही थीं। यह केवल मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए नहीं सारे राजस्थान के सभी डिपार्टमेंट्स के लिए था। अब उस दिशा में फैसला हो गया है, हमारी यह कोशिश होगी, हम पी. एस. सी. से फुल कोपरेशन लेकर जल्दी से जल्दी इन डी. पी. सी. की मीटिंग करायें और इस विषय में जो एनोमोलीज चल रही हैं उन एनोमोलीज को दूर किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने डाक्टरों के अपाइन्टमेन्ट्स के बारे में अपने डिपार्टमेंटको सख्त हिदायत दी है कि डाक्टरों का अपाइन्टमेन्ट स्ट्रिक्टली मेरिट के बेसिस पर किया जाना चाहिये। और उसमें ऐसे व्यक्ति को जो नीचे हो, नहीं लिया जाना चाहिये

(श्री हरिदेव जोशी)
हमारा प्रयत्न है कि हम इस काम को सफलतापूर्वक कर सकें।

ठीक उसी प्रकार बेरोजगार डाक्टर की भी बिल्कुल एक बहुत बड़ी विकट समस्या है। अगर मेडिकल प्रोफेशन में आने वाले लोग यह समझें कि उनको सभी को राजकीय सर्विस में ही खपाया जा सकेगा तो शायद यह कभी सम्भव हो नहीं सकेगा। पढ़ने वाले विद्यार्थी चाहते हैं कि मेडिकल कालेज में ज्यादा से ज्यादा संख्या रहे, भर्ती की जाय, जो पढ़कर निकलते हैं वह कहते हैं अधिक से अधिक संख्या सर्विस में उनकी होनी चाहिये। हमारा यह प्रयत्न है कि बीच का एक रास्ता अख्तियार किया जाय। आज लगभग 90 से 100 पोस्ट डाइरेक्टर जनरल, मेडिकल एण्ड हैल्थ, गवर्नमेंट आफ इण्डिया की है। हम यह कोशिश करेंगे कि राजस्थान के लोग बाग, डाक्टर उसके अन्दर जांय और जाकर वहां अपार्चुनिटी प्राप्त करें। मुझे मेडिकल स्टूडेन्ट्स और उनके प्रतिनिधियों ने एक प्रार्थना-पत्र दिया था जिसमें यह मांग की गई थी और ज्यादा पोस्टस बढ़ायी जानी चाहिए। मैं वित्त मंत्री जी से और मुख्य मंत्री से आग्रह करूंगा कि जो बीस तीस ऐड पोस्ट हैं, उन पर फर्स्ट ग्रेड कम्पाउन्डर्स रखे जाते हैं, उनके बजाय एम.बी.बी.एस., एम.एस. को रखना स्वीकार कर लें तो इस प्रकार और तीस पोस्टस् हो सकेंगी। हमारी पहले भी इच्छा थी और अब भी इच्छा है कि मेडिकल ग्रेजुएट्स गांवों में जांय और जाकर प्राइवेट प्रेक्टिस शुरू करें। उन प्राइवेट प्रेक्टिस शुरू करने वालों को दो सौ, ढाई सौ रुपया स्टाइपेण्ड दिया जायगा। पहले ढाई हजार, दो हजार रुपया लोन का स्वीकार किया था, उसके बदले अब उसे बढ़ा कर पांच हजार रुपया एडहोक लोन दिया जायगा। गांवों में जाकर डाक्टर अपनी प्राइवेट प्रेक्टिस शुरू कर सकें, तो मैं ऐसी आशा लेकर चलता हूं कि गांवों में वह मेडीकल फैसीलिटी प्रोवाइड करेंगे और साथ ही बेरोजगारी है, वह भी सरकार के निर्णय के कारण दूर होगी और वह इस अपार्चुनिटी का फायदा उठायेंगे।

एक माननीय सदस्य ने, जो दौसा से आते हैं, अब तो शायद वह यहां पर हैं नहीं, कहा था किसी डाक्टर कट्टा को वहां भेजा जा रहा है। उन्हें वापस नहीं भेजा जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, ई.एस.आई. हास्पीटल जयपुर के बारे में कल पी डब्ल्यू.डी. की ग्रान्ट पर और आज मेडिकल की ग्रान्ट के समय कुछ बातें यहां पर कही गई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ई.एस.आई. हास्पीटल कल तारीख 8-5-72 को शुरू हो गया है और इण्डौर पैसेन्ट रखने का काम 15-5-72 को शुरू हो जायगा मैं आशा करता हूं कि हास्पीटल के कारण श्रमिक वर्ग को बड़ा फायदा होगा और उनको बड़ी सुविधा होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हुई है किन्तु मैं आपके मार्फत माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा यह प्रयत्न है कि चाहे आयुर्वेद का विषय हो, चाहे होमियोपैथी का विषय हो हम उपेक्षा की निगाह से नहीं देखते हैं। हम उसे बढ़ाना चाहते हैं और इस चीज को ध्यान में रखते हुए

(श्री हरिदेव जोशी)

यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद फैकल्टी भी शुरू करने की बात की है और अब पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षण भी शुरू हो गया है। उसमें रिसर्च और जो दूसरी चीजें हैं, गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया से हम सम्पर्क रखे हुए हैं, उनकी सलाह मशविरे से इस दिशा में जो कुछ राज्य सरकार कर सकेगी वह करेंगे। भारत में राजस्थान ही ऐसा पहला प्रान्त है जिसने आयुर्वेद को इतना बढ़ावा दिया है, वरना हिन्दुस्तान के अन्दर आयुर्वेद को इतना बढ़ावा नहीं दिया गया है। आज इसका अपना अलग डाइरेक्टोरेट है, अपना अलग शिक्षणालय है, अपनी अलग स्थिति है। हमारी यह निश्चित रूप से मान्यता है कि एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के मुकाबले में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति सस्ती है, वैसे दोनों का अपना अपना क्षेत्र है और अपनी अपनी खसूसियतें हैं। वैसे यह एक सरल चिकित्सा पद्धति है, सस्ती चिकित्सा पद्धति है। इससे जितना भी लाभ उठाया जा सकता है, वह राजस्थान सरकार उठायेगी और राजस्थान की जनता को जितना लाभ इससे मिल सकता है उतना देने का प्रयत्न करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं माननीय सदस्यों की कुछ जनरल मांगों के ऊपर आना चाहता हूं। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने अलवर के हास्पीटल को बी ग्रेड से ए ग्रेड में अप ग्रेड करने की बात कही थी। आज भी लगभग 120, 150 की सेंक्शन्ड स्ट्रेन्थ से अलवर में ज्यादा है। यह बताता है कि समस्या कितनी विकट है, मगर ठीक उसी प्रकार से राजस्थान के विभिन्न हिस्सों से आने वाले माननीय सदस्यों में से किसी ने अपने यहां डिस्पेंसरी खोलने की बात कही, किसी ने ऐड पोस्ट की बात कही है, किसी ने बेड बढ़ाने की बात कही है, जालौर से आने वाले माननीय सदस्य ने पचास से सौ बेड बढ़ाने की बात कही है, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, राज्य सरकार ने जो पैटर्न स्वीकार किया है, मायने आठ लाख की पोपूलेशन के ऊपर हास्पीटल हैं वहां पर 150, उससे नीचे के डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर 100 बेड, उसमें जालौर आ जाता है। लेकिन जालौर में जो पीपुल पार्टीसिपेशन देना चाहिए वह नहीं दिया है। मैं आशा करता हूं, माननीय सदस्य, जो वहां से आते हैं, अपने प्रभाव का उपयोग करके इसको करेंगे तो जालौर हास्पीटल की जो स्ट्रेन्थ बढ़ाई नहीं गई है अगले वर्ष के अन्दर हम उनकी स्ट्रेन्थ बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे···

श्री बिरदाराम : जनता का सहयोग है, सरकार का सहयोग मिलना चाहिए।

श्री हरिदेव जोशी : हमने स्वीकार कर लिया है, आप स्वीकार कर लीजिये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज मांगों के बीच और रिसोर्सेज के बीच में मेल बैठाने की आवश्यकता है। जो मांगें हैं, जितनी माननीय सदस्यों ने रखी हैं यदि उन सबकी लागत का पैसा लिया जाय तो आज शायद यह स्थिति होगी कि आज जो बजट में प्रावधान है उनसे भी ज्यादा उतना ही बजट प्राविजन और करना होगा, जो हमारे साधनों के अनुकूल नहीं बैठते हैं। इसलिए मैं इस बजट को एक प्रकार से कन्सोलिडेशन के वर्ष का बजट कहता

(श्री हरिदेव जोशी)

हूं। गत वर्ष हमने एक्सपेंशन किया, काफी एक्सपेंशन किया। इस वर्ष को कन्सोलिडेशन का वर्ष कहता हूं। मैं आशा करके चलता हूं, इन प्रयत्नों से, वर्ष भर के प्रयत्नों से माननीय सदस्य पायेंगे, जो शिकायत डिस्पेंसरी, डिस्ट्रिक्ट हास्पीटल, जनरल हास्पीटल में है वह शिकायत नहीं रहेगी। यह हम कर सके तो उसमें मैं बहुत बड़ा अचीवमेंट समझूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29–चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 13,01,80,000) रुपए तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक–30–ए–परिवार नियोजन के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,76,87,000 रुपए तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन स्वास्थ्य के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 15,21,17,000 रुपए तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 94–जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,16,19,000 रुपए तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल बुधवार 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल 7:42 बजे बुधवार, दिनांक 10 मई, 1972 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

—

परिशिष्ट 1

(ता. प्र. सं. 371 की सूची)

चूरू जिले में जल प्रवाय योजनाओं की स्थिति
पूर्ण की गई योजनाएँ

योजना का नाम 1	खर्चा 2	लाभान्वित जन संख्या 3
घिग्गा	1.35	2413
गोमासर	2.34	3765
परि हारा	2.82	4228
दरीबा	1.45	2864
पुलासर	0.82	1065
सीमला	0.91	1106
बुचाबास	1.14	2193
मेरासर चचेरा	0.28	1000
	11.41	18634

योजनाएँ जो प्रगति में है

योजना का नाम 1	अनुमानित लागत 2	खर्चा (रु. लाखों में) 3
कानोटा	0.77	0.54
चांदरोठी क्षेत्रीय योजना	22.55	6.36
गोपालपुरा से डूंगरास क्षेत्रीय योजना	0.93	0.40
सोलासर	3.17	1.50
सांखू	1.36	0.05
	28'78	8.85

इसके अतिरिक्त रूरल वार्क्स प्रोग्राम के तहत निम्न योजनाओं का कार्य इस वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किया जा रहा है।

	लागत रु0 लाखों में
सरदार शहर अमपालसर	26.00
तोलियासर धोलिया क्षेत्रीय योजना	12.00

निम्न क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं का सर्वे किया जा चुका है व योजनाएँ बनाई जा रही हैं।

(1)	मेलूसट	राजास
(2)	मालरसर	भोजासर
(3)	बजरांगसर	जखासर
(4)	जोगालिया	जैसासर
(5)	साहूबा	जल प्रदाय योजना

क्षेत्रीय योजनाएँ जो बनाली गई हैं व राज्य सरकार के विचाराधीन हैं--

(1) विलू बीणरो (2) रिडे-भिगरारिया (3) अबसर-राधोसर (4) मुन्दरा-लिखमनसर (5) भरथरी धोगामाथरो (6) सांडवा जल प्रदाय योजना।

—-—-—

परिशिष्ट-2

(ता. प्र. सं. 379 की सूची)

पाली जिलाधीश द्वारा दी गई सूची

(1) ग्राटए	(2) लालकी
(3) कलाली	(4) सावतकल्ला
(5) सावतकल्ला खुर्द	(6) भूरियासनी
(7) भाडपुरीया	(8) दुदिया
(9) ढाबर	(10) मेंडली
(11) पुग्नायता	(12) रामसिया
(13) कानेलाव	(14) सान्देलाव
(15) बागडिया	(16) हेमावास
(17) भीतड़ा	(18) कानाडा
(19) साली	(20) डिगाई
(21) सिस्वर (कुस्ता)	(22) तोगांवा
(23) चाणोद	(24) बिठूडा
(25) ग्रनोपुरा	(26) लापोद
(27) भाचुन्दा	(28) बाला
(29) मुंडिया	(30) गुरडाई
(31) गिरादड़ा	(32) रूपवास
(33) मूलियावास	(34) दयालपुरा

प्रश्न 3 की सूची

पाली जिले के पिछले चार वर्षों में जवाई से पानी वितरण किये गये गांवों की सूची-

दिसम्बर 1968 से 1969।

1-चानोद	8-धोला
2-लापोद	9-बालरिया
3-सकदरा	10-किस्वा
4-सुन्दरलया	11-गुडा इंदला
5-भावनगर	12-गरवार
6-पनावर	13-साली
7-डिरी	14-गुडा प्रतापसिंह

Page No. 192

15-जेतपुरा
16-सवाईपुरा
17-डेडया
18-गुडा सांगरा
19-कनेलया
20-कुरना
21-देनदा
22-बाला
23-अनूपपुरा
24-पदासला
25-गुंदोज
26-तोगवास
27-हथलया
28-रामपुरा इढाणी
29-हेमावास
30-रामोसिया
31-मंडली
32-पाडला
33-मडया
34-गिरदरा
35-गिरदरा की ढाणी
36-रूपवास
37-मूलियावास
38-सकरलिया
39-जेतपुरा
40-गिरलिया
41-नन्दावास
42-गेलावास
43-सुपरलिया
44-मुताल्का
45-धासुदा
46-डवानी
47-व गद
48-गडवाड़ा
49-दयालपुरा
50-सारी की ढाणी
51-गुरडया
52-पुनयाला
53-बुलदर की ढाणी
54-भाटोन की ढाणी
55-करुना
56-चांदा
57-बगारिया
58-खाण्डा
59-आंडी
60-चोथिला
61-चोथेलाव
62-बिट्ट
63-नोरिया
64-देवानाड़ी पाल
65-आ जी पी की ढ़ाणी
66-डूंगरपुर
67-जोहि लांखा
68-लाम्बीया
69-इन्द्रोका की ढाणी
70-चापू
71-सुपुरलिया
72-भंडारी फर्म
73-नीमलूरा
74-दुदिया
75-धावर
76-मंडली दुर्गयन
77-कला पीपलिया की ढाणी
78-नीमली पुरोहितान
79-भाकने
80-अरतिया
81-मुकनपुरा
82-जिन्तरा
83-भुरयासी
84-कालानी

85–लीगना (रामपुरा)
86–रोहित
87–नीमली पटेलन
88–नीमली ब्राह्मण
89–बींजा
90–लालकी
91–सनघालेटेन खंद
92–ग्राटए
93–सनवालेटेन तरालन
94–पंच पदेना
95–कान्डान्डा

सन् 1970 में

निल

सन् 1971 में

1–डिगाई

2. गिरवायर

सन् 1972 में

1–कानेलाव
2–वाला
3–हेमावास
4–रामसिया
5–मंडली
6–भीतरा
7–हाथीलाई
8–छानत
9–सुन्येलाव
10–गिरवर
11–दुधिया
12–लालकी
13–कान्दड़ा

परिशिष्ट 3

ता. प्र. सं. 381 की सूची

1971–72 में आवंटित की गई राशि को निम्न कार्यों के लिए व्यय किया गया :–

कार्य	व्यय
1. टंकी बनाने में	2,20,000.00
2. नई पाइप लाइन डालने में	10,00,000.00
3. नलकूप बनाने में	4,50,000.00
कुल योग:—	16,70,000.00

परिशिष्ट 4

(समयाभाव के कारण सदन में न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

धोक के वृक्षों की नाजायज कटाई

388. **श्री नत्थासिंह (नदबई)** : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर डिवीजन करौली रेंज के नाका मासलपुर ब्लाक बांसवाड़ी में वर्ष 1969-70 एवं 1970-71 में धोक के वृक्षों की नाजायज कटाई हुई है ? यदि हां, तो ऐसे वृक्षों की संख्या कितनी है ?

(2) क्या नाजायज कटाई करने वालों से मुआवजा वसूल किया गया है ? यदि हां, तो किस रेट से कितना कितना मुआवजा वसूल किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1971-72 डिवीजन भरतपुर में वन श्रमिक सहकारी समितियों को कूप अलॉट हुए हैं और उनके सर्वे व मार्किंग की जिम्मेदारी सरकार की है ? यदि हां, तो क्या सभी वन समितियों को कूप के सर्वे व मार्किंग किये जाकर दखल दिये जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1970-71 में 1069 धोक के वृक्ष नाजायज काटे गये ।

(2) जी हां, मुआवजे सम्बन्धी सूचना संलग्न सारिणी में अंकित है ।

(3) जी हां । 19 कूपों का वन श्रमिक सहकारी समितियों को आवंटन करने हेतु सर्वे व मार्किंग किया गया था । 16 कूपों का समितियों को दखल दिया जा चुका है । एक समिति ने इस वर्ष आवंटित कूप में आगामी वर्ष कार्य करने की इच्छा प्रकट की है तथा दो समितियों ने उनको आवंटित कूपों का दखल बार बार लिखने पर भी नहीं लिया है ।

करौली रेंज के वन खण्ड बांसबाड़ी से धौक के वृक्षों के अवैध कानून तथा मुआवजे सम्बन्धी सूचना सारिणी

वर्ष 1970–71 (कार्य सीजन)

क्र.सं.	प्रथम अपराध सूचना (एफ.आई.आर. से)	नाम अपराधी	अवैध काटे धौक वृक्षों की संख्या	मुआवजा दर	निर्धारित हुआ राशि	वसूल हुआ	आदेश वसूली शेष
(1)	108/20	जमूरा वन श्रमिक सहकारी समिति बयाना	758 पेड धौक कूप के बाहर से 9" गोलाई से अधिक के काटना	10/–	7580/–	––	7580/–
(2)	108/24	,, ,,	56 पेड धौक के कूप में 9" गोलाई से कम के काटना	2/–	112/–	––	112/–
(3)	108/13	बयाना आदर्श वन श्रमिक सहकारी समिति बयाना	255 पेड धौक के काटना कूप के बाहर से	10/–	2550/–	225/–	2025/–
			1063 वृक्ष		10242/–	525/–	9717/–

राजकीय प्राथमिक शालाओं का स्तर

389. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय प्राथमिक शालाओं का स्तर इतना निम्न है कि साधन सम्पन्न लोग अपने बच्चों को इसमें पढ़ाना पसन्द नहीं करते हैं ?

(2) यदि हां, तो राज्य सरकार इनके स्तर को ऊंचा उठाने के सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता फिर भी विभाग शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने के सम्बन्ध में समय समय पर विचार करता रहता है।

टोंक में बीडी का कारखाना

390. **श्री राजेन्द्र सिंह** (उनियारा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि लघु उद्योग निगम द्वारा टोंक में बीड़ी का कारखाना स्थापित किया गया है ? यदि हां, तो कब से और इसमें कितने मजदूर अभी कार्य कर रहे हैं ?

(2) उक्त कारखाने में "तेंदू" का पत्ता निगम द्वारा कौन से जंगल से उपलब्ध किया जा रहा है ? और क्या निगम द्वारा उक्त जंगल का ठेका वन विभाग से लिया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि "तेंदू" का पत्ता स्थानीय एक फर्म से ही लेने का निगम द्वारा तय किया गया है ? यदि हां, तो किन शर्तों पर और कौन सी फर्म से ? कृपया फर्म का नाम दर्शाते हुए शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या निगम इस "बिचोलिया" प्रथा को उचित समझती है जबकि उनके स्वयं के पास जंगल हैं या निगम जंगल ले सकता है ?

(5) आज दिन तक कुल कितनी धनराशि का पत्ता खरीदा गया ? राशि व फर्म का नाम दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा नवीन इकाई, मयूर बीड़ी इण्डस्ट्रीज के नाम से टोंक में बीड़ी फैक्टरी जनवरी, 1972 से स्थापित की गई है। इसमें अभी चालीस व्यक्ति काम करते हैं तथा लगभग इतने ही घर पर काम करने हेतु ले जाते हैं।

(2) उक्त कारखाने हेतु तेंदू का पत्ता निगम द्वारा झालावाड़ जिले में अकलेरा असनावर तथा बकानी की फोरेस्ट रेन्जों से उपलब्ध किया जा रहा है। यह ठेका निगम द्वारा वन विभाग से लिया गया है।

(उद्योग मन्त्री)

(3) सितम्बर, 1971 में बीड़ी फैक्ट्रीज, टोंक के लिए मैसर्स पांचूलाल भंवरलाल, नसीराबाद से तेंदू का पत्ता खरीदा गया है। इस पर 12,000) रु. का व्यय हुआ है।

(4) जनवरी 1972से निगम द्वारा भाग 2 में उल्लेखित जंगलों का ठेका ले लिया गया है अतः अब बिचोलियों से खरीदने का कोई इरादा नहीं है।

(5) बीड़ी फैक्टरी, टोंक के लिए मैसर्स पांचूलाल, नसीरावाद से 'तेंदू' पत्ता खरीदा गया है। इस पर 12,000)रु. का व्यय हुआ है।

चूरू जिले के अकालग्रस्त गांव

391. **श्री रावतराम** (छापर) :–क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) चूरू जिले के कितने गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया गया है तथा यह घोषणा कब की गई थी?

(2) अकालग्रस्त घोषित क्षेत्रों में अकाल राहत कार्य कहां और कब खोले गये हैं? इसके अलावा सस्ता अनाज पहुंचाने की क्या व्यवस्था की गई?

(3) अकाल क्षेत्रों में सरकारी वसूलियां रोकने के लिए कब आदेश दिये गए हैं?

उत्तर

(1) चूरू जिले के 193 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है और इनकी घोषणा दिनांक 22-2-72 को कर दी गई थी।

(2) अभावग्रस्त क्षेत्रों में अभी तक किसी प्रकार के राहत कार्य नहीं खोले गये हैं। सस्ता अनाज पहुंचाने की व्यवस्था के लिए जिलाधीश द्वारा कोई मांग नहीं है।

(3) अभावग्रस्त क्षेत्रों में भू-राजस्व एवं भू राजस्व के रूप में की जाने वाली अन्य वसूलियां दिनांक 1-4-72 के आदेश द्वारा स्थगित की गईं।

नाथद्वारा में पुलिस थाना और सर्किल आफिसर का कार्यालय

392. **श्री मनोहर कोठारी** (नाथद्वारा): –क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) नाथद्वारा में पुलिस थाना और सर्किल ऑफिसर का कार्यालय कहां पर स्थित है? क्या यह स्थान राज्य सरकार की दृष्टि में उचित और पर्याप्त है?

(2) क्या यह सही नहीं है कि थाने और सर्कल आफिस के कार्यालय के निर्माण हेतु कोई भूमि निश्चित करली है? यदि हां, तो कब और कहां?

(3) क्या यह सत्य नहीं है कि जिस भवन में यह कार्यालय चल रहे हैं वह किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिये गये हैं जो भवन को खाली कराने का प्रयत्न कर रहा है?

(4) उक्त कार्यालय का भवन निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा?

उत्तर

(1) नाथद्वारा में पुलिस थाने व सर्किल ग्राफिसर के कार्यालय लाल बाजार में स्थित महाराज श्री गोविन्द लालजी के किराये के भवन में हैं और यह भवन इन दोनों कार्यालय के लिए अपर्याप्त है।

(2) पुलिस थाने के लिये राष्ट्रीय मार्ग नं. 3 पर सीहाड़ सरोवर के पास 3। बीघा जमीन ले ली गई है लेकिन सी. ओ. के कार्यालय के लिये कोई भूमि नहीं ली गई है।

(3) जी हां। यह सही है। लेकिन खरीददारों ने भवन खाली कराने के लिये अभी तक कोई प्रयत्न नहीं किया है।

(4) पुलिस थाने के भवन निर्माण हेतु पी. डब्लू. डी. को लिखा जा चुका है और भवन निर्माण का कार्य शीघ्र ही शुरू होने की आशा है।

परिशिष्ट 5

(ता.प्र.सं. 377 की सूची)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
INDUSTRIES DEPARTMENT

ORDER

No. F. 2 (52) Ind. (A)/66. Dated Jaipur, 3rd Sept., 1966.

Whereas the State Government is of the opinion that for regulating or increasing the supply of sugarcane, it is necessary and expedient to reserve some areas where sugarcane is grown.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause 6 of Sugarcane (Control) Order, 1966 read with Notification of Government of India, Ministry of Food and Agriculture (Department of Food) G. S. R. 1127/Ess/Com/Sugarcane, dated 16-7 66, the State Government hereby reserves the areas specified in column 1 of the Table below (hereinafter called the reserved areas) for the Ganganagar Sugar Mills Ltd., Shriganganagar and the Mewar Sugar Mills Ltd., Bhopal Sagar and further in exercise of the powers under clause (6), (7), (8) and (9) of the Sugarcane (Control) Order, 1966, the State Government hereby directs that in the reserved areas :—

(i) No sugarcane shall be purchased for crushing by a power crusher or by a power run tractor.

(ii) No sugarcane or sugarcane juice shall be purchased for crushing or for manufacture of gur, shakkar, gul, jaggery, rab or khandsari sugar, as the case may be, by a Khandsari unit or by a crusher, not belonging to a grower or body of growers of sugarcane in the areas.

(iii) The sugarcane grower or body of sugarcane growers should supply 75% of their sugarcane produce to the factory, except under in accordance with a permit issued by the State Government in this behalf.

Table	Reserved area	Name of factory for which areas are reserved.
1. (a)	Areas within 20 Miles (Twenty) miles radius of the factory gate.	Ganganagar Sugar Mills Ltd., Shriganganagar.
2. (b)	Area within 10 (ten) Miles. radius of the following centres :—	

1. Prithvirajpur. 2. Sahibasinghwala. 3. Kesrisinghpur. 4. Dalpatsinghpur. 5. Seri Karanpur. 6. Zorawarpur. 7. Gajsinghpura. 8. Raisinghnagar. 9. Jaitsar. 10. Sarupsar. 11. Raghunathgarh. 12. Kalyankot. 13. Sribijaynagar. 14. Pilibanga. 15. Padampur. 16. Koni. 17. Dabli. 18. Sadulpur. 19. Ramsinghpur. 20, Banwali. 21. 19. Gurudwara. 22. Rattewalla. 23. Lathanwali. 24. Binjhawala. 25. Jaloki. 26. 20z 27. Hanumangarh.

2. (a)	Area within 20 (twenty) miles radius of factory gate.	The Mewar Sugar Mills, Bhopalsagar.
(b)	Area within 10 (ten) miles radius of the following centres :—	

UDAIPUR DISTRICT.

1. Udaipur Madri. 2. Udaipur Bedla. 3. Udaipur Rly. Station. 4. Debari. 5. Khemli. 6. Bhinmal. 7. Mavli. 8. Nathdwara. 9. Kankroli. 10. Koario. 11. Lewa Sardagrarh. 12. Vallabhnagar. 13. Kherada. 14. Bhindar. 15. Kanod.

CHITTORGARH DISTRICT.

16. Bansi Bohera. 17. Badi Sadri, 18. Pandoli. 19. Gosunda. 20. Chittor, 21. Shambhupura, 22. Nimbahera, 23. Chanderia. 24. Gangrar.

BHILWARA DISTRICT.

25. Hamirgarh. 26. Mandal. 27. Entire Pratapgrah Sub-Division. 28. Ghatol Tehsil.

This is in supersession to this Department order of No. F.2(95)Ind.(A)64, dated 12th Feb., 1965 published in Part IV of the Rajasthan Gazette, Extraordinary, dated the 24th Feb., 1965.

By Order of the Governor.
Sd./-
Secretary to Government

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
INDUSTRIES DEPARTMENT

ORDER

No. F. 2 (53) Ind (A)/69. Dated Jaipur 30th October, 69.

Where as the State Government is of the opinion that for regulating or increasing the supply of Sugarcane it is necessary and expedient to reserve some areas where sugarcane is grown.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause 6 of Sugarcane (Control) Order, 1966 read with Notification of Government of India, Ministry of Food and Agriculture (Department of Food) G. S. R. 1127/Ess/Com/Sugarcane dated 16-7-66 and order No. G. S. R. 1456/Ess/Cam/Sugarcane, dated 2-8-68, the State Government hereby reserves the areas specified in column I of the Table below (hereinafter called the reserved areas) for Shri Keshoraipatan Sahkari Sugar Mills Ltd., Keshoraipatan (hereinafter called the Factory) and further in exercise of the powers under clause (6) (7) (8) and (9) of the Sugarcane (Control) Order, 1966, the State Government hereby directs that in reserved areas :—

(i) No sugarcane shall be purchased for crushing by a power crusher or by a power run tractor.

(ii) No sugarcane or sugarcane juice shall be purchased for crushing or for manufacture of gur, shakkar, gul, jaggery, rab or khandsari sugar, as the case may be, by a crusher not belonging to a grower or a body of growers of sugarcane or by a khandsari unit in the areas except

under and in accordance with a permit issued by the State Government in this behalf.

(iii) The Sugarcane grower or body of sugarcane growers should supply 75% of their sugarcane produce to the factory.

TABLE.

S. No.	Reserved area.	Name of factory for which areas are reserved.
	I	II
1 (a)	Area within 30 (thirty) miles of radius from the Factory Gate.	Shri Keshoraipatan Sahkari Sugar Mills Ltd. Keshoraipatan.
(b)	Area within 15 (fifteen) miles of radius from the following centes 1. Talera. 2. Namana Road. 3. Ramganj, 4. Sathoor. 5. Ballop. 6. Haripura. 7. Ram Nagar. 8. Arnetha. 9. Kapren. 10. Maiza. 11. Chatarganj. 12. Bhajneri. 13. Dei. 14. Nainwa.	

By Order of the Governor,
Sd/—
D. R. MEHTA,
Dy. Secretary to Government.

Copy forwarded to the

1—Superintendent, Government Central Press, Jaipur for publication in the Extraordinary issue of Rajasthan Rajpatra.

2—Legal Affairs Deptt. (A) 4. Registrar, Cooperative Societies Rajasthan, Jaipur. 5. Director of Industries & Civil Supplies, Rajasthan, Jaipur. 6. Director of Sugar and Vanaspati, Ministry of Food and Agriculture, Community Development & Cooperation, New Delhi. 7—Cooperative Department, Secretariat Jaipur.

3—Shri Keshoraipatan Sahkari Sugar Mills Ltd., Keshoraipatan (Bundi).

परिशिष्ट 6

(अ. ता. प्र. सं. 125 की सूची)

"अ"

राजकीय उपक्रम विभाग के अधीन उद्योग जो सरकार द्वारा संचालित किये जा रहे हैं निम्न हैं :–	सरकार की लगी हुई पून्जी का विवरण (रु. लाखों में)
(1) राजकीय ऊनी मिल्स, बीकानेर	135.48
(2) राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना (87.18)	
1– नमक स्रोत, डीडवाना	5.32
2– सोडियम सल्फेट प्लान्ट, डीडवाना	40.00
3– 40 टन प्रतिदिन क्षमता का नया सोडियम सल्फेट प्लान्ट डीडवाना	40.00
4– सोडियम सल्फाईड प्लान्ट, डीडवाना	1.86
(3) नमक स्रोत, पचपदरा	4.69
(4) कोयला खान, पलाना	14.06

राजकीय उपक्रम विभाग के अधीन राज्य सरकार की अधिक भागांश पूंजी से चलाये जा रहे उद्योग निम्न हैं :–

(1) गंगानगर शुगर मिल्स लि. श्रीगंगानगर	48.5[illegible]
(2) हाईटेक प्रेसीजन ग्लास लि. धौलपुर	7.65
(3) राजस्थान स्टेट टैनरीज लि. टोंक	19.98

'ब'

(रु. लाखों में)

	64–65	65–66	66–67	67–68	68–69	69–70	70–71	71–72
1. राजकीय ऊनी मिल्स, बीकानेर	–	–	–	–	इस संस्थान में अभी तक कोई लाभ घोषित नहीं किया गया है।			
2. राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना								
1–सोडियम सल्फेट प्लान्ट (पाइलेट)	–	–	–	13.00	7.35	5.52	4.10	5.00
2–40 टन प्रतिदिन क्षमता का नया सोडियम सल्फेट प्लान्ट	–	–	–	–	–	–	–	1-10-71 शुरू हुआ है
3–सोडियम सल्फाइड प्लान्ट	–	–	–	–	–	इसको 1-10-70 से व्यापारिक घोषित किया गया है। लाभांश विवरण तैयार किये जा रहे हैं।		
4–नमक स्रोत, डीडवाना	4.91	5.28	5.40	11.18	11.06	6.67	5.85	7.95
3. नमक स्रोत, पचपदरा	–	–	–	0.90	2.88	1.21	1.07	1.00
4. कोयला खान, पलाना	–	–	–	–	–	यह दिनांक 1-5-69 से बंद है।		

राज्य सरकार की अधिक भागांश वाले उद्योग

	64–65	65–66	66–67	67–68	68–69	69–70	70–71	71–72
1. गंगानगर शुगर मिल्स लि., श्रीगंगानगर	5.26	6.55	6.56	5.94	1.62	2.85	1.61	–
2. हाईटैक प्रेसीजन ग्लास लि., धौलपुर	इस संस्थान द्वारा अभी तक कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है।							
3. राजस्थान स्टेट टैनरीज लि., टोंक	स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है।							

Page No. 206

'स'

राजकीय उद्योग	सर्वोच्च अधिकारी					न्यूनतम वेतन भोगी कर्मचारी			
	सर्वोच्च अधिकारी	वेतन	ग्रेड	भत्ता	अन्य सुविधाएं	वेतन	ग्रेड	भत्ता	अन्य सुविधाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. राजकीय ऊनी मिल्स, बीकानेर	महाप्रबन्धक	950।-	900—1800	120।-	150।- मासिक सवारी भत्ता, चिकित्सा व्यय क्षतिपूर्ति एवं शहरी भत्ता नियमानुसार	61।-	60–85	71।- 22।-अन्तरिम राहत	मकान किराया भत्ता, शहरी भत्ता एवं चिकित्सा व्यय क्षतिपूर्ति नियमानुसार
2. राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना	प्रबन्धक	1000।-	1000-1500	120।-	निःशुल्क आवास सुविधा, चिकित्सा व्यय क्षतिपूर्ति नियमानुसार	63।-	60–85	71।- 22।-अंतरिम राहत	"
3. नमक स्रोत पचपदरा	महाप्रबन्धक	860।-	700-1200	120।- 30।- अंतरिम राहत	मकान किराया भत्ता, शहरी भत्ता, चिकित्सा व्यय क्षतिपूर्ति नियमानुसार	60	60–85	71।- 22।-अंतरिम राहत	"

4. कोयला खान पालना	सीनियर ओवरमैन	405/-	180-425	160/- 32/ अंतरिम राहत	,,	71	60–85	71/- 22/-अंतरिम राहत	,,
राजकीय अधिक भागांश वाले उद्योग									
1. गंगानगर शुगर मिल्स लि., श्रीगंगानगर	प्रभारी संचालक	1000/-	–	–	–	90	90-110	भत्ता कम्पनी के नियमानुसार	मकान किराया आदि कम्पनी के नियमानुसार
		(इन्हें वेतन राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। अतः यह राशि राज्य कोष में सीधे जमा कराई जाती है)							
2. हाईटैक प्रेसीजन ग्लास लि., धौलपुर	प्रभारी संचालक	–	–	–	–	–	110-230	भत्ता राज्य सरकार के नियमानुसार	,,
3. राजस्थान स्टेट टैनरीज लि. टोंक	प्रभारी संचालक	–	–	–	–	69	60–85	71/- 22/-अंतरिम राहत	,,

परिशिष्ट 7

(प्र.ता. प्र. सं. 127 की सूची)

List of S. Is/P. S. Is Directly recruited, selected for initial training during the year 1970-71

	S. No. 1.	Name with parentage. 2.	Remarks. 3.
For C. P.	1.	Sh. Hari Pd. s/o Sh. Pooran Singh.	
	2.	Sh. Ram Swaroop s/o Sh. Hanuman Pd.	
	3.	Sh. Mahendra Rai s/o Shivshaktirao.	
	4.	Sh. Om Prakash s/o Sh. Gordhanlal.	
	5.	Sh. Sajjan Singh s/o Sh. Madansingh,	
	6.	Sh. Rameshchandra s/o Sh. Jagdish Narain.	
	7.	Sh. Jagdish Singh s/o Sh. Kishansingh.	
	8.	Sh. Surendra Kumar s/o Sh. Kalyanmal.	
	9.	Sh. Ajai Pal Singh s/o Sh. Kesar Singh.	
	10.	Sh. Sharvan Ram s/o Sh. Hukma Ram.	
	11.	Sh. Maheshchandra s/o Sh. Brijnath.	not Joined.
	12.	Sh. Poonamchand s/o Sh. Manakram.	
	13.	Sh. Maheshchandra s/o Sh. Heeralal	not Joined
	14.	Sh. Manphoolsingh s/o Sh. Sanwatram.	
	15.	Sh. Jaswantsingh s/o Balwant Singh.	
	16.	Sh. Dineshchandra s/o Sh. Manoharlal.	
	17.	Sh. Devi singh s/o Sh. Sugan Singh.	
	18.	Sh. Kansingh s/o Sh. Heerasingh.	
	19.	Sh. C. L. Tanwar s/o Sh. Chandra Ram.	
	20.	Sh. Brijlal s/o Sh. Budh Ram.	
	21.	Sh. Satyanarain s/o Sh. Nathulal.	
	22.	Sh. Brahma Prakash s/o Sh. Sanjhiram.	
	23.	Sh. Daulat Ram s/o Sh. Shivlal	
for I- B.	24.	Sh. Suresh Chandra s/o Sh. Ramraj.	
	25.	Sh. Shiv Kishore s/o Sh. Nawalkishore.	not Joined.
	26.	Sh. Rajendra Singh s/o Sh. Tejdan.	
	27.	Sh. Tara Shanker s/o Sh. Dayashanker.	
	28.	Sh. Goverdhan Behari s/o Sh. Rajendra-Behari	Resigned during training period.

1	2	3
29.	Sh. Vishnudatt s/o Sh. Ramswaroop.	
30.	Sh. Bharatkishore s/o Sh. Bhuraram.	
31.	Sh. Om Prakash s/o Sh. Budd Ram Dev.	
for A. P. 32.	Sh. Bhanwar Singh s/o Sh. Madansingh.	
33,	Sh. Suresh Kumar s/o Sh. Munshilal.	
34.	Sh. Mangilal s/o Sh. Ugra Ram.	
for PSI. 35.	Sh. Kalyan Singh s/o Sh. Devi Singh.	
36.	Sh. Subhashchandra s/o Sh, Ghasi Ram.	
37.	Sh. Ramswaroop s/o Sh. Jai Narayan	not Joined.
38.	Sh. Bhoop Singh s/o Sh. Ram Ratan.	
39.	Sh. Mangimal s/o Sh. Paras Mal.	
40.	Sh. Brijlal s/o Sh. Ram Singh.	
41.	Sh. Kashi Ram s/o Sh. Kali Ram.	
42.	Sh. Bhagwan Das s/o Sh. Ram Kishan.	
43.	Sh. Jayant Kumar s/o Sh. Laxminarain.	
44.	Sh. Ram Nath s/o Sh. Prabhu Ram.	
45.	Sh. Raghubir Singh s/o Sh. Nand Ram.	
46.	Sh. Sheo Ratan s/o Sh. Bulaki Das.	
47.	Sh. Amilal s/o Sh. Laxman Ram.	
48.	Sh. Mahendra Pal s/o Sh. Ram Pal.	
49.	Sh. Kishan Singh s/o Sh. Kalu Ram.	not Joined.
50.	Sh. Bajrang Singh s/o Sh. Karan Singh.	
51.	Sh. Gulam Mustaffa s/o Sh. Mohd. Ibrahim.	

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक 9 मई, 1972)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति	संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4	5
1		6	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष
3		10	राजस्थान अधिक	राजस्थान से अधिक
33		2	रहे हूं	रहे हैं
34	अन्तिम से	8	काय	कार्य
,,	,,	1	आदेसानुसार	आदेशानुसार
36	,,	14	बनाम	बनास
39		5	क्यकि	क्योंकि
40		7	सांचार	सांचोर
42	अन्तिम से	4	इन्डस्ट्रीयल	इन्डस्ट्रियल
44	,,	3	विन	वित्त
,,		7	चैतराम	चेतराम
50		9	वस्तू	वस्तु
53	अन्तिम से	8	वर्कस	वर्क्स
,,	,,	6	इरीगेशन	इरींगेशन
56		12	उत्तर	उत्तर
63		2	ब्यौरा	ब्यौरा
67		3	श्री मोहनलाल छगाणी	श्री मोहनलाल छंगाणी
68		13	स्वीकृति	स्वीकृति
107		16	श्री रामपसाद बोहरा	श्री रामप्रसाद बोहरा
127		7	श्री फारूक हुसन	श्री फारूक हुसैन
129		5	निक्रियता	निष्क्रियता
140	अन्तिम से	11	शीर्ष	शीर्षक
141		9	दिधा	दिया

1	2	3	4	5
150		2	मण्ढा	मण्डा
154	अन्तिम से	"	ब्लाफ	ब्लाक
157	"	12	वेहतर	बेहतर
182	"	4	लिलना	मिलना
184		1	देयदि	देदये
193		7	पमपुर	पदमपुर
203	अन्तिम से	12	नादोनी	नादोती
210	"	2	ईलाज	इलाज
225		1	(श्री मोहम्मद गपफार)	(श्री मोहम्मद गपफार अली)
242	अन्तिम से	9	माने में	बारे में
299		1	श्री रणजीत सिह-	श्री दीपंकर
306	अन्तिम से	3	आएगा	जाएगी
311	"	6	श्री मोहन छंगाणी	श्री मोहनलाल छंगाणी
316	"	4	श्री खतसिह	श्री खेतसिह